प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2002 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार के कमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं।

3. शेष अध्यायों में सरकार के लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से चयनित अभ्युक्तियों का वर्णन और तीन योजनाओं तथा एक परियोजना अर्थात (क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (ख) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, (ग) सफाईकर्मियों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना तथा (घ) इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), और (ङ) लोक निर्माण विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा का उल्लेख भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है।

4. सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी ही अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किये गये हैं।

5. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2001–02 के दौरान लेखाओं की नमूना जॉच के समय जानकारी में आये, साथ ही वे प्रकरण भी हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु पूर्व के प्रतिवेदनों में उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी, 2001–02 के पश्चात की अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2001–02 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखाओं पर की गई टिप्पणियांयुक्त दो अध्याय सम्मिलित किए गए हैं तथा अन्य तीन अध्यायों में राज्य सरकार की कतिपय चयनित योजनाओं, कार्यक्रमों और वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा पर आधारित समीक्षाएं एवं कंडिकाएं समाविष्ट की गई हैं। इस विहंगावलोकन में समीक्षाओं में निहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा अधिक महत्वपूर्ण कंडिकाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (14369 करोड़ रुपये) राजस्व प्राप्तियों (11211 करोड़ रुपये) से बहुत अधिक था, परिणामस्वरूप 3158 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (4679 करोड़ रुपये), कर भिन्न राजस्व (1602 करोड़ रुपये), संघ करों तथा शुल्कों का राज्यांश (3439 करोड़ रुपये) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान (1491 करोड़ रुपये) सम्मिलित है। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्रय पर कर (50 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (15 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (10 प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (8 प्रतिशत) थे। कर भिन्न राजस्व मुख्य रूप से वानिकी एवं वन्य प्राणी (20 प्रतिशत) अलौह खनन एवं धातु उद्योगों (33 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियों (15 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ।

पूंजीगत प्राप्तियों में कर्जों एवं पेशगियों की वसूलियों से प्राप्त 1588 करोड़ रुपये तथा लोक ऋण से प्राप्त 3281 करोड़ रुपये समाविष्ट हैं। इसके विरुद्ध पूंजीगत परिव्यय पर 1471 करोड़ रुपये, कर्जे एवं पेशगियों के संवितरण पर 599 करोड़ रुपये तथा लोक ऋण के प्रतिभुगतान पर 522 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। लोक लेखे में 15013 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हुईं जिनके विरुद्ध 13569 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया। समेकित निधि, आकस्मिक व्यय निधि तथा लोक लेखे में लेनदेनों का निवल प्रभाव वर्ष के अंत में रोकड़ शेष में 558 करोड़ रुपये की वृद्धि के रूप में हुआ।

निधियों का उपयोग मुख्यतः राजस्व व्यय के लिए किया गया जिनका अंश राज्य सरकार के कुल व्यय की तुलना में 90.38 प्रतिशत से घटकर 84.52 प्रतिशत रह गया किन्तु सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों (65.94 प्रतिशत) के अंश की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा। पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 6.70 प्रतिशत से बढ़कर 8.65 प्रतिशत हो गया तथा विकास उद्देश्यों के लिये उधारी 1.78 प्रतिशत से 3.52 प्रतिशत हो गई।

सरकारी लेखाकरण नियमों का उल्लंघन कर राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिए गए सहायतानुदान से संबंधित 33.61 करोड़ रुपये राशि का व्यय लेखे में राजस्व अनुभाग की

अपेक्षा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत लेखांकित किया। इसके कारण राजस्व घाटे का न्यून कथन किया गया।

राज्य सरकार के वित्तीय कार्यचालन में वित्तीय परिसंपत्तियों में 4.78 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्तीय दायित्वों में 17.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो समग्ररूप में सरकार की वित्तीय स्थिति का बिगड़ना दर्शाती है। 2000–01 अवधि में सरकार के कुल दायित्व 22548.42 करोड़ रुपये से बढ़कर 26486.87 करोड़ रुपये हो गए।

विगत पांच वर्षों से व्यय की गुणवत्ता में ह्रास हुआ जो 1997–98 की तुलना में आयोजना एवं पूंजीगत व्यय के गिरते हुए प्रतिशत तथा 2001–02 में सीमांत कमी को छोड़ कर सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय के बढ़ते हुए प्रतिशत से स्पष्ट होता है। अपूर्ण परियोजनाओं में भारी मात्रा में निधियां (5589 करोड़ रुपये) अवरुद्ध थीं तथा अंतिम व्यय के रूप में लेंखांकित करने के उपरान्त प्रचुर निधियां (684.28 करोड़ रुपये) वैयक्तिक जमा खातों में अवरोधित थीं।

यह वर्ष राज्य की वित्त व्यवस्था में उल्लेनीय ह्रास का साक्षी है। यद्यपि प्रतिभुगतान दायित्वों में वृद्धि हुई तथापि पिछले कर्जे एवं पेशगियों की अच्छी वसूली के बावजूद नवीन उधारियों में से पूंजीगत निवेश के लिये बहुत कम बचा। बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के कारण वर्द्धित ब्याज भार के साथ उधारियों में वृद्धि हुई और अपने दैनिक व्यय की पूर्ति के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक पर अत्यधिक निर्भर भी रहना पड़ा।

(कंडिका 1.1 से 1.12)

2 विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

28771.51 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित विनियोग के विरुद्ध 2001–02 के दौरान वास्तविक व्यय 23439.63 करोड़ रुपये था, परिणामस्वरूप 5331.88 करोड़ रुपये की बचत हुई। वर्ष के दौरान 3 विनियोगों में हुआ राज्य सरकार का व्यय बजट प्रावधान से 6.26 करोड़ रुपये तक अधिक था। 1990–91 से 2000–01 तक के वर्षों से संबंधित कुल 5137.99 करोड़ रुपये के ऐसे आधिक्यों का नियमितीकरण नहीं किया गया था (नवम्बर 2002)। अधिक व्यय का संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य विधायिका से नियमितीकरण कराया जाना अपेक्षित है।

वर्ष के दौरान 81 प्रकरणों में प्राप्त 719.85 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

32 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में प्रदत्त संपूर्ण एक करोड़ रुपये और उससे अधिक कुल 163.06 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 63 योजनाओं में 5 करोड़ रुपये अथवा अधिक की और प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक कुल 2385.45 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय बचत हुई।

5 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक और कुल प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक व्यय हुआ।

अनुदानों/विनियोगों के 160 प्रकरणों में 2922.72 करोड़ रुपये अभ्यर्पित नहीं किए गए और उन्हें व्यपगत हो जाने दिया गया। इसमें 56 प्रकरणों जिनमें प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये से अधिक की बचत थी, के 2840.30 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान 126 प्रकरणों में अभ्यर्पित 2444.17 करोड़ रुपयों में से 2252.64 करोड़ रुपये (92.2 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए।

13 प्रकरणों में अभ्यर्पित 676.11 करोड़ रुपये की राशि 647.37 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक थी, परिणामस्वरूप 28.74 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ जिससे अकुशल बजट नियंत्रण प्रतीत हुआ।

व्यय की कमी के रूप में लेखे में समायोजनीय वसूलियां/जमाएं जहां 716.81 करोड़ रुपये प्राक्कलित की गई थीं वहीं 2001–02 के दौरान वास्तविक वसूलियां केवल 259.98 करोड़ रुपये की थीं।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 16 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2343.02 करोड़ रुपये की राशि जो कुल व्यय का 10 प्रतिशत था, के आंकड़ों का मिलान नहीं किया।

2001–02 के दौरान आहरित 892.58 करोड़ रुपये अंतिम व्यय के रूप में लेखांकित करने के उपरांत सिविल जमाओं में अन्तरित किए गए।

(कंडिका 2.1 से 2.4)

3 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राज्य में अप्रैल 1999 में इस उद्देश्य से आरंभ की गई थी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन ग्रामीण ऋण एवं आर्थिक सहायता के साथ उपलब्ध कराई जाने वाली आय सृजक संपत्तियों की सहायता से तीन वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम 2000 रुपये की निवल मासिक आय प्राप्त करने योग्य हो जाएं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि:–

- केन्द्रीय एवं राज्य निधियां 58.50 करोड़ रुपये तक कम विमोचित की गईं।
- नमूना जांच किए गए 7 जिलों में ही 2.44 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त 7.50 करोड़ रुपये का अस्थाई कार्य अग्रिम अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया।

- 50 ग्राम पंचायतों में आर्थिक सहायता प्रदत्त 2860 परिवारों में से केवल 769 परिवार (27 प्रतिशत) ही 2000 रुपये और इससे अधिक की लक्षित मासिक आय सृजित करने योग्य हो सके।

- योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुये शहडोल जिले में 2.02 करोड़ रुपये की लागत के लघु सिंचाई निर्माणकार्यों का निष्पादन एक ठेकेदार के माध्यम से कराया गया जिससे निर्धन ग्रामीण मजदूरी उपार्जन से वंचित रहे।

- यद्यपि योजना में सामूहिक सम्पर्क अंगीकृत करने पर जोर दिया गया था तथापि स्वसहायता समूहों के माध्यम से सहायता प्राप्त स्वरोजगारी व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता प्रदत्त स्वरोजगारियों का केवल 14 प्रतिशत थे।

- 49760 स्वरोजगारियों को कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण के बिना 47.92 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

- 176 स्वरोजगारियों को प्रदत्त दर्शाए 79.65 लाख रुपये के ऋण बैंकों ने वस्तुतः संवितरित ही नहीं किए परन्तु उसके विरुद्ध बैंकों को 27.55 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी गई।

- बैंकों द्वारा ऋणों की स्वीकृति एवं संवितरण में अत्यधिक विलम्ब हुआ जिससे क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। परिवीक्षण भी पर्याप्त नहीं था।

(कंडिका 3.1)

4 माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रवर्तित योजना वैयक्तिक रूप में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि करने, कुशल जनशक्ति की मांग एवं पूर्ति में विसंगति पूर्ण अंतर को कम करने तथा उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु विकल्प उपलब्ध कराए जाने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को विविधतापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 1987–88 में आरंभ की गई थी।

- निधियों की उपलब्धता के बावजूद 68 विद्यालयों में 174 व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ नहीं किए गए।

- 754 अध्यापकों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 445 पद ही संस्वीकृत किए गए जिसके कारण 309 पाठ्यक्रम बिना अध्यापकों के चलाने पड़े।

- जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण नहीं किए गए थे न ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, परिणामस्वरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का नामांकन कम रहा जिसका औसत न्यूनतम 20 से 25 विद्यार्थियों की तुलना में 7 विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम रहा। अध्यापकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था।

- राज्य लोक निर्माण विभाग को कार्य सायबानों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराए गए 2.50 करोड़ रुपये अवरुद्ध रहे। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग ने अनावश्यक 46 कार्य सायबानों के निर्माण पर 30.75 लाख रुपये का निष्फल व्यय किया।

(कंडिका 3.2)

5. सफाईकर्मियों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

सफाईकर्मियों को मैला ढोने जैसे घृणित व्यवसाय से मुक्ति दिलाने और प्रशिक्षित करने के उपरांत उन्हें प्रतिष्ठापूर्ण वैकल्पिक काम–धंधों में लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1991–92 में एक केन्द्र प्रवर्तित योजना आरंभ की। योजना के अंतर्गत किये जाने वाले प्रयासों में सफाईकर्मियों की विमुक्ति हेतु शहरी कम लागत से सफाई की एक अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजना जोडी गई जिसमें शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करना निहित था।

- अवास्तविक लक्ष्यों के निर्धारण एवं शिथिल क्रियान्वयन के कारण केन्द्रीय सहायता राशि के 17.99 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ऋण की कुल 77.35 लाख रुपये की राशि अप्रयुक्त रही। केन्द्रीय सहायता राशि पर अर्जित 1.60 करोड रुपये के ब्याज का वेतन एवं भत्तों पर व्यपवर्तन किया गया।

- 88 प्रतिशत सफाईकर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया तथा 16 जिलों में प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया ।

- 1997–2002 के दौरान पुनर्वास की गति शिथिल रही जबकि 1992–97 के दौरान 60,308 सफाईकर्मियों के पुनर्वास की तुलना में केवल 19,693 सफाईकर्मियों (अप्रशिक्षित 12,996 सहित) का ही पुनर्वास किया गया। नमूना जांच किए गए जिलों में 2,857 अनभिज्ञापित/अपात्र व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया जिसमें 3.13 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

- 4.58 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता से 30 नगरों में किया गया 3,974 सफाईकर्मियों का पुनर्वास संदेहपूर्ण प्रकृति का था क्योंकि इन नगरों में शुष्क शौचालय विद्यमान रहे।

- हुडको द्वारा दिए जाने वाले 2.05 करोड़ रुपये के ऋण की राज्य सरकार द्वारा गारंटी न दिए जाने के कारण इंदौर में 18,420 शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने की योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी।

- 3 जिलों में किए गए सर्वेक्षण में योजना के अंतर्गत आरंभ किए गए वैकल्पिक व्यवसायों/प्रतिष्ठापनों में से अधिकाधिक 85 प्रतिशत का बंद होना पाया गया।

(*कंडिका* 3.3)

6. इंदिरा सागर परियोजना (नहरें)

2167.67 करोड़ रुपये की अद्यतन लागत (1998 के मूल्य स्तर पर) के साथ नवंबर 1990 में प्रशासकीय रूप से अनुमोदित इंदिरा सागर परियोजना में 1.69 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई तथा 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन परिकल्पित था। निधियों की विमुक्ति न होने, योजनाकरण एवं समन्वय का अभाव, भू–अर्जन में विलंब, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन में विलंब, रूपांकनों को अंतिम रूप देने तथा एजेन्सियों के निर्धारण में विलंब के कारण परियोजना का निर्माण समय से बहुत अधिक पिछड़ गया था। 1110 करोड़ रुपये का व्यय करने के बाद बांध एवं पावर हाउस (यूनिट – I और III) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन (एन.एच.डी.सी.) लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए थे (सितम्बर 2000) जो भारत सरकार के उपक्रम "नेशनल हाइड्रोपावर कार्पोरेशन" (एन.एच.पी.सी.) तथा मध्यप्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। निम्न बिंदु भी प्रकट हुए।

- 283.41 करोड़ रुपये का व्यय करने के बाद भी 81.59 किलोमीटर तक नहरों का निर्माण और 36100 हेक्टेयर की सिंचाई जिसे जून 1999 तक पूर्ण होना था, जुलाई 2002 तक प्रगति में थे।

- यूनिट I एवं III को एन.एच.डी.सी. को हस्तांतरित कर देने के बाद भी उनके संधारण एवं स्थापना पर किया गया 57.29 करोड़ रुपये का व्यय अवांछित था।

- अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित अवास्तविक प्राक्कलनों के आधार पर निर्माण कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप 5.89 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई। 1 से 5 वर्षों के विलंब के परिणामस्वरूप 70.91 लाख रुपये का परिहार्य मूल्यवृद्धि प्रभार भुगतान हुआ।

- पुनासा सुरंग (टनल) के "क्रास सेक्शन" का रूपांकन त्रुटिपूर्ण आंकड़ों पर आधारित था जिसके परिणामस्वरूप 2.18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई तथा इसके पूर्ण होने में असाधारण विलंब के कारण 15.77 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

- निकास नहर तथा "क्रैच वाटर ड्रेन प्रोफाइल" के साथ नहर के अवांछित उत्खनन से 88.94 लाख रुपए का अपव्यय हुआ। निकास नहर के अति उत्खनन के सुधार के परिणामस्वरूप भी 31.69 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- कड़ी चट्टानों में उत्खनन हेतु रेखीय छिद्रण (लाइन ड्रिलिंग), प्री–स्पिलिटिंग एवं परिधीय (पेरीमीटर) ब्लास्टिंग हेतु अलग प्रावधान के फलस्वरूप 47.26 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ। ढलान सुरक्षा के लिए "चिजलिंग एवं चिपिंग" के संदिग्ध कार्य पर 23.38 लाख रुपये के भुगतान की जांच पड़ताल आवश्यक थी।
- मूल्य वृद्धि प्रभार शर्तों को गलत ढंग से अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 20.53 लाख रुपए का अधिक भुगतान किया गया।
- निष्क्रिय अमले (स्टाफ) के वेतन और भत्तों पर 7.89 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(कंडिका 4.1)

7. लोक निर्माण विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

विभाग ने मार्च 2002 तक 68105.6 किलोमीटर सड़कों तथा मार्च 1999 तक 117.54 लाख वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया था। मात्र 28.02 प्रतिशत ग्राम ही सड़कों से जोड़े गए थे। मार्च 2002 तक प्रादेशिक राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों के निर्माण की उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यों की मात्र 54.88 और 38.37 प्रतिशत थी। अपर्याप्त सर्वेक्षण और अनुसंधान, अवास्तविक प्राक्कलन, निविदाएं बुलाने और स्वीकृत करने में विलंब, अपर्याप्त साख पत्रों के जारी होने तथा ठेकेदारों द्वारा निर्माण की धीमी प्रगति इत्यादि के कारण उपलब्धि कम रही। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित तथ्य और प्रकट हुए।

- भवनों के निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, 1811 भवनों में से मात्र 829 पूर्ण किए गए थे तथा 611 भवन प्रगति में थे जिसमें 126.45 करोड़ रुपये का लागत आधिक्य निहित था।
- 7 संभागों में साख पत्रों से 17.19 करोड़ रुपए अधिक आहरित किए गए थे तथा आबंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए 38.86 करोड़ रुपए सिविल जमा में रखे गए थे।
- 2423 अधिशेष अमले एवं 20479 गैंग मजदूरों पर अगस्त 2000 से 10.77 करोड़ रुपए एवं 49.15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय किए जा रहे थे। शासकीय आदेश का उल्लंघन करते हुए दिसंबर 1988 के पश्चात नियुक्त श्रमिकों को 26.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कारण 12 सड़कों पर 2.05 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत तथा 6.17 करोड़ रुपए का लागत आधिक्य हुआ।

- "बिल्ड, ऑपरेट एवं ट्रांसफर" योजना के अंतर्गत दोषी ठेकेदार के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई करने के विलंब के परिणामस्वरूप उसे 1.93 करोड़ रुपये का अदेय लाभ हुआ।
- 15 संभागों में दोषी ठेकेदारों से 6.56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वसूल नहीं की गई।
- देवास, इन्दौर–I एवं कटनी संभागों में ऊँची दरों की निविदाओं की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 7.04 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 4.2)

8. अन्य योजनाओं/परियोजनाओं का दोषपूर्ण कार्यान्वयन

(i) राजघाट नहर परियोजना 121450 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिये मार्च 1981 में 46.15 करोड़ रुपये हेतु प्रशासकीय रूप से अनुमोदित की गई थी। मार्च 1997 तक 88.89 करोड़ रुपए का व्यय करने के बाद परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक (जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोऑपरेशन) से 421.08 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के अंतर्गत लाई गई। तथापि, 428.42 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी विभाग परियोजना को मार्च 2002 तक पूर्ण करने में असफल रहा। छानबीन में निम्न बिंदु भी प्रकट हुए:–

– जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने 7.16 करोड़ रुपए का व्यय अमान्य कर दिया। अमान्य करने के कारण अभिलेख में नहीं थे।

– मूल्य वृद्धि प्रभारों के लिए प्राक्कलनों को बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप 83.09 करोड़ रुपये की बचत हुई।

– 106 कार्य समूहों में से 4 कार्यों के लिये एजेन्सियां निर्धारित नहीं की गई थीं जबकि मात्र 37 कार्य पूर्ण हुए थे। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि प्रभार के कारण 5.04 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ।

– परियोजना में कोई भी प्रशिक्षित अधिकारी कार्यरत नहीं था जिससे प्रशिक्षण पर 21.47 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा।

– निविदाएं बुलाए बिना एवं क्षमता का आंकलन किए बिना सलाहकार (कंसलटेंट) को 2.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कार्य दिया गया।

– 4.84 करोड़ रुपए का अधिक व्यय, 55.24 लाख रुपए का परिहार्य व्यय तथा ठेकदारों को 98 लाख रुपए का अदेय वित्तीय लाभ भी जानकारी में आए।

(कंडिका 4.7)

(ii) **इंदिरा आवास योजना** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मुक्त करवाए गए बंधुआ मजूदरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः भारत सरकार की निधियों से केन्द्र प्रवर्तित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम–ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के संघटक के रूप में 1985–86 में आरंभ की गई थी। यह 1 जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना हो गई। इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन दोषपूर्ण था क्योंकि हितग्राहियों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। पूर्णता का दावा किए गए 3.69 लाख आवासों में से 50 एवं 62 प्रतिशत आवासों में स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित चूल्हे उपलब्ध नहीं कराए गए थे। 41 प्रतिशत आवास केवल पुरुष सदस्यों के नाम से ही आबंटित किए गए थे। अधोसंरचना विकास निधियों का उचित रूप में उपयोग नहीं किया गया तथा 3.64 करोड़ रुपये अन्य मदों पर व्यय हेतु व्यपवर्तित किए गए। नमूना जांच किए गए 11 जिलों से ही 41.03 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाणपत्र अभिवांछित थे।

(कंडिका 3.9)

9. निष्फल, परिहार्य तथा अतिरिक्त व्यय/लागत

(i) मण्डला, छिंदवाड़ा और खण्डवा जिलों में 35 आयुर्वेदिक एवं 7 होम्योपैथिक औषधालय बिना चिकित्सकों के चल रहे थे जिसके कारण अन्य कर्मचारी वर्ग के वेतन एवं भत्तों तथा भवन के किराए पर 1.32 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.7)

(ii) शासकीय मुद्रणालय, ग्वालियर ने अपने अतिशेष कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 3.61 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय किया और अतिशेष कर्मचारी उपलब्ध होने के उपरांत भी समयोपरि भत्ते के रूप में 2.26 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया । शासकीय मुद्रणालय रीवा ने भी 42 लाख रुपये का ऐसा ही व्यय किया।

(कंडिका 3.10)

(iii) आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर द्वारा हवाई सर्वेक्षण कार्य अविवेकपूर्ण रूप से उच्चतर दरों पर सौंपने के परिणामस्वरूप 1.92 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त दायित्व वहन करना पड़ा।

(कंडिका 3.11)

(iv) मान परियोजना के मुख्य बांध में एक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यपालन यंत्री की विलम्बित कार्रवाई से अतिरिक्त लागत, गतिशीलन अग्रिम तथा मशीनरी अग्रिम के 8.79 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.3)

(v) भारत सरकार के अनुमोदन के बिना झाबुआ जिले में 34 ग्रामों के गैर विकासक्षम (अनवाए बिल) जल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन के फलस्वरूप 30.92 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.5)

(vi) भोपाल और सीहोर जिलों में बड़े व्यास के नलकूपों के अविवेकपूर्ण खनन के परिणामस्वरूप 30.31 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत हुई।

(कंडिका 4.6)

(vii) बागला तालाब के निर्माण कार्य की उचित रूप से योजनाकरण में विफलता के परिणामस्वरूप शेष कार्य को पूरा करने में 75.35 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 4.9)

10. अन्य रुचिकर तथ्य

(i) उर्वरकों की विक्रय प्राप्तियों को विलंब से जमा किए जाने के कारण जिला विपणन अधिकारी, भिण्ड, सागर व शहडोल द्वारा जिला सहकारी बैंकों से ब्याज की वसूली न होने के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को 3.78 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 5.1)

(ii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त केन्द्र प्रवर्तित योजना निधियों के 29.81 करोड़ रुपये का राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतानों के लिए दुरुपयोग किया गया।

(कंडिका 5.3)

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 5.10 करोड़ रुपये राज्य सरकार की पहल पर सिविल जमा में अप्रयुक्त पड़े रहे जिससे ग्रामीण जनता को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सके।

(कंडिका 1.9.3.1(ख))

(iv) जबलपुर जिले के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों हेतु कर्मशाला एवं आवास निर्माण की केन्द्र प्रवर्तित योजना क्रियान्वित नहीं की गई और 1997–98 में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 1.98 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता राशि अप्रयुक्त पड़ी रही।

(कंडिका 1.9.3.1(क))

(v) विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना हेतु चिन्हित परियोजना वाहनों का दूसरों को आबंटन किए जाने के परिणामस्वरूप 44.48 लाख रुपये का दुरुपयोग हुआ।

(कंडिका 4.8)

(vi) मुलताई जल आपूर्ति योजना हेतु अविवेकपूर्ण ढंग से सामग्री की बहुत पहले अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 44.05 लाख रुपये की पूंजी अवरुद्ध हो गई।

(कंडिका 4.4)

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का विहंगावलोकन

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में वित्त लेखे में निहित जानकारी के विश्लेषण पर आधारित राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया गया है। विश्लेषण राज्य सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय, व्यय गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में वित्त लेखे में निहित जानकारी एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अन्य जानकारी के आधार पर कतिपय अनुपातों एवं विकसित देशनाओं पर आधारित सरकार के वित्तीय निष्पादनों के संदर्शकों के विश्लेषण पर एक प्रखण्ड भी समाविष्ट किया गया है। इस अध्याय में प्रयुक्त कुछ शब्दों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दिया गया है।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 का क्रमांक 28) के अनुसार भूतपूर्व मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिले* '' निश्चित दिवस'' 1 नवम्बर 2000 को नये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हेतु हस्तांतरित किये गये । '' निश्चित दिवस'' के तत्काल पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन एवं मध्यप्रदेश राज्य के मध्य अन्य वित्तीय समायोजन भी प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। इस संबंध में उपलब्ध वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट-I क** में दर्शाई गई है।

1.2 राज्य की वित्तीय स्थिति

सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन इत्यादि जैसी स्थाई परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता तथापि सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा सरकार द्वारा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को तो समाविष्ट किया ही जाता है। प्रदर्श-1 में 31 मार्च 2001 तथा 31 अक्टूबर 2000 की तदनुरूपी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2002 को भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सारांश दिया गया है। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधारियां, भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां, लोक लेखे तथा आरक्षित निधियों से प्राप्तियां समाविष्ट हैं जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे एवं पेशगियां तथा रोकड़ शेष समाविष्ट हैं । राज्य सरकार के वित्तीय कार्यचालन के कारण परिसंपत्तियों में 4.78 प्रतिशत तक वृद्धि हुई,जबकि उसकी वित्तीय देयताओं में 17.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में संपूर्णतः ह्रास प्रकट करती है ।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों/संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में 33.61 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व के स्थान पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन दोषपूर्ण ढंग से वर्गीकृत किया था (देखिये कण्डिका 1.6)। इसके कारण पूंजीगत परिव्यय अधिक तथा राजस्व घाटा उक्त सीमा तक कम बताया गया।

टिप्पणीः- **चूंकि राज्य मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अनुसार 01 नवम्बर 2000 को अपने वर्तमान रूप से अस्तित्व में आया है इसलिये इस अध्याय एवं अन्यत्र उल्लिखित 31 अक्टूबर 2000 को समाप्य अवधि के लिये तथा तक की आधार सामग्री तथा आंकड़े भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।**

* बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाडा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर - चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा

प्रदर्श-1

31 मार्च 2002 को मध्यप्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

31.10.2000 को[⊗]	31.03.2001 को	देयताएं	31.03.2002 को
7628.95	**5967.51**	**आंतरिक ऋण-**	**7648.43**
4709.69	3794.21	ब्याज सहित बाजार कर्जे	4473.38
5.39	3.70	ब्याज रहित बाजार कर्जे	2.98
775.61	645.95	अन्य संस्थाओं से कर्जे	845.84
256.87	--	अर्थोपाय पेशगियां	-
145.53	--	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	-
1735.86	1523.65	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	2326.23
10606.50	**7964.77**	**केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां-**	**9043.18**
526.47	365.27	1984-85 से पूर्व के कर्जे	328.15
3441.82	2516.89	योजनेतर कर्जे	2468.10
6440.06	4932.36	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	6090.57
61.30	43.91	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	42.14
136.85	106.34	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	114.22
26.61	**40.00**	**आकस्मिक व्यय निधि**	**40.00**
7371.50	**6534.82**	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**	**6942.42**
1872.19	**1806.12**	**निक्षेप**	**2484.16**
663.77	**275.20**	**आरक्षित निधियां**	**368.67**
80.60	**196.14**	**उचंत तथा विविध शेष**	**296.97**
28250.12	**22784.56**		**26823.83**

टिप्पणी: निश्चित दिवस यथा 1 नवम्बर 2000 के तत्काल पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के लोक ऋण को छोड़ कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं के विभाजन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

⊗ भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित

31.10.2000 को[⊗]	**31.03.2001 को**	**परिसम्पत्तियां**	**31.03.2002 को**
15760.57	**14862.15**	**स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-**	**16332.79[$]**
1642.14	1679.08	कम्पनी, निगमों आदि के अंशों में निवेश	1687.07
14118.43	13183.07	अन्य पूंजीगत परिव्यय	14645.72$
2883.18	**2990.98**	**कर्जे एवं पेशगियां-**	**2001.91**
1819.17	2010.84	विद्युत परियोजनाओं हेतु कर्जे	677.76
995.85	914.27	अन्य विकास कर्जे	1263.66
68.16	65.87	सरकारी कर्मचारियों को कर्जे तथा विविध कर्जे	60.49
--	--	आरक्षित निधि निवेश	--
13.88	**10.32**	**पेशगियां**	**7.04**
665.60	**631.59**	**प्रेषण शेष**	**471.59**
17.11	**(-)223.57**	**रोकड़**	**331.03**
(-)68.26	(-)28.22	कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-)3.22
38.51	(-)546.29	रिजर्व बैंक में जमा	303.55
21.86	12.19	स्थाई अग्रदाय रोकड़ सहित विभागीय रोकड़ शेष	12.50
25.00	338.75	रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधि निवेश	18.20
8909.78	**4513.09**	**सरकारी लेखे पर घाटा-**	**7679.47**
7108.32	4167.53	(i) अग्रेनीत संचित घाटा	4513.09
1801.46	344.46	(ii) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	3157.69
--	--	(iii) अंतर्राज्यीय निपटारा	5.56
--	1.10	(iv) सरकारी लेखाबंदी राशि	3.13[φ]
28250.12	**22784.56**		**26823.83**

⊗ भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित।

$ स्थानीय निकायों/संस्थानों को 33.61 करोड़ रुपये के सहायतानुदान का योजनेतर राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत (आयोजना) के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया गया ।

φ इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की राजस्व आरक्षित निधियां, निवेश लेखे से संबंधित शेषों के 3.08 करोड़ रुपये के प्रोफार्मा अन्तरण सम्मिलित हैं ।

प्रदर्श- 2

वर्ष 2001-02 की प्राप्तियों तथा संवितरणों का सारांश

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां						संवितरण										
अप्रैल-अक्टूबर 2000⊗	नवम्बर 2000 से मार्च 2001	योग			2001-02	अप्रैल-अक्टूबर 2000⊗			नवम्बर 2000-मार्च 2001			महायोग		2001-02		
						योजनेत्तर	आयोजना - गत	योग	योजनेत्तर	आयोजना गत	योग			योजनेत्तर	आयोजनागत	योग
				अनुभाग-कः राजस्व												
7136.48	**5702.82**	**12839.30**	**I.**	**राजस्व प्राप्तियां**	**11211.08**								**I. राजस्व व्यय**			
3224.57	2415.01	5639.58		- कर राजस्व	4678.98	**3355.84**	**7.74**	**3363.58**	**1922.08**	**36.99**	**1959.07**	**5322.65**	**सामान्य सेवाएं**	**4874.90**	**174.59**	**5049.49**
						2795.95	**843.51**	**3639.46**	**1425.39**	**771.61**	**2197.00**	**5836.46**	**सामाजिक सेवाएं**	**3265.83**	**1317.06**	**4582.89**
1020.20	704.13	1724.33		- कर भिन्न राजस्व	1601.68	1582.72	228.31	1811.03	751.33	187.51	938.84	2749.87	- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1829.30	280.74	2110.04
						353.17	158.22	511.39	209.75	110.85	320.60	831.99	- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	417.74	249.15	666.89
2317.94	1637.57	3955.51		- संघ करों का राज्यांश	3439.30	201.35	148.65	350.00	98.63	234.68	333.31	683.31	- जल प्रदाय सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	224.28	311.44	535.72
34.82	154.58	189.40		- आयोजनेतर अनुदान	322.35	10.76	--	10.76	10.46	0.07	10.53	21.29	- सूचना तथा प्रसारण	15.55	1.08	16.63
						453.94	195.59	649.53	148.44	134.79	283.23	932.76	- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	421.92	269.78	691.70
244.47	458.72	703.19		- राज्य आयोजना गत योजनाओं के लिये अनुदान	649..08	31.80	8.00	39.80	16.71	5.58	22.29	62.09	- श्रमिक तथा श्रमिक कल्याण	35.65	17.29	52.94

⊗ भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित

प्रदर्श-2 जारी

						157.15	104.73	261.88	186.92	97.99	284.91	546.79	- समाज कल्याण तथा पोषण	313.55	187.41	500.96
294.48	332.81	627.29		केन्द्र तथा केन्द्र प्रवर्तित आयोजनगत योजनाओं के लिये अनुदान	519.69	5.07	--	5.07	3.14	0.14	3.28	8.35	- अन्य	7.84	0.17	8.01
						1219.09	**365.83**	**1584.92**	**1055.61**	**657..07**	**1712.68**	**3297.60**	**आर्थिक सेवाएं**	**3339.06**	**1024.43**	**4363.49**
						542.58	153.89	696.47	311.20	206.92	518.12	1214.59	- कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	703.14	404.48	1107.62
						250.05	116.71	366.76	158.02	378.23	536.25	903.01	- ग्रामीण विकास	145.71	473.29	619.00
						--	--	--	--	--	--	--	- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
						165.83	67.14	232.97	73.07	29.96	103.03	336.00	- सिंचाई एवं बाद नियंत्रण	191.33	69.78	261.11
						--	1.68	1.68	393.58	15.23	408.81	410.49	- ऊर्जा	1999.06	37.95	2037.01
						28.95	23.91	52.86	12.76	22.57	35.33	88.19	- उद्योग तथा खनिज	29.96	24.17	54.13
						206.75	1.09	207.84	86.56	0.31	86.87	294.71	- परिवहन	244.86	1.48	246.34
						0.82	0.40	1.22	0.50	0.93	1.43	2.65	- विज्ञान प्रोद्योगिकी तथा पर्यावरण	00.96	1.13	2.09
						24.11	1.01	25.12	19.92	2.92	22.84	47.96	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	24.04	12.15	36.19
						349.97	--	**349.97**	**178.53**	--	**178.53**	**528.50**	**सहायतानुदान तथा अंशदान**	**372-90**	--	**372-90**

प्रदर्श-2 जारी

1801.45	**344.46**	**2145.91**	**II.**	**अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व घाटा**	**3157-69**	--	--	--	--	--	--	--	II- अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत			
8937.93	**6047.28**	**14985.21**		**योग**	**14368.77**	**7720.85**	**1217.08**	**8937.93**	**4581.61**	**1465.67**	**6047.28**	**14985.21**	**योग**	**11852.69***	**2516.08**	**14368.77***
				अनुभाग-ख												
296.72	**61.68**	**358.40**	**III**	**स्थाई पेशगियों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ शेष**	**(-)226.65⊕**			--			--	--	**III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष**			
								--			--	--	**IV. पूंजीगत परिव्यय**	**4.55**	**1466.09**	**1470.64***
			IV	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**		**0.37**	**4.91**	**5.28**	--	**10.58**	**10.58**	**15.86**	**सामान्य सेवाएं**	**0.89**	**20.90**	**21.79**
						0.19	**37.56**	**37.75**	**1.40**	**96.63**	**98.03**	**135.78**	**सामाजिक सेवाएं**	**0.60**	**170.98**	**171.58**
						--	1.16	1.16	--	11.50	11.50	12.66	- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-	15.82	15.82
						0.19	13.64	13.83	1.40	14.36	15.76	29.59	- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	0.52	20.75	21.27
						--	5.70	5.70	--	12.42	12.42	18.12	- जल प्रदाय, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	-	72.26	72.26
						--	--	--	--	0.13	0.13	0.13	- सूचना तथा प्रसारण	-	-	-

* स्थानीय निकायों/संस्थाओं को 33.61 करोड़ रुपये के सहायतानुदान का योजनेतर राजस्व व्यय के स्थान पर आयोजनागत पूंजी व्यय के अधीन त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया गया ।

⊕ वित्त लेखे के अनुसार पिछले वर्षो की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अन्तरण के कारण 3.08 करोड़ रुपये (30797066 रुपये) तक अंतिम शेष में अन्तर है।

प्रदर्श-2 जारी

						--	16.04	16.04	--	57.72	57.72	73.76	- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	-	61.10	61.10
						--	0.23	0.23	--	0.37	0.37	0.60	- समाज कल्याण तथा पोषण	0.08	0.17	0.25
						--	0.79	0.79	--	0.13	0.13	0.92	- अन्य	-	0.88	0.88
						5.62	**475.69**	**481.31**	**(-)2.57**	**480.12**	**477.55**	**958.86**	**आर्थिक सेवाएं**	**3.06**	**1274.21**	**1277.27**
						5.22	(-)0.25	4.97	(-)2.92	41.00	38.08	43.05	- कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	2.16	21.30	23.46
						--	24.57	24.57	--	42.24	42.24	66.81	- ग्रामीण विकास	-	148.54	148.54
						0.33	263.37	263.70	0.12	223.42	223.54	487.24	- सिंचाई एवं बाद नियंत्रण	0.38	685.11	685.49
						--	126.34	126.34	--	112.37	112.37	238.71	- ऊर्जा	-	172.78	172.78
						0.05	3.11	3.16	0.05	1.31	1.36	4.52	- उद्योग तथा खनिज	0.11	6.69	6.80
						--	57.67	57.67	0.17	58.20	58.37	116.04	- परिवहन	0.38	236.95	237.33
													- सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.03	2.84	2.87
				Total		**6.18**	**518.16**	**524.34**	**(-)1.17**	**587.33**	**586.16**	**1110.50**	योग	**4.55**	**1466.09**	**1470.64**

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां						संवितरण				
2000-01					2001-02	2000-01				2001-02
01.04.2000 से 31.10.2000 तक	01.11.2000 से 31.03.2001 तक	योग				अप्रैल-अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000-मार्च 2001	योग		
(-)5.79	**19.24**	**13.45**	**V**	**कर्जे एवं पेशगियों की वसूली**	**1587.65**	**32.76**	**262.95**	**295.71**	**V. संवितरित कर्जे एवं पेशगियां**	**598.58**
--	--			- विद्युत परियोजनओं से	1557.55	--	191.67	191.67	- विद्युत परियोजनओं के लिये	224.47
9.72	4.42	14.14		- सरकारी कर्मचारियों से	12.96	14.40	2.13	16.53	- सरकारी कर्मचारियों के लिये	7.62
(-)15.51	14.82	(-)0.69		- अन्य से	17.14	18.36	69.15	87.51	- अन्य के लिये	366.49
--	--	--	**VI**	**अन्तर्राज्यीय निपटान**	--	--	--	--	**VI. अंतर्राज्यीय निपटान**	**5.56**
--			**VII**	**अधेनीत राजस्व बचत**	-	**1801.46**	**344.46**	**2145.92**	**VII. अधनीत राजस्व घाटा**	**3157-69**
2170.59	**929.94**	**3100.53**	**VIII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**3281.00**	**271.44**	**546.92**	**818.36**	**VIII. लोक ऋण का प्रति भुगतान**	**521.67**
1308.30	567.84	1876.14		- अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकषो के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	1830.30	51.37	72.46	123.83	- अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकषों के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	149.38
631.52	362.10	993.62		- केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	1450.70	220.07	180.58	400.65	- केन्द्र सरकार को कर्जे एवं पेशगियों के अधीन निवल लेन-देन	372.29
230.77	--	230.77		- अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन देन	-	--	293.88	293.88	- अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन-देन	--
--	--	--	**IX**	**आकस्मिक व्यय निधि में विनियोग**	-	--	--	--	**IX. आकस्मिक व्यय निधि में विनियोग**	--
6.93	--	**6.93**	**X**	**आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित राशि**	-	**13.39**	**(-)13.39**	--	**X. आकस्मिक व्यय निधि से व्यय**	--
9881.84	**6638.57**	**16520.41**	**XI**	**लोक लेखा प्राप्तियां**	**15012.67**	**9689.79**	**6145.90**	**15835.69**	**XI. लोक लेखा संवितरण**	**13569.50**
1221.95	530.25	1752.20		- अल्प बचते तथा भविष्य निधियां	1238.13	603.42	392.42	995.84	- लघु बचते तथा भविष्य निधि	830.53
1.77	125.17	126.94		- आरक्षित निधियां	130.97	0.50	2.26	2.76	- आरक्षित निधियां	37.50
5131.11	3606.20	8737.31		- उचंत एवं विविध	7433.57	5206.92	3479.85	8686.77	- उचंत एवं विविध	7332.81
2286.88	1499.60	3786.48		- प्रेषण	3394.46	2314.39	1618.48	3932.87	- प्रेषण	3234.45
1240.13	877.35	2117.48		- जमा तथा अग्रिम	2815.54	1564.56	652.89	2217.45	- जमा तथा अग्रिम	2134.21
--	--		**XII**	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष**		**17.11**	**(-)223.57**	**(-)206.46**	**XII. वर्ष के अंत में रोकड शेष**	**331.03**
						(-)68.26	(-)28.22	(-) 96.48	- कोषालय में रोकड एवं स्थानीय प्रेषण	(-)3.22
						38.51	(-)546.29	(-) 507.78	- रिजर्व बैंक में जमा	303.55
						21.86	12.19	34.05	- स्थाई नकद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड शेष	12.50
						25.00	338.75	363.75	- रोकड शेष निवेश और उद्दिष्ट निधि निवेश	18.20
12350.29	**7649.43**	**19999.72**		**योग**	**19654.67**	**12350.29**	**7649.43**	**19999.72**	**योग**	**19654.67**

प्रदर्श- 3

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

2000-01				स्रोत	2001-02	
अप्रैल-अक्टूबर 2000[⊗]	नवम्बर 2000- मार्च 2001	योग	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
7136.48	5702.82	12839.30	77.44	राजस्व प्राप्तियां	11211.08	65.94
(-) 5.79	19.24	13.45	0.08	कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियां	1587.65	9.34
1899.15	383.02	2282.17	13.76	लोक ऋण वृद्धि	2759.33	16.23
619.80	260.74	880.54	5.31	लोक लेखे से प्राप्तियां	1443.18[φ]	8.49
618.53	137.83	756.36		क. अल्प बचतों में वृद्धि	407.60	
--	--	--		ख. जमा एवं पेशगियों में वृद्धि	681.33	
1.27	122.91	124.18		ग. आरक्षित निधियों तथा आरक्षित निधि निवेश में वृद्धि	93.47	
--	--	--		घ. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव	160.01	
				ड. उचन्त तथा विविध में वृद्धि	100.77	
279.60	285.25	564.85	3.41	अंतिम रोकड शेष में कमी	--	--
9929.24	**6651.07**	**16580.31**	**100**	**योग**	**17001.24**	**100**
				उपयोग		
8937.93	6047.28	14985.21	90.38	राजस्व व्यय	14368.77	84.52
32.76	262.95	295.71	1.78	विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु उधार देना	598.58	3.52
524.34	586.16	1110.50	6.70	पूंजीगत व्यय	1470.60	8.65
6.46	(-)13.39	(-)6.93	(-)0.04	आकस्मिक व्यय निधि लेन देनों का निवल प्रभाव	--	--
				अंतर्राज्यीय निपटारे का निवल प्रभाव	5.56	0.03
427.75	(-)231.93	195.82	1.18	लोक लेखे से उपयोग-	--	--
75.81	(-) 126.35	(-) 50.54		क.उचन्त तथा विविध का निवल प्रभाव	--	--
---	----	----		ख.विविध सरकारी लेखे	--	--
324.43	(-) 224.46	99.97		ग.जमा तथा अग्रिमों में कमी	--	--
27.51	118.88	146.39		घ.प्रेषण लेनदेनों का प्रभाव	--	--
--	---	--	--	अंतिम रोकड शेष में कमी	557.69[*]	3.28
9929.24	**6651.07**	**16580.31**	**100**	**योग**	**17001.24**	**100**

प्रदर्श 1, 2 एवं 3 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. उपरोक्त विवरण में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जायें।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण प्रदर्श-I में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा वाणिज्य लेखे में उपार्जित आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति का सूचक है। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें यथा मूल्यह्रास अथवा भण्डार के आंकड़ों में भिन्नता आदि जैसी मदें लेखे में दर्शाई नहीं गई हैं ।
3. उचन्त एवं विविध शेषों में जारी किये परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्तर्विभागीय और सरकारों के मध्य भुगतान एवं अन्य लंबित निपटारे आदि सम्मिलित है।
4. स्थानीय निकायों/संस्थानों को 33.61 करोड़ रुपये के सहायतानुदान का योजनेतर राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत (आयोजना) के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया गया ।
5. 'रिजर्व बैंक में जमा' के अधीन लेखाओं में प्रदर्शित 30355.36 लाख रुपये (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 30744.91 लाख रुपये (जमा) के आंकड़ों के मध्य 389.55 लाख रुपये (जमा) का अंतर था। दिसम्बर 2002 के लेखाओं के समापन के उपरान्त मिलान किये जाने वाले अंतर की निवल राशि 3.59 लाख रुपये (नामे) थी।

⊗ भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है।

φ 0.01 करोड़ रुपये का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

* 3.08 करोड़ रुपये के प्रोफार्मा करेक्शन सम्मिलित हैं ।

प्रदर्श-4

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

	1997-98⊗	1998-99⊗	1999-2000⊗	2000-01			2001-02
				अप्रैल-अक्टूबर 2000⊗	नवम्बर 2000-मार्च 2001	योग	
भाग क. प्राप्तियां							
1. राजस्व प्राप्तियां	**11257**	**11346**	**13204**	**7136**	**5703**	**12839**	**11211**
(i) कर राजस्व	4564 (40)	5108 (45)	5795 (44)	3225	2415	5640 (44)	4679(42)
विक्रय,व्यापार आदि पर कर	2056 (45)	2297 (45)	2555 (44)	1568	1198	2766 (49)	2361(50)
राज्य आबकारी	845 (19)	965 (19)	1073 (19)	674	301	975 (17)	705(15)
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	361 (8)	400 (8)	470 (8)	298	179	477 (8)	445(10)
वाहनों पर कर	371(8)	382 (7)	402 (7)	257	149	406 (7)	393(8)
अन्य कर	931(20)	1064(21)	1295(22)	428	588	1016(19)	775(17)
(ii) कर भिन्न राजस्व	2019 (18)	1782 (16)	2469 (18)	1020	704	1724 (13)	1602(14)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्यांश	3327 (30)	2932 (26)	3262 (25)	2318	1637	3955 (31)	3439(31)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1348 (12)	1523 (13)	1678 (13)	574	946	1520 (12)	1491(13)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3. कुल राजस्व तथा ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2)	**11257**	**11346**	**13204**	**7136**	**5703**	**12839**	**11211**
4. कर्जे एवं पेशगियों की वसूली	**794**	**56**	**314**	**(-)6**	**19**	**13**	**1588**
4क. अंतर्राज्यीय निपटान							**--**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**2093**	**2796**	**3462**	**2171**	**930**	**3101**	**3281**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	651(31)	742(28)	2104(61)	1308	568	1876(61)	1830(56)
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां[s]	1442(69)	1862(72)	1358(39)	632	362	994(32)	1451(44)
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्ष के अधीन निवल लेन-देन	--	192	--	231	--	231(7)	--
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+5)	**14144**	**14198**	**16980**	**9301**	**6652**	**15953**	**16080**
7. आकस्मिक व्यय निधि प्राप्तियां	**3**	**--**	**--**	**7**	**--**	**7**	**--**
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**13961**	**15717**	**17170**	**9882**	**6638**	**16520**	**15013**
9. सरकार की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**28108**	**29915**	**34150**	**19190**	**13290**	**32480**	**31093**
भाग ख व्यय/संवितरण							
10. राजस्व व्यय	**11726(85)**	**14218(92)**	**16136(93)**	**8938**	**6047**	**14985 (91)**	**14369(87)**
आयोजनागत	2283(19)	2476(17)	2727(17)	1217	1466	2683 (18)	2516(18)
आयोजनेतर	9443(81)	11742(83)	13409(83)	7721	4581	12302 (82)	11853(82)
सामान्य सेवाएं(ब्याज भुगतान सहित)	3857(33)	4766(34)	5244(33)	3364	1959	5323 (36)	5049(35)
सामाजिक सेवाएं	4482(38)	5574(39)	6210(38)	3639	2197	5836 (39)	4583(32)
आर्थिक सेवाएं	3052(26)	3462(24)	4033(25)	1585	1713	3298 (22)	4364(30)
सहायतानुदान एवं अंशदान	335(3)	416(3)	648(4)	350	178	528 (3)	373(3)
11. पूंजीगत व्यय	**1678(12)**	**1010(6)**	**950(5)**	**524**	**586**	**1110 (7)**	**1471(9)**
आयोजनागत	1672 (100)	999 (99)	946 (100)	518	587	1105(100)	1466(100)
आयोजनेतर	6	11 (1)	4	06	(-)01	05	05
सामान्य सेवाएं	22 (1)	20 (2)	16 (2)	05	11	16(2)	22(1)
सामाजिक सेवाएं	170 (10)	219 (22)	195 (20)	38	98	136(12)	172(12)
आर्थिक सेवाएं	1486 (89)	771 (76)	739 (78)	481	477	958(86)	1277(87)

⊗ भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है।

s भारत सरकार से अर्थोपाय पेशगियां सम्मिलित है।

प्रदर्श-4 (समाप्त)

(करोड़ रुपयों में)

	1997-98*	1998-99*	1999-2000*	2000-01			2001-02
				अप्रैल-अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000-मार्च2001	योग	
12. कर्जे एवं पेशगियों का संवितरण	468 (3)	302 (2)	343 (2)	33	263	296(2)	599(4)
12 क. अंतर्राज्यीय निपटान							5
13. कुल व्यय (10+11+12)	13872	15530	17429	9495	6896	16391	16444
14. लोक ऋण का प्रतिभुगतान	353	439	549	271	547	818	522
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	43	90	135	51	72	123	150
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्ष के अधीन निवल लेन-देन	--	--	21	--	294	294	--
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां $	310	349	393	220	181	401	372
15. आकस्मिक व्यय निधि में विनियोग	--	--	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	14225	15969	17978	9766	7443	17209	16966
17. आकस्मिक व्यय निधि संवितरण	--	--	7	13	(-)13	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	13729	14131	16040	9690	6146	15836	13569
19. सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	27954	30100	34025	19469	13576	33045	30535
भाग ग. घाटा							
20. राजस्व घाटा (1-10)	469	2872	2932	1802	344	2146	3158
21. राजकोषीय घाटा (3+4-13)	1821	4127	3911	2365	1174	3539	3645
22. प्राथमिक घाटा (21-23)	161	2292	1772	858	270	1128	1391
भाग घ. अन्य आंकड़े				--	--		
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1660	1835	2139	1507	904	2411	2254
24. राजस्व का बकाया (कर तथा कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	264 (4)	248 (4)	465 (6)	--	--	347 (5)	204(3)
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	677	759	1505	224	589	813	2304
26. प्राप्त की गई अर्थोपाय पेशगियां/अधिविकर्ष (दिन)	142/48	129/144	165/100	70/9	95/38	165/47	117/172
27. अर्थोपाय पेशगियों/अधिविकर्ष पर ब्याज	4/1	5/3	10/3	6/2	2/1	8/3	11/5
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	81042	90737	98768(अ)	--	--	88445(@)	81286(स)
29. बकाया ऋण (वर्ष के अंत में)	17972	21959	25948		22548	22548	26487
30. बकाया गारंटियां (वर्ष के अंत में)	3890	1413	142		--	467	472
31. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	9092	8599	9671		--	9673	9701
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	55	59	237	--	--	185	180
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	3498	3725	5957	--	--	4983	5589

(स) त्वरित अनुमान उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य के लिये हैं ।

(अ)- अनंतिम ।

(@) उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य के पूरे वर्ष (73165 करोड़ रुपये) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनंतिम आंकड़े और अप्रैल-अक्टूबर 2000 के लिए छत्तीसगढ़ (15280 करोड़ रुपये) के यथानुपात आंकड़े ।

* *भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित ।*

1.3 राज्य सरकार के वित्तीय कार्यचालन

1.3.1 प्रदर्श-2 में राज्य सरकार की प्राप्तियां और उसके द्वारा किये गये संवितरणों के विवरण दिये गये हैं। अवधि के दौरान राजस्व व्यय (14369 करोड़ रुपये) राजस्व प्राप्तियों (11211 करोड़ रुपये) से अधिक हुआ फलस्वरूप 3158करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (4679 करोड़ रुपये), कर भिन्न राजस्व (1602 करोड़ रुपये), संघ करों एवं शुल्कों का राज्यांश (3439 करोड़ रुपये) तथा भारत सरकार से सहायतानुदान (1491 करोड़ रुपये) समाविष्ट है। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्रय पर कर (50 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (15 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (10 प्रतिशत) और वाहनों पर कर (8 प्रतिशत) हैं। कर भिन्न राजस्व मुख्यतः वानिकी तथा वन्य जीवन (306 करोड़ रुपये, 20 प्रतिशत) अलौह खनन तथा धातु कर्मीय उद्योगों (528 करोड़ रुपये, 33 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियों (247 करोड़ रुपये, 15 प्रतिशत) तथा अन्य (521 करोड़ रुपये, 32 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ।

1.3.2 पूंजीगत प्राप्तियों में कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियों से प्राप्त 1588 करोड़ रुपये तथा लोक ऋणों से प्राप्त 3281 करोड़ रुपये समाविष्ट हैं । इसकी तुलना में पूंजीगत परिव्यय पर 1471 करोड़ रुपये, कर्जों एवं पेशगियों के संवितरणों पर 599 करोड़ रुपये तथा लोक ऋणों के प्रतिभुगतान पर 522 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। लोक लेखे में 15013 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई जिसकी तुलना में 13569 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया। समेकित निधि, आकस्मिक व्यय निधि एवं लोक लेखे में लेन देनों का निवल प्रभाव यह हुआ कि वर्ष के अंत में रोकड़ शेष में 558 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई।

1.3.3 प्रदर्श-2 एवं प्रदर्श-4 में प्रस्तुत 1997-2002 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिये समयबद्ध आंकड़ों में दी गई जानकारी के संदर्भ में राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से संबंधित वित्तीय कार्यचालन का नीचे की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है।

1.4 निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

1.4.1 प्रदर्श-3 में चालू तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान निधियों के स्रोतों और उनके उपयोग की स्थिति की जानकारी दी गई है। निधियों के मुख्य स्रोतों में सरकार की राजस्व प्राप्तियां, कर्जों एवं पेशगियों की वसूलियां, लोकऋण तथा लोक लेखे से प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इन निधियों का उपयोग मुख्य रूप से राजस्व और पूंजीगत व्यय तथा विकास संबंधी उद्देश्यों के लिये उधार देने के लिये किया जाता है। यह देखा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार की निधि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यद्यपि राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष अंश में 2000-01 में 77.44 प्रतिशत से 2001-02 के दौरान 65.94 प्रतिशत तक कमी हुई तथापि लोक लेखे से निवल प्राप्तियों, कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियों तथा लोक ऋण से प्राप्तियों के अंश में 2000-01 में 5.31

प्रतिशत, 0.08 प्रतिशत तथा 13.76 प्रतिशत से 2001-02 में क्रमशः 8.49 प्रतिशत, 9.34 प्रतिशत तथा 16.23 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृद्धि कर्जे एवं पेशगियों की वसूली में हुई।

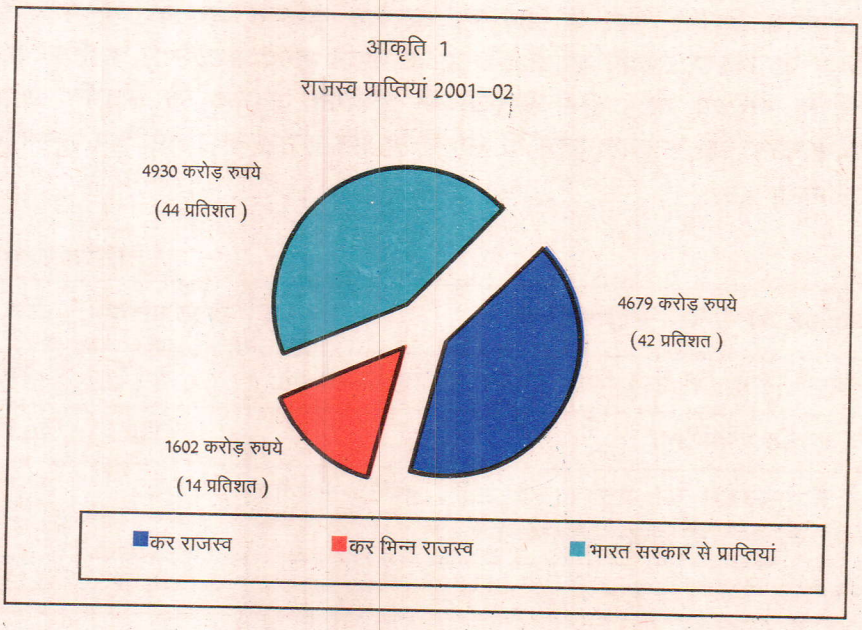
1.4.2 निधियों का उपयोग मुख्य रूप से राजस्व व्यय हेतु किया गया और उसके अंश में 90.38 प्रतिशत से 84.72 प्रतिशत तक कमी हुई परन्तु राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों (65.94 प्रतिशत) के अंश की अपेक्षा महत्वपूर्ण रूप में अधिक रहा। इससे राजस्व घाटा हुआ । पूंजीगत व्यय और विकास के उद्देश्य से उधार देने के अंश में क्रमशः 6.70 प्रतिशत एवं 1.78 प्रतिशत से 8.65 प्रतिशत एवं 3.52 प्रतिशत तक मामूली सुधार प्राप्त हुआ ।

1.5 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियां में मुख्यतः कर एवं कर भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्तियां समाविष्ट है। उनके सापेक्षिक अंश आकृति-1 मे दर्शाये गये हैं। राजस्व प्राप्तियों में भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के नवम्बर 2000 से वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्गठन के स्वाभाविक परिणाम के रूप में 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 2.76 प्रतिशत एवं 12.68 प्रतिशत तक कमी हुई।

आकृति 1

राजस्व प्राप्तियां 2001–02



1.5.2 कर राजस्व

इसमें राजस्व प्राप्तियों का बड़ा भाग (42 प्रतिशत) सम्मिलित है। यद्यपि कर राजस्व में 2000-01 में 5640 करोड़ रुपये से चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण अवधि में 4679 करोड़ रुपये तक कमी हुई तथापि वर्ष के दौराने राजस्व प्राप्तियों में उसके हिस्से में भी 2 प्रतिशत की कमी हुई । प्रदर्श-4 दर्शाता है कि विक्रय कर, मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क

और वाहनों पर कर के तुलनात्मक अंशदान में 2000-01 में 49 प्रतिशत, 8 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत से 2001-02 में क्रमशः 50, 10 एवं 8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि उत्पाद शुल्क में 17 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कमी हुई।

1.5.3 कर भिन्न राजस्व

राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व के भाग में 1997-98 में 18 प्रतिशत से 2000-01 में 13 प्रतिशत तक निरंतर कमी दर्ज करने के उपरान्त 2001-02 में 14 प्रतिशत तक कुछ वृद्धि हुई।

1.5.4 संघ करों एवं शुल्कों का राज्यांश तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

संघ करों का राज्यांश (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर और निगम कर) तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायतानुदान में वर्ष के दौरान 13 एवं 2 प्रतिशत तक कमी हुई तथापि राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में (दोनों को मिलाकर) 2001 में 43 प्रतिशत से 2001-02 के दौरान इसमें 44 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

1.6 दोषपूर्ण बजट प्रक्रिया तथा व्यय का वर्गीकरण

नियमानुसार* स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिये गये सहायतानुदानों, यहां तक कि चाहे वे परिसम्पत्तियां सृजित करने के लिये हों, पर व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता तथापि वर्ष 2001-02 के दौरान राज्य सरकार ने नगरीय विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन लेखाओं के पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों/संस्थाओं को सहायतानुदान के रूप में 33.61 करोड़ रुपये का व्यय निम्नानुसार वर्गीकृत किया थाः

(करोड़ रुपयों में)

निम्नांकित को/के लिये सहायतानुदान	बजट प्रावधान	व्यय
छात्रावास निर्माण के लिये विपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल को	0.17	निरंक
भोज वेटलैंड परियोजना	93.00	16.74
11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन नगरीय स्थानीय निकायों को बुनियादी सुख-सुविधाओं के लिये	34.27	12.74
अग्नि शमन सेवा	4.13	4.13
योग	**131.57**	**33.61**

दोषपूर्ण वर्गीकरण के कारण न केवल पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई अपितु उसके कारण राजस्व घाटे में 33.61 करोड़ रुपये की भी कमी हुई ।

* शासकीय लेखाकरण नियम, 1990 का नियम 30 एवं 31

1.7 राजस्व व्यय

1.7.1 2000-01 में राजस्व व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय व्यय का 91 प्रतिशत था और चालू वर्ष में यह कम होकर 88 प्रतिशत रह गया। वर्ष के दौरान सम्पूर्ण अवधि में यह 14985 करोड़ रुपये से घटकर 14369 करोड़ रुपये (4 प्रतिशत) रह गया। आयोजनागत तथा योजनेतर दोनों में ही कमी हुई तथापि तुलना से प्रकट हुआ कि 1997-98 (9443 करोड़ रुपये) से 2001-02 (11853 करोड़ रुपये) तक की अवधि में राजस्व व्यय के आयोजनागत घटक (10 प्रतिशत) की तुलना में योजनेतर घटक (26 प्रतिशत) में दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जैसा कि प्रदर्श-4 में देखा जा सकता है। प्रवृत्ति विश्लेषण से भी प्रकट हुआ कि यद्यपि सरकार वर्ष के दौरान कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय 2000-01 में 91 प्रतिशत से 2001-02 में 87 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम रही तथापि यह 1997-98 में 85 प्रतिशत से अभी भी अपेक्षाकृत कम था।

1.7.2 क्षेत्रवार विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जब सामान्य सेवाओं पर व्यय में 1997-98 में 3857 करोड़ रुपये से 2001-02 में 5049 करोड़ रुपये तक 31 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तब व्यय में सामाजिक सेवाओं पर केवल 2 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 43 प्रतिशत ही तद्नुरूपी वृद्धि हुई। राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में सामान्य सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के भाग में 1997-98 में 33 एवं 26 प्रतिशत से 2001-02 में क्रमशः 35 एवं 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि सामाजिक सेवाओं के भाग में 1997-98 में 38 प्रतिशत से 2001-02 में उसी अवधि के दौरान 32 प्रतिशत तक कमी हुई।

1.7.3 ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 1997-2002 अवधि के दौरान 36 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथापि वर्ष के दौरान 7 प्रतिशत तक कमी हुई । ब्याज भुगतान में आंशिक रूप से कमी का कारण उत्तराधिकारी राज्य मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आंतरिक तथा केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियों का विभाजन बताया जा सकता है । इसका आगे उल्लेख वित्तीय संदर्शकों के प्रभाग में कण्डिका 1.12.3 (ii) में किया गया है।

1.7.4 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2001-02 को समाप्य पांच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को प्रदत्त आर्थिक सहायता की राशि निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपयों में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01		योग	2001-02
				31.10.2000 को	31.3.2001 को		
शिक्षा	206	292	312	193	160	353	276
जल प्रदाय, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	55	36	45	26	39	65	27
सहकारिता	44	25	2	1	2	3	1
मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल	365	402	1140	--	385	385	1992
सार्वजनिक उपक्रम	7	4	6	4	3	7	7
योग	**677**	**759**	**1505**	**224**	**589**	**813**	**2303**
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	-49	12	98	--	--	(-)46	183
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आर्थिक सहायता	6	5	9	--	--	5	16

आर्थिक सहायता का एक बड़ा भाग विद्युत मण्डल तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लेखांकित किया गया।

1.8 पूंजीगत व्यय

1.8.1 पूंजीगत व्यय से सामान्यतः परिसम्पत्तियां सृजित होती हैं। इसके अतिरिक्त अशासकीय संस्थाओं अथवा उपक्रमों अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों आदि में निवेश की गई धनराशि तथा कर्जे एवं पेशगियों से वित्तीय परिसम्पत्तियां सृजित होती है। प्रदर्श-4 दर्शाता है कि अधिकांश पूंजीगत व्यय आयोजनागत क्षेत्र में आर्थिक सेवाओं पर किया गया है।

1.8.2 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कर्जे एवं पेशगियां

सरकार, सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, सहकारी संस्थाओं, अशासकीय संस्थाओं आदि को विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक क्रियाकलापों के लिये कर्जे एवं पेशगियां देती है। 1997-02 तक के अंतिम पाँच वर्षों की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01		योग	2001-02
				अप्रैल-अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000-मार्च 2001		
आरंभिक शेष	2897	2570	2816	2845	2747Ø	2845	2991
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	467	302	343	32	263	295	599
वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभुगतान	794	56	314	(-)6	19	13	1588
अंतशेष	2570	2816	2845	2883	2991@	2991	2002
निवल वृद्धि	-327	245	29	38	244	282	(-)989
प्राप्त ब्याज	223	147	247	33	124	157	237

Ø अप्रैल-अक्टूबर 2000 अवधि के अंतशेष में छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित 136 करोड़ रुपये तक का अंतर है।

@ उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य आगे का बटवारा लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोक कर रखे गये 2991 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

यह दृष्टव्य है कि 1997-98 एवं 2001-02 को छोड़कर दिये गये ऋण के केवल छोटे प्रतिशत का ही प्रतिभुगतान किया गया जो यह इंगित करता है कि ऋण की वसूली अत्यन्त कम थी। चालू वर्ष 2001-02 के दौरान की गई वसूलियां 1588 करोड़ रुपये की थी अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 1575 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। ऋण जिनके विस्तृत लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संधारित किये जाते हैं, में से 188.82 करोड़ रुपये (मूलधन) एवं 12.83 करोड़ रुपये (ब्याज) की वसूली 31 मार्च 2002 को बकाया थी। ऋण जिसके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारी रखते हैं, के विवरण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित नहीं किये गये।

1.9 व्यय की गुणवत्ता

1.9.1 सरकार कानून एवं व्यवस्था तथा विनियामक कार्यों से लेकर विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों तथा गतिविधियों के लिये धन व्यय करती है। सरकारी व्यय मोटे तौर पर आयोजनागत एवं योजनेतर तथा राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। आयोजनागत व्यय सामान्यतः परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित होते हैं जबकि योजनेतर व्यय स्थापना, संधारण एवं सेवाओं पर व्यय के रूप में जाने जाते हैं। अतः सामान्यतः पारिभाषिक रूप में आयोजनागत व्यय को व्यय की गुणवत्ता में योगदान के रूप में देखा जा सकता है।

1.9.2 सार्वजनिक अपव्यय, निधियों का व्यपवर्तन तथा अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधियां व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। इसी प्रकार निधियों को व्यय के रूप में लेखांकित करने के उपरान्त उन्हें लोक लेखे में जमा शीर्ष में अंतरित करना भी व्यय की गुणवत्ता के आकलन में एक नकारात्मक तत्व माना जा सकता है क्योंकि व्यय वस्तुतः संबंधित वर्ष में नहीं किया गया है अतः इसे उस वर्ष के व्यय के आंकड़ों में समाविष्ट नहीं किया जाना चाहिये। सामान्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के अहित का एक और संभावित सूचक है।

1.9.3 निम्नांकित तालिका में उक्त संसूचकों की प्रवृत्ति सूचीबद्ध की गई है:

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01			2001-02
				अप्रैल-अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000 से मार्च 2001	औसत	
1. निम्नांकित का कुल व्यय में भाग (राजस्व + पूंजी)							
(क) आयोजनागत व्यय(प्रतिशत)	30	23	22	18	31	24	25
(ख) पूंजीगत व्यय (प्रतिशत)	13	7	6	6	9	7	9
2. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामान्य सेवाओं पर व्यय (राजस्व + पूंजी)	29	31	31	36	--	33	32
3. लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित अपव्यय की राशि और निधियों आदि का व्यपवर्तन (करोड़ रुपयों में)	25	24	232			399	95
4. अपूर्ण परियोजनाओं पर अलाभकारी व्यय (करोड़ रुपयों में)	456	404	5957			4983	5589
5. व्यय के रूप में लेखांकित निक्षेप शीर्षों के अधीन अव्ययित शेष (करोड़ रुपयों में)	505	1101	1089			880	1510

यह देखा जा सकता है कि आयोजनागत व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों के भाग में, 2000-02 को छोड़कर जब दोनों में वृद्धि हुई थी, कमी हो रही हैं परन्तु यह अभी भी 1997-98 में प्राप्त उच्चता से अत्यधिक कम है। उसी समय सामान्य सेवाओं पर व्यय में 2001-02 में सीमान्त कमी को छोड़कर निरन्तर वृद्धि हो रही है। 31 मार्च 2002 को 180 अपूर्ण परियोजनाओं में अत्यधिक निधियां (5589 करोड़ रुपये) अवरूद्ध रहीं। वर्ष प्रति वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित अपव्यय की बृहद राशियों तथा निधियों के व्यपवर्तन के अतिरिक्त वस्तुतः व्यय किये बिना बड़ी राशियां (684.28 करोड़ रुपये) सिविल निक्षेप (वैयक्तिक जमा) के अधीन जमा की गई। ये सब व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव प्रतिबिम्बित करते हैं।

विशिष्ट योजनाओं में निधियों का उपयोग करने के स्थान पर सिविल निक्षेप में जमा करने के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नानुसार हैं-

1.9.3.1 केन्द्रीय आर्थिक सहायता का उपयोग न करना

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता में यह व्यवस्था है कि कोषालय से कोई भी धन उस समय तक आहरित नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। उसमें यह भी व्यवस्था है कि सिविल निक्षेप के अधीन रखी गई कोई भी राशि सरकार के खाते में व्यपगत हो जायेगी यदि उसे तीन वर्षों के भीतर प्रत्याहरित नहीं किया। राज्य सरकार के लिये भारत सरकार से प्राप्त निधियां न केवल उन कार्यक्रमों में जिनके लिये यह प्राप्त हुई थी, व्यय करना अनिवार्य है अपितु निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयुक्त करना एवं व्यय न की गई शेष राशि भारत सरकार को वापस करना भी अनिवार्य है जब तक कि बाद की अवधि (अवधियों) के दौरान उनको प्रयुक्त करने की अनुमति न हो । लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये प्रदत्त भारत सरकार की धियों को या तो विमोचित नहीं कर रही थी अथवा अपनी अर्थोपाय स्थिति बनाए रखने के लिये ही सिविल निक्षेप के अधीन उसे जमा रखने के निर्देश के साथ विमोचित कर रही थी । कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैः

(क) भारत सरकार ने जबलपुर जिले के भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों के लिये केन्द्र प्रवर्तित कार्यशाला छप्पर एवं आवास निर्माण कार्य योजना के अधीन 1981 नगरीय कार्यशाला छप्परों के निर्माण के लिये 1.98 करोड़ रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया(1997-98) । राज्य सरकार ने आयुक्त को मार्च 1999 में सिविल निक्षेप के अधीन रखने और भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के पुनर्वैधीकरण के पश्चात् ही प्रयुक्त करने के लिये राशि विमोचित की । तदनुसार राशि सिविल निक्षेप में जमा की गई(मार्च 1999)। इसका उल्लेख करने पर आयुक्त ने सूचित किया(जून 2003) कि राशि अप्रैल 2003 में भारत सरकार को वापस कर दी गई है । इस प्रकार राशि न केवल चार वर्षो तक अवरूद्ध रही अपितु भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों को भी केन्द्र प्रवर्तित योजना के अधीन उनके लिये परिकल्पित लाभों से भी वंचित रहना पड़ा ।

(ख) भारत सरकार ने भारतीय औषधि पद्धति तथा होम्योपैथी, मध्यप्रदेश को विभिन्न महाविद्यालयों* से संबद्ध नौ आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी अस्पतालों, 30 अस्पतालों तथा 1622 औषधालयों को 5.10 करोड़ रुपये प्रदाय किये थे(2000-01) तथापि राज्य सरकार ने मार्च 2001 में राशि आहरण करने और सिविल निक्षेप में जमा करने के निर्देश के साथ संस्वीकृत जारी की थी। तदनुसार विभाग ने मार्च 2001 में राशि जमा की। यह अभी तक निविल निक्षेप में अप्रयुक्त पड़ी हुई है (सितम्बर 2002)।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संवर्धन के लिये भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 5.10 करोड़ रुपये दो वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़े रहे जिसके कारण ग्रामीण जनता को बड़ी मात्रा में वांछित लाभों से वंचित होना पड़ा।

1.10 वित्तीय प्रबंधन

सरकार के वित्तीय प्रबंधन के विषय को इसके राजस्व एवं व्यय कार्यचालन की क्षमता, मितव्ययता एवं प्रभावकारिता से जोड़ा जाना चाहिये। इस प्रतिवेदन में आगे के अध्यायों में नमूना लेखापरीक्षा के निष्कषों के आधार पर इन विषयों से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत विवेचना की गई है, विशेषकर जहां उनका संबंध सरकार के व्यय-प्रबंधन से है। कतिपय अन्य मानदण्ड जिनको लेखाओं तथा सरकार की अन्य सम्बद्ध वित्तीय जानकारी से पृथक रखा जा सकता है, का उल्लेख इसी भाग में किया गया है।

1.10.1 निवेश एवं प्रतिलाभ

सरकार विकासात्मक, निर्माणात्मक, विपणन एवं सामाजिक क्रियाकलापों के संवर्धन हेतु पूंजीगत परिव्यय में से निवेश करती है। निवेशों के क्षेत्रवार ब्यौरे तथा समाविष्ट उपक्रमों की संख्या निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	उपक्रमों की संख्या	निवेश की गई राशि	
		2001-02 के दौरान	31 मार्च 2002
सांविधिक निगम	13	--	947.82
सरकारी कम्पनियां	25	1.50	201.04
संयुक्त पूंजी कम्पनियां	24	--	1.65
सहकारी संस्थाएं	124	6.49	536.57
योग	**186**	**7.99**	**1687.08(*)**

(*) इसमें दो उत्तराधिकारी राज्यों यथा मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजनीय 1628 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

अंतिम पांच वर्षों के दौरान निवेश तथा लाभांश एवं ब्याज के रूप में वसूल किये गये प्रतिलाभों के विवरण निम्नानुसार है:

* आयुर्वेद महाविद्यालय- भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा तथा उज्जैन, यूनानी महाविद्यालय-भोपाल तथा होम्योपैथी महाविद्यालय- भोपाल

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिलाभ	प्रतिलाभ का प्रतिशत	सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)
	करोड़ रुपयों में			
1997-98	1531.36	1.55	0.10	12.30
1998-99	1598.36	1.00	0.06	12.50
1999-2000	1637.94	1.81	0.11	11.70
2000-01	1679.09	0.31	0.02	10.95
2001-02	1687.08	1.64	0.10	9.03

यद्यपि सरकार बाजार से अत्यधिक लागत पर उधार ले रही थी फिर भी सरकारी कम्पनियों आदि में उसके निवेश पर नगण्य प्रतिलाभ प्राप्त हुआ जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों एवं सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक खराब निष्पादन का सूचक है।

1.10.2 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

वर्ष के दौरान 261.10 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के साथ 11 बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि 2001-02 के दौरान इन परियोजनाओं से हुई राजस्व वसूली (39.15 करोड़ रुपये) राजस्व व्यय की 14.99 प्रतिशत थी जो संधारण पर व्यय की पूर्ति के लिये भी पर्याप्त नहीं थी ।

1.10.3 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2002 को 5589.43 करोड़ रुपये के संचयी निवेश वाली 180 अपूर्ण परियोजनाएं थीं। इससे प्रकट होता है कि सरकार ने अपने स्रोतों का बहुत कम उपयोग किया और कोई प्रतिलाभ प्राप्त करने में असफल रही।

1.10.4 बकाया राजस्व

कुछ विभागों द्वारा यथासूचित लंबित राजस्व संग्रहण बकाया निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. संख्या	राजस्व की प्रकृति/विभाग का नाम	31.3.2001 को बकाया की राशि	31.3.2002 को बकाया की राशि	31.3.2002 को पांच वर्षों से अधिक समय के बकाया की राशि
1.	वाणिज्यिक कर	225.79	872.80	242.17
2.	वाहनों पर कर	11.09	18.39	अनुपलब्ध
3.	राज्य आबकारी	37.17	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	16.18	15.97	0.76
5.	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन शुल्क	11.37	17.78	अनुपलब्ध
6.	खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	37.81	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7.	सहकारिता	7.78	8.72	2.24
8.	वन	--	44.67	15.50
9.	जल संसाधन	--	98.69	अनुपलब्ध
योग		**347.19**	**1077.02**	**260.67**

अनुपलब्ध- संबंधित विभागों ने उपलब्ध नहीं कराया।

चूंकि प्रमुख कर एवं कर भिन्न राजस्व अर्जित करने वाले कुछ विभागों ने राजस्व बकाया के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये इसलिये राजस्व संग्रहण निष्पादन का व्यापक मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है तथापि जैसा कि देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, वाहनों पर कर तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क से संबंधित बकाया में 210 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कार्य की अच्छी स्थिति प्रदर्शित नहीं करती।

1.10.5 अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक से किये गये अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन न्यूनतम 1.96 करोड़ रुपये का रोकड़ शेष बनाये रखना पड़ता है । यदि किसी भी दिन सहमत्य न्यूनतम शेष से राशि कम रह जाती है तो बैंक से अर्थोपाय पेशगियां/विशेष अर्थोपाय पेशगियां लेकर कमी की पूर्ति करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार अधिविकर्ष भी दिया जाता है। अर्थोपाय पेशगियां/अधिविकर्ष का सहारा लेने का आशय सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय में असंतुलन होना है और इसलिए यह सरकार के वित्तीय व्यवस्थापन में दोषपूर्ण विसंगति दर्शाता है।

2001-02 के दौरान सरकार अपने स्रोतों में अंतर पाटने के लिये अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षो पर अत्यधिक निर्भर रही और उसने 117 दिनों के लिये 2492 करोड़ रुपये की अर्थोपाय पेशगियां (2000-01 के दौरान 165 दिनों के लिये 2246 करोड़ रुपये के विरूद्ध) और 172 दिनों के लिये 3723 करोड़ रुपये के अधिविकर्ष (2000-01 में 47 दिनों के लिये 1220 करोड़ के विरूद्ध) लिये । अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों पर भुगतान की गई ब्याज की राशि क्रमशः 11 करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये थी जिससे अपने दिन प्रतिदिन के व्यय के वित्त पोषण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष पर सरकार की बढ़ती हुई निर्भरता प्रकट हुई ।

1.10.6 घाटा

1.10.6.1 सरकारी लेखे में घाटा, आय एवं व्यय में अंतर दर्शाता है। घाटे की प्रकृति वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण संसूचक होती है। इसके अतिरिक्त घाटे की वित्तपूर्ति के तरीके तथा इस प्रकार से प्राप्त निधियों का उपयोग करना भी सरकार की राजकोषीय दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संसूचक होते हैं। इस खंड में किया गया विवेचन घाटे की तीन प्रकार की अवधारणाओं यथा राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्रारंभिक घाटे से संबंधित है ।

1.10.6.2 राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का आधिक्य होता है। राजकोषीय घाटे को राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) की तुलना में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के आधिक्य (दिये गये निवल कर्जों सहित) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्रारंभिक घाटा होता है। निम्नांकित प्रदर्श में सरकारी लेखे में घाटे के विवरण दिये गये हैं।

(करोड़ रुपयों में)

समेकित निधि				
प्राप्तियां	**योग 2001-02**		**संवितरण**	**योग 2001-02**
राजस्व	11211	**राजस्व घाटा: 3158**	राजस्व	14369
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--		पूंजीगत	1471
कर्जों एवं पेशगियों की वसूली	1588		कर्जों एवं पेशगियों का संवितरण	599
अंतर्राज्यीय निपटान	--		अंतर्राज्यीय निपटान	5
उप योग	**12799**	**सकल राजकोषीय घाटा: 3645**	**उप योग**	**16444**
लोक ऋण	3281		लोक ऋण प्रतिभुगतान *	522
योग	**16080**	**क:समेकित निधि में घाटा: 886**	**योग**	**16966**
आकस्मिक व्यय निधि				
आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित राशि	--		आकस्मिक व्यय निधि से किया गया व्यय	--
		ख:आकस्मिक व्यय निधि में आधिक्य: निरंक		
लोक लेखा				
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि	1238	**ग:समेकित निधि में घाटा और लोक लेखे से वित्त पोषित समेकित निधि: 1444 रुपये**	अल्प बचतें भविष्य निधि आदि	831
जमा एवं पेशगियां	2816		जमा एवं पेशगियां	2134
आरक्षित निधियां	131		आरक्षित निधियां	37
उचंत एवं विविध	7434		उचंत एवं विविध	7333
प्रेषण	3394		प्रेषण	3234
योग लोक लेखा	**15013**		**योग**	**13569**
रोकड़ शेष में वृद्धि ग-(क+ ख) = 1444 - 886 = 558				

3645 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण लोक ऋण (2759 करोड़ रुपये) के निवल अर्थागम तथा लोक लेखे में बचत (1444 करोड़ रुपये) से किया गया।

1.10.6.3 उधार ली गई निधियों का उपयोग (राजकोषीय घाटा)

राजकोषीय घाटा सरकार की कुल निवल उधारियां प्रदर्शित करता है। इन उधारियों का उपयोग राजस्व घाटे की पूर्ति, पूंजीगत व्यय तथा विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिये विभिन्न निकायों को ऋण देने के लिये किया जाता है। इन उपयोगों का सापेक्ष समानुपात राज्य सरकार की वित्तीय दूरदर्शिता तथा उसके कार्यचालन की पोषणीयता का द्योतक होगा क्योंकि राजस्व व्यय के लिये सतत् उधारियां दीर्घकाल में पोषणीय नहीं होगी। निम्नांकित तालिका अंतिम पांच वर्षों की स्थिति दर्शाती है:

अनुपात	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	0.26	0.70	0.75	0.61	0.88
पूंजीगत व्यय/ राजकोषीय घाटा	0.92	0.24	0.24	0.31	0.39
निवल ऋण/ राजकोषीय घाटा	-0.18	0.06	0.01	0.08	-0.27
योग	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

उच्च राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा जो 2001-02 के दौरान 0.87 की नई ऊचाई पर पहुंच गया, से गत पांच वर्षो में राजस्व व्यय की पूर्ति के लिये उधार ली गई निधियों का प्रधान्य स्पष्ट है परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय में कमी हुई जैसा कि पूंजीगत व्यय/राजकोषीय घाटे के ह्रासमान अनुपात से देखा जा सकता है यद्यपि वर्ष 2001-2002 के दौरान पिछले कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियों के ठोस रूप में सुधरे निष्पादन के कारण इस अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । 1997-98 में भी उच्च पूंजीगत व्यय/राजकोषाय घाटा भी पिछले कर्जो की अच्छी वसूली के कारण यह संभव हुआ परंतु साथ-साथ राजस्व व्यय में कमी भी हुई । राजस्व व्यय पर नियंत्रण करने की तत्काल आवश्यकता है अन्यथा पूंजी निर्माण में निरंतर कठिनाई होगी ।

1.10.7 राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

राज्य सरकार द्वारा कतिपय देयताओं यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा सृजित ऋणों के प्रतिभुगतान, अंश पूंजी आदि तथा उनके द्वारा ब्याज तथा लाभांश के भुगतान के उचित रूप से निर्वहन के लिये गारंटियां दी जाती हैं। इनसे राज्य की आकस्मिक देयताएं निर्मित होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन उन अधिकतम सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुये जिनके भीतर राज्य सरकार राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटियां दे सकती है, के संबंध में राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया है । प्रदर्श-4 में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की राशि और 1997-2002 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया राशियों की सूची दी गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां 1998-99 को छोड़ कर बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है।

1.11 लोक ऋण

1.11.1 भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई राज्य भारत की सीमा के अंदर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उन सीमाओं के अंतर्गत, यदि कोई हो, जैसी कि राज्य विधायिका ने पारित अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की हों उधार ले सकता है। राज्य विधायिका ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने हेतु कोई विधान पारित नहीं किया है। अंतिम पांच वर्षों के अंत में राज्य सरकार की कुल देयताओं के विवरण निम्नांकित तालिका में दिये गये हैं । पांच वर्षों की अवधि के दौरान सरकार की कुल देयताओं में 47 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। एक अधिक यथार्थ चित्र संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उत्तराधिकारी राज्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के उपरांत ही उपलब्ध होगा तथापि यह देखा गया है कि कुल लोक ऋण (उत्तराधिकार राज्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य पूर्व में ही विभाजन हो गया है) में पांच वर्षों की अवधि में 51 प्रतिशत तक और संपूर्ण अवधि में संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के आंतरिक ऋण से भी अधिक वृद्धि हुई ।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	कुल लोक ऋण	अन्य देयताएं[α]	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋण का अनुपात
1997-98	3349.02	7717.61	11066.63	6905.73	17972.36	0.22
1998-99	4193.19	9230.35	13423.54	8535.09	21958.63	0.24
1999-2000	6141.25	10195.05	16336.30	9611.46	25947.76	0.26
2000-01	5967.51	7964.77	13932.28	8616.14	22548.42	0.25
2001-02	7648.43	9043.18	16691.61	9795.26	26486.87	0.33*

1.11.2 लोक ऋण के माध्यम से सृजित निधियों की राशि, प्रतिभुगतान की राशि तथा उपलब्ध निवल निधियां निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है:

(करोड़ रुपयों में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01			2001-02
				अप्रैल-अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000-मार्च 2001	योग	
आंतरिक ऋण							
- प्राप्तियां	3222	4738	7304	2758	2585	5343	8045
- प्रतिभुगतान (मूलधन+ ब्याज)	2992	4346	5913	1737	2636	4373	7120
- उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	230(7)	392(8)	1391(19)	1021	(-)51	970 (18)	925(11)
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां							
- वर्ष के दौरान प्राप्ति	1442	1862	1358	632	362	994	1451
- प्रतिभुगतान	1058	1268	1527	836	658	1494	1368
- उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	384 (27)	594 (32)	(-)169 (-12)	(-)204	(-)296	(-)500 (-)50	83 (6)
अन्य देयताएं							
- वर्ष के दौरान प्राप्ति	2940	4229	4381	2242	1396	3638	3863
- प्रतिभुगतान (मूलधन ब्याज)	3106	3062	3758	2371	1086	3457	3186
- उपलब्ध निवल निधियां(प्रतिशत)	(-)166 --	1167 (28)	623 (14)	(-)129	310	181 (5)	677 (18)

यह ध्यान में रखते हुये कि बकाया ऋणों में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, उधारियों के माध्यम से निधियों की निवल उपलब्धता विपुल रूप से कम हो रही है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के अधीन नवीन उधारियां 8045 करोड़ रुपये थी तथापि निवल प्राप्ति 925 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत) ही थी। सब मिला कर गत देयताएं चुकाने के लिये नवीन देयताओं में से 89 प्रतिशत तक का उपयोग करना पड़ा था।

α अन्य देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां एवं जमाएं समाविष्ट है । इनका दो उत्तराधिकारी राज्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अभी तक विभाजन नहीं हुआ।

* उत्तराधिकारी राज्य मध्यप्रदेश के लिये अंगीकृत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (त्वरित प्राक्कलन)

1.12 वित्तीय निष्पादन के संदर्शक

1.12.1 कोई सरकार क्रियाकलापों का या तो विद्यमान स्तर बनाए रखना चाहती है अथवा क्रियाकलापों के स्तर में अभिवृद्धि करना चाहती है। क्रियाकलापों का विद्यमान स्तर बनाये रखने के लिये यह जानना आवश्यक होगा कि वित्तपोषण के साधन कहां तक पोषणीय हैं। इसी प्रकार यदि सरकार अपने क्रियाकलापों के स्तर में वृद्धि करना चाहती है तो वित्तपोषण के साधनों के लचीलेपन और अन्ततः इस प्रक्रिया में सरकार की बढ़ी हुई भेद्यता की जाँच करना प्रासंगिक होगा। सभी राज्य सरकार अपने क्रियाकलापों का स्तर सिद्धांतः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अभिवर्द्धित करती रहती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं में रूपान्तरित होता है और जिनका प्रावधान राज्य के बजट में किया जाता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि योजनेतर व्यय सरकार के क्रियाकलापों के विद्यमान स्तर* को बनाये रखने का परिचायक हैं जबकि आयोजनागत व्यय क्रियाकलापों के विस्तार के लिये आवश्यक है। इन दोनों क्रियाकलापों के लिये स्रोतों को गतिशील तथा सरकार की भेद्यता में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता होती है। संक्षेप में सरकार की वित्तीय सुदृढ़ता का वर्णन पोषणीयता, लचीलेपन तथा भेद्यता के रूप में किया जा सकता है। इन शब्दों की व्याख्या निम्नानुसार हैः

(i) पोषणीयता

पोषणीयता वह स्तर है जहां तक सरकार अपने विद्यमान कार्यक्रमों का रख रखाव कर सकती है तथा विद्यमान लेनदारी आवश्यकताओं को ऋणभार बढ़ाए बिना पूर्ण कर सकती है।

(ii) लचीलापन

लचीलापन वह स्तर है जहां तक कि सरकार अपनी बढ़ती हुई वचनबद्धता को पूरा करने हेतु या तो अपने राजस्व आधार का विस्तार कर अथवा अपने ऋणभार में वृद्धि कर अपने वित्तीय संसाधन बढ़ा सकती है।

(iii) भेद्यता

भेद्यता वह स्तर है जिस स्तर तक कोई सरकार निर्भर रह सकती है एवं इसके लिये वह अपने नियंत्रण अथवा प्रभाव से परे आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर वित्त पोषण के संसाधनों के प्रति भेद्य रहती है।

(iv) पारदर्शिता

यह सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सूचना का मुद्दा भी है। इसमें वार्षिक वित्त विवरण पत्र (बजट) तथा लेखे समाविष्ट हैं। जहां तक बजट का प्रश्न है, इसके महत्वपूर्ण मानदण्ड बजट प्रक्रिया की दक्षता दर्शाते हुये समय पर प्रस्तुति और अनुमानों

* इसके अपवाद भी हैं, विशेष रूप से योजना अवधि के अंत में आयोजना से योजनेतर को अंतरण ।

की परिशुद्धता है। जहां तक लेखाओं का प्रश्न है प्रस्तुतिकरण में निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्धता तथा लेखाओं की पूर्णता मुख्य कसौटी है।

1.12.2 वित्त लेखे में उपलब्ध जानकारी पोषणीयता, लचीलेपन एवं भेद्यता को दर्शाने हेतु उपयोग में लाई जा सकती है जिसे वित्त लेखे से संगणित कतिपय देशनाओं/ अनुपातों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी देशनाओं/अनुपातों की सूची परिशिष्ट-I में दी गई है। प्रदर्श-5 1997-02 अवधि के लिये उक्त देशनाओं/अनुपातों का व्यवहार दर्शाता है।

प्रदर्श- 5

मध्यप्रदेश सरकार के लिये वित्तीय देशनाएं

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
पोषणीयता					
चालू राजस्व से शेष(करोड़ रुपयों में)	662	(-)1725	(-)1556	(-) 793	(-)1811
प्रांरभिक घाटा (करोड़ रूपयों में)	161	2292	1772	1128	1391
ब्याज अनुपात	0.13	0.15	0.15	0.18	0.18
पूंजीगत परिव्यय/पूजीगत प्राप्तियां	0.61	0.31	0.22	0.28	0.31
कुल कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10
राज्य कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.10	0.06	0.11	0.02	0.10
लचीलापन					
चालू राजस्व से शेष (करोड़ रुपयों में)	662	(-)1725	(-)1556	(-)793	(-)1811
पूंजीगत प्रतिभुगतान/पूंजीगत उधारियां	0.17	0.17	0.15	0.18	0.16
राज्य कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.22	0.24	0.26	0.25	0.33
भेद्यता					
राजस्व घाटा (करोड़ रुपयों में)	469	2872	2932	2146	3158
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपयों में)	1821	4127	3911	3539	3645
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपयों में)	161	2292	1772	1128	1391
प्रारंभिक घाटा/राजकोषीय घाटा	0.09	0.55	0.45	0.32	0.38
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.26	0.70	0.75	0.61	0.87
बकाया गारण्टियां/राजस्व प्राप्तियां	0.35	0.12	0.01	0.04	0.04
परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.93	0.81	0.73	0.80	0.71

टिप्पणीः

1. राजकोषीय घाटे की संगणना इस प्रकार की गई हैः राजस्व व्यय+ पूंजीगत व्यय+ निवल कर्जे एवं पेशगियां - राजस्व प्राप्तियां - ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां।

2. पूंजीगत परिव्यय के विरुद्ध पूंजीगत प्राप्तियों के अनुपात में पूंजीगत प्राप्तियों में मानक इस प्रकार हैः आंतरिक कर्जे+ भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ + अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि से निवल प्राप्तियाँ + राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जों से प्राप्त प्रतिभुगतान - राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे।

1.12.3 राज्य सरकार की वित्तीय सुदृढ़ता की स्थिति के लिये इन देशनाओं और अनुपातों के निहितार्थों की विवेचना निम्नांकित कंडिकाओं में की गई है ।

(i) चालू राजस्व से शेष

चालू राजस्व से शेष की परिभाषा राजस्व प्राप्तियों में से आयोजनागत आर्थिक सहायता अनुदान तथा योजनेतर राजस्व व्यय को घटाते हुये की जाती है। सकारात्मक चालू राजस्व शेष दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास आयोजनागत व्यय की पूर्ति हेतु अपनी राजस्व बचत है। तालिका दर्शाती है कि राज्य सरकार के पास केवल चार वर्ष पूर्व 1997-98 में सकारात्मक चालू राजस्व था और संकेत करती है कि तत्पश्चात अत्यधिक दबाब पड़ा और सरकार को न केवल अपने आयोजनागत व्यय को पूरा करने अपितु चालू राजस्व में निरंतर बढ़ते अत्यधिक अंतर पाटने के लिये भी उधारियों का सहारा लेना पड़ा और 2001-02 के दौरान यह अंतर सर्वाधिक (1811 करोड़ रुपये) था।

(ii) ब्याज अनुपात

ब्याज अनुपात जितना अधिक होता है उतनी ही सरकार की कोई नया ऋण वहन करे की क्षमता कम हो जाती है और अपने राजस्व व्यय की पूर्ति अपनी राजस्व प्राप्तियों से करनी पड़ती है। मध्यप्रदेश के प्रकरण में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की तुलना में ब्याज भुगतानों में तीव्र वृद्धि के कारण मुख्य रूप से 1997-98 में 0.13 से 2001-02 में अनुपात 0.18 हो गया ।

(iii) पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत संरचना में पूंजीगत प्राप्तियां किस सीमा तक प्रयुक्त की गई है यह इस अनुपात से प्रकट होता है। एक से कम का अनुपात अंततोगत्वा पोषणीय नहीं होगा क्योंकि यह इस तथ्य का द्योतक है कि पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग अनुत्पादक राजस्व व्यय में व्यपवर्तित किया जा रहा है। इसके विपरीत एक से अधिक अनुपात इस तथ्य को इंगित करता है कि राजस्व बचत से पूंजीगत निवेश किया जा रहा है। इस अनुपात की प्रवृत्ति का विश्लेषण राज्य सरकार के राजकोषीय निष्पादन पर प्रकाश डालेगा। बढ़ती हुई प्रवृत्ति का अर्थ निष्पादन में सुधार होगा। मध्यप्रदेश के प्रकरण में अनुपात लगातार एक से कम रहा तथा 1997-98 में 0.61 से निरंतर कम होकर 2001-02 में यह 0.31 रह गया जो इंगित करता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का सारभूत भाग निवेश हेतु उपलब्ध नहीं था।

(iv) कर प्राप्तियां विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद

कर प्राप्तियों में राज्य कर तथा केन्द्रीय करों का राज्यांश समाविष्ट है। दूसरे को राज्य में रहने वाली जनता द्वारा भुगतान किये जाने वाले केन्द्रीय करों के रूप में भी देखा जा सकता है। कर प्राप्तियां पोषणीयता का संकेत देती है, परन्तु राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर प्राप्तियों के अनुपात का निहितार्थ लचीलापन भी होगा। कम अनुपात से तात्पर्य है कि सरकार अधिक कराधान कर सकती है जबकि उच्च अनुपात वित्त के इस स्त्रोत की सीमाओं को ही इंगित नहीं करता वरन् इसके लचीलेपन के न होने को

भी दर्शाता है। प्रदर्श-5 दर्शाता है कि मध्यप्रदेश के प्रकरण में यह अनुपात 1997-2000 के दौरान 0.10/0.09 पर वस्तुतः स्थिर रहने के उपरान्त इसमें 2000-01 में मामूली सा सुधार (0.11 तक) हुआ परन्तु पुनः 2001-02 में घट (0.10 तक) गया। दूसरी ओर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य कर प्राप्तियों का अनुपात भी 1997-2000 के दौरान 0.06 पर स्थिर रहा। कंडिका 1.5.2 में कर राजस्व संयोजन के विश्लेषण से प्रदर्शित होता है कि अन्य करों में कोई सारभूत सुधार न होने के साथ ही राज्य सरकार स्थूल रूप से विक्रय कर पर ही निर्भर रही।

(v) निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी से प्राप्त आय का अनुपात है। निवेश पर उच्च प्रतिलाभ पोषणीयता का संकेतक है। प्रदर्श-5 दर्शाता है कि मध्यप्रदेश सरकार के प्रकरण में निवेश पर प्रतिलाभ 0.02 से 0.10 प्रतिशत के मध्य लगभग नगण्य है जबकि इन निवेशों को पोषित करने के लिये ली गई सरकारी उधारियां की लागत बहुत अधिक थी जैसा कि कंडिका 1.10.1 में उल्लेख किया गया है। स्पष्टतः स्थिति अपोषणीय है।

(vi) पूंजीगत प्रतिभुगतान विरूद्ध पूंजीगत उधारियां

यह अनुपात पूंजीगत प्रतिभुगतान के उपरान्त निवेश हेतु पूंजीगत उधारियों की उपलब्ध मात्रा (आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं पेशगियां) की सीमा दर्शाता है। अनुपात जितना कम होगा, निवेश हेतु पूंजी उतनी ही अधिक उपलब्ध होगी। मध्यप्रदेश के प्रकरण में यह अनुपात 1997-98 के दौरान 0.17 से और घटकर चालू वर्ष में 0.16 हो गया जो निवेश हेतु पूंजी की कम उपलब्धता दर्शाता है। चूंकि सरकार की कुल उधारियां वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती रही हैं,इसलिए इन कर्जों के विरूद्ध प्रतिभुगतान दायित्व के कारण प्रति भुगतानों के बढ़ते हुये स्तर की पूर्ति हेतु भविष्य में सरकार के राजस्व पर अत्यधिक दबाब पड़ेगा।

(vii) ऋण विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य सरकार के कुल आंतरिक संसाधन का आधार है जिनका ऋण सेवा में उपयोग किया जा सकता है। ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि राज्य सरकार के अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में इसकी सक्षमता में कमी दर्शायेगा अतः ऋणदाताओं के लिये जोखिम में वृद्धि होगी। मध्यप्रदेश के प्रकरण में यह अनुपात 1997-98 में 0.22 की तुलना में 2001-02 में 0.33 तक तीव्रता से कम हुआ। तथापि विचाराधीन इस तथ्य के साथ इसे देखा जाना चाहिए कि नियत दिन के तत्काल पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का विभाजन तथा साथ ही अन्य वित्तीय समायोजनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना/पूर्ण किया जाना है और सकल राज्य घेरलू उत्पाद के आंकड़े केवल उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है ।

(viii) राजस्व घाटा विरूद्ध राजकोषीय घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का आधिक्य है तथा यह उधारियों आदि से वित्तपोषित राजस्व व्यय का द्योतक है। इससे स्पष्ट है कि घाटा

जितना अधिक होगा राज्य उतना ही अधिक भेद्य होगा। चूंकि राजकोषीय घाटा समस्त उधारियों का योग है अतः राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा उस सीमा का द्योतक है जिस सीमा तक सरकार उधारियों का उपयोग अनुत्पादक राजस्व व्यय के वित्तपोषण हेतु कर रही है। इस प्रकार अनुपात जितना अधिक होता है उतनी ही राज्य की बदतर स्थिति होती है क्योंकि यह स्थिति यह प्रकट करती है कि राज्य की प्रतिभुगतान क्षमता बढ़े बिना राज्य के ऋणभार में वृद्धि हो रही है। जैसा कि कंडिका 1.10.6.3 में उल्लेख किया गया है यह अनुपात 1997-1998 में 0.26 के अल्पस्तर से 2001-02 में 0.87 की उच्चता पर बढ़ रहा है। यह दर्शाता है कि 1997-98 में 26 प्रतिशत की तुलना में राजस्व व्यय में 0.87 प्रतिशत उधारियों का उपयोग किया गया जिससे उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता में उल्लेखनीय ह्रास प्रकट हुआ । यह मुख्यतः अन्तवर्ती अवधि में राजस्व व्यय (23 प्रतिशत) में वृद्धि तथा राजस्व प्राप्तियों में थोड़ी सी कमी के कारण हुआ।

(ix) प्रारंभिक घाटा विरूद्ध राजकोषीय घाटा

प्रारंभिक घाटा ब्याज भुगतान घटाकर शेष रहा राजकोषीय घाटा है। प्रारंभिक घाटा ब्याज दायित्व (ऐसा मानकर कि ब्याज भुगतान सरकार की विगत कार्यवाहियों के परिणाम है) को पूरा करने के उपरान्त उपलब्ध निवल उधारियों का द्योतक है। प्रारंभिक घाटा तभी पोषणीय होता है जब अर्थव्यवस्था उधारियों पर देय ब्याज दर से अधिक बढाई जाए । जैसा कि प्रदर्श-5 से दृष्टव्य है कि प्रारंभिक घाटा, 1998-99 में 2292 करोड़ रुपये तक पहुंचने के उपरान्त कम हुआ है किन्तु राजकोषीय घाटे का अभी भी 38 प्रतिशत व्यय किया गया। इससे स्पष्टतः पोषणीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

(x) गारंटियां विरूद्ध राजस्व प्राप्तियां

सरकार द्वारा जारी समाश्वासन पत्र सहित बकाया गारंटियां जोखिम की सीमा प्रकट करती है और इसलिये इसकी सरकार की भुगतान करने की क्षमता अर्थात इसकी राजस्व प्राप्तियों की क्षमता से तुलना की जानी चाहिये। इस प्रकार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में कुल बकाया गारंटियों का अनुपात राज्य सरकार की भेद्यता के स्तर का द्योतक होगा। मध्यप्रदेश के प्रकरण में यह अनुपात 1997-98 में 0.35 तक बढ़कर 1999-2002 के दौरान 0.1 एवं 0.04 के मध्य तीव्रता से घट गया तथापि बकाया कुल गारंटियों के आंकड़े विश्वसनीय नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के अधिकांश विभागों ने जानकारी प्रेषित नहीं की थी अस्तु देयताओं की सीमा तथा राज्य राजस्व की गारंटियों की जोखिम सीमा की जानकारी नहीं है ।

(xi) परिसंपत्तियां विरूद्ध देयताएं

यह अनुपात राज्य की संपन्नता दर्शाता है। एक से अधिक का अनुपात इस तथ्य का परिचायक है कि राज्य सरकार संपन्न है (देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियां अधिक हैं) जबकि एक से कम का अनुपात इसका प्रतिकूल संकेतक होगा। जैसा कि कंडिका 1.2 में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी लेखे में मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं समाविष्ट रहती हैं तथापि इस अनुपात की प्रवृत्ति भी वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता की महत्वपूर्ण परिचायक होगी। प्रदर्श-5 दर्शाता है कि मध्यप्रदेश सरकार के प्रकरण में यह

अनुपात 1997-98 में 0.93 से धीरे-धीरे घटकर 2001-02 में 0.71 रह गया जिससे अनुकूल परिसम्पत्तियां सृजित किये बिना ही वित्तीय देयताओं की वचनवद्धता प्रकट होती है तथापि यथार्थपरक स्पष्ट परिदृश्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य संयुक्त मध्यप्रदेश सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के पूर्णतः विभाजन के उपरान्त ही उपलब्ध हो सकेगा।

(xii) बजट

बजट अनुमानों की प्रस्तुति तथा उनके अनुमोदन में कोई विलम्ब नहीं हुआ। विवरण निम्नांकित तालिका में दिये गये हैः-

निर्मित	प्रस्तुति का माह	अनुमोदन का माह
लेखानुदान	फरवरी 2001	मार्च 2001
बजट	फरवरी 2001	मार्च 2001
अनुपूरक- I	सितम्बर 2001	सितम्बर 2001
अनुपूरक- II	नवम्बर 2001	दिसम्बर 2001
अनुपूरक- III	मार्च 2002	मार्च 2002

इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय में भिन्नता तथा बजट प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं व्यय पर नियंत्रण के विस्तृत विश्लेषण भी दिये गये हैं। यह त्रुटिपूर्ण बजट पद्धति तथा व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण का संसूचक है जैसा कि प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण राशियों के सतत पुनर्निधारण (अभ्यर्पण) तथा अंतिम संशोधित अनुदान से सिद्ध होता है। अंतिम संशोधित अनुदान एवं वास्तविक व्यय के मध्य महत्वपूर्ण अन्तर (आधिक्य/बचत) भी सतत बना रहा।

(xiii) लेखे

(क) स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिये गये सहायतानुदानों का पूंजीगत व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण बजट निर्माण तथा लेखाकरण संबंधी आंकड़ों का गम्भीर विरूपण किया गया परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय का अतिकथन तथा आयोजनागत व्यय (राजस्व) न्यूनकथन किया गया। इससे बजट प्रक्रिया के साथ लेखाओं की पारदर्शिता भी प्रभावित हुई।

(ख) कोषालयों/विभागों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति में भी महत्वपूर्ण विलम्ब हुआ और 34 लोक निर्माण संभागों (61 लेखे), 7 वन मण्डलों (17 लेखे) 2 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (2 लेखे) तथा एक कोषालय (2 लेखे) से 82 मासिक लेखे 12 दिनों या इससे अधिक विलम्ब से प्राप्त हुये परिणामस्वरूप उन्हें मासिक लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया जा सका। बृहद मात्रा में लेखाओं को सम्मिलित न किये जाने के कारण मासिक लेखे अनुदानों के विरूद्ध विनियोग तथा व्यय की प्रगति के यथार्थपरक चित्र प्रस्तुत करने में विफल रहे तथापि असमाविष्ट सभी लेखे बाद में समायोजित कर लिये गये।

1.12.4 निष्कर्ष

यह वर्ष राज्य की वित्त व्यवस्था में उल्लेखनीय ह्रास का साक्षी है। यद्यपि प्रतिभुगतान दायित्वों में वृद्धि हुई थी तथापि पिछले कर्जे एवं पेशगियों की अच्छी वसूली के बाबजूद नवीन उधारियों में से पूंजीगत निवेश के लिए बहुत कम बचा । बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के कारण वर्द्धित ब्याज भार के साथ उधारियों में वृद्धि हुई और अपने दैनिक व्यय की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर अत्यधिक निर्भर भी रहना पड़ा ।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

विनियोग लेखे 2001-02 - एक दृष्टि में

कुल अनुदानों/विनियोगों की संख्या 99

कुल प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

प्रावधान		व्यय	
मूल पूरक	20011.40 8760.11		
कुल सकल प्रावधान	**28771.51**	**कुल सकल व्यय**	**23439.63**
घटाएं - व्यय की कमी के रूप में अनुमानित वसूलियाँ	716.81	घटाएं - व्यय की कमी के रूप में वास्तविक वसूलियाँ	259.98
कुल निवल प्रावधान	**28054.70**	**कुल निवल व्यय**	**23179.65**

दत्तमत तथा प्रभारित प्रावधान एवं व्यय

(करोड़ रुपयों में)

	प्रावधान		व्यय	
	दत्तमत	***प्रभारित***	**दत्तमत**	***प्रभारित***
राजस्व	15708.49	*2574.67*	12242.40	*2352.09*
पूंजीगत	3461.32	*7027.03*	2102.20	*6742.94*
सकल योग	**19169.81**	***9601.70***	**14344.60**	***9095.03***
घटाएं - व्यय की कमी के रूप में वसूलियां	716.44	*0.37*	259.98	----
निवल योग	**18453.37**	***9601.33***	**14084.62**	***9095.03***

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है जिसमें बजट की प्रभारित तथा दत्तमत दोनों मदों पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सेवाओं पर वस्तुतः व्यय की गई राशियों तथा विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशियों के विवरण दर्शाए जाते हैं ।

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में है और संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला अपेक्षित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है । विनियोग लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित करते हैं कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधान, संबद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है ।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2001-02 के दौरान विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	अन्तर बचत(-) आधिक्य(+)
दत्तमत	I- राजस्व	12626.09	3082.40	15708.49	12242.40	(-)3466.09
	II- पूंजीगत	1582.43	1189.57	2772.00*	1503.62*	(-)1268.38
	III- कर्जे एवं पेशगियां	237.07	452.25	689.32	598.58	(-)90.74
कुल दत्तमत		**14445.59**	**4724.22**	**19169.81**	**14344.60**	**(-)4825.21**
प्रभारित	*IV- राजस्व*	*2549.34*	*25.33*	*2574.67*	*2352.09*	*(-)222.58*
	V- पूंजीगत	*2.03*	*0.01*	*2.04*	*1.28*	*(-)0.76*
	VI- लोक ऋण	*3014.44*	*4010.55*	*7024.99*	*6736.10*	*(-)288.89*
	VII- अंतर राज्यीय समायोजन	निरंक	निरंक	निरंक	*5.56&*	*(+)5.56*
कुल प्रभारित		***5565.81***	***4035.89***	***9601.70***	***9095.03***	***(-)506.67***
आकस्मिक निधि में विनियोग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
महायोग		**20011.40**	**8760.11**	**28771.51**	**23439.63**	**(-)5331.88**

* *स्थानीय निकायों/संस्थाओं के सहायतानुदान से संबंधित 131.57 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा 33.61 करोड़ रुपये का व्यय सम्मिलित है जो राजस्व अनुभाग की अपेक्षा पूंजीगत अनुभाग में त्रुटिपूर्ण रूप से वर्गीकृत एवं लेखांकित किया गया ।*

तालिका राज्य सरकार के दोषपूर्ण बजट अनुमान तैयार किए जाने की स्थिति दर्शाती है । राजस्व बजट (22.1 प्रतिशत) तथा कर्जे एवं पेशगियों सहित पूंजीगत बजट (39.3 प्रतिशत) के दत्तमत अनुभाग में प्रचुर बचतों तथा नीचे दी गई अन्य अभ्युक्तियों से प्रमाणित होता है

& *संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के 31 अक्टूबर 2000 के शेषों का उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य निपटारा दर्शाता है ।*

कि यद्यपि दत्तमत अनुभाग के अधीन वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, वहीं 4724.22 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए । कतिपय नमूना जांच किए गए अनुदानों के प्रकरण में व्यय एवं बजट नियंत्रण प्रणाली पर विस्तृत टिप्पणियां कंडिका 2.4 में सम्मिलित की गईं हैं ।

आगे निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:

(क) व्यय निम्नानुसार अधिक बताया गया:

-- निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800-अन्य जमाओं को व्यय न किए गए 458.55 करोड़ रुपये का अंतरण (राजस्व अनुभाग: 370.54 करोड़ रुपये एवं पूजीगत अनुभाग: 88.01 करोड़ रुपये)

-- शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के संबंध में मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 106-वैयक्तिक जमा लेखे में 434.03 करोड़ रुपये का अन्तरण (जमा: 664.48 करोड़ रुपये उसमें से 230.45 करोड़ रुपये के संवितरण घटाकर)। वर्ष के दौरान जमा किए गए 664.48 करोड़ रुपयो में से 139.80 करोड़ रुपये निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से जमा किए गए ।

-- संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर आहरित किए गए 1.64 करोड़ रुपये के व्यय की यथार्थता प्रमाणित नहीं की जा सकी क्योंकि विस्तृत आकस्मिक व्यय देयक प्रस्तुत नहीं किए गए थे ।

(ख) कुल व्यय को न्यूनकथन द्वारा आंशिक प्रतिसंतुलित कर अधिक बताया गया

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किया गया 1.76 करोड़ रुपये तक के व्यय का जिसके प्रमाणक वर्ष के दौरान कोषालय से प्राप्त नहीं हुए, तदनुसार राशि का लेखाकारण नहीं हो सका तथा इन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय की आपत्ति पुस्तिकाओं में रखा गया ।

2.3 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.3.1 अधिक व्यय का नियमितीकरण

(क) विगत वर्षों से संबंधित अधिक व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए किसी अनुदान या विनियोग में हुए अधिक व्यय का राज्य विधान मंडल से नियमितीकरण कराया जाना अनिवार्य होता है तथापि 1990-91 से 2000-01 तक के वर्षों के 5137.99 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का अभी भी नियमन (नवम्बर 2002) कराया जाना है । विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि	राशि जिसके लिए लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए
1990-91	22	119.51	प्रस्तुत
1991-92	16	258.58	प्रस्तुत
1992-93	21	189.32	प्रस्तुत
1993-94	21	258.11	2.05
1994-95	15	407.46	0.39
1995-96	21	251.59	प्रस्तुत
1996-97	18	224.17	0.91
1997-98	13	302.79	9.80
1998-99	17	1276.45	1.84
1999-2000	17	1584.94	1.42
2000-01	07	265.07	265.07
योग		**5137.99**	**281.48**

अनियमित अधिक व्यय के स्पष्टीकरणों के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब के कारण जांच न की गई/पता न लगाई गई शेष वित्तीय अनियमितताओं की संभावना को नकारा नहीं जा सकता ।

(ख) 2001-02 के दौरान अधिक व्यय

वर्ष 2001-02 के दौरान 3 अनुदानों के अंतर्गत 6,25,60,594 रुपये के अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत निम्नानुसार नियमितीकरण कराए जाने की आवश्यकता है ।

विनियोग संख्या और नाम	कुल विनियोग (रुपये)	वास्तविक व्यय (रुपये)	आधिक्य की राशि (आधिक्य का प्रतिशत) (रुपये)
क-राजस्व-प्रभारित			
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	*20,00,000*	*83,79,955*	*63,79,955 (319)*
ख-पूंजीगत-प्रभारित			
23-जल संसाधन विभाग	*20,00,000*	*25,73,333*	*5,73,333 (28.7)*
06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय (अन्तर राज्यीय समायोजन)	*निरंक*	*5,56,07,306*	*5,56,07,306*
योग	***40,00,000***	***6,65,60,594***	***6,25,60,594***

सरकार ने विनियोग संख्या 20 एवं 23 में अधिक विनियोग के नवम्बर 2002 तक कारण प्रस्तुत नहीं किए ।

2.3.2 वर्ष के दौरान प्राप्त 8760.11 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान विगत वर्ष में 13 प्रतिशत की तुलना में मूल प्रावधान का 43.8 प्रतिशत था ।

2.3.3 5331.88 करोड़ रुपये की संपूर्ण बचत अनुदानों एवं विनियोगों के 199 प्रकरणों में हुई 5338.14 करोड़ रुपये की बचत का परिणाम थी जिसे विनियोगों के 3 प्रकरणों में **6.26** करोड़ रुपये के आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया । विनियोग लेखे में

विवेचित कुल 1062 उपशीर्षों में से 850 उपशीर्षों (80 प्रतिशत) के आधिक्यों/बचतों से संबंधित स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए अथवा समाधान कारक नहीं थे ।

2.3.4 वर्ष के दौरान 81 प्रकरणों में किए गए 719.85 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्यों कि प्रत्येक प्रकरण में बचत पूरक प्रावधान के बराबर थी अथवा पूरक प्रावधान से अधिक थी जिसके विवरण **परिशिष्ट -II** में दिए गए हैं ।

2.3.5 33 प्रकरणों में केवल 6346.13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 7911.85 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान प्राप्त किए गए जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक की कुल 1565.72 करोड़ रुपये की बचत हुई । इन प्रकरणों के विवरण **परिशिष्ट -III** में दिए गए हैं ।

2.3.6 120 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक सीमा तक व्यय कम रहा जैसा कि **परिशिष्ट-IV** में दर्शाया गया है । इनमें से 6 प्रकरणों (क्रम संख्या 51, 61, 70, 71, 76 एवं 110) में 194.28 करोड़ रुपये के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया ।

2.3.7 32 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया संपूर्ण एक करोड़ रुपये और उससे अधिक कुल 163.06 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसका विवरण **परिशिष्ट -V** में दिए अनुसार है ।

2.3.8 29 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक तथा प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक की सतत बचतें हुईं । विवरण **परिशिष्ट-VI** में दिए गए हैं ।

2.3.9(क) 5 योजनाओं में, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से 5 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक और कुल प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक का कुल 128.69 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ । विवरण **परिशिष्ट-VII** में दिए गए हैं ।

2.3.9(ख) 63 योजनाओं में, 5 करोड़ रुपये अथवा अधिक की सारभूत बचत और प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक की कुल 2385.45 करोड़ रुपये की बचत परिलक्षित हुई । इनमें से 34 योजनाओं में संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा । विवरण **परिशिष्ट-VIII** में दिए गए हैं ।

2.3.10 निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

पुनर्विनियोग, एक अनुदान के भीतर विनियोग की उस इकाई से जिसमें कि बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को जिसमें कि निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है । ऐसे प्रकरण **परिशिष्ट-IX** में दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की निधियों का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण निम्नांकित कारणों से अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआः (क) ऐसे शीर्षों से निधियों का आहरण जिनमें पहले ही अधिक व्यय हो चुका था (ख) उपलब्ध बचतों से अधिक निधियों का आहरण, (ग) बचत के बाद भी अनावश्यक रूप से निधियों का अभिवर्धन, (घ) अधिक व्यय की पूर्ति करने हेतु आवश्यक राशि से अधिक निधियों का आवर्धन ।

2.3.11 बचतों का अनअभ्यर्पण तथा वित्त वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण किया जाना ।

2.3.11(क) नियमों के अनुसार व्यय करने वाले विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब भी बचतें प्रत्याशित हों, अनुदानों/विनियोगों की राशि अथवा उसका भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दें तथापि वर्ष 2001-02 की समाप्ति पर अनुदानों/विनियोगों के 160 प्रकरणों में हुई बड़ी बचतें विभागों ने अभ्यर्पित नहीं कीं जिनमें 2922.72 करोड़ रुपये की राशि अंतर्गस्त थी । 56 प्रकरणों में उपलब्ध बचतों की सारभूत राशियाँ (प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक) जो कुल 2840.30 करोड़ रुपये की थीं, अभ्यर्पित नहीं की गईं । विवरण **परिशिष्ट-X** के अनुसार हैं ।

2.3.11(ख) 126 प्रकरणों में 2444.17 करोड़ रुपये के कुल अभ्यर्पण में से 2252.64 करोड़ रुपये (92.2 प्रतिशत) के अभ्यर्पण मार्च 2002 के अंतिम दिन किए गए जो व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है ।

2.3.12 निधियों का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

13 प्रकरणों में अभ्यर्पित राशि उपलब्ध बचत से अधिक थी जो बजट संबंधी नियंत्रण की अक्षमता को दर्शाती है । 647.37 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध बचतों की तुलना में अभ्यर्पित की गई राशि 676.11 करोड़ रुपये की थी, परिणामस्वरूप 28.74 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ । विवरण **परिशिष्ट-XI** में दिए गए हैं ।

यद्यपि बजट संबंधी अनियमितताओं के उदाहरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में वर्ष प्रतिवर्ष दर्शाए जाते हैं फिर भी सरकार/विभाग ऐसी अनियमितताओं को कम करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय नहीं करते हैं ।

2.3.13 समाधान न किया गया व्यय

वित्तीय नियमों के अनुसार विभागीय नियंत्रण अधिकारियों को व्यय के विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में पुस्तांकित व्यय के आंकड़ों से नियत समयावधि में मिलान करना चाहिए । विभिन्न नियंत्रण अधिकारियों ने 16 मुख्य शीर्षों से संबंधित 2343.02 करोड़ रुपये के व्यय, जो कुल व्यय का 10 प्रतिशत था, का वर्ष के दौरान मिलान नहीं किया । विवरण **परिशिष्ट-XII** में दिए गए हैं ।

2.3.14 पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

राज्य सरकार के अनुदेशों (अगस्त 1996) तथा वित्तीय नियमों के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों हेतु समस्त संस्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी कर दी जानी चाहिए, (ii) "कार्यालय व्यय" शीर्ष के अंतर्गत किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोग द्वारा बजट प्रावधान बढ़ाया नहीं जाना चाहिए , (iii) एक अनुदान से किसी दूसरे अनुदान में राशि का पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता, (iV) 10 लाख रुपये से अधिक का पुनर्विनियोग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, (V) जिस शीर्ष से पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण स्वीकृत किया गया हो उसमें बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए तथा (vi) जिस योजना से अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग संस्वीकृत किया गया हो, उसके पर्याप्त विवरण दिए जाने चाहिए । इन अनुदेशों का उल्लंघन कर वर्ष के दौरान 257.62 करोड़ रुपये की कुल राशि का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण किया गया, जिसके विवरण **परिशिष्ट-XIII** में दिए गए हैं ।

2.3.15 व्यय की अधिकता

वर्ष में व्यय का समनुरूपी प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है । व्यय की अधिकता विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माहों में, वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है तथापि यह देखा गया कि 10 प्रकरणों में मार्च 2002 के दौरान किया गया व्यय वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय का 52 और 100 प्रतिशत के मध्य रहा । विभाग; व्यय प्रवाह की समानता बनाए रखने में विफल रहे यद्यपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश द्वारा दिसम्बर 2001 को समाप्त तिमाही के लिए प्रत्येक प्रकरण में व्यय की स्थिति मासिक विनियोग लेखे के माध्यम से वित्त विभाग की जानकारी में लाई गई थी । नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त वर्ष के नितांन्त अन्त में बजट प्रावधान के उपयोग की प्रवृत्ति व्यय की यथार्थता एवं औचित्य पर प्रश्नचिन्ह अंकित करती है । विवरण **परिशिष्ट-XIV** में दिए गए हैं ।

2.3.16 बजट प्रावधान के बिना व्यय

बजट द्वारा निधियों का प्रावधान किए बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए तथापि यह देखा गया कि 3 प्रकरणों में किया गया 10.08 लाख रुपये का व्यय मूल अनुमानों/पूरक मांग में प्रावधान किए बिना किया गया था । विवरण **परिशिष्ट-XV** में दिए अनुसार है ।

2.4 व्यय तथा बजट नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा

2.4.1 बजट संबंधी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

प्रत्येक अधीनस्थ इकाई द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बजट अनुमान तैयार करना अपेक्षित होता है तथा समेकित बजट अनुमान तैयार करने और स्वीकृति हेतु नियंत्रण अधिकारियों को प्रेषित करना होते हैं । विधायिका द्वारा बजट अनुमोदन के तुरंत बाद वित्त विभाग संबंधित विभाग के नियंत्रण अधिकारी को अंतिम आवंटन की सूचना देता है जो तदुपरांन्त संबद्ध संभागीय/वृत्त स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय इकाइयों के मध्य आगे संवितरण कराने के लिए संचालन कार्यालयों (आयुक्तों/संचालकों/मुख्य अभियन्ताओं आदि) को उसका आवंटन करता है । व्यय को प्रत्येक स्तर पर इन आवंटनों तक परिसीमित रखा जाना आवश्यक होता है ।

सरकार का प्रत्येक विभाग जिसकी ओर से विधायिका अनुदान अथवा विनियोग प्राधिकृत करती है, अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपने निर्वर्तनाधीन रखे गए संस्वीकृत अनुदान अथवा विनियोग के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण के लिये अपने अधीनस्थ अन्य नियंत्रण अधिकारियों एवं संवितरण अधिकारियों के माध्यम से और व्यय के नियंत्रण हेतु आवधिक प्रतिवेदनों की प्रस्तुति और प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पंजियों के संधारण जैसी नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से नियंत्रण रखने के लिये उत्तरदायी होंगे । विभागीय आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय की पुस्तिकाओं में दर्ज आंकड़ों से, वार्षिक लेखाओं के समापन के पूर्व नियत समयावधि पर मिलान किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त कोषालय से कोई राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसके तुरंत संवितरण की आवश्यकता न हो और बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने

हेतु उसे सिविल जमाओं के अंतर्गत जमा करने के लिए भी आहरित नहीं किया जाना चाहिए । व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की दूसरी मूल आवश्यकता है ।

उपरोक्त अपेक्षाओं/प्रावधानों के विपरीत वर्ष 2001-02 के लिए अनुदान संख्या 21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय, 24-लोक निर्माण-सड़कें एवं पुल, 25-खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय, 28-राज्य विधायिका, 40-कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय, 51-धार्मिक न्यास एवं धर्मादा तथा 80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबद्ध अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नांकित तथ्य प्रकट हुएः

(क) अनुदान संख्या 24, 25, 40 एवं 80 के मासिक व्यय विवरण पत्रक नियंत्रण अधिकारियों को अधीनस्थ इकाइयों से नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुए । इनमें से किसी भी कार्यालय में व्यय नियंत्रण पंजियां संधारित ही नहीं की गई थीं । इस प्रकार नियंत्रण अधिकारियों द्वारा माह प्रति माह के व्यय का अद्यतन प्रगामी योग संगणित नहीं किया जा सका । इससे व्यय पर यथोचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण का अभाव परिलक्षित हुआ जिसके कारण (क) कतिपय उपशीर्षों के अंतर्गत प्रावधान से बहुत अधिक व्यय/वृहद बचतें हुई (ख) अपर्याप्त/ अनावश्यक/ अत्यधिक पूरक प्रावधान किए गए तथा (ग) अनियमित पुनर्विनियोग हुआ और निधियों का अभ्यर्पण नहीं किया गया जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है ।

(ख) नमूना जांच किए गए अनुदान संख्या 21, 24, 25, 28, 40, 51 एवं 80 तथा विनियोग लेखा 2001-02 में अपनाई गई प्रक्रिया में प्रकट हुआ कि बजट अनुमानों हेतु मांगे वास्तविक आधार पर तैयार करने की अपेक्षा तदर्थ आधार पर तैयार की गई थीं । बजट तैयार करने एवं बजट प्रवर्तन की हीन गुणवत्ता के ये परिणाम हुएः

(i) राजस्व (दत्तमत) भाग की अनुदान संख्या 21, 24, 25, 28, 40, 51 एवं 80 के अंतर्गत क्रमशः 10.25 करोड़ रुपये, 34.02 करोड़ रुपये,1.82 करोड़ रुपये, 4.66 करोड़ रुपये, 3.90 करोड़ रुपये, 2.13 करोड़ रुपये व 120.21 करोड़ रुपये तक अधिक प्रावधान किया गया तथा पूंजीगत (दत्तमत) भाग की अनुदान संख्या 21, 24, 40 एवं 80 के अंतर्गत क्रमशः 14.84 करोड़ रुपये, 178.20 करोड़ रुपये, 3.11 करोड़ रुपये व 1.38 करोड़ रुपये तक अधिक प्रावधान हुआ ।

(ii) नमूना जांच किए गए अनुदानों की 29 योजनाओं के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 50 प्रतिशत से भी अधिक कुल 351.64 करोड़ रुपये की, **परिशिष्ट-XVI** में दिए गए विवरण के अनुसार, सारभूत बचतें हुई । इनमें से 8 योजनाओं (क्रम संख्या 1,2,3,4,21,23,24 एवं 26) में कुल 40.10 करोड़ रुपये के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे जबकि 11 योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक कुल 113.74 करोड़ रुपये के सारभूत आधिक्य होना पाए गए जैसा कि **परिशिष्ट-XVII** के विवरण में दिया गया है ।

(ग) नमूना जांच किए गए अनुदानों की 9 योजनाओं में 39.52 करोड़ रुपये के कुल अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहे एवं अनावश्यक सिद्ध हुए जबकि अन्य 9 योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान 60.57 करोड़ रुपये तक अधिक थे । विवरण **परिशिष्ट-XVIII** में दिए अनुसार हैं ।

(घ) अनुदान संख्या 24, 40 (राजस्व-दत्तमत) तथा अनुदान संख्या 40(पूंजीगत-दत्तमत) के अंतर्गत क्रमशः 38.58 करोड़ रुपये, 3.95 करोड़ रुपये तथा 3.12 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण

क्रमशः 34.02 करोड़ रुपये, 3.90 करोड़ रुपये तथा 3.11 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचतों से अधिक था । इससे परिलक्षित होता है कि उपलब्ध बचतों के यथोचित आकलन किए बिना अभ्यर्पण किए गए थे ।

(ड.) अनुदान संख्या 21 में ग्वालियर काउन्टर मैगनेट विकास परियोजना हेतु व्यय के अंतर्गत आहरित 18 करोड़ रुपये तथा अनुदान संख्या 80 में ग्राम पंचायतों को अनुदान का बकाया शेष (47.16 करोड़ रुपये), आधारभूत सेवाओं हेतु ग्राम पंचायतों को एकमुश्त अनुदान (120 करोड़ रुपये) तथा अनुदान संख्या 80 में प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना(3.08 करोड़ रुपये) के अंतर्गत 170.24 करोड़ रुपये 30 मार्च 2002 को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800 अन्य जमाएं में जमा किए गए थे । अस्तु 188.24 करोड़ रुपये की कुल राशि का 30 मार्च 2002 को आहरण किया गया और बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने हेतु व्यय के रूप में लेखाओं में दर्शाया गया । इसके परिणामस्वरूप भी उक्त सीमा तक व्यय की अनुचित वृद्धि हुई ।

(च) अनुदान संख्या 24 में हवाई पट्टी का निर्माण एवं विस्तार योजनाओं के अंतर्गत मार्च 2002 के दौरान किया गया व्यय अनुदान के अधीन कुल व्यय का 62.7 प्रतिशत रहा जबकि अनुदान संख्या 40 में मुख्य शीर्ष 2705 एवं 4705 के 6 लघु शीर्षों के अंतर्गत फरवरी/मार्च 2002 के दौरान हुआ व्यय 39.6 एवं 93.7 प्रतिशत के मध्य रहा । इससे आयोजना का अभाव एवं उपलब्ध निधियों का अनुपयुक्त उपयोग प्रकट हुआ ।

(छ) अनुदान संख्या 21,24,40 एवं 51 से संबद्ध नियंत्रण अधिकारियों ने व्यय के आंकड़ों का मिलान नहीं किया जिसका परिणाम व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण के रूप में प्रकट हुआ ।

(ज) अनुदान संख्या 24 में शीर्ष 5054-03-337-0801-8716-केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के समूचे बजट आवंटन की तुलना में किया गया व्यय केवल 43.25 करोड़ रुपये था जिसके परिणामस्वरूप बजट प्रावधान 57 प्रतिशत तक व्यपगत हो गया ।

मुख्य अभियंता, राजधानी परियोजना भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में आवंटनों एवं साखपत्रों के मध्य निम्नानुसार असमानता प्रकट हुईः

-- उक्त निर्माण कार्य हेतु 4 संभागों (6 में से) के पक्ष में कोई साखपत्र जारी नहीं किए गए थे जिससे 19.08 करोड़ रुपये का आवंटन व्यपगत हो गया ।

-- दो प्रकरणों में आवंटन (19.32 लाख रुपये) से अधिक साखपत्र जारी किए गए थे, तथा

-- जिलावार मूल बजट प्रावधान, अंतिम आवंटनों, साखपत्रों और व्यय के मध्य अत्यधिक एवं अनियंत्रित अन्तर से समग्र असमानता एवं शिथिल व्यय नियंत्रण का होना प्रकट हुआ, परिणामस्वरूप भारी मात्रा में बजट प्रावधान व्यपगत हो गए । विवरण **परिशिष्ट-XIX** में दर्शाए अनुसार हैं ।

नमूना जांच में आगे परिलक्षित हुआ कि आनुपातिक मासिक साखपत्रों (आवंटन का 1/12) की अपेक्षा मुख्य अभियंता द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि, नाबार्ड, अन्य आदि जैसे अनेक शीर्षों के लिए एक समय में तदर्थ आधार पर टुकड़ों में साखपत्र जारी किए जा रहे थे जिससे बजट प्रावधानों की तुलना में मासिक विस्तृत शीर्षवार व्यय नियंत्रण बनाए रखना असंभव न सही, कठिन अवश्य हो गया ।

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

भाग क – समीक्षाएं

भाग ख – कण्डिकाएं

तीसरा अध्यायः सिविल विभाग

भाग क- लेखापरीक्षा समीक्षाएं

ग्रामीण विकास विभाग

3.1 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

मुख्यांश

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश में अप्रैल1999 में इस उद्देश्य से आरम्भ की गई थी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले निर्धन ग्रामीण परिवार ऋण एवं आर्थिक सहायता के साथ प्रदान की जाने वाली आय सृजक परिसम्पत्तियों की सहायता से तीन वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम 2000 रुपये निवल मासिक आय प्राप्त करने योग्य हो जाएं । योजना, जैसा कि आवश्यक था 5 वर्षीय यथार्थ रूपरेखा तैयार किये बिना आरम्भ की गई थी । 268.33 करोड़ रुपये का व्यय करने के उपरांत केवल 38 प्रतिशत लक्ष्यित हितग्राहियों का ही समावेशन किया जा सका और केवल 27 प्रतिशत ही गरीबी रेखा पार कर पाये जैसा कि नमूना जांच किये गये जिलों में देखा गया । संस्वीकृति तथा बैंकों से ऋण संवितरण में अत्यधिक विलम्ब के कारण कार्यान्वयन को हानि पहुंची । परिवीक्षण भी ठीक प्रकार से नहीं किया गया ।

58.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय एवं राज्य निधियां कम विमोचित की गईं ।

(कंडिका 3.1.5.2)

नमूना जांच किये गये 7 जिलों में ही 2.44 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया । 7.50 करोड़ रुपये का अस्थाई कार्य अग्रिम अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया ।

(कंडिका 3.1.5.3 (1) एवं (2))

केवल 22 प्रतिशत वित्तीय परिव्यय के विरुद्ध 38 प्रतिशत भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति यह दर्शाती है कि या तो भौतिक लक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे अथवा हितग्राहियों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी । समावेशित महिला एवं अपंग हितग्राहियों का प्रतिशत क्रमशः 40 एवं 3 के विरुद्ध मात्र 27 एवं 0.89 था ।

(कंडिका 3.1.6.1 एवं 3.1.6.2)

योजना के दिशानिर्देशों के प्रतिकूल शहडोल में 2.02 करोड़ रुपये मूल्य के लघु सिंचाई निर्माण कार्यों का निष्पादन एक ठेकेदार के माध्यम से कराया गया जिससे ग्रामीण निर्धन मजदूरी रोजगार से वंचित रहे ।

(कंडिका 3.1.6.3)

बैंकों द्वारा ऋणों की स्वीकृति में 2 से 14 माह का विलंब हुआ जिससे उसके संवितरण में भी एक से 24 माह तक का विलंब हुआ ।

(कंडिका 3.1.6.4)

50 ग्राम पंचायतों में आर्थिक सहायता प्रदत्त 2860 परिवारों में से केवल 769 परिवार (27 प्रतिशत) लक्ष्यित 2000 रुपये एवं इससे अधिक की मासिक आय सृजित करने योग्य हो सके ।

(कंडिका 3.1.6.6)

यद्यपि योजना में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया था तथापि ऐसे स्वरोजगारी जिन्हें स्व सहायता समूहों के माध्यम से सहायता प्रदत्त स्वरोजगारी उपलब्ध कराई गई थी वे व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता प्रदत्त स्वरोजगारियों के केवल 14 प्रतिशत थे ।

(कंडिका 3.1.6.7(क))

कार्यक्रम अधोसंरचना के सृजन पर किया गया 5.89 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित सीमा से अधिक था । अधोसंरचना निधि में से 6.02 करोड रुपयों का प्रशासनिक व्यय इत्यादि में दुरुपयोग किया गया ।

(कंडिका 3.1.6.9)

49760 स्वरोजगारियों को कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण के बिना 47.92 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

(कंडिका 3.1.6.10(क))

176 स्वरोजगारियों को प्रदत्त दर्शाए 79.65 लाख रुपये के ऋण बैंकों ने वस्तुतः संवितरित ही नहीं किये परन्तु उसके विरुद्ध बैंकों को 27.55 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया ।

(कंडिका 3.1.7.5)

3.1.1 प्रस्तावना

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कि एक ग्रामीण निर्धनता निवारण कार्यक्रम है, भारत सरकार ने जनवरी 1979 में आरंभ किया था । तत्पश्चात इसमें बाद के वर्षों में अन्य योजनाएं यथा स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्रायसेम), ग्रामीण क्षेत्रों

में महिला एवं बाल विकास , ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किट की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना और दस लाख कूप योजना आदि जोड़ी गईं । कार्यक्रमों की बहुलता के परिवर्जन के लिये भारत सरकार ने अप्रैल 1999 से इन सबका स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में पुनर्गठन कर दिया । स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया कि समस्त ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता तथा ऋण के माध्यम से आय सर्जक परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर वे न्यूनतम 2000 रुपये की निवल मासिक आय प्राप्त कर सकें । प्रयत्न का लक्ष्य था -पांच वर्षों की अवधि में प्रत्येक विकास खण्ड में 30 प्रतिशत निर्धन परिवार समावेशित किये जायें इस हेतु स्वरोजगार के सभी पहलुओं को अर्थात स्वसहायता समूहों के रूप में निर्धन ग्रामीणों का संगठन, क्षमता निर्माण क्रियाकलाप समूहों का नियोजन, अधोसंरचना निर्माण, प्रशिक्षण साख विपणन आदि को समाविष्ट करते हुए समूह दृष्टिकोण पर जोर दिया जाना था ।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की सहायता से ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव कार्यक्रम की योजना, समन्वय, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदाई होते हैं । जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो अब जिला पंचायतें हैं तथा विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होते हैं ।

3.1.3 समावेशन एवं नमूने का आकार

लेखापरीक्षा में नमूना जांच हेतु राज्य के 45 जिलों में से 11 जिले* तथा उनके क्षेत्र में आने वाले 25 प्रतिशत विकास खण्डों (25) का चयन किया गया । चयनित जिले 1999-2002 के दौरान हुए कुल व्यय के 27 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं । नमूना जांच किए गए जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के 10.45 लाख परिवार समाविष्ट हैं जो 1997-98 में हुई गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की जनगणना के अनुसार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के कुल 36.83 लाख परिवारों के 28.37 प्रतिशत हैं । नमूना जांच के परिणाम अनुवर्ती कंडकाओं में उल्लिखित हैं:-

3.1.4 योजनाकरण

प्रभावकारी कार्यान्वयन, उचित योजनाकरण पर निर्भर होता है । योजना में पंचवर्षीय परिदृश्य योजना के साथ-साथ वार्षिक योजनाएं बनाए जाने का प्रावधान था । विकास आयुक्त के पास उक्त योजनाएं तैयार किए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी । यद्यपि पंचवर्षीय परिदृश्य योजना के प्रारूप तैयार किया जाना एवं आवश्यक अनुदेशों के साथ जिला एवं विकास खण्डों को भेजा जाना बताया गया तथापि उनके अनुपालन की निगरानी कभी भी नहीं की गई ।

* *भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, खरगौन, मण्डला, मन्दसौर, मुरैना, सीहोर, शहडोल एवं टीकमगढ़ ।*

3.1.4.1 अनुपयुक्त योजनाः- नमूना जांच किए गए 11 जिलों में से यद्यपि 6 जिला पंचायतों (धार, ग्वालियर, मन्दसौर, मुरैना, सीहोर एवं टीकमगढ़) ने दावा किया(जनवरी-मई 2002) कि पंचवर्षीय परिदृश्य योजनाएं विधिवत तैयार की गई थीं तथापि इन्हें संवीक्षा/सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । जिला पंचायत मण्डला ने बताया कि योजना बैंक साख योजना के आधार पर कार्यान्वित की जा रही थी जो दर्शाता है कि पंचवर्षीय परिदृश्य योजना तैयार नहीं की गई । जिला पंचायत भोपाल एवं खरगौन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर तक नहीं दिया । तथापि वार्षिक विकासखण्ड योजनाएं तैयार की गई थीं परंतु उनका कार्यान्वयन नहीं किया गया ।

3.1.4.2 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहिचानः- भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 245.70 रुपए से अनधिक प्रतिव्यक्ति मासिक व्यय करने वाले ग्रामीण निर्धन परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे का माना जाना था । 1997-98 में भारत सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 36.83 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहिचान की गई । लेखापरीक्षा में देखा गया कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूचियों में विशेषतः प्रत्येक परिवार के प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का समावेश नहीं किया गया था । इस प्रकार स्वरोजगारियों के चयन की सत्यता का प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका ।

3.1.4.3 परियोजना प्रतिवेदन बनानाः- नमूना जांच किए गए 11 जिलों के परियोजना प्रतिवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि यद्यपि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था तथापि आवश्यक ब्यौरे जैसे कि लोगों की संख्या जिन्हें व्यापक रूप में विकास खण्ड में समाविष्ट किया जा सकता था उनकी संख्या, न्यूनतम आवश्यक कौशल धारकों की संख्या, उपलब्ध एवं आवश्यक अतिरिक्त अधोसंरचना, अभिवांछित प्रौद्योगिकी परियोजना की कुल लागत एवं स्वरोजगारी को उपार्जन योग्य निवल आय तथा उत्पादित की जानी वाली सामग्री के लिए बाजार की उपलब्धि आदि परियोजना प्रतिवेदनों में समाविष्ट किए हुए नहीं पाए गए । इस प्रकार प्रतिवेदन अधिक उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए ।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर विकास आयुक्त ने बताया (मई 2002) कि परियोजना प्रतिवेदन दिशानिर्देशों में दिए गए अनुदेशों के अनुसार तैयार किए गए थे । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि संबंधित विवरणों के बिना परियोजना प्रतिवेदन अधिक उपयोगी नहीं हो सकते हैं ।

हितग्राहियों के चयन में पारदर्शिता का अभाव था ।

3.1.4.4 स्वरोजगारियों की पहिचान- ग्राम सभा द्वारा वर्ष हेतु चयनित एवं अनुमोदित स्वरोजगारियों की सूची को चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इसे जनपद पंचायतों द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित कराया जाना था । तथापि यह नहीं किया गया ।

मुख्य कमजोर क्षेत्र समूहों में क्रियाकलापों का चयन न करना, समूहों के बजाय व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना, तथा परियोजना प्रतिवेदन अपूर्ण तैयार करना थे ।

स्वरोजगारियों की पहिचान करना पारदर्शी नहीं था अतः योजना प्रक्रिया वांछित स्तर तक स्वरोजगारियों की आय बढाने के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी ।

3.1.5 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

3.1.5.1 वित्तीय सहायता की पद्धतिः- योजना पर व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में वहन करती हैं । केन्द्र सरकार वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सीधे जिला पंचायतों को दो किस्तों में निधियां विमोचित करती हैं । जिला पंचायत का शासी निकाय विकास खण्डों को निधियों का अन्तरण निश्चित करता है । राज्य का अंश भी जिला पंचायतों को विमोचित किया जाता है । आर्थिक सहायता का उपयोग आर्थिक सहायता (59 प्रतिशत) आधारभूत संरचना (20 प्रतिशत), प्रशिक्षण (10 प्रतिशत), परिक्राम्य निधि (10 प्रतिशत) तथा जोखिम निधि (1 प्रतिशत) पर किया जाता है । स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता का स्वरूप परियोजना लागत की 30 प्रतिशत आर्थिक सहायता (अंत में वापसी योग्य) के रूप में है जो अधिकतम 7500 रुपए हो सकती है तथापि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक सहायता 50 प्रतिशत की है जो 10,000 रुपए से अनधिक है । स्वरोजगारियों (स्व सहायता समूहों) के समूहों के लिए भी आर्थिक सहायता परियोजना लागत की 50 प्रतिशत हो सकती है जिस पर 1.25 लाख रुपए की अधिकतम सीमा की शर्त जुडी है । परियोजना की शेष लागत बैंकों से ऋण सहायता के रूप में पूरी की जानी थी जिसका प्रबंध जिला पंचायतों को करना था ।

केन्द्रीय/राज्य अंशों का कम विमोचन-58.50 करोड़ रुपए ।

3.1.5.2 आवंटन एवं व्ययः- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विमोचित आर्थिक सहायता तथा किए गए व्यय के विवरण निम्नानुसार हैंः-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल आवंटन	प्रारंभिक शेष	विमोचित आर्थिक सहायता			अन्य प्राप्तियां	किया गया व्यय	अंत शेष	कुल आवंटन की तुलना में आर्थिक सहायता मे कमी		विमोचित आर्थिक सहायता की तुलना में व्यय की कमी	
			केन्द्रीय	राज्य	योग				राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1999-2000	137.70	41.82	81.16 79%	29.80 87%	110.96	8.99	99.18	62.59	26.74	19.42	11.78	10.61
2000-01	80.06	62.59	43.24 72%	14.41 72%	57.65	7.18	93.31	34.11	22.41	28.00	--	--
2001-02	46.32	34.11	27.92 80%	9.05 78%	36.97	12.04	75.84	7.28	9.35	20.19	--	--
योग	264.08	41.82	152.32	53.26	205.58	28.21	268.33	7.28	58.50	22.15	--	--

आवंटनों की तुलना में आर्थिक सहायता के विमोचन में कमी भारत सरकार के प्रकरण में 20 से 28 प्रतिशत एवं राज्य अंश के प्रकरण में 13 से 28 प्रतिशत थी ।

विकास आयुक्त ने निधियों के विमोचन में कमी के कारण सूचित नहीं किए । 2000-02 के दौरान आवंटनों के विरुद्ध अधिक व्यय जिला पंचायतों के पास विगत वर्षों के अव्ययित शेष में से पूरा किया गया ।

3.1.5.3 वित्तीय अनियमितताएँ

अन्य उद्देश्यों हेतु 2.44 करोड़ रुपए का दुरुपयोग ।

(i) **निधियों का दुरुपयोगः**-नमूना जांच किए गए 11 जिलों में से 7 जिलों* में 2.44 करोड़ रुपए प्रशासकीय व्यय यथा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, कर्मचारियों को कर्ज एवं अग्रिम, जिला धार के 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों♣ द्वारा स्टाकहोम में विदेश भ्रमण, वाहनों के क्रय, पुस्तकों का क्रय तथा अंकेक्षण शुल्क इत्यादि पर किया गया ।

कार्यपालन अभिकरणों के विरुद्ध 7.50 करोड़ रुपये के बकाया अस्थायी अग्रिम ।

(ii) **अस्थाई अग्रिमों का समायोजन/वसूली न होनाः**-1999-2000 के दौरान जिला पंचायत छिंदवाडा, धार, मण्डला, मन्दसौर, सीहोर एवं शहडोल में विभिन्न कार्यपालन अभिकरणों को अधोसंरचना विकास कार्यों तथा स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कुल मिलाकर 7.95 करोड़ रुपए के 254 अग्रिम भुगतान किए गए । संस्वीकृतियों एवं 229 निर्माण कार्यों में कार्य पूर्ण करने हेतु कोई समय सीमा स्पष्ट नहीं की गई थी । इनके लिए 7.50 करोड़ रुपए के अग्रिम विमोचित किए गए थे । ये अभी भी अपूर्ण थे । इन अग्रिम भुगतानों को अंतिम व्यय मान लिया गया जो गलत है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने उत्तर दिया(फरवरी/मई 2002) कि पूर्णता/उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल ने बताया कि 1.18 करोड़ रुपए के अग्रिमों में से 44 लाख रुपए के पूर्णता प्रमाणपत्र अब प्राप्त कर लिए गए हैं तथा शेष राशि हेतु प्रमाणपत्र मांगे जा रहे हैं ।

* *1999-2000 छिंदवाडा (53.39 लाख रुपए), धार (8.70 लाख रुपए), खरगौन (2.83 लाख रुपए), मुरैना (140.81 लाख रुपए), सीहोर (8.69 लाख रुपए) तथा शहडोल (5.07 लाख रुपए) ।*

2000-01-धार(2.00 लाख रुपए), मण्डला (21.10 लाख रुपए) तथा शहडोल (1.10 लाख रुपए) ।

♣ *जिलाध्यक्ष धार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण धार ।*

3.1.6 भौतिक कार्यनिष्पादन

भौतिक उपलब्धियों एवं वित्तीय व्यय के मध्य बडी मात्रा में असंतुलन जिसके कारण भौतिक उपलब्धियों की सत्यता में संदेह है ।

3.1.6.1 प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को समावृत करने की दृष्टि से 1999-2002 के दौरान विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उसके विरुद्ध प्राप्त की गई उपलब्धियां जैसा कि उन्होंने सूचित किया (मई 2002), निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	(संख्या लाख में)		(करोड़ रुपए में)	
1999-2000	2.20	1.12 (50.91 प्रतिशत)	275.00	66.89 (24.32 प्रतिशत)
2000-01	2.20	0.72 (32.73 प्रतिशत)	275.00	56.84 (20.67 प्रतिशत)
2001-02	2.20	0.64 (29.09 प्रतिशत)	275.00	55.48 (20.17प्रतिशत)
योग	**6.60**	**2.48**	**825.00**	**179.21**

इस प्रकार 1999-2002 के दौरान लक्ष्य निर्धारित 6.60 लाख परिवारों में से केवल 2.48 लाख (37.58 प्रतिशत) परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा सकी, उन्हें मानक राशि की तुलना में दी गई आर्थिक सहायता, 21.72 प्रतिशत होने के कारण और भी कम थी । भौतिक उपलब्धियों एवं किए गए व्यय के मध्य बड़ी मात्रा में असंतुलन यह दर्शाता है कि या तो यथासूचित भौतिक प्रगति विश्वसनीय नहीं थी अथवा हितग्राहियों को पूर्ण परियोजना वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई थी । उपलब्धियों के संदर्भ में वित्तीय लक्ष्य अवास्तविक थे क्योंकि औसत इकाई लागत वित्तीय लक्ष्यों में दिए 12500 रुपए (27500 लाख रुपए ÷ 2.20 लाख) की तुलना में केवल 7226 रुपए (17921 लाख रुपए ÷ 2.48 लाख) संगणित की गई ।

विकास आयुक्त ने लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी का कारण भारत सरकार द्वारा विमोचित निधियों की कमी तथा स्वसहायता समूह के गठन में विलंब का होना बताया । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि विमोचित की गई निधियां तक पूर्णतः उपयोग में नहीं लाई गईं ।

3.1.6.2 महिलाओं एवं विकालांग व्यक्तियों का अपर्याप्त समावेश

महिलाओं एवं विकलांगों का समावेश कम था।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में व्यवस्था थी कि सहायता प्रदत्त स्वरोजगारियों में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति समाविष्ट होने चाहिए । विकास आयुक्त के अनुसार उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या (लाख में)	निम्न से संबंधित स्वरोजगारियों की संख्या एवं प्रतिशत					
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (लाख संख्या में)		महिलाएं		विकलांग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1999-2000	1.12	0.54	48.21	0.29	25.89	0.01	0.89
2000-01	0.72	0.38	52.78	0.19	26.39	0.0	--
2001-02	0.64	0.32	50.00	0.19	29.69	0.0	--

1999-2002 की अवधि के दौरान सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगार महिलाओं का प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित 40 की तुलना में केवल 27 था तथा 1999-2000 के दौरान विकलांगों का प्रतिशत 0.89 रहा जबकि अन्य दो वर्षों के दौरान किसी को भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

ठेकेदार के माध्यम से 2.02 करोड़ रुपए मूल्य के लघु सिंचाई निर्माण कार्य निष्पादित करवाए गए ।

3.1.6.3 ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्यों का निष्पादनः- दिशानिर्देशों में ठेकेदारों के माध्यम से कोई भी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निर्माण करवाए जाने का निषेध है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल ने इसका उल्लंघन करते हुए 2.02 करोड़ रुपए का भुगतान करते हुए ठेकेदार के माध्यम से लघु सिंचाई निर्माण कार्य निष्पादित करवाये जिससे ग्रामीण निर्धन प्रत्यक्ष मजदूरी रोजगार से वंचित रहे ।

3.1.6.4 बैंकों से ऋणों की संस्वीकृति एवं संवितरण में विलम्ब

ऋणों की संस्वीकृति में 2 से 14 माह का विलंब तथा संवितरण में भी विलंब ।

दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को आवेदन पत्रों की प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर ऋण संस्वीकृत करना आवश्यक है । तथापि नमूना जांच किए गए जिलों में से 8 जिलों (ग्वालियर, मुरैना, शहडोल, सीहोर, खरगौन, मन्दसौर, छिंदवाडा तथा धार) एवं खरगौन तथा धार के 2 विकास खण्डों (महेश्वर और नालछा) में यह दृष्टिगत हुआ कि 932 स्वरोजगारियों को 3.43 करोड़ रुपए के ऋण दो से चौदह माह के विलंब से संस्वीकृत किए गए । संवितरण में भी विलंब हुआ यथा 309 स्वरोजगारियों को 1.24 करोड़ रुपए के ऋण एक से 24 माह के विलंब से संवितरित किए गए ।

3.1.6.5 ऋण प्रतिभुगतान की स्थितिः- विकास आयुक्त द्वारा आपूरित जानकारी के अनुसार 1999-2002की अवधि के दौरान 2.48 लाख स्वरोजगारियों को 350.85 करोड़ रुपए के ऋण तथा 179.21 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया ।

विकास आयुक्त के पास बकाया एवं प्राप्त बैंक कर्जों की वसूली की जानकारी उपलब्ध नहीं थी । यह जानकारी जिला पंचायतों के पास उपलब्ध होना बताया गया जिसने प्रत्युत्तर में चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत नहीं किए जाने संबंध में बैंकों पर आक्षेप लगाया ।

50 पंचायतों में पता लगाए गए परिवारों के केवल 27 प्रतिशत (2860 में से 769) ही 2000 रुपए की मासिक आय सृजित करने में समर्थ हो सके ।

3.1.6.6 आय सृजन की स्थितिः- विकास आयुक्त के पास गरीबी रेखा पार करने वाले परिवारों के राज्य स्तरीय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । नमूना जांच किए गए विकास खण्डों की 50 पंचायतों द्वारा आपूरित जानकारी के अनुसार कुल 9994 गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में से 2860 परिवारों को 3 वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता दी गई । तथापि केवल 769 परिवार (27 प्रतिशत) प्रतिमाह 2000 रुपए या अधिक की आय सृजित करने का लक्ष्य प्राप्त कर सके ।

3.1.6.7 स्वसहायता समूहों का गठन एवं वित्तीय सहायता

सहायता प्रदत्त 2.48 लाख स्वरोजगारियों में से स्वसहायता समूहों से सम्बद्ध केवल 0.35 लाख (14 प्रतिशत) स्वरोजगारी थे ।

3.1.6.7 (क) समूह गठनः स्वरोजगारी या तो व्यक्ति हो सकते हैं अथवा समूह हो सकते हैं । स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मुख्यतः समूहनिष्ठ दृष्टि अपनाने पर बल दिया गया है । लेखापरीक्षा में देखा गया कि गठित स्वसहायता समूहों के अंतर्गत समावृत हितग्राहियों का प्रतिशत वैयक्तिक स्वरोजगारियों का केवल 14 था जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	सहायता प्रदत्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या	स्वसहायता समूहों में सहायता प्रदत्त स्वरोजगारी (प्रति स्व सहायता समूह 10 व्यक्ति मानते हुए)	स्वसहायता समूहों के माध्यम से सहायता प्रदत्त स्वरोजगारियों का प्रतिशत
1999-2000	112118	4210	3.8
2000-2001	71823	10600	14.8
2001-2002	63910	19950	31.2
योग	**2,47,851**	**34,760**	**14.0**

लेखापरीक्षा में इस संबंध में इंगित किए जाने पर विकास आयुक्त ने बताया(मई 2002) कि गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के स्वसहायता समूहों में संगठन एवं विकास की प्रक्रिया उनका स्तरांकन तथा प्रक्रम विभागों द्वारा प्रशिक्षण इत्यादि में दो वर्ष लगे तथा इसके परिणामस्वरूप कम वर्गों का वित्तपोषण किया जा सका ।

गठित 121643 स्वसहायता समूहों में से केवल 4802 आर्थिक सहायता की अर्हता प्राप्त कर सके ।

3.1.6.7 (ख) परिक्राम्य निधिः परिक्राम्य निधि उन स्वसहायता समूहों को भुगतान किए जाने योग्य थी जो कम से कम 6 माह तक अस्तित्व में बने हुए हों तथा विकास के द्वितीय स्तर में प्रवेश में सक्षम होते हुए जीवन समूह की क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं । परिक्राम्य निधि का उद्देश्य समूह की आर्थिक स्थिति मजबूत करना था, ताकि यह ऐसी आर्थिक गतिविधि संचालित करने में सक्षम हो सके जिसमें कर्ज और आर्थिक सहायता के माध्यम से और सहायता के रूप में उच्चतर स्तर पर निवेश सन्निहित हो । विकास आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार (मई 2002) गठित समूहों की कुल संख्या, उनके द्वारा पार किए गए स्तर, परिक्राम्य निधि एवं भुगतान की गई सहायता राशि इत्यादि की स्थिति निम्नानुसार हैः-

वर्ष	गठित स्वसहायता समूहों की संख्या	समूह एक पार करने वाले	निम्न को भुगतान की गई परिक्राम्य निधि	समूह दो पार करने वाले	स्वसहायता समूह को भुगतान की गई आर्थिक सहायता
1999-2000	11368	1969	1812	910	421
2000-01	23120	5927	5693	1642	1060
2001-2002	87155	9726	6721	2250	1995
योग	**121643**	**17622**	**14226**	**4802**	**3476**

इस प्रकार गठित कुल 121643 समूहों में से केवल 17622 (14 प्रतिशत) एवं 4802 (4 प्रतिशत) समूह एक एवं समूह दो को पार कर सके तथा उच्च स्तरों पर आर्थिक क्रियाकलाप करने हेतु ऋण एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने में केवल 3476 समूह सक्षम थे । इस प्रकार यद्यपि परिक्राम्य निधि के रूप में संवितरण हेतु 10 प्रतिशत आवंटन (26.41 करोड़ रुपए) उपलब्ध था तथापि इसके पूर्ण लाभ प्राप्त करने में सक्षम होने वाले कम समूह होने के कारण केवल 14.23 करोड रुपए (54 प्रतिशत) का उपयोग किया जा सका ।

3.1.6.8 अपात्र स्वसहायता समूहों को आर्थिक सहायता का भुगतान

जिला पंचायत शहडोल, मुरैना, भोपाल, मंदसौर, और खरगौन ने निर्धारित दस व्यक्तियों से कम वाले 26 स्वसहायता समूहों को आर्थिक सहायता का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप 27.88 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का अनियमित भुगतान हुआ । विकास अयुक्त ने उक्त कथन को स्वीकार किया (मई 2002)।

3.1.6.9 अधोसंरचना का सृजन

अधोसंरचना विकास पर व्यय निर्धारित अधिकतम सीमा से 5.89 करोड़ रुपए अधिक हुआ ।

3.1.6.9(क) कार्यक्रम अधोसंरचना निधि के सृजन एवं उससे किए गए व्यय में अनियमितताएं- अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास राज्य सरकार का आवश्यक रूप में उत्तरदायित्व था । तथापि जैसा कि प्रत्येक क्रियाकलाप के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि अधोसंरचना में लघु महत्वपूर्ण अन्तरालों को पूर्ण करने की दृष्टि से जो कि कार्यक्रम क्रियान्वयन को और भी प्रभावकारी बना सकता था, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ने वर्ष में प्रत्येक जिले के लिए आवंटन के 20 प्रतिशत से अनधिक से स्वर्णजयंती ग्राम ''स्वरोजगार योजना अधोसंरचना निधि'' के सृजन की व्यवस्था की । भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 दोनों की राशि को जोड़कर अधोसंरचना पर व्यय 1999-2000 के आवंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । विकास आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों के अनुसार 16 जिलों में व्यय, निर्धारित अधिकतम सीमा से 5.89 करोड़ रुपए अधिक हो गया जिसका विवरण **परिशिष्ट-XX** में दिया गया है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया कि अधिक व्यय 1999-2000 के लिए आवंटन के बजाय वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध निधियों के निर्धारित 20/40 प्रतिशत को लागू किए जाने से एवं कुछ अन्य गणना संबंधी त्रुटियों के कारण हुआ ।

6.02 करोड़ रुपए की अधोसंरचना निधि का प्रशासकीय एवं अन्य प्रयोजनों पर अनियमित व्यय ।

3.1.6.9(ख) अधोसंरचना निधि का प्रशासकीय एवं अन्य अग्राहय मदों पर व्ययः- नमूना जांच किए गए 11 जिलों में अधोसंरचना निधि से किए गए व्यय की संवीक्षा में प्रकट हुआ (मई 2002) कि प्रशासकीय व्यय (2.26 करोड़ रुपए), सामान्य प्रकृति की परिसम्पत्तियों का सृजन यथा तालाबों का निर्माण (2.18 करोड़ रुपए), पशुओं के लिए उपकरण एवं औषधियों का क्रय (1.04 करोड़ रुपए) तथा रोपणियों के संधारण (0.54 करोड़ रुपए) पर 6.02 करोड़ रुपए व्यपवर्तित किए गए । यह न तो केवल स्वरोजगारियों के लाभार्थ थे और न ही परियोजना प्रतिवेदनों में इनकी पहिचान की गई थी । व्यय की ये मदें अन्य योजनाओं से संबंधित हैं अतः उन्हीं में व्यय दर्शाया जाना चाहिए था ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया (मई 2002) कि जिला स्तर की समन्वय समितियों की अनुशंसाओं पर व्यय किया गया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुरैना ने यह भी बताया (जनवरी 2002) कि दो अभिकरणों से वसूली पहले ही कर ली गई है (राशि स्पष्ट नहीं की गई) तथा अन्य से भी वसूली की जावेगी ।

3.1.6.10 प्रशिक्षण

उद्यम सफल रूप में चलाने हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति को प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल के संदर्भ में न्यूनतम कौशल की आवश्यकता का आकलन करना था तथा इसे परियोजना रूपरेखा में अभिलेखित करना था । दो प्रकार के प्रशिक्षण निर्धारित थे तथा जिन्होंने आवश्यक न्यूनतम कौशल आवश्यकता पहले ही पूर्ण कर ली हो उन्हें ऋण संस्वीकृत होने के उपरांत परंतु इसके संवितरण के पूर्व, आधारभूत अभिमुखी प्रशिक्षण दिया जाना था जो 2 दिवस से अधिक की अवधि का नहीं था । कौशल विकास बढ़ाने हेतु सरकारी संस्थाओं यथा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पोलिटेक्निक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा निजी संगठनों इत्यादि ने प्रशिक्षण आयोजित किया । इस उद्देश्य हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आवंटन राशियों की 10 प्रतिशत तक एक पृथक लेखाशीर्ष के अंतर्गत, प्रशिक्षण निधि सृजित की जानी थी । निधियों की उपलब्धता के बावजूद स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया ।

3.1.6.10 (क) प्रशिक्षण के बिना स्वरोजगारियों को ऋण एवं आर्थिक सहायता का भुगतानः- नमूना जांच किए गए 11 जिलों में 49760 स्वरोजगारियों को बिना कोई कौशल विकास प्रशिक्षण दिए 47.92 करोड़ रुपए राशि की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया । जिलावार एवं वर्षवार विवरण **परिशिष्ट- XXI** में दिए गए हैं ।

न्यूनतम कौशल आवश्यकता प्रशिक्षण के अभाव में किया गया भुगतान न केवल अनधिकृत था बल्कि इसका उपयोग भी संदिग्ध था ।

जिला पंचायत छिंदवाडा, मण्डला और सीहोर में यह भी देखा गया(मई 2002) कि 3860 स्वरोजगारी जिन्हें वर्ष 1999-2000 के दौरान 3.50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी, उनमें से केवल जिला छिंदवाडा में ही सहायता राशि के संवितरण के पूर्व 714 स्वरोजगारियों को आधारभूत दिशानिर्देश प्रशिक्षण दिया गया । अतः बिना अभिमुखी प्रशिक्षण के 3146 स्वरोजगारियों को दिए गए 2.66 करोड़ रुपए राशि की आर्थिक सहायता के भुगतान से स्वरोजगारियों को परिकल्पित अधिकतम लाभ प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिल सकेगी । विभाग ने यह भी जांच नहीं की कि अप्रशिक्षित स्वरोजगारी विभाग की संपत्तियों का उपयोग कैसे कर रहे थे तथा क्या वे परियोजना प्रतिवेदनों में परिकल्पित आय सृजित करने में सक्षम थे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया(मार्च -मई 2002) कि अभिज्ञापित स्वरोजगारियों को पहले से ही अभिज्ञापित क्रियाकलापों का ज्ञान था अतः इन्हें आगे और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी । परंतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा ने बताया कि स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण दिया गया था परंतु त्रुटिवश उनकी संख्या प्रगति प्रतिवेदन में अंकित नहीं की गई थी ।

3.1.6.10 (ख) प्रशिक्षण पर निष्फल व्ययः- जिला पंचायत छिंदवाड़ा, खरगौन, मण्डला, शहडोल और सीहोर में 2000-02 के दौरान 60.50 लाख रुपए के व्यय पर प्रशिक्षित 22,335 स्वरोजगारियों में से 10932 स्वरोजगारियों को अर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई । इस प्रकार वित्तीय सहायता नहीं दिए गए 11403 स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण पर किया गया 25.41 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी शहडोल एवं सीहोर ने उत्तर दिया कि प्रशिक्षित व्यक्तियों को बाद के वित्तीय वर्ष 2001-02 में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु चयनित स्वरोजगारियों को ही प्रशिक्षण दिया जाना था ।

3.1.6.11 बाजार सहायता

राज्य सरकार ने स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित की जाने वाली सामग्री के लिए राज्य स्तर पर विपणन सुविधा उपलबध कराने हेतु दिसम्बर 2000 में अनुदेश जारी किए । प्रत्येक जिला पंचायत से अधोसंरचना निधि से 50,000 रुपये संग्रहीत किए जाने थे । इस प्रकार राज्य के 45 जिलों से 22.50 लाख रुपये संग्रहीत करना अपेक्षित था परंतु विकास आयुक्त उपर्युक्त राशि के संग्रहण एवं उपयोग से अनभिज्ञ थे ।

लेखापरीक्षा में आगे यह देखा गया(मई 2002) कि परियोजना दिशानिर्देशों में स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित सामग्रियों के विपणन हेतु विद्यमान एवं परिकल्पित सुविधाओं के विवरण समाविष्ट नहीं थे ।

3.1.7 अन्य ध्यानाकर्षक तथ्य

3.1.7.1 आर्थिक सहायता का अधिक भुगतानः- सिंचाई परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहायता के भुगतानों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि निर्धारित प्रतिशत सीमा ठीक प्रकार से लागू नहीं की गई थी । गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के वैयक्तिक स्वरोजगारियों को परियोजना लागत के केवल 30 प्रतिशत की निर्धारित दर की तुलना में 50 प्रतिशत की दर की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया । जिला शहडोल में अन्य क्रियाकलापों के 10 प्रकरणों में वस्तुतः देय 6000 रुपये की आर्थिक सहायता की तुलना में 7500 रुपए का भुगतान किया गया । नमूना जांच किए गए 8 जिलों में 1999-2002 के दौरान आर्थिक सहायता दरें गलत लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 253 स्वरोजगारियों को 10.47 लाख रुपए (खरगोन -0.09 लाख (7), मंदसौर -0.28 लाख (5), ग्वालियर 1.03 लाख (15), मण्डला-0.62 लाख (11), मुरैना-3.12 लाख (71), भोपाल 0.80 लाख(24), शहडोल 4.32 लाख (110) तथा टीकमगढ 0.21 लाख (10)) का अधिक भुगतान किया गया ।

विकास आयुक्त अधिक भुगतान की गई आर्थिक सहायता की वसूली हेतु सहमत थे (मई 2002) ।

3.1.7.2 सिंचाई परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहायता का अधिक भुगतानः- जिला पंचायत शहडोल, मण्डला तथा छिंदवाडा में सिंचाई परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहायता के भुगतान की संवीक्षा में प्रकट हुआ(अप्रैल-मई 2002) कि केवल ऐसी परियोजना के

एक या दो संघटकों यथा विद्युत/डीजल पंपों या स्प्रिंकलरों अथवा डीजल पंपों एवं पाइप के संस्थापन हेतु आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया था जिसके लिए कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था । भुगतान भी केवल सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण करने हेतु लागू उच्च दरों पर बिना कोई उच्चतम सीमा लागू किए किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1999-2002 के दौरान 245 मामलों में 14.73 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान हुआ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल और मण्डला ने बताया (अप्रैल-मई 2002) कि उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के उपरांत उचित कार्यवाही की जावेगी जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाडा ने बताया (अप्रैल 2002) कि जनपद पंचायतों को आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं ।

3.1.7.3 आर्थिक सहायता का दोगुना भुगतानः- हितग्राहियों द्वारा ऋणों के प्रतिभुगतान के समय आर्थिक सहायता की अंत में वापसी समायोजन तक इसे आरक्षित निधि में रखे जाने हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर बैंकों को आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाना था ।

जिला पंचायत छिंदवाडा और ग्वालियर में बैकों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों एवं बैंक अभिलेखों के संदर्भ में आर्थिक सहायता के भुगतान की संवीक्षा में प्रकट हुआ(अप्रैल 2002) की 10 प्रकरणों में उन्हीं ऋणों के विरुद्ध बैंकों को दो बार कुल 1.80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी छिंदवाडा ने बताया (अप्रैल 2002) कि मिलान के उपरांत अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही की जावेगी जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर ने अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का आश्वासन देते हुए गलती स्वीकार की (अप्रैल 2002) ।

3.1.7.4 जोखिम निधि का दुरुपयोगः प्रति स्वरोजगारी 2000 रुपए से अनधिक का उपभोग ऋण उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाने के लिए जोखिम निधि अभीष्ट थी इसके लिए बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान संवितरित कुल ऐसे ऋणों की 10 प्रतिशत राशि तक इन्हें जोखिम निधि आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी थी ।

तथापि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मण्डला एवं छिंदवाडा ने बैंकों द्वारा स्वरोजगारियों को किसी उपभोग ऋण का भुगतान किए बिना इन्हें 1999-2001 के दौरान जोखिम निधि सहायता राशि के रूप में 4.70 लाख रुपए का भुगतान किया । राशि अभी भी बैंकों के पास अप्रयुक्त पड़ी थी ।

3.1.7.5 ऋणों एवं आर्थिक सहायता का अवास्तविक भुगतान

यद्यपि 79.65 लाख रुपए के ऋणों का भुगतान वास्तव में नहीं किया गया था फिर भी उसके विरुद्ध बैंकों को 27.55 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया ।

शहडोल, छिंदवाड़ा और ग्वालियर में यह देखा गया कि 176 स्वरोजगारियों के संबंध में 27.55 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के साथ-साथ समायोजन सहित 79.65 लाख रुपए के ऋण विमोचित किए बताए गए । तथापि जिला/जनपद पंचायतों में अभिलेखों के वास्तविक सत्यापन में यह देखा गया (अप्रैल 2002) कि लेखापरीक्षा किए जाने के दिनांक तक स्वरोजगारियों को राशियां वास्तव में संवितरित ही नहीं की गई थीं यद्यपि बैंकों को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया था ।

संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया कि ऋणों के संवितरण हेतु बैंकों से बारबार अनुरोध किया गया था । संबंधित जनपद पंचायतों को भी अधिशेष के मिलान हेतु निर्दिष्ट किया गया था ।

3.1.8 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

स्वरोजगारियों को आय सृजन परिसंपत्तियां उपलब्ध कराने के उपरांत स्वरोजगारियों ने गरीबी की रेखा पार करने हेतु पर्याप्त आय सृजति कर ली है यह सुनिश्चित करने हेतु परसम्पत्तियों के प्रबंधन की प्रगति का सतत अनुसरण करना तथा परिवीक्षण करना आवश्यक था ।

3.1.8.1 विकास पत्रिका का संधारण न करना: विकास खण्ड स्तर पर बेहतर अनुसरण कार्यवाही हेतु दो प्रतियों में विकास पत्रिका का संधारण करना आवश्यक था । विकास पत्रिका तैयार करने एवं उसके संधारण की जानकारी विकास आयुक्त अथवा कार्यान्वयन अभिकरणों मे से किसी के पास उपलब्ध नहीं थी अतः योजना की प्रगति का यथापरिकल्पित परिवीक्षण नहीं किया जा सका ।

विकास पत्रिका तैयार नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए ।

3.1.8.2 समन्वय समितियों की बैठकें

(i) राज्य स्तरीय समन्वय समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की तिमाही बैठक होनी थी । 1999-2002 के दौरान 3 वर्ष की अवधि में 12 बैठकें किए जाने की तुलना में समिति ने केवल 4 बार बैठकें कीं(2001-02 में दो बार तथा 2000-01 और 1999-2000 में प्रत्येक में एक बार) ।

(ii) जिला/विकास खण्ड स्तरीय समन्वय समितियां: जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा विकास खण्ड स्तरीय समन्वय समिति को माह में एक बार बैठक करनी थी । नमूना जांच किए गए 25 में से 20 विकास खण्डों में 1999-2002 के दौरान विकासखण्ड स्तरीय बैठकों की संख्या वस्तुतः परिकल्पित संख्या की तुलना में 38 से 50 प्रतिशत के मध्य रही । जिला स्तरीय समन्वय समिति की वास्तव में हुई बैठकों से संबंधित जानकारी/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए ।

3.1.8.3 परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन: स्वरोजगारियों को उपलब्ध कराई गई परिसंपत्तियों का वे सतत संधारण कर रहे हैं यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसी

परिसंपत्तियों का प्रत्येक वर्ष के अंत में एक अभियान के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए । तथापि नमूना जांच किए गए जिलों में खरगौन को छोड़कर किसी में भी यह नहीं किया गया ।

विकास आयुक्त के पास भौतिक सत्यापन के बारे में उनके स्तर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी ।

3.1.8.4 अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरेः योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु राज्य एवं जिला मुख्यालयों पर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों को क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि कार्यक्रम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संतोषजनक रूप में किया जा रहा था । इस उद्देश्य हेतु जिला दण्डाधिकारी/अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना संचालक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी एवं परियोजना अर्थशास्त्रज्ञ अनुविभागीय दण्डाधिकारी विकास खण्ड अधिकारी तथा योजना के सहायक जिला अधिकारियों को प्रतिमाह 10-40 निरीक्षण करना आवश्यक था ।

नमूना जांच हेतु चयनित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जिला पंचायत/जनपद पंचायतों ने क्षेत्रीय दौरे किए जाने का दावा किया परंतु उनके प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए । राज्य स्तर पर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले क्षेत्रीय दौरों के संबंध में विकास आयुक्त ने बताया कि एक या दो आकस्मिक निरीक्षण किए गए । नमूना जांच किए गए जिलों के किसी भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन यदि कोई हो तो प्रस्तुत नहीं किए ।

3.1.8.5 मूल्यांकनः 1999-2002 के दौरान किसी भी समय योजना का मूल्यांकन करवाए जाने हेतु कोई कार्यवाही की हुई नहीं पाई गई । अतः योजना के परिचालन के परिणाम तथा इसके उद्देश्यों की प्राप्ति ज्ञात नहीं हो सकी ।

मामला सरकार की ओर अक्टूबर 2002 में भेजा गया । उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2003)

शालेय शिक्षा विभाग

3.2. माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

मुख्यांश

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रवर्तित योजना वैयक्तिक रूप में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि करने, कुशल जनशक्ति की मांग एवं पूर्ति में विसंगतियुक्त मेल को कम करने तथा उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु विकल्प उपलब्ध कराने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वैविध्यपूर्ण शिक्षा के अवसर उपलबध कराने हेतु 1987-88 में आरंभ की गई थी परंतु खराब कार्यान्वयन के कारण योजना राज्य में कोई अधिक प्रभाव डालने में समर्थ नहीं थी । आयुक्त लोक शिक्षण, 1997-2002 के दौरान कार्यान्वयन का परिवीक्षण करने एवं 89.61 करोड़ रुपए के भारत सरकार का अंश विमोचित करवाने हेतु प्रस्ताव भेजने में विफल रहे । राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, समय से पाठ्यक्रम विकसित करने में विफल रहा जैसा कि अक्टूबर 2002 तक 26 में से केवल 5 पाठ्यक्रम ही विकसित किए गए । इसी प्रकार सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रत्येक के लिए 156 पाठ्यपुस्तकों में से केवल 93 (सैद्धांतिक) एवं 63 (प्रायोगिक) पुस्तकें तैयार की जा सकीं । जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण नहीं किए गए तथा जागरूकता कार्यक्रम संयोजित नहीं किए गए । व्यावसायिक अध्यापकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण भी उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा अप्रशिक्षित अध्यापक पाठ्यक्रम चला रहे थे ।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद 68 विद्यालयों में 174 व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ नहीं किए गए थे ।

(कंडिका 3.2.5.1(ख))

754 अध्यापकों की आवश्यकता के विरुद्ध अध्यापकों के केवल 445 पद संस्वीकृत किए गए जिसके कारण 309 पाठ्यक्रम बिना किसी अध्यापक के चलाए जा रहे थे ।

(कंडिका 3.2.6.1(ग))

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में 36 पदों के विरुद्ध 16 पद सृजित किए गए तथा केवल दो पद सक्रिय थे । राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का अक्टूबर 2002 में 26 में से 5 पाठ्यक्रम विकसित करने का दावा था तथा यह निदेशन सामग्री विकसित करने में विफल रहा ।

(कंडिका 3.2.8 तथा 3.2 8(i))

जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण नहीं किए गए और न जागरूकता कार्यक्रम ही संयोजित किए गए परिणामस्वरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की भर्ती कम रही जो प्रति पाठ्यक्रम न्यूनतम 20 से 25 विद्यार्थियों की तुलना में औसत 7 विद्यार्थी थी। अध्यापकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था ।

(कंडिका 3.2.8(iii), (iv), (v) एवं 3.2.9.1 (ख))

लोक निर्माण विभाग को कर्मशालाओं के निर्माण हेतु उपलब्ध कराए गए 2.50 करोड़ रुपए अवरुद्ध रहे । इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने अनावश्यक 46 कर्मशाला सायबानों के निर्माण पर 30.75 लाख रुपए का निष्फल व्यय किया ।

(कंडिका 3.2.9.3(क))

3.2.1 प्रस्तावना

योजना आयोग द्वारा सातवीं योजना के लिए माध्यमिक शिक्षा पर गठित कार्यदल ने शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम के संवर्द्धन की आवश्यकता पर बल दिया था । तदनुसार 1987-88 में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई । व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा सर्वेक्षण के उपरांत निर्धारित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप चयनित सामान्य शिक्षा संस्थाओं में प्रत्येक विद्यालय में आरंभ 3 से 4 पाठ्यक्रमों पर 1 से 3 वर्ष की लचीली अवधि के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर के आगे उपलब्ध कराए जाने थे ।

3.2.2 उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य थे (1) विद्यार्थियों को वैविध्यपूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना ताकि वैयक्तिक रूप में रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके । (2) कुशल जनशक्ति की मांग एवं पूर्ति में विसंगतिपूर्ण मेल को कम करना तथा (3) उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु विकल्प उपलब्ध कराना ।

3.2.3 संगठनात्मक संरचना

पाठ्यक्रम के विकास एवं शिक्षक प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर योजना का परिवीक्षण राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद करता है । शालेय शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयुक्त लोक शिक्षण योजना के पूर्ण प्रभारी हैं जिनके अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी तथा इकाई स्तर पर 10+2 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य होते हैं ।

3.2.4 लेखापरीक्षा समावेशन

योजना के अभिलेखों की नवम्बर 2001 से मई 2002 की अवधि के दौरान आयुक्त लोक शिक्षण, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं

राज्य में समग्र रूप में 281 विद्यालयों में से 11 जिलों* के 97 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (10+2) के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच की गई ।

नमूना जांच के परिणामों का आगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है ।

3.2.5 वित्त व्यवस्था

3.2.5.1 वित्तीय व्यवस्था

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें प्रशिक्षु प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं परिवीक्षण, जिला व्यावसायीकरण सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम विकास, निदेशन सामग्री एवं पाठ्यपुस्तक विकास कार्यशाला स्रोत व्यक्तियों एवं अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रयोगशाला कार्यशाला भवन तथा उपकरणों आदि पर व्यय के लिए भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता प्राप्त है । संचालनालय जिला एवं राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्तर पर व्यावसायीकरण शाखाओं, कच्चा माल, आकस्मिकता व्यय, विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण पर पचास (50) प्रतिशत व्यय तथा व्यावसायिक विद्यालय के कर्मचारियों पर 25 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार को वहन करना था । व्यावसायिक मार्गदर्शन परीक्षा तथा प्रमाणीकरण पर होने वाला संपूर्ण व्यय राज्य सरकार को वहन करना था ।

बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		वस्तुतः प्राप्त केन्द्रीय सहायता	बचत (-) आधिक्य (+)
	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश		
1997-98	10.80	16.18	5.82	20.13	--	(-)1.03
1998-99	10.76	17.28	9.37	26.24	--	(+)7.57
1999-2000	18.11	19.76	10.38	27.52	--	(+)0.03
2000-01	25.46	20.24	14.30	26.66	4.60	(+)4.74
2001-02	24.48	14.27	12.56	29.09	--	(+)2.90
योग	**89.61**	**87.73**	**52.43**	**129.64**	**4.60**	**(+)4.73**

(क) केन्द्रीय सहायता विमोचित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जानाः- योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता विमोचित करने हेतु प्रत्येक वर्ष के दौरान आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना आवश्यक था ।

राज्य सरकार पर 47.83 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार ।

आयुक्त लोक शिक्षण के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि यद्यपि बजट प्रावधानों में केन्द्रीय अंश के रूप में 89.61 करोड़ रुपए दर्शाए गए थे तथापि भारत सरकार की ओर प्रस्ताव नहीं भेजे गए । केवल नए पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु केन्द्रीय अंशदान प्राप्त हुए (2000-01 में 4.60 करोड़ रुपए) केन्द्रीय अंश विमोचित किए जाने हेतु भारत सरकार को परियोजना प्रतिवेदन भेजे जाने में आयुक्त लोक शिक्षण की ओर से हुई उपेक्षा के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष पर 47.83 करोड़ रुपए (52.43

* *बेतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, गुना, इंदौर, जबलपुर, मन्दसौर, रीवा, सागर, सतना तथा उज्जैन*

करोड़ रुपए - 4.60 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ गया । इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बड़ी मात्रा में हानि उठानी पड़ी क्योंकि किया गया व्यय मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर था ।

4.60 करोड़ रुपए सिविल निक्षेप में अप्रयुक्त रखे गए ।

(ख) अनुदानों का उपयोग न करना:- भारत सरकार ने 68 विद्यालयों में 174 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु 4.60 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत की (जुलाई 2000) । आयुक्त लोक शिक्षण ने राशि का आहरण किया तथा इसे सिविल जमा में रखा । आयुक्त लोक शिक्षण ने बताया कि सिविल जमा से निधियों के आहरणों हेतु राज्य सरकार से संस्वीकृति प्राप्त न होने के कारण नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ नहीं किए जा सके । स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपनी अर्थोपाय पेशगियों की स्थिति के सुधार में केन्द्रीय सहायता का उपयोग कर रही थी ।

योजना निधियों से 62.41 लाख रुपए का अनियमित व्यपवर्तन ।

(ग) निधियों का व्यपवर्तन:- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार शाला स्तर पर व्याख्याताओं के पद (प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक पद) उपलब्ध कराए जाने थे । आयुक्त लोक शिक्षण ने नवम्बर 1995 में अनुदेश जारी किए कि सामान्य शिक्षा हेतु व्याख्याताओं के वेतन एवं भत्तों का व्यावसायिक शिक्षा हेतु व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध आहरण नहीं किया जाना चाहिए ।

आठ जिलों* के 16 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि योजना से असम्बद्ध 23 व्याख्याताओं के वेतन एवं भत्ते योजना निधियों से आहरित किए गए एवं उनका भुगतान किया गया । इसके परिमामस्वरूप 62.41 लाख रुपए की निधियों का अनियमित व्यपवर्तन हुआ । यह संस्वीकृत 4 पदों के विरुद्ध 8 व्याख्याताओं के आहरित 15.75 लाख रुपए राशि के वेतन एवं भत्तों के तथा संबंधित विद्यालयों हेतु संस्वीकृत तक न किए गए पाठ्यक्रमों के विरुद्ध 6 व्याख्याताओं के आहरण सहित राशि थी परिणामतः एक ओर जहां 16.18 लाख रुपए का अनियमित व्यय हुआ वहीं दूसरी ओर संस्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की सुविधा से विद्यार्थियों को वंचित करना भी हुआ ।

3.2.6 कार्यक्रम निष्पादन

3.2.6.1 भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां- योजना के दिशानिर्देशानुसार 281 विद्यालयों में आरंभ किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश (प्रति विद्यालय न्यूनतम 3 पाठ्यक्रमों एवं प्रति पाठ्यक्रम 20 विद्यार्थियों पर) वास्तव में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या, आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या तथा उसके विरुद्ध कमी निम्नानुसार थी:-

विवरण	लक्ष्य (दिशानिर्देशानुसार)	उपलब्धियां	कमी	कमी का प्रतिशत
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का आरंभ किया जाना	843 (281x3)	754	89	11
विद्यार्थियों का प्रवेश	75400 (754x20x5)	61072	14328	19

* *बेतूल(1), छिंदवाड़ा(1), गुना(2), जबलपुर(2), रीवा(4), सागर(3), सतना(2) तथा उज्जैन(1)*

इस प्रकार पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने में 11 प्रतिशत की कमी के अतिरिक्त वास्तव में आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश में 19 प्रतिशत की अतिरिक्त कमी थी ।

(क) आयुक्त लोक शिक्षण को प्रवेश हेतु उपलब्ध संभावित विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संस्थाओं का चयन करना था । शाखा संस्थाओं की सही पहचान करने में विफल रही । परिणामतः 28 संस्थाओं के लिए संस्वीकृत 33 व्यावसायिक पाठ्यक्रम बाद में (जुलाई 1998) अन्य संस्थाओं को अंतरित किए गए इस कारण योजना के अंतर्गत परिकल्पित लाभ प्राप्त करने में विलंब हुआ ।

सेवा के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई ।

(ख) सेवा के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई न प्रशिक्षण का कोई केलेण्डर पाठ्यक्रम की अवधि अथवा पाठ्यचर्या आदि निश्चित किए गए । परिणामतः समस्त 445 सेवारत शिक्षक अप्रशिक्षित रहे ।

(ग) 281 विद्यालयों में 754 पाठ्यक्रमों के विरुद्ध 754 अध्यापक नियुक्त किए जाने थे । परंतु नियमित आधार पर केवल 445 अध्यापक नियुक्त किए गए तथा कम से कम 309 पाठ्यक्रम (754-445) अंशकालिक/संविदा आधार पर अध्यापकों की सहायता से चलाए जा रहे थे ।

व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विद्यार्थियों के नियोजन का समन्वय नहीं किया गया ।

(घ) व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने तथा विद्यार्थियों के नियोजन का समन्वय करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

3.2.6.2 11 नमूना जांच किए गए जिलों में पूर्ण कालिक अध्यापकों के संस्वीकृत 283 पदों के विरुद्ध 169 अध्यापक विद्यमान थे । इसी प्रकार संस्वीकृत 163 अंशकालिक अध्यापकों के विरुद्ध केवल 26 अध्यापक काम पर लगाए गए तथा सरकारी बजट के बजाय शाला विकास निधि (गैर सरकारी) से इनके वेतन का भुगतान किया गया ।

3.2.7 कर्मचारियों को अनियमित रूप में काम पर लगाया जाना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आयुक्त लोक शिक्षण, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिला तथा विद्यालय स्तर पर भिन्न व्यावसायिक शाखाओं हेतु भिन्न कर्मचारी वर्ग पद्धति तथा उनके मुख्य कार्य निर्धारित किए गए थे ।

(1) आयुक्त लोक शिक्षण के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि संस्वीकृत संख्या से अधिक शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप जून 1996 से फरवरी 2003 तक 22.99 लाख रुपए के वेतन एवं भत्तों का अनियमित आहरण हुआ । अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग अभी भी विद्यमान है (फरवरी 2003) ।

पद का नाम	संस्वीकृत संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	आधिक्य
सहायक	2	4	2
शीघ्रलेखक (संवर्ग घ)	निरंक	1	1
निम्न श्रेणी लिपिक	1	3	2
भृत्य	1	2	1
योग	**4**	**10**	**6**

आयुक्त लोक शिक्षण के कार्यालय में संलग्न 10 व्याख्याताओं के वेतन का भुगतान योजना निधि से किया गया ।

(2) योजना के 10 व्याख्याता आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय में अप्रैल 1997 से सम्बद्ध किए गए थे तथा (फरवरी 2003 तक) 62.42 लाख रुपए के उनके वेतन एवं भत्ते की राशि अनियमित रूप से योजना पर प्रभारित की जा रही थी । ये व्याख्याता कम्प्यूटरों पर कार्य के लिए लगाए बताए गए थे परंतु इससे विद्यालय अनुचित रूप में उनकी सेवाओं से वंचित रहे । कुल मिलाकर आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय में आहरित वेतन एवं भत्ते की राशि फरवरी 2003 तक 85.41 लाख रुपए थी ।

3.2.8 राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि पाठ्यक्रम के विकास, व्यावसायिक सर्वेक्षण, व्यावसायिक कार्यक्रम की जागरूकता, सेवा के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन इत्यादि की उपेक्षा की गई तथा राज्य सरकार ने अभिवांछित 36 में से 20 पद संस्वीकृत नहीं किए और केवल दो कर्मचारी विद्यमान थे ।

पाठ्यक्रम का विकास धीमा था जिससे कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित हुआ ।

(i) पाठ्यक्रमों का विकासः- 26 पाठ्यचर्याओं में से वाणिज्य (7) गृह विज्ञान (5), तकनीकी (6) तथा विविध (3) के चार क्षेत्रों में 21 पाठ्यक्रम 281 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चलाए जा रहे थे । कृषि के लिए 5 पाठ्यचर्याओं का विकास तक नहीं किया गया तथा 42 विद्यालय स्वीकृत पाठ्यचर्याओं के बिना इन विषयों का अध्यापन करा रहे थे । लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बताया (अक्टूबर 2002) कि शेष पाठ्यक्रम विकसित कर लिए गए थे तथा मई 2002 के उपरांत प्रसारित कर दिए गए थे इस प्रकार विद्यार्थी कम से कम पांच शैक्षणिक सत्रों तक स्वीकृत पाठ्यक्रमों से वंचित रहे ।

विकसित पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण तक नहीं करवाया गया ।

(ii) अनुदेश सामग्री के विकास की कमीः- राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों हेतु प्रत्येक के लिए 156 पाठ्यपुस्तकों में से सैद्धांतिक के लिए 93 पाठ्यपुस्तकें एवं प्रायोगिक के लिए 63 पाठ्यपुस्तकें विकसित कीं । तथापि सैद्धांतिक के लिए 93 पाठ्यपुस्तकों में से अब तक (मई 2002) केवल 52 पुस्तकें मुद्रित करवाई गईं ।

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण दिशानिर्देश में दर्शाए गए अनुदेशों हेतु यथा अध्यापकीय दिशानिर्देश, प्रायोगक संहिताएं तथा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के लिए साफ्टवेयर जैसी अन्य अनुदेश सामग्री के विकास हेतु किसी कार्यवाही की पहल नहीं की । शेष पुस्तकों के मुद्रण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

यह भी देखा गया कि (10 जिलों* के) 46 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उनके द्वारा प्राप्त पाठ्यपुस्तकें साइकलोस्टाइल प्रतियों में थीं जो अस्पष्ट थीं वे न तो अध्यापकों को न ही विद्यार्थियों को उपयोगी थीं ।

* *बेतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, गुना, इंदौर, मन्दसौर, रीवा, सागर, सतना तथा उज्जैन ।*

जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण न किए जाने से विद्यार्थियों का कम नामांकन हुआ ।

(iii) जिला व्यावसायिक सर्वेक्षणः- क्षेत्र के लिए जनशक्ति की आवश्यकता उपलब्ध व्यवसायों की सीमा, प्रकट होने वाले व्यवसायों की प्रवृत्ति, आवश्यक सक्षमता का स्तर इत्यादि के आकलन हेतु जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण किए जाने थे तथापि स्टाफ की कमी के कारण राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण कराने के लिए कोई कर्रवाई नहीं की गई ।

जिला व्यावसायिक सर्वेक्षणों के अभाव में नमूना जांच किए गए जिलों के व्यावसायिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन आवश्यक संख्या से (बैतूल एवं सागर को छोड़कर जहां यह 72 एवं 64 प्रतिशत हो गया 19 और 47 प्रतिशत के मध्य था) अत्यधिक कम था । नामंकन की जिलावार स्थिति का विवरण **परिशिष्ट- *XXII*** *में दिया गया है ।*

अभिज्ञान कार्यक्रमों का संयोजन न किया जाना।

(4) अभिज्ञान कार्यक्रमों का संयोजन न होनाः- योजना के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 20 से 25 विद्यार्थियों की संख्या होना चाहिए । तथापि नमूना जांच किए गए 9 जिलों के 70 विद्यालयों में संख्या न्यूनतम की केवल 19 से 47 प्रतिशत के मध्य पाई गई । जिला शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बताया कि जनशक्ति के अभाव में अभिज्ञान कार्यक्रम नहीं किए जा सके । अभिज्ञान कार्यक्रम संयोजित करने में विफलता के कारण विद्यार्थियों का नामांकन कम होना बढ़ा ।

सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण न दिया जाना ।

(v) सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमः- नमूना जांच में प्रकट हुआ कि योजना आरंभ करने से सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया । इस ओर इंगित किए जाने पर राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बताया (मई 2002) कि कर्मचारियों की कमी एवं अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया गया । परिणामतः अप्रशिक्षित अध्यापक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहे थे ।

(vi) व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं नियोजन क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षणः- योजना के मुख्य घटकों में से एक व्यावसायिक मार्गदर्शन अध्यापकों एवं नियोजन क्रियाकलापों हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना था परंतु राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की (मई 2002) ।

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बताया (मई 2002) कि यह आयुक्त लोक शिक्षण से अध्यापकों की सूची एवं अनुदेशों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि कंडिका 3.2.7(2) के अनुसार नियुक्त 10 अध्यापक आयुक्त लोक शिक्षण में काम पर लगाए गए थे ।

(vii) जिला व्यावसायिक शिक्षा समिति

जिला व्यावसायिक शिक्षा समितियां गठित नहीं किए जाने के कारण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण नहीं हुआ ।

जिला व्यावसायिक शिक्षा समितियों में शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानों सहित कर्मचारी संगठनों, व्यावसायिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों एवं अभिभावक अध्यापक संगठनों के समस्त संबंधित जिला स्तर के अधिकारी समाविष्ट किए जाने चाहिए तथा निम्नांकित के लिए भी यह आवश्यक था ।

(क) जिले में स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को सवर्द्धित करना ।

(ख) व्यावसायिक विद्यार्थियों की कार्य प्रशिक्षण शिशिक्षुता तथा बाद में नियोजन करने हेतु सहायता करना ।

(ग)संस्था-उद्योग में संबंध का पर्यवेक्षण करना ।

(घ) विद्यालयों में चलाए जाने वाले व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता एवं सतत सुसंगतता सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा करना ।

आयुक्त लोक शिक्षण तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सरकार ने कोई पद सृजित नहीं किया तथा शाखा निष्क्रिय बनी रही ।

(viii) उपलब्ध स्त्रोतों का उपयोग न किया जानाः- यद्यपि व्यावसायिक शाखा की स्थापना हेतु राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को 2.40 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे तथापि केवल 1.04 करोड़ रुपए (43 प्रतिशत) का उपयोग किया गया । राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने निधियों का उपयोग नहीं किया जाना(1) व्यावसायिक शाखा में कर्मचारियों की नियुक्ति न करने (2) व्याख्याताओं की कमी के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम संयोजित न करने तथा (3) विषय विशेषज्ञों के अभाव में पाठ्यक्रम विकास की प्रगति धीमी रहने के कारण हुआ बताया (दिसंबर 2001) । आयुक्त लोक शिक्षण की निष्क्रियता ने राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए कठिनाई पैदा कर दी ।

3.2.9 व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं

3.2.9.1 संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों का चयन

(क) 11 जिलों में 86 विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का नामांकन वांछित संख्या का केवल 19 से 47 प्रतिशत तक था । नामांकन का कम प्रतिशत दर्शाता है कि विद्यालयों का चयन उचित रूप में नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि विद्यालयों एवं सहयोगी संस्थाओं तथा क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के मध्य सामीप्य के तत्व को ध्यान में नहीं रखा गया । इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का नामांकन सामान्य शिक्षा सहित विद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या के संदर्भ में नगण्य (12 प्रतिशत) था ।

(ख) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक चयनित विद्यालय को चयनित क्षेत्रों में 3 से 4 व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने थे जिससे विद्यार्थियों को उनकी प्रवृत्ति एवं क्षमताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों की रुचि के लचीलेपन के साथ व्यावसायिक शाखा एक जीवनक्षम इकाई बन सके ।

11 जिलों में 86 विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि केवल 3 विद्यालयों में अधिकतम 4 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे जबकि 44 में प्रत्येक में 3 पाठ्यक्रम, 26 विद्यालयों में प्रत्येक में 2 पाठ्यक्रम तथा 13 में प्रत्येक में एक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा था जो प्रतिवर्ष 1491 विद्यार्थियों के औसत कुल प्रवेशों (36 प्रतिशत)

के साथ अर्थात प्रति पाठ्यक्रम न्यूनतम 20 से 25 विद्यार्थियों की तुलना में 7 विद्यार्थी था । यह दर्शाता है कि योजना इसकी अधिकतम सीमा तक नहीं चल रही है ।

नमूना जांच में यह भी प्रकट हुआ कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चयन में भी निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया गया परिणामतः 97 विद्यालयों में 213 में से 101 पाठ्यक्रम (63 विद्यालयों में) निष्क्रिय हो गए ।

3.2.9.2 कर्मचारी व्यवस्था पद्धति

11 जिलों के 97 विद्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच में कर्मचारियों की व्यवस्था की स्थिति निम्नानुसार प्रकट हुईः

श्रेणी	संस्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारी	रिक्त पदों की संख्या
1 उप प्राचार्य	97	64	33
2 पूर्ण कालिक अध्यापक	283	169	114
3 अंशकालिक अध्यापक	163	26*	137
4 प्रयोगशाला सहायक	97	--	97
5 लेखापाल	97	76	21
6 निम्न श्रेणी लिपिक	97	90	7
7 भृत्य	97	82	15

* इन संविदा शिक्षकों के वेतन का भुगतान आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा वहन किए जाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति पर ही शाला विकास निधि से किया जाता है ।

इस प्रकार पूर्णकालिक एवं अंशकालिक अध्यापकों तथा प्रयोगशाला सहायकों के क्रमशः 48 एवं 100 प्रतिशत पद रिक्त पड़े थे । परिणामतः 101 पाठ्यक्रम यद्यपि आरंभ किए गए परंतु 63 विद्यालयों में चलाए नहीं जा रहे हैं ।

3.2.9.3 उपकरण एवं कच्चा माल

2.50 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग के पास अवरुद्ध हो गए इसके साथ ही 30.75 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ ।

(क) कार्य सायबान का निर्माणः- दिशानिर्देशों के अनुसार चयनित विद्यालयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु 0.75 लाख रुपए की निर्माण लागत का एक कार्यसायबान उपलब्ध कराया जाना था ।

यह देखा गया कि 1199 कार्यसायबानों के निर्माण की संस्वीकृति दी गई तथा 1112 कार्यसायबानों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को 8.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया । इनमें से केवल 949 (85 प्रतिशत) कार्यसायबान पूर्ण किए गए (मई 2002) जिनमें से विद्यालयों को केवल 779 सौंपे गए । इसके साथ ही 7 विद्यालयों में 22 कार्यसायबानों* की आवश्यकता की तुलना में 68 कार्यसायबान निर्मित किए गए । न तो राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद न आयुक्त लोक शिक्षण कोई मानने योग्य प्रत्युत्तर दे सके ।

* *भोपाल आवश्यक 4 कार्यसाबानों के विरुद्ध 9 कार्यसायबान, ग्वालियर 3 के विरुद्ध 9, होशंगाबाद 3 के विरुद्ध 9, इंदौर 3 के विरुद्ध 12, सागर 3 के विरुद्ध 9, सिवनी 3 के विरुद्ध 12 तथा उज्जैन 3 के विरुद्ध 8 कार्यसायबान ।*

नमूना जांच किए गए 11 जिलों के 97 विद्यालयों में आवश्यक 272 कार्यसायबानों की तुलना में 1.65 करोड़ रुपए की लागत पर केवल 220 कार्यसायबान निर्मित किए गए । यद्यपि इन जिलों में 101 पाठ्यक्रम चलाए नहीं जा रहे थे ।

इस प्रकार 46 कार्यसायबानों पर 30.75 लाख रुपए के अधिक/निष्फल व्यय के अलावा 2.50 करोड़ रुपए की सरकारी निधियां लोक निर्माण विभाग के पास अवरुद्ध हैं ।

कच्चा माल उपलब्ध कराने में आयुक्त लोक शिक्षण की विफलता ने विद्यार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण से वंचित रखा ।

(ख) कच्चे माल के क्रय हेतु बजट में प्रावधान न होनाः- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार गृह विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु 250 रुपए से सहायक चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष के मध्य कच्चे माल का मानक था । भारत सरकार प्रति पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष अधिकमत 6000 रुपए तक कुल 50 प्रतिशत का व्यय वहन करने हेतु सहमत हो गई । राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उक्त संबंध में की गई व्यवस्थाओं को स्पष्ट करना था ।

यह देखा गया कि आयुक्त लोक शिक्षण ने न तो कच्चे माल के क्रय हेतु विद्यालयों को कोई निधि उपलब्ध कराई न केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव ही प्रस्तुत किया । आयुक्त लोक शिक्षण ने भारत सरकार से केवल निधियों की प्राप्ति न होने की स्थिति के बारे में बताया । उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि निधियों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार तक कार्रवाई नहीं की गई थी । इस प्रकार कम संख्या में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कम संख्या में विद्यार्थी भी कच्चे माल के अभाव में प्रायोगिक प्रशिक्षण के लाभ से वंचित रहे ।

3.2.9.4 स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग न होनाः- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु स्वैच्छिक अभिकरणों/विशेषज्ञ संवर्गो की भूमिका महत्वपूर्ण थी । शिक्षा के व्यावसायीकरण के क्षेत्र में अभिनव कार्यक्रम आरंभ करने योग्य स्वैच्छिक संगठन परियोजना आधार पर वित्तीय सहायता के सुपात्र थे ।

आयुक्त लोक शिक्षण के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि योजना के क्रियान्वयन में कोई भी स्वैच्छिक संगठन/विशेषज्ञ संवर्गों का कोई सहयोग नहीं था। आयुक्त लोक शिक्षण ने इसका कारण निजी संगठनों से आवेदनों का प्राप्त न होना बताया गया(अप्रैल 2002) । तथापि यह योजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करने हेतु कोई कार्यवाही न की जाना दर्शाता है ।

विद्यार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण नहीं किया गया ।

3.2.9.5 मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरणः- व्यावसायिक विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि नमूना जांच किए गए 97 में से 75 विद्यालयों में किसी में भी विद्यार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया एवं न ऐसे मूल्यांकन का कोई अभिलेख संधारित किया गया । व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्राचार्यों ने स्वीकार किया कि मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य नहीं किया गया था। इस चूक के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3.2.10 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

परिवीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया ।

कार्यक्रम क्रियान्वयन का विभिन्न स्तरों पर अर्थात राज्य जिला एवं संस्थान स्तरों पर परिवीक्षण किया जाना था । राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा आयुक्त लोक शिक्षण में पृथक व्यावसायिक शिक्षा शाखा, जिला व्यावसायिक शिक्षा समितियां तथा संस्थान स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शाखाएं इसके लिए उत्तरदाई थे ।

अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा हेतु राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने एक बैठक तक नहीं की । व्यावसायिक शिक्षा शाखा ने भी पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण के संबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया । नमूना जांच किए गए 11 जिलों में से किसी में भी जिला व्यावसायिक शिक्षा समिति गठित नहीं की गईं । नमूना जांच की गई संस्थाओं में किसी ने भी परिवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की ।

3.2.11 उपसंहार

वैयक्तिक रोजगार क्षमता बढाने हेतु कुशल जनशक्ति तैयार करने एवं शैक्षिक अवसरों की विविधता उपलब्ध कराने के योजना के उद्देश्य अप्राप्त रहे तथा योजना के कार्यान्वयन को सर्वत्रोमुखी उदासीनता के कारण हानि उठानी पड़ी ।

उपर्युक्त तथ्य अगस्त 2002 में सरकार की ओर भेजे गए । उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2003)

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

3.3 सफाईकर्मियों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

मुख्यांश

सफाईकर्मियों के मैला ढोने जैसे घृणित व्यवसाय से विमुक्ति दिलाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के उपरांत प्रतिष्ठापूर्ण वैकल्पिक काम-धंधों में लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1991-92 में सफाईकर्मियों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय योजना आरंभ की । योजना का क्रियान्वयन बिना किसी योजना के अव्यवस्थित ढंग से किया गया । प्रशिक्षण जो कि सम्यक पुनर्वास की एक अनिर्वाय एवं पूर्व आवश्यकता थी, नितान्त अनदेखी की गई । नगरीय प्रशासन विभाग तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग दोनों प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय का अभाव था जिसके कारण पुनर्वास उन नगरों में किया जा रहा था जिनमें शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में अभी भी परिवर्तन किया जाना था । निधियों की उपलब्धता के बाद भी सेनेटरी माट्र्स स्थापना की संख्या नगण्य रही । महिला उन्मुखी योजनाओं की रूपरेखा तैयार नहीं की गई और पुनर्वास के उपरांत कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई । तीन नगरों में किए गए सर्वेक्षणों में पाया गया कि अधिकाधिक 85 प्रतिशत तक वैकल्पिक व्यवसाय/स्थापनाएं जिनमें सफाईकर्मियों का पुनर्वास करना बताया गया था, बन्द हो गए थे । इसके साथ ही अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों का दृढ़तापूर्वक बार-बार यह कथन कि सफाईकर्मी पुनर्वास के इच्छुक नहीं थे, सफाईकर्मियों के पुनर्वास के उपलब्धि प्राप्ति के अन्य दावों के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करना प्रतीत होता है ।

अनुसूचित जाति विकास संचालनालय द्वारा 1992-94 अवधि में कराए गए सर्वेक्षण में राज्य में 93394 सफाईकर्मियों की पहचान की गई जिसमें से 1996-97 तक 60308 सफाईकर्मियों किंतु 1997-2002 की अवधि में केवल 19693 (शेष के 60 प्रतिशत) का पुनर्वास किया गया ।

अवास्तविक लक्ष्यों एवं शिथिल क्रियान्वयन के कारण केन्द्रीय आर्थिक सहायता की 17.99 करोड़ रुपये की राशि तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के ऋण की 77.35 लाख रुपये की राशि अप्रयुक्त रही ।

(कंडिका 3.3.4(ग) एवं (घ))

केन्द्रीय सहायता राशि पर अर्जित 1.60 करोड़ रुपये के ब्याज का वेतन एवं भत्तों पर व्यपवर्तन किया गया ।

(कंडिका 3.3.4(ङ.)

सफाईकर्मियों की कुल संख्या तथा प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता हेतु उनकी आवश्यकताओं के संबंध में पांच वर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार नहीं की गई ।

(कंडिका 3.3.5.1)

88 प्रतिशत सफाईकर्मियों को प्रशिक्षण सुविधा उपलबध नहीं कराई गई तथा 16 जिलों में तो प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया ।

(कंडिका 3.3.6.1)

1997-2002 अवधि के दौरान पुनर्वास की गति विशेष रूप से शिथिल रही जबकि इस अवधि में 1992-97 के दौरान 60308 सफाईकर्मियों के पुनर्वास की तुलना में केवल 19693 (अप्रशिक्षित 12996 सहित) सफाईकर्मियों का ही पुनर्वास किया गया ।

(कंडिका 3.3.6.2(क) एवं (ख))

2857 अनभिज्ञापित/अपात्र व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया जिसमें 3.13 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ ।

(कंडिका 3.3.6.2 (ग))

4.58 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता से 30 नगरों में किया गया 3974 सफाई कर्मियों का पुनर्वास संदेहपूर्ण प्रकृति का था क्योंकि इन नगरों में शुष्क शौचालयों की विद्यमानता जारी रही ।

(कंडिका 3.3.6.2 (छ))

हुडको द्वारा दिए जाने वाले 2.05 करोड़ रुपये के ऋण की राज्य सरकार द्वारा गारंटी न दिए जाने के कारण इंदौर में 18420 शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने की योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी ।

(कंडिका 3.3.7 (क))

3 जिलों में किए गए सर्वेक्षण में, योजना के अंतर्गत आरंभ किए गए वैकल्पिक व्यवसायों/प्रतिष्ठानों में से अधिकाधिक 85 प्रतिशत का बन्द होना पाया गया ।

(कंडिका 3.3.6.2(ख))

3.3.1 प्रस्तावना

सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों को हाथ से मैला एवं कचरा ढोने के कार्य से मुक्ति दिलाने और उन्हें पांच वर्ष की अवधि के भीतर वैकल्पिक व्यवसाय उपलब्ध कराने एवं प्रतिष्ठापूर्ण काम धन्धों में लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सफाईकर्मियों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना 1991-92 में एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में आरंभ की । सामूहिक संपर्क द्वारा एक बस्ती में एक साथ समस्त सफाईकर्मियों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास पर बल दिया गया था ।

इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयासों में शहरी कम लागत से सफाई की एक अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजना जोड़ी गई जिसका मुख्य उद्देश्य जलवाहित शौचालयों में परिवर्तन/निर्माण करना था । शुष्क शौचालयों का परिवर्तन, प्रशिक्षण हेतु ट्रायसेम योजना मानदण्ड अपनाया जाना, समूह परियोजनाओं का विनिर्माण, महिला उन्मुखी योजनाओं की प्राथमिकता आदि सुनिश्चित करने हेतु नगर निगमों/स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व का था । मैला उठाने की और सफाईकर्मियों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए जनवरी 2000 में सेनेटरी मार्ट स्थापित करने की अवधारणा लागू की गई ।

3.3.2 *संगठनात्मक संरचना*

राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जिसका अध्यक्ष प्रमुख सचिव होता है, सफाईकर्मियों के पुनर्वास हेतु उत्तरदायी है । इसीप्रकार शुष्क शौचालयों के परिवर्तन हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग उत्तरदायी है । सफाईकर्मियों की और उनके आश्रितों की पहचान और वैकल्पिक रोजगार के प्रति उनके रुझान के सर्वेक्षण कराने का उत्तरदायित्व संचालक, अनुसूचित जाति विकास (संचालक/संचालनालय) पर है । राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित मुख्य क्रियान्वयन अभिकरण है । जिला स्तर पर, जिलाध्यक्ष, अन्त्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के पदेन अध्यक्ष के रूप में योजना के समग्र क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है । स्थानीय निकाय स्तर पर सफाईकर्मियों की पहचान में सहायता करने और योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा हेतु अथवा योजना के क्रियान्वयन में संशोधनपरक कार्रवाई करने हेतु मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से मोहल्ला समितियों का गठन किया जाना था ।

3.3.3 *लेखापरीक्षा क्षेत्र*

राज्य स्तर पर दो प्रशासनिक विभागों से संकलित जानकारी तथा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से और 45 जिलों में से 11* क्रियान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर 1997-02 अवधि को समावृत्त करते हुए नवम्बर 2001 से मई 2002 के दौरान समीक्षा की गई थी । निष्कर्षों का उल्लेख निम्नांकित कंडिकाओं में किया गया है ।

3.3.4 *वित्तीय प्रबन्धन*

सफाईकर्मियों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जानी थी तथापि सफाईकर्मियों के पुनर्वास पर व्यय (सेनेटरी माट्र्स की स्थापना सहित) प्रति हितग्राही परियोजना लागत के 50,000 रुपये तक के आधार पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अंश विभाजित किया जाना था । परियोजना लागत की 50 प्रतिशत की दर से आर्थिक

* *1. भोपाल, 2. छतरपुर, 3. ग्वालियर, 4. इंदौर, 5. जबलपुर, 6. खरगोन, 7. मुरैना, 8. रीवा, 9. सतना, 10. शहडोल, 11.* उज्जैन

सहायता अधिकतम 10,000 रुपये तक केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जानी थी, सीमान्त मौद्रिक ऋण परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7,500 रुपये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्रमशः 49 और 51 के अनुपात में अंशभाजित योग्य थी तथा शेष परियोजना लागत राष्ट्रीकृत बैंकों से वित्तपोषित की जानी थी । सेनेटरी माट्र्स के स्थापन हेतु ऋण अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलबध कराए जाने थे ।

भारत सरकार से जारी सहायता राशि, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियां तथा किए गए व्यय के विवरण निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	विमोचित निधियां		वर्ष के दौरान व्यय	व्यय में अंश		राज्य सरकार का अंशदान कम(-)/ अधिक(+)	केन्द्रीय सहायता का अव्ययित शेष	बचत(-)/ आधिक्य(+)	केन्द्रीय सहायता के अव्ययित शेष पर अर्जित ब्याज (4 प्रतिशत की दर से)
	भारत सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा		भारत सरकार	राज्य सरकार				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रारंभिक शेष	463.13					(-)100.97	463.13	(-) 463.13	--
1997-98	2450.63	--	443.82	418.46	25.36	(-)25.36	2495.30		सिविल जमा/ वैयक्तिक जमा खाते में रखी गई राशि
1998-99	--	150.00	547.91	505.39	42.52	(+)107.48	1989.91	(-) 1608.90	
1999-2000	883.38	--	400.81	362.55	38.26	(-)38.26	2510.74		
2000-01	--	--	364.82	314.12	50.70	(-)50.70	2196.62		87.87
2001-02	--	--	431.38	397.80	33.58	(-)33.58	1798.82	313.63	71.95
योग	**3797.14**	**150.00**	**2188.74**	**1998.32**	**190.42**	**(-)141.39**	**1798.82**	**(-) 1758.40**	**159.82**

निम्नांकित बिंदु प्रकाश में आए

जिला इकाइयों को निधियां वित्त वर्ष के नितांत अंत में जारी की गई

(क) जिला इकाइयों द्वारा निधियों के बारंबार प्रतिकथन के बाद भी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने निधियां विलंब से विमोचित कीं । वर्ष 1997-98 के लिए 10.05 करोड़ रुपये की संपूर्ण सहायता राशि 1998-99 में संस्वीकृत की गई तथा 1998-99 हेतु संस्वीकृत 17.12 करोड़ रुपयों में से 13.08 करोड़ रुपये (76 प्रतिशत) वर्ष के नितान्त अन्त में मार्च 1999 में संस्वीकृत किए गए थे । इसी प्रकार 1999-2000 के दौरान 4.86 करोड़ रुपयों में से 4.34 करोड़ रुपये (89 प्रतिशत) मार्च 2000

तथा अप्रैल-जून 2000 (2000-01) में संस्वीकृत किए गए । निधियों की विलंबित संस्वीकृति एवं संवितरण से योजना का क्रियान्वयन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बताया(दिसम्बर 2001) कि जिला इकाइयों से उपयोग प्रमाणपत्रों की विलम्ब से प्राप्ति के कारण संवितरण में देरी हुई ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किए गए जिलों में यह पाया गया कि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन और उनके विरुद्ध उपलब्धियां तथा उपयोग प्रमाणपत्र भी नियमित एवं समयबद्ध रूप से भेजे गए थे ।

राज्य सरकार ने 1.41 करोड़ रुपये का समनुरूपी अंश कम जारी किया

(ख) 1997-2002 के दौरान सीमान्त मौद्रिक ऋण की कुल राशि 3.73 करोड़ रुपये थी जिसमें से 1.90 करोड़ रुपये (51 प्रतिशत) राज्य सरकार का अंश था । राज्य सरकार के 1.41 करोड़ रुपये के समनुरूपी अंश कम जारी करने के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बताया(जुलाई 2002) कि राज्य सरकार ने 27 मार्च 2002 को 1.50 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए थे किंतु निधियों के आहरण पर प्रतिबंध के कारण राशि आहरित नहीं की जा सकी । यह देखा गया कि राज्य सरकार ने नवम्बर 2002 में 25 लाख रुपये का विमोचन संस्वीकृत किया था किंतु इसे भी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने फरवरी 2003 तक आहरित नहीं किया ।

17.99 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि बिना उपयोग के पड़ी रही

(ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता राशि, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर जारी की थी । अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अन्य वर्षों में केवल 2940 से 5166 सफाईकर्मियों के वास्तविक पुनर्वास की तुलना में वर्ष 1997-98 और 1999-2000 हेतु लक्ष्यों में प्रतिवर्ष 15000 सफाईकर्मियों का पुनर्वास सूचित किया । उक्त अभिवर्धित लक्ष्यों के आधार पर भारत सरकार ने दोनों वर्षों के दौरान 24.51 करोड़ रुपये एवं 8.83 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की । चूंकि वास्तविक उपलब्धियां लक्ष्यों की केवल 29 और 22 प्रतिशत क्रमशः रहीं, 17.99 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता का मार्च 2002 तक उपयोग नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-XXIV** में विवरण दिए गए हैं ,

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने निधियों का उपयोग न होने के निम्न कारण बताए(दिसम्बर 2001) (i) परियोजना लागत का 50,000 रुपये तक सीमित होना, (ii) बैंकों द्वारा परियोजना लागत से कम राशियों के ऋण संस्वीकृत करना (iii) बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत न करना (iv) वैयक्तिक जमा खातों में रखी केन्द्रीय सहायता राशि के आहरण हेतु राज्य सरकार से विलंबित अनुमति तथा (v) सफाईकर्मियों की सेनेटरी मार्ट स्थापना हेतु सहकारी पद्धति में रुचि न होना ।

ऋण निधियों की उपलब्धता के बाद भी 18 सेनेटरी मार्ट्स स्थापित नहीं किए गए

(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली ने 60 सेनेटरी मार्ट्स स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को 1.05 करोड़ रुपये (अगस्त 2000 में 17.50 लाख रुपये व फरवरी 2001 में 87.50 लाख रुपये) का ऋण जारी किया । अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने 42 सेनेटरी मार्ट्स

स्थापित करने के लिए 27.65 लाख रुपये उपयोग किए तथापि 77.35 लाख रुपये अपने पास रखते हुए(मार्च 2002) अन्य 18 सेनेटरी माट्र्स की स्थापना नहीं की ।

1.60 करोड़ रुपये की निधियों का वेतन एवं भत्तों पर दुरुपयोग किया गया

(ड.) योजना निधियों को पृथक रूप से संधारित नहीं किया गया था, इस कारण अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता पर अर्जित ब्याज की वास्तविक राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी । केन्द्रीय सहायता की राशि मार्च 2000 तक सिविल जमाओं में तथा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के वैयक्तिक जमा खाते में जमा रखी गई थी और 2000-01 तथा 2001-02 के अंत में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पास उपयोग न किए गए केन्द्रीय सहायता राशि के क्रमशः 21.97 करोड़ रुपये और 17.99 करोड़ रुपये के शेष थे । यहां तक कि बैंक बचत खाते की 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से भी उक्त राशि पर 1.60 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित हो सकता था । अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बताया (दिसम्बर 2001) कि स्थापना व्ययों की पूर्ति हेतु उसके पास निधियों की कमी के कारण उसने ब्याज उपार्जन का वेतन एवं भत्तों के लिए व्यपवर्तन किया । उक्त व्यपवर्तन के लिए भारत सरकार से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी ।

3.3.5 कार्यक्रम नियोजन

अपेक्षित पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार नहीं की गई

3.3.5.1 सर्वेक्षण एवं अभिज्ञापनः सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों की व्यक्तिगत पहचान करने तथा उन्हें विशिष्ट व्यवसायों/धन्धों में लगाने हेतु 1992-94 के दौरान एक सर्वेक्षण कराया गया था । कुल 93,394 सफाईकर्मियों की पहचान की गई ।

नमूना जांच किए गए 11 में से 9 जिलों में (खरगोन व रीवा को छोड़कर) वैकल्पिक व्यवसाय की उपयुक्तता अभिज्ञापित नहीं की गई तथा दिए गए प्रशिक्षण एवं किए गए पुनर्वास के विवरण विस्तृत शीर्ष पंजी में अभिलिखित होना नहीं पाए गए । इसका परिणाम यह रहा कि योजना के क्रियान्वयन पर यथोचित निगरानी नहीं रखी गई थी । अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने में विफल रहा क्योंकि उसने विस्तृत जानकारी संकलित नहीं की थी ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बताया (दिसम्बर 2001) कि विस्तृत जानकारी का संकलन संभव नहीं था जो योजना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था तथापि जिला इकाइयों ने भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया ।

3.3.6 कार्यक्रम क्रियान्वयन

3.3.6.1 प्रशिक्षण

हितग्राहियों के दक्षता अर्जित करने/उन्नत करने हेतु प्रशिक्षण, एक अनिवार्य एवं पूर्व आवश्यकता थी । पहचान किए गए सभी पात्र हितग्राहियों को ट्रायसेम मानदंडों के आधार पर 1995-96 के अंत तक प्रशिक्षण दिया जाना था । लक्ष्य एवं उपलब्धियों के विवरण **परिशिष्ट-XXIII** में दिए गए हैं ।

प्रशिक्षण देने का उच्च वर्धित लक्ष्य 45721 सफाईकर्मी निर्धारित किया गया था जबकि 1 अप्रैल 1997 को केवल 33086(93394 - 60308) का ही पुनर्वास किया जाना शेष रहा ।

प्रशिक्षण में 74 से 95 प्रतिशत के मध्य कमी रही

परिशिष्ट-XXIII से दृष्टव्य है कि केवल 12 एवं 18 प्रतिशत सफाईकर्मियों को ही क्रमशः राज्य में तथा नमूना जांच किए गए जिलों में प्रशिक्षण दिया गया और कमी इतनी अधिक थी कि राज्य में 74 प्रतिशत (2001-02) से 95 प्रतिशत (1999-2000) तथा नमूना जांच किए गए 11 में से 7 जिलों में 80 से 100 प्रतिशत तक रही ।

प्रशिक्षणार्थियों को औजार किट उपलब्ध नहीं कराए गए

प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट भी उपलब्ध नहीं कराए गए, यद्यपि ट्रायसेम नियमों के अनुसार यह आवश्यक था । आगे यह भी देखा गया कि 16 जिलों* में प्रशिक्षण नहीं दिया गया था ।

16 जिलों में प्रशिक्षण नहीं दिया गया

अस्तु निधियों की उपलब्धता के बावजूद लक्ष्य वर्ष से 6 वर्षों के उपरांत भी प्रशिक्षण कार्यक्रम कहीं भी पूरा होने नहीं आ सका था । इससे क्रियान्वयन अभिकरणों की नितान्त निरुत्साहपूर्ण स्थिति प्रदर्शित हुई ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा जिला इकाइयों ने उत्तर दिया कि सफाईकर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक नहीं थे तथा कुछ व्यवसायों के लिए कोई प्रशिक्षण आवश्यक नहीं था ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सफल पुनर्वास हेतु हितग्राहियों को उनकी पसन्द के व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाना था । उत्तर इस तथ्य के भी विपरीत है कि 1992-97 अवधि के दौरान कुल सफाईकर्मियों के 46 प्रतिशत को ही प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था किंतु 1997-2002 के दौरान प्रतिशत गिरकर नगण्य 6 प्रतिशत तक रह गया ।

3.3.6.2 पुनर्वास

योजना के अंतर्गत सभी सफाईकर्मियों का 1996-97 तक पुनर्वास किया जाना था जिसके लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा पंचवर्षीय योजना तैयार की जानी थी किंतु यह योजना कभी भी तैयार नहीं की गई । उक्त बड़ी विफलता के कारण सूचित नहीं किए गए । 1997-98 से 2001-02 के अन्य पांच वर्षों के अगले कालखण्ड में भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका ।

1996-97 तक पुनर्वासित सफाईकर्मियों तथा 1997-2002 के दौरान लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की तुलनात्मक स्थिति **परिशिष्ट-XXIV** में दी गई है

1997-2002 के दौरान सफाईकर्मियों के पुनर्वास में 39 प्रतिशत कमी रही

(क) **पुनर्वास में कमीः परिशिष्ट-XXIV** से यह दृष्टव्य है कि राज्य में तथा नमूना जांच किए गए जिलों में लक्षित सफाईकर्मियों का क्रमशः केवल 39 एवं 49 प्रतिशत ही पुनर्वास किया गया था और वार्षिक कमी राज्य में 28 प्रतिशत (2001-02) से 78 (1999-2000) प्रतिशत के मध्य तथा नमूना जांच किए गए जिलों में 25 प्रतिशत (जबलपुर) से 87 प्रतिशत (छतरपुर) के मध्य रही । कमी का होना पर्याप्त आयोजना के

* *1. बड़वानी, 2. बैतूल, 3. दमोह, 4. डिंडोरी, 5. हरदा, 6. झाबुआ, 7. कटनी, 8. मंदसौर, 9. मुरैना, 10. नीमच, 11. पन्ना, 12. रायसेन, 13. सतना, 14. सीहोर, 15. शाजापुर एवं 16. विदिशा*

अभाव का द्योतक है क्योंकि योजना के लिए निधियों की कोई कमी नहीं थी । तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रयासों में शिथिलता बरती गई क्यों कि 1992-97 अवधि के दौरान पुनर्वास 60308 व्यक्तियों का था जबकि 1997-2002 के दौरान यह केवल 19693 का रहा । 1997-2002 के दौरान पुनर्वास हेतु निर्धारित लक्ष्य भी वास्तविकता से परे थे । पुनर्वास हेतु 33086 उपलब्ध सफाईकर्मियों की तुलना में निर्धारित लक्ष्य 49906 का था । यदि 50 वर्ष से ऊपर के सफाईकर्मियों को अलग रखा जाय तो पुनर्वास हेतु उपलब्ध वास्तविक संख्या घटकर और भी कम हो जाएगी ।

पुनर्वास में कमी का कारण सफाईकर्मियों का इच्छुक न होना तथा ऋण स्वीकृति में बैंकों का असहयोग होना बताया गया । तथापि सफाईकर्मियों के पुनर्वास हेतु उन्हें इच्छित व्यवसायों के लिए प्रेरित करना तथा बैंकों से ऋण स्वीकृत कराने के लिए अनुवर्तन करना भी क्रियान्वयन अभिकरणों का दायित्व था ।

सर्वेक्षणों में 85 प्रतिशत सफाइकर्मियों का उस व्यवसाय में संलग्न न होना पाया गया जिसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी

(ख) बिना प्रशिक्षण के पुनर्वास तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों का पुनर्वास न होना: योजना में, पुनर्वास कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण एक पूर्वअपेक्षित अनिवार्यता के रूप में अभिहित था । उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए बिना कोई प्रशिक्षण दिए 1997-2002 के दौरान राज्य में 12996 सफाईकर्मियों का पुनर्वास करने का दावा किया गया । सांख्यिकी विभाग मुरैना, महाविद्यालयों के शिक्षाकर्मी एवं विद्यार्थी, शहडोल तथा अन्त्यवसाई सहकारी विकास समिति, खंडवा द्वारा तीन जिलों में किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 608 सफाईकर्मियों में से 515 सफाईकर्मी (85 प्रतिशत) प्रशिक्षण के अभाव में उन व्यवसायों में संलग्न होना नहीं पाए गए जिसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी, इसका विवरण निम्नानुसार है:

जिला एवं सर्वेक्षण का वर्ष	सर्वेक्षणकर्ता इकाई	सर्वेक्षण किए गए पुनर्वासित सफाईकर्मियों की संख्या	व्यवसाय स्थापना के साथ सफाईकर्मियों की संख्या	बंद किए गए व्यवसाय/व्यवसाय से न जुड़े सफाईकर्मियों की संख्या	बंद किए गए/ स्थापित न किए गए व्यवसायों के सफाईकर्मियां की संख्या
मुरैना 1994-95	सांख्यिकी विभाग	20	निरंक	20	100
शहडोल 2000-01	महाविद्यालयों के शिक्षाकर्मी एवं विद्यार्थी	265	55	*210*	79
खंडवा 2000-01	जिला अन्त्यवसायी सहकारी विकास समिति खंडवा	323	38	285	88
	योग	**608**	**93**	**515**	**85**

1.34 करोड़ रुपये के लागत व्यय से प्रशिक्षित 3647 व्यक्तियों का पुनर्वास नहीं किया गया

दूसरी ओर नमूना जांच किए गए जिलों में यह पाया गया कि 3647 प्रशिक्षित व्यक्तियों का पुनर्वास नहीं किया गया था । इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर किया गया 1.34 करोड़ रुपये (औसत लागत प्रति प्रशिक्षणार्थी 3671 रुपये) का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ । राज्य में पुनर्वास किए गए प्रशिक्षित व्यक्तियों से संबंधित स्थिति की जानकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पास उपलब्ध नहीं थी ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का कथन था (दिसम्बर 2001) कि उन व्यवसायों में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी जिनमें सफाईकर्मियों का पुनर्वास किया गया था । यदि यह सही है तो प्रतिव्यक्ति 3671 रुपये के उच्च औसत प्रशिक्षण लागत व्यय के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । दूसरी ओर जिला इकाईयों ने बताया कि सफाईकर्मी पुनर्वास के इच्छुक नहीं थे । यदि यह सही है तो पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन विफल रहा है और लक्षित हितग्राही समूह के अनुमोदन के योग्य नहीं है तथा तत्काल भारत सरकार की निधियां वापस लौटा दी जानी चाहिए ।

2857 अपात्र व्यक्तियों के पुनर्वास पर 3.13 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय

(ग) अपात्र व्यक्तियों का पुनर्वासः नमूना जांच किए गए 6 जिलों में 2726 व्यक्तियों* का जिनके प्रकरण में या तो उनके ऋण आवेदन पत्रों, शपथपत्रों अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों के सत्यापन प्रतिवेदनों में विस्तृत शीर्ष क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया था, सफाईकर्मी के रूप में उनकी पहचान किए बिना पुनर्वास किया गया । इसीप्रकार 4 जिलों में नगर पालिका निगमों/स्थानीय निकायों में नियुक्त 115 व्यक्तियों♣ तथा रीवा में सफाईकार्यो से इतर अन्य कार्य में लगे 16 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया । इसप्रकार 2857 अनभिज्ञापित/अपात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई 3.13 करोड़ रुपये (आर्थिक सहायता 286.50 लाख रुपये तथा सीमान्त मौद्रिक ऋण 26.78 लाख रुपये) की आर्थिक सहायता निष्फल रही ।

जिला इकाइयों का उत्तर था कि हितग्राहियों का पुनर्वास उनके द्वारा प्रस्तुत सफाईकर्मी होने के प्रमाणपत्रों के आधार पर किया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केवल उन्हीं व्यक्तियों को जिनकी सर्वेक्षण के दौरान पहचान की गई थी, योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता पाने की पात्रता थी ।

(घ) महिला उन्मुखी योजनाओं का प्रतिपादन न करनाः योजना में व्यवस्था थी कि महिला मूलक योजनाएं तैयार कर महिला सफाईकर्मियों को प्रथम प्राथमिकता दी जाए तथा सफाई कर्मचारी बस्तियों में भी नियमित जागृति शिविर आयोजित किए जाएं । अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की तथापि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नमूना जांच किए गए एक जिले (भोपाल) में 2000-01 के दौरान ऐसे केवल 2 जागृति शिविर ही आयोजित किए गए थे ।

सामूहिक संपर्क में माहिला हितग्राहियों की नगण्य भूमिका

(ड.) पुनर्वास हेतु सामूहिक संपर्क अभियान की अपर्याप्तताः योजना में, सफाईकर्मियों के मध्य स्वावलम्बन की भावना पैदा करने हेतु समूह परियोजनाओं का विनिर्माण करना अवधारित था । समूह में पुनर्वास करने संबंधी जानकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पास उपलब्ध नहीं थी तथापि नमूना जांच किए गए पांच जिलों (छत्तरपुर, मुरैना, रीवा, सतना व शहडोल) में यह पाया गया कि 1997-2002 अवधि के दौरान सामूहिक/एकमुश्त सम्पर्क में पुनर्वास की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई । शेष छह जिलों में एक ही परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों का समूह बनाकर केवल यातायात (टाटा सूमों, जीप, टेम्पो ट्रैक्स, मिनी ट्रक/बस, मारुति वेन आदि वाहन)

* *छतरपुर-170, ग्वालियर-639, जबलपुर-100, मुरैना-1609, शहडोल-5 व उज्जैन-203*

♣ *छतरपुर 3, रीवा 20, सतना 32 व उज्जैन 60*

व्यवसाय में सामूहिक संपर्क अभियान अपनाया गया । समग्र रूप में 336 पुरुष एवं 303 महिला सदस्यों को जोड़कर 88 समूहों को कुल 63.90 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा 46.22 लाख रुपये के सीमान्त मौद्रिक ऋण उपलब्ध कराए गए ।

पुनर्वास उपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव

(च) वैकल्पिक व्यवसायों की स्थापना और उन्हें जारी रखना सुनिश्चित नहीं किया गया: अनुबन्ध की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार हितग्राहियों को अपना धन्धा/व्यवसाय ऋण/आर्थिक सहायता संवितरण से दो माह के भीतर आरंभ करना था और उसे जारी भी रखना था । ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता राशि ब्याज के साथ वापस लौटाने की बाध्यता थी । जिला स्तर पर क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा सत्यापन एवं निरीक्षण करना आवश्यकता था तथा उनका मार्गदर्शन कर समय-समय पर यह सुनिश्चित करना था कि पुनर्वास किए गए सफाईकर्मियों ने वास्तव में अपने-अपने धंधे व्यवसाय अपना लिए हैं और उन्हें जारी रखे हुए हैं तथा फिर से सफाईकार्य की ओर प्रत्यावर्तित नहीं हुए हैं तथापि राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर क्रियान्वयन अभिकरण इसका परिवीक्षण करने में विफल रहे ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बताया(दिसम्बर 2001) कि समय-समय पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी तथापि जिला इकाइयों(सतना को छोड़कर) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत होते हुए भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया । जिला अन्त्यवसाई सहकारी विकास समिति, सतना ने दावा किया (मई 2002) कि उसने 10 प्रतिशत प्रकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया था, किंतु इसके समर्थन में संबंधित अभिलेख/प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए ।

1.04 लाख शुष्क शौचालयों की विद्यमानता से 3974 सफाईकर्मियों का पुनर्वास संदिग्ध होने के संकेत तथा इससे 4.58 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा

(छ) शुष्क शौचालयों का परिवर्तन किए बिना पुनर्वास: सफाईकर्मियों का पुनर्वास तभी सार्थक होता जब शुष्क शौचालय जिनकी संख्या राज्य में 1.04 लाख थी या तो जलवाही शौचालय में परिवर्तित हो जाते अथवा बंद हो जाते । अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा नमूना जांच की गई जिला इकाइयों ने जिले में शुष्क शौचालयों की कुल संख्या की जानकारी तथा सफाईकर्मियों के पुनर्वास के पूर्व शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालय में परिवर्तित करने की वर्षवार जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और नगरपालिका निगमों/स्थानीय निकायों से एकत्रित नहीं की थी । यह पाया गया कि कुल 4.58 करोड़ रुपये (आर्थिक सहायता 363.65 लाख रुपये तथा सीमान्त मौद्रिक ऋण 94.49 लाख रुपये) की सहायता से 3974* सफाईकर्मियों का उन 30 नगरों में पुनर्वास किया गया था जहां एक भी शुष्क शौचालय को जलवाही शौचालय में परिवर्तित नहीं किया गया था । इसप्रकार पुनर्वास प्रभावी रूप से लागू होना नहीं कहा जा सकता क्योंकि हितग्राहियों का अपने पुराने सफाई कार्य व्यवसाय में लौटने की संभावना को तथा नए सफाईकर्मियों के मल सफाई कार्य में आने को नकारा नहीं जा सकता । शहडोल जिले में महाविद्यालयों के शिक्षाकर्मियों एवं विद्यार्थियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण (2000-01) से भी यह सिद्ध हुआ कि 265 सफाईकर्मियों में से 210 (79 प्रतिशत) ने सरकारी सहायता से खोले गए अपने प्रतिष्ठान बन्द कर दिए थे ।

* *भोपाल-622, छतरपुर-4, ग्वालियर-234, इंदौर-1026, जबलपुर-934, खरगोन-61, मुरैना-222, रीवा-337, सतना-258, शहडोल-26 व उज्जैन-250*

उक्त परिस्थिति में 3974 सफाईकर्मियों के पुनर्वास पर व्यय की गई 4.58 करोड़ रुपये की समूची सहायता राशि संदेहास्पद हो गई ।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 800 सेनेटरी मार्ट्स की तुलना में केवल 42 ही स्थापित किए गए

(ज) **सेनेटरी मार्ट्स की स्थापनाः** सेनेटरी मार्ट्स स्थापना का मुख्य उद्देश्य सफाई शर्तों में सुधार कर तथा सफाईकर्मियों के पुनर्वास द्वारा मैला ढोने एवं मल सफाई की आवश्यकता को समाप्त करना था । अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने 15000 सफाईकर्मियों को समावृत करते हुए राज्य में 600 सेनेटरी मार्ट्स की स्थापना का एक प्रस्ताव भारत सरकार को मार्च 2000 में भेजा पर ऐसा करते समय हितग्राहियों की पहचान नहीं की । भारत सरकार ने प्रस्ताव पर संस्वीकृति दी तथा 2000-01 के लिए अन्य 200 सेनेटरी मार्ट्स की स्थापना की भी संस्वीकृति दी । तथापि 659 सफाईकर्मियों का पुनर्वास शामिल करते हुए केवल 42(2000-01 में 4 तथा 2001-02 में 38) सेनेटरी मार्ट्स (5 प्रतिशत) की स्थापना किया जाना बताया गया । 2001-02 के दौरान स्थापित बताए गए 38 सेनेटरी मार्ट्स में से अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने जिला इकाइयों को वर्ष की अंतिम तिमाही में 35 सेनेटरी मार्ट्स के लिए सहायता जारी की । अस्तु 2001-02 के दौरान उक्त 38 सेनेटरी मार्ट्स स्थापित करने का दावा संदेहास्पद था । 558 सेनेटरी मार्ट्स (600 की प्रथम खेप के) हेतु जारी की गई भारत सरकार की निधियों (27.54 करोड़ रुपये) का शेष वापस लौटाया जाना था तथापि अन्य 200 सेनेटरी मार्ट्स हेतु भारत सरकार की सहायता प्राप्त नहीं हुई थी यद्यपि यह भी भारत सरकार को वापस की जानी थी ।

सेनेटरी मार्ट्स को अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को, सेनेटरी मार्ट्स द्वारा जलवाहित शौचालयों के निर्माण हेतु आदेश प्राप्त करने के लिए तथा सेनेटरी मार्ट्स द्वारा चलाए जाने वाले भुगतान करो और उपयोग करो शौचालयों की स्थापना करते हुए विद्यमान शुष्क शौचालयों के शीघ्र परिवर्तन हेतु उप नियमों के अधीन नोटिस जारी करने के लिए शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग/नगर पालिका निगमों के साथ, संपर्क स्थापित करना अपेक्षित था और इसके साथ ही सेनेटरी मार्ट्स के माध्यम से रियायती दरों पर विक्रय की जाने वाली सेनेटरी सामग्री के क्रय की व्यवस्था भी करने थी । अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने ऐसा नहीं किया और यह कार्य जिला इकाइयों पर छोड़ दिया । नमूना जांच किए गए एक जिले (उज्जैन) में यह पाया गया कि 5 सेनेटरी मार्ट्स (2000-01 के दौरानः2 तथा 2001-02: 3) स्थापित किए गए थे किंतु सेनेटरी मार्ट्स को ठीक से चलाने के लिए जिला इकाई ने सम्यक कार्रवाई आरंभ नहीं की । सेनेटरी मार्ट्स से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया तथापि जिला इकाई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सेनेटरी मार्ट्स ने शुष्क शौचालयों का परिवर्तन नहीं किया तथा उनके पास सेनेटरी सामग्री का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध नहीं था क्योंकि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने पूर्ण परियोजना लागत राशि जारी नहीं की थी ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2001) कि सफाईकर्मी सहकारी समिति पद्धति से कार्य करने के इच्छुक नहीं थे । इससे यह प्रकट होता है कि सफाईकर्मियों को अपना व्यवसाय बदलने के लिए जनसंपर्क तथा/अथवा जनसंचार साधनों के माध्यम से उचित रूप से प्रेरित नहीं किया गया था तथापि जिला इकाई ने भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन दिया (फरवरी 2002) ।

3.3.7 शहरी कम लागत सफाई योजना

1983-2002 अवधि में शुष्क शौचालयों का जलवाहित शौचालयों में शिथिलतापूर्ण परिवर्तन

शहरी कम लागत सफाई योजना के अंतर्गत "संपूर्ण नगर आधार पर" शुष्क शौचालयों का जलवाही शौचालयों में परिवर्तन राज्य स्तर पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास (नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय) द्वारा तथा जिला/नगर स्तर पर नगर पालिका निगमों/स्थानीय निकायों द्वारा सफाईकर्मियों की विमुक्ति हेतु हाथ से मैला ढोने को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य के साथ क्रियान्वित किया जाना था । राज्य सरकार ने नवम्बर 1997 से मैला ढोने वाले सफाईकर्मियों का रोजगार एवं शुष्क शौचालय निर्माण (प्रतिबन्ध) अधिनियम 1993 (अधिनियम) अंगीकार किया । नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा 1982-83 में कराए गए शुष्क शौचालय के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि राज्य में 3.76 लाख शुष्क शौचालय विद्यमान थे । तत्पश्चात कोई नवीन सर्वेक्षण नहीं कराया गया । अप्रैल 1983 से मार्च 2002 के दौरान 1.31 लाख शुष्क शौचालयों की वृद्धि होना तथा 4.03 लाख शुष्क शौचालयों का जलवाही शौचालयों में परिवर्तन करना बताया गया । इस प्रकार 31 मार्च 2002 को 1.04 लाख शुष्क शौचालय शेष थे । राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2002 तक राज्य में सभी शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने हेतु फरवरी 2001 में निर्णय लिया तथापि न तो कोई कार्ययोजना बनाई गई और न ही वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए । परिणामस्वरूप लक्ष्य तिथि (अप्रैल 2002) को एक वर्ष के लिए अर्थात 14 अप्रैल 2003 तक आगे बढ़ाना पड़ा ।

राज्य में 334 में से 128 नगर शुष्क शौचालयों से मुक्त होना बताए गए थे तथापि राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत राज्य में सभी नगरों के संबंध में मैला ढोने वाले सफाईकर्मियों के नियोजन पर अथवा शुष्क शौचालयों के निर्माण अथवा उनके संधारण पर प्रतिबन्ध लगाते हुए नवम्बर 2002 में अधिसूचना जारी की ।

शुष्क शौचालयों के परिवर्तन पर व्यय भारत सरकार (आर्थिक सहायता), राज्य सरकार अथवा हुडको (ऋण) तथा हितग्राहियों की आय पर आधारित (अंशदान) हितग्राहियों द्वारा वहन किया गया । केन्द्रीय आर्थिक सहायता हुडको के माध्यम से दी जाती है ।

योजना की वित्त व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है: **(लाख रुपयों में)**

वर्ष	बजट प्रावधान	वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियां				वर्ष के दौरान किया गया व्यय			
		राज्य बजट से	आर्थिक सहायता	ऋण (हुडको)	योग	राज्य बजट से	आर्थिक सहायता	ऋण	योग
1997-98	45.19	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
1998-99	45.19	30.60	निरंक	100.54	131.14	30.60	निरंक	100.54	131.14
1999-2000	40.69	40.38	95.51	44.34	180.23	40.38	95.51	44.34	180.23
2000-01	101.90	101.90	निरंक	14.86	116.76	101.90	निरंक	14.86	116.76
2001-02	75.00	75.00	निरंक	निरंक	75.00	75.00	निरंक	निरंक	75.00
योग	**307.97**	**247.88**	**95.51**	**159.74**	**503.13**	**247.88**	**95.51**	**159.74**	**503.13**

निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आएः

18420 शुष्क शौचालयों के परिवर्तन हेतु हुडको की आर्थिक सहायता का लाभ नहीं लिया गया

(क) **हुडको की आर्थिक सहायता का उपयोग न होनाः** नगर निगम इंदौर ने 3.96 करोड़ रुपये की लागत से 18420 शुष्क शौचालयों (12000 ई.डब्लू.एस. तथा 6420 एल.आई.जी.) के परिवर्तन हेतु एक योजना हुडको को प्रस्तुत की (नवम्बर 1994) जिसने 2.05 करोड़ रुपये ऋण के रूप में तथा 1.45 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत किए(मार्च 1995) । स्वीकृति एक वर्ष के लिए वैध थी किंतु शर्त यह थी कि योजना अनुमोदित और ऋण राज्य सरकार से गारंटीकृत हो । राज्य सरकार ने गारंटी नहीं दी अस्तु 36.30 लाख रुपये की जारी की गई संपूर्ण आर्थिक सहायता राशि हुडको को वापिस लौटाना पड़ी (मार्च 2001) । राज्य सरकार द्वारा ऋण की गारंटी न देने के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने कारण सूचित नहीं किए ।

पुलिस विभाग से 13.24 लाख रुपये की वसूली न होना

(ख) **अव्ययित राशि की पुलिस विभाग से वसूली न होनाः** शहरी कम लागत सफाई योजना में निजी व्यक्तियों के शुष्क शौचालयों का परिवर्तन करना निहित था । तथापि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने शाहजहांनाबाद भोपाल स्थित पुलिस लाइन्स के शुष्क शौचालयों का परिवर्तन करने हेतु नगर निगम भोपाल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक भोपाल को 15.50 लाख रुपये जारी किए । पुलिस लाइन में परिवर्तित किए गए शुष्क शौचालयों की कुल संख्या तथा विमुक्त एवं पुनर्वास किए गए सफाईकर्मियों की कुल संख्यात्मक जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के पास उपलब्ध नहीं थी । तथापि यह देखा गया कि पुलिस लाइन में 96 शुष्क शौचालय थे जिनके परिवर्तन की लागत 2350 रुपये प्रति इकाई की दर से केवल 2.26 लाख रुपये संगणित की गई । 13.24 लाख रुपये की शेष राशि पुलिस विभाग से वसूल नहीं की गई थी ।

अशासकीय संगठनों को 81.62 लाख रुपये के पर्यवेक्षण प्रभारों का अप्राधिकृत भुगतान

(ग) **अशासकीय संगठनों को अनुचित सहायताः** शुष्क शौचालयों का जलवाहित शौचालयों में परिवर्तन अशासकीय संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था । नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2350 रुपये की यथासंगणित परिवर्तन लागत में 20 प्रतिशत के पर्यवेक्षण प्रभार (391.55 रुपये प्रति इकाई) सम्मिलित किए गए थे जो अनियमित था । 1998-02 के दौरान पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए अशासकीय संगठनों को दी गई अनुचित वित्तीय सहायता 81.62 लाख रुपये की थी ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने बताया (अप्रैल 2002) कि परिवर्तनीय निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तथा चयनित अशासकीय संगठनों के साथ वार्ता के उपरान्त राज्य सरकार ने प्रति इकाई 2350 रुपये की परिवर्तन लागत निर्धारित की थी और तैयार किए गए प्राक्कलनों में पर्यवेक्षण प्रभार सम्मिलित किए गए थे ।

इस प्रकार वार्ता में तय की गई दरों के समनुरूप प्राक्कलन तैयार किए गए थे जो नितान्त रूप से अनियमित था ।

3.3.8 समन्वय, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

राज्य स्तरीय परिवीक्षण समिति की तीन माह में एक बार बैठक आयोजित करना आवश्यक था । 1997-98 एवं 2000-01 के दौरान समिति की बैठक आयोजित ही नहीं की गई तथा 1998-99, 1999-2000 एवं 2001-02 अवधि में वर्ष में केवल एक ही बैठक हुई । अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने भारत सरकार को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किए तथा वार्षिक प्रतिवेदन 2 से 7 माह के विलंब से भेजे गए ।

यद्यपि नमूना जांच किए गए जिलों में परिवीक्षण समितियों का गठन होना पाया गया तथापि उनकी बैठक या तो हुई ही नहीं अथवा 1997-2002 अवधि में वर्ष में केवल एक बार ही बैठक आयोजित की गई । तथापि योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहायता के प्रयोजन से उक्त जिलों में नगर एवं मोहल्ला समितियों का गठन नहीं किया गया था ।

3.3.9 उपरोक्त निष्कर्षों से सरकार के अनुसूचित जनजाति एवं अनूसूचित जाति कल्याण विभाग को (अगस्त 2002) तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को (दिसम्बर 2002) अवगत कराया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

तीसरा अध्यायः सिविल विभाग

भाग ख - लेखापरीक्षा कंडिकाएं

वन विभाग

3.4 मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रशिक्षण पर निष्फल व्यय

परियोजना के अंतिम वर्ष के दौरान/अपात्र प्रत्याशियों को समुद्रपारीय प्रशिक्षण दिए जाने के परिणामस्वरूप अनियमित/निष्फल व्यय हुआ ।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना के अंतर्गत, वन आर्थिकी एवं प्रबंधन, भौगोलिकी सूचना प्रणाली, चारा विकास, रोपणी प्रबंधन, वृक्ष सुधार आदि के अध्ययन के लिए एक समुद्रपारीय प्रशिक्षण योजना की व्यवस्था थी । प्रशिक्षण योजना के अनुसार मार्च 1999 तक 135* अधिकारी प्रशिक्षित किए जाने थे । अध्ययन दौरे हेतु अधिकारियों का चयन इनमें से किया जाना था (i) परियोजना के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी (ii) ऐसे अधिकारी जिनकी अध्ययन दौरे से वापसी के बाद कम से कम 1 वर्ष की सेवा शेष हो (iii) प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी जिनकी सेवाएं विदेश प्रशिक्षण के बाद वन विभाग द्वारा उपयोग की जानी थीं तथा (iv) पूर्व अनुभव, रुझान एवं सामर्थ्य के साथ प्रशिक्षणार्थी की वापसी के बाद उससे अपेक्षित उत्तरदायित्वों में समानता रखने वाले अधिकारी ।

मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना के निर्देशक के अभिलेखों (जुलाई 2001 एवं फरवरी 2002) की नमूना जाँच से प्रकट हुआ किः

(i) समुद्रपारीय प्रशिक्षण में 2 मंत्री, 3 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एवं वैज्ञानिक सम्मिलित थे, जो परियोजना के अंतर्गत अनुमोदित प्रशिक्षण योजना के अनुसार पात्र नहीं थे । उनकी सेवाएं भी अन्यत्र उपयोग की जा रही थीं । उनके प्रशिक्षण पर किया गया 24.72 लाख रुपए का व्यय अनियमित था ।

(ii) एक अधिकारी, जो प्रशिक्षण से वापसी के बाद 10 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला था, समुद्रपारीय प्रशिक्षण योजना के अनुसार पात्र नहीं था । उसके प्रशिक्षण पर किया गया 6.22 लाख रुपए का व्यय अनियमित था ।

यह इंगित किए जाने पर(फरवरी 2002), परियोजना निर्देशक ने बताया (फरवरी 2002) कि 1999-2000 के दौरान समुद्रपारीय प्रशिक्षण पूर्व निर्णीत था एवं 2 अधिकारियों का समुद्रपारीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (31 दिसंबर 1999 से 18 जनवरी 2000) खाद्य एवं कृषि

* *मुख्य वन संरक्षकः 14, वन संरक्षकः 29, वन मंडलाधिकारीः 66, सहायक वन संरक्षकः 22 एवं रेंज अधिकारीः 4*

संगठन नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया (दिसंबर 1999) था, सेवानिवृत्त अधिकारी जिसे प्रशिक्षण दिया गया था उसकी सेवाएं विभाग के परामर्शदाता के रूप में उपयोग की जा रही थीं । परियोजना के अंतर्गत मंत्रियों एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित कोई उत्तर नहीं दिया गया था ।

प्रकरण शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचित किया गया था(मई 2002), उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2003)

3.5 रोपणियों में आवश्यकता से अधिक पौधे उगाने एवं रख-रखाव पर निरर्थक व्यय

रोपणियों में बिना उपयोग के पड़ पौधों को उगाने/रख-रखाव पर 38.79 लाख रुपए का निरर्थक व्यय किया गया ।

पॉलीथिन थैलियों में उगाए गए नव पादन 5 से 7 माहों की अनुकूलतम अवधि में अच्छी अवस्था में रहते हैं । उसके बाद जड़ें थैलों में चारों ओर चक्कर काटने लगती हैं परिणामस्वरूप पौधरोपण की वृद्धि मंद हो जाती है । इसी प्रकार क्यारियों में उगाए गए पौधों के एक अनुकूलतम अवधि के बाद प्रतिरोपण में जड़ों को क्षति के कारण अल्प जीविता दर रहती है क्योंकि जड़ें मिट्टी में अधिक गहराई तक चली जाती हैं ।

वन मण्डलाधिकारी, राजधानी परियोजना वन मण्डल भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2002) एवं आगे भी एकत्रित की गई जानकारी (अप्रैल 2003) से प्रकट हुआ कि,

(i) राजेन्द्र नगर रोपणी में 1997-98 के आरंभ में 2.72 लाख पौधे वृक्षारोपण के लिए प्रतीक्षारत थे एवं वर्ष के दौरान 2 लाख पौधे उगाए गए । इनमें से 3.46 लाख पौधे शेष छोड़ते हुए 1.26 लाख पौधे ही वर्ष के दौरान उपयोग किए जा सके । 1998-2001 की अवधि के दौरान पौधे उपयोग में नहीं लाए गए । इस प्रकार 1997-98 के दौरान पौधे उगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी परिणामतः पौधे उगाने (2 लाख पौधे) तथा संधारण (3.46 लाख पौधों) पर किया गया 29.75 लाख रुपए का व्यय निरर्थक था ।

(ii) इसी प्रकार 1998-99 के आरंभ में बायपास नर्सरी में 1.73 लाख पौधे उपलब्ध थे एवं वर्ष के दौरान 1 लाख पोधे उगाए गए थे । इनमें से मात्र 1.11 लाख पौधे उपयोग किए गए थे तथा वर्ष के अंत तक 1.62 लाख शेष छोड़ दिए गए । 1999-2000 के दौरान 7954 पौधे मृत दर्शाए गए थे । इस प्रकार 1998-2001 की अवधि हेतु भंडार में 1.73 लाख पौधे पर्याप्त थे एवं 1998-99 में एक लाख पौधे उगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । पौधे उगाने (एक लाख) तथा रख-रखाव (1.54 लाख) पर 9.04 लाख रुपए का व्यय औचित्यपूर्ण नहीं था ।

पिछले 3 से 4 वर्षों तक रोपणियों में अप्रयुक्त पड़े 5 लाख नव पादपों का संपूर्ण संग्रह वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त हो गया तथा उनके उगाने/रख-रखाव पर 38.79 लाख रुपए का व्यय निरर्थक हो गया ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर वन मण्डलाधिकारी ने बताया(जनवरी 2002) कि बिना उपयोग किए पौधे शासन से योजना की प्राप्ति पर भविष्य में उपयोग किए जाएंगे । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 3 से 4 वर्ष पुराने नवपादप वृक्षरोपण हेतु उपयुक्त नहीं हो सके ।

प्रकरण सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचित किया गया (मार्च 2002), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2003) ।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

3.6 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर को अनुचित वित्तीय सहायता

संचालक नगर एवं ग्राम नियोजन द्वारा परिवीक्षण के अभाव में राज्य सरकार द्वारा मई 1992 में दिए गए 1 करोड़ रुपए के ऋण एवं उस पर ब्याज/दाण्डिक ब्याज के 1.36 करोड़ रुपये विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा विगत 10 वर्षों से अनियमित रूप में रोककर रखे गए ।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र काउण्टर मेग्नेट ग्वालियर नगर विकास निधि हेतु 1 करोड रुपए के ऋण संस्वीकृत (मार्च 1992) किए । राज्य सरकार ने भी अपना अनुरूपी अंश दिया तथा राज्य की आकस्मिक निधि से 2 करोड़ रुपये आहरित किए गए (मई 1992) और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर को उपलब्ध कराए गए । भारत सरकार के ऋण की अवधि 10 वर्ष की थी जिसका आहरण होने के 3 वर्ष के पश्चात से आरंभ कर 8 समान वार्षिक किश्तों में प्रतिभुगतान किया जाना था । ऋण आहरण के दिनांक से एक वर्ष पूर्ण होने से बकाया अधिशेष राशि पर 10.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज भुगतान योग्य था । साथ ही ऋण की किश्तों के प्रतिभुगतान में किसी प्रकार की चूक की स्थिति में 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना था तथापि राज्य सरकार ने ऋण के राज्य अंश तथा उस पर ब्याज/ दाण्डिक ब्याज के प्रतिभुगतान की शर्तें जनवरी 1994 में ही निर्धारित कीं । ये ऋण संस्वीकृत किए जाते समय निर्धारित नहीं किए गए ।

संचालक नगर एवं ग्राम नियोजन(संचालक) के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2001) तथा जुलाई 2002 में संग्रहीत और भी जानकारी में प्रकट हुआ कि भारत सरकार द्वारा दिए हुए ऋण की वसूली तो हो रही थी पर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने ऋण के राज्य अंश के 1 करोड़ रुपये का प्रतिभुगतान तथा उस पर ब्याज/दाण्डिक ब्याज का भुगतान नहीं किया था ।

इस प्रकार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने राज्य ऋण की किस्तों एवं उन पर ब्याज का प्रतिभुगतान नहीं किया तथा मई 2002 में ऋण के दस वर्ष की संपूर्ण अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी जुलाई 2002 तक इसने 2.36 करोड़ रुपये (मूलधनः 1करोड़ रुपये एवं ब्याज/दाण्डिक ब्याजः1.36 करोड़ रुपये) अनधिकृत रूप मे रोककर रखे जबकि संचालक ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से राशि की वसूली हेतु प्रभावकारी उपाय नहीं किए ।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर संचालक ने उत्तर दिया (जुलाई 2002) कि राज्य ऋण के प्रतिभुगतान के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त न होने के कारण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से वसूलियां प्रभावित नहीं की गईं । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने आठ वर्ष पहले ही संचालक को निर्देश जारी कर दिए थे ।

प्रकरण जनवरी 2002 में सरकार की ओर भेजा गया, उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2003) ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.7 चिकित्सक के बिना कार्यरत औषधालयों पर निष्फल व्यय

मंडला, छिंदवाडा एवं खण्डवा में 35 आयुर्वेदिक एवं 7 होम्योपेथिक औषधालय बिना चिकित्सक के कार्यरत थे जिसके कारण अन्य कर्मचारी वर्ग के वेतन एवं भत्तों तथा भवन के किराए पर 1.32 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ ।

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु 1954 और 1991 के मध्य आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधालय स्थापित किए गए । कर्मचारी वर्ग पद्धति के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक औषधालय में एक कंपाउण्डर, एक दवासाज तथा एक अंशकालिक सफाईकर्मी सहायक आयुर्वेदिक/कर्मचारियों के साथ एक चिकित्सक उपलब्ध कराया जाना था । प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधालय हेतु एक दाई भी संस्वीकृत की गई थी।

अधीक्षक सह जिला आयुर्वेदिक अधिकारी मण्डला, खंडवा एवं छिंदवाडा के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2001, फरवरी 2002 तथा अप्रैल 2002) में प्रकट हुआ कि जुलाई 1988 से अप्रैल 2002 की अवधि के दौरान 35 आयुर्वेदिक तथा 7 होम्योपैथिक औषधालय * चिकित्सक के बिना कार्यरत थे तथा कंपाउंडर एवं दाई मरीजों को उपचार उपलब्ध करा रहे थे ।

कंपाउण्डरों एवं दाइयों द्वारा मरीजों का उपचार करना केवल अनधिकृत ही नहीं था बल्कि अप्रैल 1996 से जून 2002 की अवधि के दौरान वेतन एवं भत्तों तथा भवनों के किराए पर किया गया 1.32 करोड रुपये का व्यय निष्फल भी था ।

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी मण्डला, खण्डवा और छिंदवाड़ा ने नियुक्तियों पर सरकार के प्रतिबंध के कारण चिकित्सकों का अभाव रहने की पुष्टि की (सितम्बर 2001) । संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी ने सितंबर 2002 में सूचित किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्गों में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चिकित्सकों के 146 पद(124 आयुर्वेदिक एवं 22 होम्योपैथिक) रिक्त थे । संचालक ने यह भी बताया कि राज्य में वित्तीय तंगी के कारण राज्य सरकार ने नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाया (जनवरी 2000) था ।

प्रकरण दिसम्बर 2001 और मार्च 2002 में सरकार की ओर भेजा गया, उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2003) ।

* *मण्डला: 11 आयुर्वेदिक एवं 3 होम्योपैथिक, खण्डवा: 2 आयुर्वेदिक एवं 1 होम्योपैथिक तथा छिंदवाड़ा: 22 आयुर्वेदिक एवं 3 होम्योपैथिक ।*

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.8 संस्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर अनधिकृत व्यय

स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया 82.58 लाख रुपये का व्यय अनधिकृत था ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना तथा सिविल सर्जन जबलपुर और शहडोल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2000 एवं फरवरी 2002) एवं बाद में और भी संग्रहीत जानकारी (जून-जुलाई 2002 एवं मार्च 2003) में प्रकट हुआ कि अप्रैल 1992 से मार्च 2003 की विभिन्न अवधि के दौरान 82.58 लाख रुपये राशि के वेतन एवं भत्तों का आहरण किया गया (पन्नाः 12.64 लाख रुपए, जबलपुरः 48.34 लाख रुपए तथा शहडोलः 21.60 लाख रुपए) तथा संस्वीकृत संख्या से अधिक काम पर लगाए गए 11 कर्मचारियों को भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या		पद	संस्वीकृत संख्या	विद्यमान कर्मचारी	अधिक कर्मचारी	वेतन एवं भत्ते	
						अवधि	राशि(रुपए)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना	जिला कुष्ठ अधिकारी	0	1	1	अप्रैल 1998 से जनवरी 2003	12,64,073
2.	सिविल सर्जन जबलपुर	सहायक सर्जन	34	39	5	मार्च 1999 से फरवरी 2003	37,13,844
3		परिचारिका शिक्षक	4	7	3	अप्रैल 1999 से सितम्बर 2002	11,20,570
4.	सिविल सर्जन शहडोल	स्त्री रोग चिकित्सक	1	2	1	जनवरी 1995 से फरवरी 2003	14,56,671
		सर्जन	1	2	1	मई 2000 से फरवरी 2003	7,03,083
	योग				11		82,58,241

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जनों ने अधिक कर्मचारियों को लगाया जाना उच्च अधिकारियों/सरकार की ओर से हुआ बताया गया । उन्होंने बताया कि अधिक कर्मचारियों के समायोजन/स्थानांतरण हेतु उच्च अधिकारियों तक प्रकरण पहुंचाया गया था । यह भी बताया गया कि अधिक कर्मचारियों के वेतन समान अथवा उच्च पदों में रिक्त पदों के विरुद्ध आहरित किए गए थे ।

संस्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाया जाना नियमों के विरुद्ध था तथा इसने संवर्ग नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर परिवीक्षण एवं नियंत्रण का अभाव दर्शाया और इसके कारण 82.58 लाख रुपए का अनधिकृत व्यय हुआ ।

प्रकरण अगस्त 2002 में सरकार की ओर भेजा गया । उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2003)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.9 ग्रामीण आवास योजना - इंदिरा आवास योजना

3.9.1 प्रस्तावना

इंदिरा आवास योजना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मुक्त करवाए गए बंधुआ मजदूरों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम-ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के संघटक के रूप में 1985-86 से आरंभ की गई थी । यह 1 जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना बन गई । इंदिरा आवास योजना, जिसका कार्यान्वयन राज्य में जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण एवं ग्राम पंचायतों ने किया था, आरंभ से ही दोषपूर्ण थी क्योंकि हितग्राहियों की पहिचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था । पूर्ण करने का दावा किए गए 3.69 लाख आवासों में से 50 से 62 प्रतिशत आवासों में क्रमशः स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित चूल्हे उपलब्ध नहीं कराए गए थे । 41 प्रतिशत आवास केवल पुरुष सदस्यों के नाम से आवंटित किए गए थे । आधारिक संरचना विकास निधियों का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया तथा 3.64 करोड़ रुपए अन्य मदों पर व्यय हेतु व्यपवर्तित किए गए । नमूना जाँच किए गए 11 जिलों में ही 41.03 करोड़ रुपए के लिए उपयोग प्रमाणपत्र अभिवांछित थे ।

3.9.2 वित्तीय व्यवस्था पद्धति

इंदिरा आवास योजना लागत का भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य मार्च 1999 तक 80:20 तक तथा तत्पश्चात 75:25 के अनुपात में बंटवारा होना था । केन्द्रीय सहायता तथा राज्य सरकार का अंश दो समान किश्तों में सीधे जिला पंचायतों को विमोचित किया गया । राज्य सरकार को अपना अंश केन्द्रीय सहायता विमोचित होने के उपरांत एक माह के भीतर विमोचित करना था । जिला पंचायत द्वारा उक्त निधियां अनुसूचित बैंक में पृथक सेविंग बैंक खाते में रखी जानी थीं तथा बाद में भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार चयनित हितग्राहियों को तीन किश्तों में संवितरित करने हेतु इन निधियों का ग्राम पंचायतों को प्रेषण करना वांछित था । नए आवासों के निर्माण हेतु अनुमत्य सहायता 20,000 रुपए प्रति इकाई थी । अप्रैल 1999 से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत निधियां नए आवासों के निर्माण पर उपयोग में लाई जानी थीं तथा 20 प्रतिशत राशि 10,000 रुपये प्रति इकाई की दर पर कच्चे आवासों के आधे पक्के/पक्के आवासों में उन्नयन पर उपयोग में लाई जानी थी ।

1997-2002 की अवधि के दौरान 637.26 करोड़ रुपए नए आवासों पर तथा 59.93 करोड़ रुपए पुराने आवासों के उन्नयन पर व्यय किए गए ।

निधियों का अन्य योजनाओं में व्यपवर्तनः लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिला पंचायत झाबुआ और उज्जैन ने अनधिकृत रूप में क्रमशः 3.14 करोड़ रुपए तथा 20.70 लाख रुपए एक माह से 35 माह तक की अवधि हेतु अन्य योजनाओं के लिए व्यपवर्तित किए । इसके परिणामस्वरूप इस योजना को ब्याज की हानि हुई ।

3.9.3 कार्यक्रम क्रियान्वयन

ग्रामीण आवासहीनों के आंकड़े संग्रहीत नहीं किए गए ।

3.9.3.1 ग्रामीण आवासहीन अनभिज्ञापितः राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के आवासहीन व्यक्ति अभिज्ञापित करने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया । विभाग ने केवल गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के संबंध में 1997 में सर्वेक्षण करना बताया तथा बेघर परिवारों की संख्या 1991 की जनगणना के आंकड़ों से प्राप्त की गई । जिला परिषद ने बिना किसी सर्वेक्षण के निधियों की प्राप्ति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए ।

3.9.3.2 भौतिक निष्पादन

लक्ष्य एवं उपलब्धियांः विकास आयुक्त द्वारा सूचित किए अनुसार भौतिक निष्पादन निम्नानुसार थाः

(आवासों की संख्या)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि(पूर्ण हुए आवास)	प्रगत्याधीन आवास
1997-98	74154	101549	66498
1998-99	103652	102901	56431
1999-2000			
नए आवास	48976	77886	29707
पुराने आवासों का उन्नयन	24488	13698	10498
2000-2001			
नए आवास	38064	42328	16783
पुराने आवासों का उन्नयन	19034	19445	8263
2001-2002			
नए आवास	37537	44449	10777
पुराने आवासों का उन्नयन	18768	20513	5682
कुल नए आवास	**302383**	**369113**	**10777**
कुल पुराने आवासों का उन्नयन	**62290**	**53656**	**5682**

1997-2002 के दौरान 369113 आवास निर्मित किए गए । यह मानते हुए कि प्रत्येक अपूर्ण आवास पर 10,000 रुपए व्यय किए गए एक इकाई के निर्माण पर किया गया कुल व्यय 16990 रुपए संगणित किया गया । यह प्रति नव निर्माण 20,000 रुपए के मानक से कम था ।

निम्नांकित और भी तथ्य दृष्टिगत हुए:

50 प्रतिशत आवास इकाइयों में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध नहीं कराए गए ।

(क) **स्वच्छ शौचालयों का निर्माण न करना:** शौचालयों के निर्माण हेतु पृथक रखी गई राशि 1997-99 के दौरान प्रति इकाई 2300 रुपए एवं तत्पश्चात प्रति इकाई 2500 रुपए थी । तथापि राज्य में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत प्रकरणों में स्वच्छ शौचालय निर्मित नहीं किए गए । स्पष्ट है कि 184553 आवासों में स्वच्छ शौचालय निर्मित नहीं किए गए एवं संभवतः प्रति नव निर्माण औसत लागत 16,990 रुपए रहने का यही कारण था ।

नमूना जांच किए गए 11 जिलों में यह भी प्रकट हुआ कि 88,756 आवासों में से 41752 आवासों (47 प्रतिशत) में स्वच्छ शौचालय निर्मित नहीं किए गए ।

हितग्राहियों को 45.89 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान ।

(ख) **अधोसंरचना के विकास हेतु नियत आर्थिक सहायता का अनियमित भुगतान:** जहां आवास समूहों में निर्मित किए गए थे वहां प्रति आवास इकाई 20,000 रुपये में से 2500 रुपए सड़कें, पानी, सफाई इत्यादि की अधोसंरचना विकास हेतु नियत थे । अन्य प्रकरणों में राशि का हितग्राहियों को भुगतान किया जाना था परंतु यह स्वच्छ शौचालयों के निर्माण तथा धुंआं रहित चूल्हों के प्रतिष्ठापन सहित आवासों की पूर्णता के पश्चात ही किया जाना था । तथापि हितग्राहियों के आवासों में स्वच्छ शौचालयों के निर्माण में उनकी विफलता के बावजूद उन्हें राशि का नगद भुगतान किया गया । 1,84,553 आवासों के लिए भुगतान की गई राशि 45.89 करोड रुपए थी ।

विकास आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत ने उत्तर दिया कि हितग्राही स्वच्छ शौचालयों के निर्माण में रुचि नहीं ले रहे थे । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में इस प्रकार की आर्थिक सहायता विमोचित करने का कोई औचित्य नहीं था ।

3.64 करोड रुपए की अधोसंरचना निधियाँ अग्राह्य मदों पर व्यय हेतु व्यपवर्तित की गई ।

(ग) **अधोसंरचना विकास निधियों का व्यपवर्तन:-** इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जहां आवास, समूहों में निर्मित नहीं किए गए थे वहाँ 1996-98 के दौरान अधोसंचना विकास हेतु आवंटित राशि अप्रयुक्त पड़ी थी । सरकार ने मई 1998 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अनुदेश जारी किए कि राशि इंदिरा आवास योजना के आसपास माजरों/टोलों एवं पाराओं में नलकूप एवं खुले कुए खोदने, पेयजल की आपूर्ति हेतु पाइपलाइन डालने, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के माजरों, टोलों एवं पाराओं में खरंजा/नालियों के निर्माण तथा गांव के केन्द्रीय स्थल से माजरों/टोलों/पाराओं को यदि पहले ही जोड़ने वाली सड़कों(लिंकरोड़) से जोड़ा नहीं गया है तो उनके निर्माण में उपयोग में लाई जा सकती है ।

नमूना जांच में प्रकट हुआ कि अधोसंरचना में विकास हेतु पृथक रखे गए 3.64 करोड़ रुपए व्यपवर्तित किए गए जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम	अनियमित व्यय की मदें	राशि (लाख रुपए)
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना	अतिरिक्त आवासों का निर्माण	131.54
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खण्डवा	जून 1999* में हितग्राहियों को नकद राशि का भुगतान किया गया	101.15
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खण्डवा	चबूतरे का निर्माण	12.83
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ	हितग्राहियों को पशु किटों, मच्छरदानियाँ तथा जल पात्रों की आपूर्ति	118.50
योग			364.02

इससे अधोसंरचना विकास के वांछित लाभों के हितग्राही उनके क्षेत्रों में उक्त सीमा तक उससे वंचित रहे ।

निर्माण क्रियाकलापों में बाह्य अभिकरणों को सम्मिलित किया गया ।

(घ) ठेकेदारों को सम्मिलित किया जानाः- हितग्राहियों को आवासों के निर्माण में सम्मिलित किया जाना चाहिए था तथा उन्हें निर्माण सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु अपनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थीं । ठेकेदार अथवा दलालों को सम्मिलित नहीं किया जाना था। जून-अक्टूबर 1999 के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होशंगाबाद एवं जबलपुर ने क्रमशः एक निजि संगठन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग जबलपुर को 1.70 करोड़ रुपए विमोचित किए । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु उक्त कार्य जून से अक्टूबर 1999 के दौरान 5 निजी ठेकेदारों को दिया । मार्च 2002 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग को 3570 शौचालयों (8228 में से) का निर्माण करना शेष था तथा 0.56 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष रोक रखा था । इस ओर इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर ने उत्तर दिया कि हितग्राही शौचालयों के निर्माण मे रुचि नहीं ले रहे थे ।

62 प्रतिशत आवासों में धुआं रहित चूल्हे उपलब्ध नहीं कराए गए ।

(ड.) धुआं रहित चूल्हों का प्रतिष्ठापन न करनाः- दिशानिर्देशों के अनुसार यद्यपि आवास इकाईयों में धुआं रहित चूल्हे भी उपलब्ध कराए जाने थे, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 369113 आवासों में से 2,29,305 (62 प्रतिशत) में धुआं रहित चूल्हे प्रतिष्ठापित नहीं किए गए । यह चूक भी हितग्राहियों की ओर से रुचि के अभाव में हुई बताई गई ।

3.9.4 कार्यक्रम निष्पादन

3.9.4.1 आवासों के आवंटन हेतु हितग्राहियों का अनियमित चयनः- वर्ष के दौरान कुल आवंटन का 60 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए

* *मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खण्डवा ने 1997-98 तक विशेष रूप में उल्लिखित कार्य मदों पर अधोसंरचना विकास हेतु प्रत्यायोजित राशि का उपयोग करने के बजाय हितग्राहियों को नकद भुगतान किया ।*

आवासों के निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाना था तथा शेष 40 प्रतिशत गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों के लिए पृथक रखा जाना था ।

जनपद पंचायत उज्जैन में 102 आवासों के निर्माण लक्ष्य निर्धारित निर्माण हेतु 20.40 लाख रुपए की संपूर्ण सहायता राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को विमोचित की गई जिससे 41 संभावी गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हितग्राही लाभों से वंचित रहे ।

41 प्रतिशत आवास केवल पुरुष सदस्यों के नाम से आवंटित किए गए ।

3.9.4.2 पुरुष सदस्यों के नाम से आवासों का आवंटनः- विकास आयुक्त के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 267564 आवासों में से 109331 आवास (41 प्रतिशत) केवल पुरुष सदस्यों के नाम पर आवंटित किए गए, परिवार की महिला सदस्यों के नाम से अथवा यथावांछित पति पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित नहीं किए गए ।

विकास आयुक्त ने बताया(दिसम्बर 2001) कि इस संबंध में अनुदेश पुनः दोहराए जा रहे हैं ।

11 जिलों में 41.03 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाणपत्र वांछित ।

3.9.4.3 उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होनाः- नमूना जांच किए गए 11 जिला पंचायतों में विमोचित निधियों के 25 से 100 प्रतिशत निधियों से संबंधित 41.03 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाणपत्र ग्राम पंचायतों से प्राप्त नहीं हुए ।

3.9.5 अन्य ध्यानाकर्षक तथ्य

3.9.5.1 इंदिरा आवास योज़ना क्षेत्रों का विद्युतीकरण न होनाः- जिला पंचायत झाबुआ एवं जबलपुर ने इंदिरा आवास योजना के आवास जहां पर स्थित थे वहां की सड़कों पर विद्युतीकरण हेतु 1998-2000 के दौरान क्रमशः 1.53 करोड़ रुपए तथा 11.30 लाख रुपए संस्वीकृत किए और मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को उनका भुगतान किया । फरवरी 2002 के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से निर्माण कार्य के कार्यक्रम पर कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ अथवा मंगाया भी नहीं गया ।

निर्मित आवासों की विवरण सूची संधारित नहीं की गई ।

3.9.5.2 इंदिरा आवास योजना आवासों की विवरण सूची/अभिलेखों का संधारण न करनाः- जनपद पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि अधिकाँश विकास खण्डों में हितग्राहियों के नाम, निर्माण आरंभ होने का दिनांक, आवास पूर्ण होने इत्यादि को दर्शाने वाली समग्र आवास विवरण सूची संधारित नहीं की गई थी । केवल एक पंजी संधारित की गई थी । वह भी अधिकांश जनपद पंचायतों में पूर्ण नहीं पाई गई । जनपद पंचायतों ने वित्तीय एवं भौतिक निष्पादनों के माहवार अभिलेख भी संधारित नहीं किए । इस जानकारी के अभाव में जनपद पंचायतों द्वारा जिला परिषदों को प्रस्तुत मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को पूर्णतः विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों ने बताया कि ग्राम पंचायतों ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं की । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वयं ही ग्राम पंचायतों से आंकड़े मंगाने अथवा संग्रहीत करने में विफल रहे ।

3.9.6 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

राज्य सरकार ने किसी प्रकार के प्रक्रम के मध्य सुधारात्मक उपायों हेतु, योजना का मूल्यांकन अध्ययन नहीं करवाया । राज्य, जिला अथवा विकासखंड स्तरों पर आवासों का भौतिक सत्यापन तक नहीं किया गया । राज्य सरकार ने प्रतिमाह न्यूनतम क्षेत्रीय दौरे किए जाने हेतु निर्धारित निरीक्षणों की सूची अगस्त 2000 में जारी की थी जिसके अनुसार जिलाध्यक्षों को (5), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को (5), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को(10), विकास खण्ड अधिकारी/विकास विस्तार अधिकारी को (15) तथा सहायक विकास विस्तार अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में संपूर्ण अपूर्ण आवासों के निरीक्षण करने थे । तथापि वस्तुतः किए गए निरीक्षणों के संबंध में यथावांछित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किए गए न उनका कोई अभिलेख संधारित किया गया यद्यपि यह वांछित था ।

ऊपर लिखित तथ्य अगस्त 2002 में सरकार की ओर भेजे गए, उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2003) ।

राजस्व विभाग

3.10 अतिशेष कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय

सरकारी मुद्रणालय ग्वालियर ने अपने अतिशेष कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 3.61 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय किया और अतिशेष कर्मचारी उपलब्ध होने के उपरांत भी समयोपरि भत्ते के रूप में 2.26 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया । सरकारी मुद्रणालय रीवा ने भी 42 लाख रुपये का ऐसा ही निष्फल व्यय किया ।

शासकीय मुद्रणालय द्वारा हस्त मुद्रण(हाथ से मुद्रण) प्रणाली के 1995-96 में आफसेट मुद्रण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप विद्यमान जनशक्ति बड़ी मात्रा में अतिशेष हो गई थी ।

(क) उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2001 एवं मार्च 2002) और सितम्बर 2002 में नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री(नियंत्रक) से संग्रहीत आगे की जानकारी से प्रकट हुआ कि आधुनिकीकरण के पश्चात केवल 32 पद ही औचित्यपूर्ण थे जिसके विरुद्ध 135 व्यक्ति कार्य कर रहे थे । अप्रैल 1995 से फरवरी 2003 तक की अवधि के लिये निष्फल वेतन एवं भत्तों की राशि 4.48 करोड़ रुपये थी ।

मुद्रणालय ने उक्त अवधि के दौरान समयोपरि भत्ते के रूप में 2.26 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया यद्यपि अतिशेष कर्मचारी उपलब्ध थे ।

उप नियंत्रक, ग्वालियर ने सूचित किया(मार्च 2002) कि अतिशेष कर्मचारियों को जिल्द कार्य पर नियुक्त किया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 49 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध 29 कर्मचारी जिल्द अनुभाग में कार्यरत थे और जिल्द अनुभाग में 20 पदों के खाली होने पर 103 अतिशेष कर्मचारियों की नियुक्ति न्यायसंगत नहीं थी ।

उप नियंत्रक के कथन को सत्य मानते हुए भी निष्फल व्यय 3.61 करोड़ रुपये (83 कर्मचारियों के लिये आनुपातिक आधार पर) आकलित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त अतिशेष कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के भुगतान का कोई औचित्य नहीं था ।

(ख) शासकीय मुद्रणालय, रीवा ने भी अपने 12 अतिशेष कर्मचारियों पर फरवरी 2003 तक 42 लाख रुपये का इसी प्रकार का निष्फल व्यय किया ।

प्रकरण की सूचना सरकार को जनवरी 2002 में दी गई । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2003) ।

3.11 उच्चतर दर पर कार्य देने के कारण परिहार्य व्यय

विवेकहीन ढंग से उच्चतर दरों पर कार्य देने के परिणामस्वरूप 1.92 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त दायित्व वहन करना पड़ा ।

छः जिलों में 39866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण के लिये आयुक्त भू अभिलेख तथा बन्दोबस्त ने निविदाएं आमंत्रित कीं(दिसम्बर 1999) । प्राप्त चार प्रस्तावों में से निम्नतम प्रस्ताव उल्लिखित दरों में अस्पष्टता के कारण निरस्त कर दिया गया । द्वितीय निम्नतम निविदाकर्ता, हैदराबाद की फर्म "क" ने प्रारंभ में 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर दूसरा 25 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण कार्य पूरा होने पर शेष के चरणबद्ध भुगतान के साथ 692.08 रुपये प्रतिवर्ग किलोमीटर की दर का प्रस्ताव किया । कोलकाता की फर्म "ख " ने 1160 रुपये प्रतिवर्ग किलोमीटर की अधिकतम दर का प्रस्ताव किया था ।

क्रय समिति ने इस तर्क के आधार पर फर्म "क" का प्रस्ताव निरस्त कर दिया (मार्च 2000) कि भुगतान की शर्तें उपयुक्त नहीं थीं और फर्म के पास कार्य निष्पादन के लिये अपने स्वयं के स्रोत नहीं थे परंतु फर्म "ख" के प्रकरण में समिति ने फर्म "ख" की वर्तमान क्षमता का मूल्यांकन किये बिना उसके विगत अनुभव तथा अन्य अभिकरणों यथा नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेंन्सी, भारत सरकार के एक उपक्रम को नियुक्त किये बिना स्वयं ही कार्य निष्पादन की मानी गई क्षमता के आधार पर उसके द्वारा उल्लिखित अधिकतम दर का अनुमोदन कर दिया (मार्च 2000)।

फर्म "ख" के साथ अन्य बातों के साथ साथ इस शर्त पर अनुबंध किया गया (अप्रैल 2000) कि हवाई फोटोग्राफी की लागत का 75 प्रतिशत भुगतान अग्रिम के रूप में किया जायेगा और शेष का भुगतान फोटोग्राफ की सुपुर्दगी पर किया जायगा । यह प्रस्ताव फर्म "क" के प्रस्ताव की तुलना में स्वयं में अनुकूल नहीं था ।

कार्य अक्टूबर 2000 से मई 2001 के आगामी उड़ान मौसम में पूरा किया जाना था तथापि अनुबंध में कार्य पूरा करने में विलंब के लिये शास्ति आरोपण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी ।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार आयुक्त ने अप्रैल 2000 में फर्म "ख" के पक्ष में 1 करोड़ रुपये का अग्रिम विमोचित किया तथापि फर्म ने अनुबंध की अवधि के भीतर कार्य पूरा नहीं किया और अपनी मानी गई क्षमता के प्रतिकूल नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी को कार्य पर लगाया तथा नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी को सीधे 1 करोड़ रुपये के विमोचन हेतु निवेदन के साथ 2 करोड़ रुपये का एक और अग्रिम मांगा । आयुक्त ने इसका भी पालन किया (अप्रैल 2001) ।

तत्पश्चात फर्म ने मई 2002 में पूर्ण तथा अंतिम निष्पादन के रूप में 39365.8 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण पूर्ण किया ।

इस प्रकार फर्म "क" की न्यूनतम दर की उपेक्षा करते हुए फर्म "ख" के कार्य की प्रगति की पुष्टि करते हुए भुगतान शर्तों के साथ और फर्म "ख" की क्षमता का मूल्यांकन किये बिना कार्य देने के परिणामस्वरूप न केवल 1.92 करोड़ रुपये (1160 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर - 692 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर = 468 रुपये X 39365.8 + 0.08 करोड़ रुपये सी.एस.टी) परिहार्य अतिरिक्त दायित्वों में वृद्धि हुई अपितु कार्य आरंभ में ही बिगड़ा भी । फर्म "ख" ने केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाई क्योंकि उसने भारत सरकार के एक अभिकरण नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी को कार्य निष्पादन पर लगाया और लाभ कमाया । शास्ति के आरोपण के लिए प्रावधान सम्मिलित करने में विफलता से फर्म को अतिरिक्त अनुचित लाभ हुआ ।

प्रकरण की सूचना अप्रैल 2002 में सरकार को दी गई । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2003) ।

चौथा अध्याय

निर्माण कार्य व्यय

भाग क – लेखापरीक्षा समीक्षाएं

भाग ख – लेखापरीक्षा कण्डिकाएं

चौथा अध्याय
भाग – क: लेखापरीक्षा समीक्षाएं

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.1 इंदिरा सागर परियोजना (नहरें)

4.1.1 मुख्यांश

2167.67 करोड़ रुपए की अद्यतन लागत (1988 के मूल्य स्तर पर) पर नवंबर 1990 में प्रशासकीय रूप से अनुमोदित इंदिरा सागर परियोजना में 1.69 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई तथा 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन परिकल्पित था । निधियों की कमी, योजनाकरण एवं समन्वय का अभाव, भूअर्जन में विलंब, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा रूपांकनों को अंतिम रूप देने और एजेन्सियों के निर्धारण में विलंब के कारण परियोजना का निर्माण निर्धारित समय से बहुत अधिक पिछड़ गया । 1110 करोड़ रुपए का व्यय करने के बाद बांध एवं पावर हाऊस (यूनिट– I और III) नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एन.एच.डी.सी.) लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए थे (सितंबर 2000), जो भारत सरकार के एक उपक्रम "नेशनल हायड्रो पावर कार्पोरेशन" (एन.एच.पी.सी.) तथा मध्यप्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है ।

283.41 करोड़ रुपए का व्यय करने के बाद भी 81.59 किलोमीटर तक नहरों का निर्माण और 36100 हेक्टेयर की सिंचाई जिसे जून 1999 में पूर्ण होना था, जुलाई 2002 तक प्रगति में था ।

(कंडिका 4.1.6.2)

यूनिट–I एवं III को एन.एच.डी.सी. को हस्तांतरित कर देने के बाद भी उनके संधारण एवं स्थापना पर किया गया 57.29 करोड़ रुपए का व्यय अवांछित था ।

(कंडिका 4.1.5.3)

अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित अवास्तविक प्राक्कलनों के आधार पर निर्माण कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप 5.89 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई । 1 से 5 वर्षों के विलम्ब के परिणामस्वरूप 70.91 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ ।

(कंडिका 4.1.6.2(iii))

पुनासा सुरंग (टनल) के "क्रास सेक्शन" का रूपांकन त्रुटिपूर्ण आंकड़ों पर आधारित था जिसके परिणामस्वरूप 2.18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई तथा इसके पूर्ण होने में असाधारण विलम्ब के कारण 15.77 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ ।

(कंडिका 4.1.7.1)

निकास नहर तथा "कैच वाटर ड्रेन प्रोफाइल" के साथ नहर के अवांछित उत्खनन से 88.94 लाख रुपए का अपव्यय हुआ । निकास नहर के अतिउत्खनन के सुधार के परिणामस्वरूप भी 31.69 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(कंडिका 4.1.7.2(ii) एवं (iii))

कड़ी चट्टानों में उत्खनन हेतु रेखीय छिद्रण (लाइन ड्रिलिंग) "प्री–स्पिलिटिंग" एवं परिधीय (पेरीमीटर) ब्लास्टिंग हेतु अलग प्रावधान के फलस्वरूप 47.26 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ । ढलान सुरक्षा के लिए "चिज़लिंग एवं चिपिंग" के संदिग्ध कार्य पर 23.38 लाख रुपए के भुगतान की जॉच पड़ताल आवश्यक थी ।

(कंडिका 4.1.7.2 (i) एवं (iv))

मूल्य वृद्धि प्रभार शर्तों को गलत ढंग से अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 20.53 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ । कड़ी चट्टानों के चट्टे न लगाने पर भी ठेकेदारों को 1.03 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया ।

(कंडिका 4.1.7.3 (i) एवं 4.1.9 (ii))

निष्क्रिय अमले (स्टाफ) के वेतन और भत्तों पर 7.89 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

(कंडिका 4.1.8)

4.1.2 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश के खण्डवा जिले में पुनासा ग्राम के निकट स्थित इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर बहुत महत्वपूर्ण वृहद बहुउद्देशीय परियोजना है । इसमें 9750 मिलियन घन मीटर (7.9 एम.ए.एफ.) उपयोग योग्य जल संग्रह क्षमता के 653 मीटर लंबे एवं 92 मीटर ऊँचे कंक्रीट बांध, 1000 मेगावाट (125 मेगावाट प्रत्येक की 8 इकाइयॉ) की संस्थापित क्षमता का एक पावर हाऊस तथा 1.69 लाख हेक्टेयर की कुल वार्षिक सिंचाई के साथ 1.23 लाख हेक्टेयर कृषियोग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई हेतु एक नहर प्रणाली (पुनासा सुविधा सहित 433 कि.मी.) का निर्माण परिकल्पित था । परियोजना में प्रवाह की ओर ओंकारेश्वर तथा महेश्वर परियोजनाओं

में विद्युत उत्पादन के बाद गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना को 8.12 एम.ए.एफ. जल की विनियमित प्रवाह की भी व्यवस्था है ।

सितंबर 1989 में योजना आयोग द्वारा परियोजना को निवेश हेतु स्वीकृति दी गई थी । नवंबर 1990 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2167.67 करोड़ रुपए (1988 के मूल्य स्तरों पर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी । 3496.79 करोड़ रुपए का पुनरीक्षित प्राक्कलन (1994 के मूल्य स्तर पर) एन.एच.डी.सी. को यूनिट–I एवं III के स्थानांतरण (अगस्त 2000) की तिथि तक अनुमोदित नहीं हुआ था ।

परियोजना, सन 2008–09 तक तीन चरणों में पूर्ण करने हेतु निर्धारित थी । यद्यपि परियोजना को आठवीं (1992–97) और नौवीं (1997–2002) पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता दी गई थी फिर भी निर्धारित समय से यह बहुत पिछड़ गई तथा चरण–I (36100 हेक्टेयर की सिंचाई एवं 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन) जो जून 1999 तक पूर्ण होना निर्धारित था, जुलाई 2002 तक पूरा नहीं हुआ था ।

मध्यप्रदेश शासन ने यूनिट I तथा III के निर्माण कार्य पर 1110 करोड़ रुपए का व्यय करने के पश्चात ये मई 2000 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एन.एच.डी.सी. लिमिटेड को सितंबर 2000 से स्थानांतरित कर दिए जो मध्यप्रदेश शासन तथा एन.एच.पी.सी. लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है, I यूनिट II अर्थात नहर प्रणाली मध्यप्रदेश शासन के पास रह गई तथा इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के 81.59 कि.मी. तक इसके चरण – I का कार्य जुलाई 2002 को प्रगति पर था ।

4.1.3 संगठनात्मक संरचना

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तथा चार पूर्णकालिक सदस्य (यांत्रिकी, वित्त, पर्यावरण तथा वन एवं पुनर्वास) हैं । 5 मुख्य अभियंता, 8 अधीक्षण यंत्री तथा 25 संभाग प्रत्येक कार्यपालन यंत्री के नेतृत्व में प्राधिकरण की सहायता करते हैं ।

4.1.4 समीक्षा का क्षेत्र तथा सीमा

इंदिरा सागर परियोजना की 1997–2002 तक की अवधि की एक समीक्षा संपादित की गई । जैसा कि सितम्बर 2000 से यूनिट I तथा III का कार्य, सभी सम्बद्ध अभिलेखों के साथ एन. एच.डी.सी. लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया था, मात्र सात संभागों द्वारा निष्पादित किए जा रहे इकाई – II के कार्यों की फरवरी 2002 से जुलाई 2002 के दौरान नमूना जॉच की गई

तथा 4 मुख्य अभियंताओं एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से जानकारी/दस्तावेज एकत्रित किए गए ।

अनुवर्ती कंडिकाओं में नमूना जांच के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है ।

4.1.5 लागत प्राक्कलन तथा वित्तीय प्रबंधन

4.1.5.1 लागत प्राक्कलन

प्राक्कलन 280 प्रतिशत तक बढ़ गए ।

1969 में तैयार हुए परियोजना प्रतिवेदन को नर्मदा जल विवाद अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.टी.) निर्णय (1979) की पुष्टि में 920.90 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर जुलाई 1982 में संशोधित किया गया । मध्यप्रदेश शासन द्वारा परियोजना 1983 के मूल्य स्तर पर 1392.85 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित लागत के साथ प्रशासनिक रूप से अनुमोदित हुई (सितम्बर 1984)। नवम्बर 1990 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2167.67 करोड़ रुपए के पुनरीक्षित प्राक्कलनों (दिसम्बर 1988 मूल्य स्तर) को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । 1994 के मूल्य स्तर से परियोजना लागत को 3496.79 करोड़ रुपए तक लाया गया जिसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। पुनरीक्षण मुख्यतः कीमतों में बढ़ोतरी, अपर्याप्त प्रावधान तथा कार्य की नई मदों के कारण थे ।

4.1.5.2 निधियों की अल्प उपयोगिता

विगत 5 वर्षों के बजट प्रावधान, आवंटन तथा व्यय निम्नानुसार थे – (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय	बचत
1997–98	153.08	125.75	126.10	26.98
1998–99	154.66	154.66	134.80	19.86
1999–2000	156.30	153.21	148.13	8.17
2000–01	204.67	185.27	174.97	29.70
2001–02	137.66	135.79	109.81	27.85
योग	**806.37**	**754.68**	**693.81**	

(आंकड़े नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर)

राहत और पुनर्वास कार्यों की धीमी प्रगति के कारण व्यय पश्चगामी रहा ।

यद्यपि वास्तविक आवंटन, बजट प्रावधानों से अपर्याप्त रहे, शासन द्वारा भुगतानों पर प्रतिबंध आरोपित करने तथा राहत और पुनर्वास कार्यों की धीमी प्रगति के कारण व्यय पश्चगामी रहा ।

विनियोग लेखाओं के अनुसार विगत पांच वर्षों के दौरान बजट प्रावधान तथा व्यय निम्नानुसार था –

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट		व्यय		आधिक्य (+) बचत (–)		निर्माण के संदर्भ में स्थापना लागत का प्रतिशत
	स्थापना	निर्माण कार्य	स्थापना	निर्माण कार्य	स्थापना	निर्माण कार्य	
1997–98	19.34	108.15	37.05	94.25	(+) 17.71	(–) 17.90	39.31
1998–99	24.74	120.81	37.16	96.52	(+) 12.42	(–) 24.29	38.50
1999–2000	24.20	123.52	58.08	84.82	(+) 33.88	(–) 38.70	68.47
2000–01	26.08	152.70	27.39	134.54	(+) 1.31	(–) 18.16	20.36
2001–02	24.26	102.50	23.94	84.04	(+) 0.32	(–) 18.46	28.37
योग	118.62	607.68	183.62	494.79	(+) 65.00	(–) 113.51	
	726.30		677.79		(–) 48.51		

65 करोड़ रुपए अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य से स्थापना पर व्यपवर्तित किए गए ।

महालेखाकार के तथा विभागीय आंकड़ों में अंतर था जो यह प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया । विनियोग लेखे भी प्रदर्शित करते हैं कि 65 करोड़ रुपए की निधियों का अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य से स्थापना पर व्यपवर्तन किया गया ।

गतिवर्धित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (1996–97) ऋण सहायता निम्नानुसार थी । (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृत ऋण सहायता	वास्तविक प्राप्त राशि
1996–97	50.00	37.50
1997–98	52.00	51.00
1998–99	75.00	37.50
1999–2000	40.00	40.00
2000–01	80.00	80.00
2001–02 (09/2001 तक)	23.00	23.00
योग	320.00	269.00

समरूपी अंशदान देने में राज्य सरकार की विफलता के कारण भारत सरकार द्वारा 51 करोड़ रुपए विमुक्त नहीं किए गए ।

ए.आई.बी.पी. मापदंडों के अनुसार समरूपी अंशदान उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश शासन की विफलता के कारण 51 करोड़ रुपए की कमी थी ।

4.1.5.3 यूनिट I तथा III से संबद्ध परिसंपत्तियों के रख–रखाव तथा स्थापना पर अवांछित व्यय

समझौता ज्ञापन के अनुसार संपूर्ण परिसंपत्तियों, उपकरण एवं मशीनों को 31 अगस्त 2000 तक एन.एच.डी.सी. लिमिडेट को स्थानांतरित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन/एन.वी.डी.ए. ने अनुदेश जारी किए (अगस्त 2000) ताकि उनके रख–रखाव पर और व्यय से बचा जा सके।

स्थानांतरित परिसंपत्तियों तथा स्थापना के रख–रखाव पर 57.29 करोड़ रुपए का व्यय अवांछित था ।

तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि सितम्बर 2000 से मार्च 2002 के दौरान परिसम्पत्तियों यथा चिकित्सालय, विद्यालय, जल आपूर्ति प्रणाली, भवन, सड़क, मशीनें, उपकरण इत्यादि के रख–रखाव पर 36.06 करोड़ रुपए व्यय किए गए तथा यूनिट–I तथा III के अंतर्गत स्थापना पर भी मार्च 2002 तक 21.23 करोड़ रुपए व्यय किए गए ।

इसके परिणामस्वरूप 57.29 करोड़ रुपए का औचित्यहीन व्यय हुआ, जिसे जुलाई 2002 तक समअंश के अनुरूप एन.एच.डी.सी. लि. को स्थानांतरित नहीं किया गया ।

कार्यपालन यंत्रियों ने उत्तर में बताया कि पुनरावृत्त निवेदनों के बाद भी एन.एच.डी.सी. लिमिटेड द्वारा परिसम्पत्तियों का अंतरण नहीं लिया गया । एन.एच.डी.सी. की ओर से संपत्ति ग्रहण करने में अस्वीकार, स्पष्ट रूप से सामाजिक दायित्व पर व्यय की जिम्मेदारी से पलायन एवं समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के समान है ।

4.1.6 आयोजना तथा कार्यान्वयन

4.1.6.1 बांध तथा विद्युत गृह

वित्तीय स्रोतों का उपयोग करने में विफलता के कारण 1110 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद बांध तथा विद्युतगृह का कार्य स्थानांतरित किया गया ।

दो पृथक अनुबंधों के अधीन मुख्य बांध तथा विद्युत गृह के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को मई 1992 में 357.63 करोड़ रुपए की लागत पर 2001 तक पूर्ण करने हेतु सौंपा गया था । वित्तीय स्रोतों का उपयोग करने में भूमि अधिग्रहण तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों में विभाग की विफलता के कारण कार्य अत्यधिक विलंबित हुआ । (44345 हेक्टेयर के विरुद्ध केवल 10026.44 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण तथा 29967 प्रभावित परिवारों में से मात्र 430 प्रभावित परिवारों का अगस्त 2000 तक पुनर्वास किया गया) । परिणामस्वरूप 1110 करोड़ रुपए व्यय करने पश्चात बांध तथा विद्युत गृह का कार्य एन.एच.डी.सी. लि. को स्थानांतरित (सितम्बर 2000) कर दिया गया ।

4.1.6.2 नहर प्रणाली

नहर प्रणाली में एक 9.36 कि.मी. लम्बी जल वाहक प्रणाली 'पुनासा फेसिलिटी' (जल को मुख्य नहर में ले जाने हेतु पहुँच जलमार्ग–3.23 कि.मी., सुरंग – 3.68 कि.मी. तथा निकासी जलमार्ग– 2.45 कि.मी.) मुख्य नहर (248.65 कि.मी.) तथा वितरण प्रणाली (175 कि.मी.) समाविष्ट हैं ।

चरण– I में 283.41 करोड़ रुपए के व्यय के पश्चात् भी नहर का निर्माण, कार्यक्रम से पीछे रहा ।

पुनरीक्षित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार नहर प्रणाली को निम्नानुसार तीन चरणों में पूर्ण करने की योजना थी ।

चरण	मुख्य नहर पहुँच कि.मी. में	निर्माण वर्ष	सिंचाई का संचयी क्षेत्र (हेक्टेयर में)
I	शीर्ष से 81.59 कि.मी.	1991–92 से जून 1999	36100
II	81.59 कि.मी. से 206.28 कि.मी.	1995–96 से 2004–05	82900
III	206.28 कि.मी. से 248.65 कि.मी. तथा खरगौन उद्‌वहन नहर के 0 से 83 कि.मी.	1999–2000 से 2008–09	123000

283.41 करोड़ रुपए के व्यय के पश्चात भी चरण – I का कार्य जुलाई 2002 तक प्रगति पर था । अब एन.एच.डी.सी. लि. ने वर्ष 2005 तक बांध पूर्ण करने की योजना बनाई थी, अतः तत्समय नहर प्रणाली भी पूर्ण होनी चाहिए । दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में यूनिट II नहर के लिए 1740 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया था । तथापि राज्य योजना मंडल द्वारा मात्र 1088.32 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है तथा वर्तमान स्थिति निर्दिष्ट करती है कि चरण – I भी 2005 तक पूर्ण नहीं हो पाएगा ।

(i) न्यून प्राथमिकता

नहर प्रणाली के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई।

बांध तथा संलग्न कार्यों के साथ नहर प्रणाली के समकालिक निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई । नहर कार्यों के लिए अधिकतर एजेन्सियाँ 1998–2002 के दौरान निर्धारित की गई थीं तथा संरचनाओं के कार्य की प्रगति नगण्य थी । मुख्य नहर की आर.डी. 58.85 कि.मी. से आर. डी. 79.52 कि.मी. तक निर्माण हेतु निजी/वन भूमि[1] के अधिग्रहण के बिना, एजेन्सियॉ अप्रैल/मई 2002 में निर्धारित की गई । एक को छोड़कर अन्य जल वितरिकाओं हेतु एजेन्सियों का निर्धारण होना शेष है (जुलाई 2002)।

(ii) सर्वेक्षण पर अतिरिक्त लागत

शासन के आदेशों (अगस्त 1996) के अनुसार सर्वेक्षण का कोई कार्य ठेके पर नहीं दिया जाना था तथा विभागीय तौर पर कराया जाना था ।

शासकीय आदेशों के प्रतिकूल सर्वेक्षण कार्य 91.04 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत पर बाहरी स्रोत से कराया गया था।

शासन के आदेशों के बावजूद मुख्य नहर एवं 80 किलोमीटर से अधिक, इसकी वितरणियों के सर्वेक्षण कार्य हेतु, मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद द्वारा 1.47 करोड़ रुपए की संभावित लागत पर 6 समूहों में मई से सितंबर 2002 के दौरान निविदा आमंत्रण सूचनाएं जारी कीं । एन.एच.डी.सी. को यूनिट – I एवं III के हस्तांतरण के बाद उपलब्ध हुए 5 अधिशेष संभागों के होते हुए भी 4 समूह दो ठेकेदारों को 91.04 लाख रुपए की लागत पर सौंपे गए थे तथा शेष अभी विचाराधीन थे (सितंबर 2002) ।

1 इसी की कंडिका 4.1.7.3 (iii) में इसे और भी विस्तारित किया गया है ।

(iii) परतों में बड़े अंतर के कारण अतिरिक्त लागत तथा अनधिकृत भुगतान

अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित, अवास्तविक प्राक्कलनों पर कार्य दिए जाने से 5.89 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई।

(क) तीन संभागों (नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 10, 25 तथा 27) के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच में प्रकट हुआ कि अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित अवास्तविक प्राक्कलनों पर कार्य दिए गए थे । परिणामस्वरूप परतों में अत्यधिक भिन्नता तथा रूपांकनों में परिवर्तन हुए जिससे 5.89 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई (परिशिष्ट – XXV) ।

1 से 5 वर्षों के विलंब के परिणामस्वरूप 70.91 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ।

(ख) इसके अतिरिक्त, 1 से लेकर 5 वर्षों के मध्य विभाग पर अरोपणीय विलंबों के कारण 70.91 लाख रुपए का मूल्य वृद्धि के रूप में भुगतान किया गया ।

4.1.7 वित्तीय अनियमितताएं

4.1.7.1 पुनासा सुरंग का निर्माण

त्रुटिपूर्ण आंकड़ों पर पुनासा सुरंग के 'क्रास सेक्शन' के परिणामस्वरूप 1.26 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई।

(i) मुख्य अभियंता, आई.एस.पी. (नहर) जलाशय द्वारा सुरंग का 'क्रास सेक्शन' (लगभग 7.75 मीटर व्यास का भाग) 600 मि.मी. मोटे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग सहित रूपांकित तथा स्वीकृत किया गया (दिसम्बर 1994)। तदनुसार 9.25 मीटर व्यास की सुरंग की खुदाई की गई, किन्तु खुदाई का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 600 मि.मी. की लाईनिंग को कठोर स्थायी परतों के कारण सम–श्रेणी के 350 मि.मी. मोटे सादा एम सीमेंट कंक्रीट से प्रतिस्थापित (जुलाई 1999) कर दिया गया । इसके परिणामस्वरूप अधिक खुदाई हुई, अतएव 1.26 करोड़[2] रुपए की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई ।

इस इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जुलाई 2002) कि खुदाई पूर्ण होने के पश्चात नहर की पुनरीक्षित लाईनिंग मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत की गई थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सर्वेक्षण आंकड़ों के उचित अनुसमर्थन के पश्चात ही लाईनिंग की मोटाई निर्धारित की जानी चाहिए थी ।

2 सुरंग की अधिक उत्खनित पट्टी की मात्रा = 0.8293 $\{(9.25)^2-(8.75)^2\}$ x 3676 = 27437 घनमीटर
अतिरिक्त लागत = 27437 x 460.96 =12647457 रुपए

प्रतिस्थापित साधारण सीमेंट कंक्रीट की लाईनिंग की उच्च दरों पर स्वीकृति के परिणाम स्वरूप 91.67 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत ।

आगे यह भी देखा गया कि एम–20, एम.एस.ए.–20 मिलीमीटर श्रेणी की प्रबलित सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग के लिए ठेकेदार ने 1690.81 प्रति घनमीटर की दर उद्धृत की थी । परंतु प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की पर्याप्त (30 प्रतिशत अधिक)मात्रा के सम श्रेणी साधारण सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग से प्रतिस्थापन के कारण, अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रबलित सीमेंट कंक्रीट तथा साधारण सीमेंट कंक्रीट अतिरिक्त मदें बन गईं, जिनके लिए क्रमशः 1941.13 रुपए प्रति घनमीटर तथा 2046.76 रुपए प्रति घनमीटर की अत्यधिक ऊँची दरें स्वीकृत की गई (जून 2002), परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि को छोड़कर 91.67 लाख रुपए की और अतिरिक्त लागत आई ।

(ii) अनुबंध (5/1993–94) के अनुसार कार्य नवम्बर 1997 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, किन्तु 62.32 करोड़ रुपए के निविदा मूल्य के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा 11.62 करोड़ रुपए मूल्य का (2.18 करोड़ रुपए की मूल्य वृद्धि को छोड़कर) मात्र 18.64 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया । कार्यपालन यंत्री द्वारा भेजी गई कई सूचनाओं के बाद भी ठेकेदार ने कार्य की प्रगति को गति प्रदान नहीं की । तथापि उसे स्थल हस्तांतरण में विलंब, नक्शे तथा भुगतानों में विलंब, अनपेक्षित वर्षा तथा मानसून, कार्यक्षेत्र पर प्रतिबंध तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग में परिवर्तन जैसे लगभग एक समान कारणों पर 67 माह की 5 समयवृद्धियाँ दी गई थीं। अधीक्षण यंत्री को समय वृद्धि का प्रकरण प्रस्तुत करते समय कार्यपालन यंत्री द्वारा इनमें से अधिकांश का खण्डन किया गया था । अधीक्षण यंत्री द्वारा तीसरी समय वृद्धि (2 नवम्बर 1999 से 1 नवम्बर 2001) दंड आरोपित करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रदान की गई (दिसम्बर 1999) किन्तु चौथी और पांचवीं समय वृद्धियाँ (2 नवम्बर 2001 से 30 जून 2003) पूर्व की समय वृद्धियों को नियमित किए बिना धारा – जी.सी. 50[3] के अंतर्गत प्रदान की गईं (नवम्बर 2001 एवं अक्टूबर 2002)। यद्यपि कार्य का क्षेत्र 62.32 करोड़ रुपए से 42.32 करोड़ रुपए तक कम हुआ तथापि 48 माह की लक्ष्यित अवधि के विरुद्ध 111 माह (फरवरी 2003) तक ठेकेदार 38.14 करोड़ रुपए (17.46 करोड़ रुपए की मूल्य वृद्धि को छोड़कर) की लागत का कार्य निष्पादित कर सका । निर्माण कार्य अभी तक प्रगति में है (मार्च 2003) ।

पुनासा सुरंग की पूर्णता में अत्यधिक विलंब से निर्जलीकरण तथा मूल्यवृद्धि पर 15.77 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ।

इस प्रकार ठेकेदार पर आरोपणीय विलंबों का छदमावरण द्वारा विभाग पर भार स्थानांतरित किए जाने से मूल्य वृद्धि प्रभार पर 15.28 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान किया गया ।

विलंब के परिणामस्वरूप फरवरी 2003 तक बढ़ाई गई अवधि के दौरान 856714 किलोवाट घंटों के लिए निर्जलीकरण पर 49.46 लाख रुपए (मूल्यवृद्धि छोड़कर) का अतिरिक्त भुगतान भी हुआ ।

3 अनुबंध का क्लाज़ जी.सी. 50, शासन पर आरोपणीय विलंबों के लिए ठेकेदार को समय की वृद्धि प्रदान करने का प्रावधान करता है ।

उत्तर में कार्यपालन यंत्री ने बताया (जुलाई 2002) कि विलंबों की जांच के पश्चात जो विभाग पर आरोपणीय थे, अधीक्षण यंत्री द्वारा जी.सी.–50 के अंतर्गत समय वृद्धियां दी गईं। अनुबंध के क्षेत्र से कार्य की मात्रा में कमी तथा समय वृद्धियों की अवधि की दृष्टि से उत्तर मान्य नहीं है ।

4.1.7.2 निकासी जल मार्ग का निर्माण

(i) लाईन ड्रिलिंग तथा प्रीस्पिलिटिंग और पेरीमीटर ब्लास्टिंग के लिए अलग प्रावधान के कारण त्रुटिपूर्ण भुगतान ।

दो ठेकेदारों को निकासी जलमार्ग (7160 मीटर से 9360 मीटर) की खुदाई का कार्य 6.80 करोड़ रुपए की लागत पर दिया गया था (जुलाई 1991) । खुदाई के लिए लाइन ड्रिलिंग, एवं "प्रीस्पिलिटिंग" तथा "पेरीमीटर ब्लास्टिंग" कार्य की अति आवश्यक मदें है तथा रूपांकन के अनुसार कड़ी चट्टान में संरेखन, ग्रेड तथा स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है । तद्नुसार यें मदें अलग से एकीकृत दरों की अनुसूची में नहीं दी गईं ।

कड़ी चट्टान की खुदाई हेतु ड्रिलिंग एवं प्रीस्पिलिटिंग तथा पेरीमीटर ब्लास्टिंग के लिए अलग प्रावधानों के परिणामस्वरूप 47.26 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि दोनों अनुबंधों की जी–अनुसूची में, चट्टान में विशिष्ट अंतर पर 50 मि.मी. व्यास के छिद्र के साथ लाईन ड्रिलिंग एवं प्रीस्पिलिटिंग तथा "पेरीमीटर ब्लास्टिंग" अलग से दिए गए थे । इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 34.41 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

उसी प्रकार आर.डी. 1760 मीटर से 2330 मीटर तक पहुंच जलमार्ग (एप्रोच चैनल) की लाईन ड्रिलिंग एवं प्रीस्पिलिटिंग तथा पेरीमीटर ब्लास्टिंग की मदों में भी 12.85 लाख रुपए अतिरिक्त भुगतान किए गए ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया कि कड़ी चट्टान में आवश्यक ढलान प्राप्त करने के लिए लाइन ड्रिलिंग एवं प्रीस्पिलिटिंग तथा पेरीमीटर ब्लास्टिंग कार्य की सामान्य मदें हैं एवं खुदाई की मुख्य मद के क्षेत्र से परे है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ये मदें, संरेखण, ग्रेड तथा स्तर प्राप्त करने के लिए कड़ी चट्टान में खुदाई हेतु ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का भाग है, तथा अतिरिक्त मदों की भांति भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था ।

(ii) निकास जल मार्ग तथा नहर के आवश्यक प्रोफाईल की अवांछित अधिक खुदाई के कारण अपव्यय ।

निकास जलमार्ग तथा नहर की जलग्राही नाली सहित अवांछित खुदाई के कारण 88.94 लाख रुपए का व्यर्थ व्यय हुआ ।

चूंकि निकास जलमार्ग में बहुत ज्यादा कटाई सन्निहित थी, अतः जलग्राही नाली सहित प्रत्येक 2.5 मीटर के दो उपतटों के साथ जल मार्ग का "क्रास – सेक्शन" रूपांकित किया गया । तथापि जलग्राही नाली प्रोफाईल के साथ नहर की खुदाई के बाद यह पाया गया कि जलग्राही नालियां आवश्यक नहीं थीं । इसके परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि को छोड़कर 41.05 लाख रुपए का अपव्यय हुआ ।

इसी प्रकार आर.डी. 29.419 कि.मी. से 31.019 कि.मी. तक (समूह एम.ई. 8) इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के प्रथम उपतट (2.5 मीटर) में जलग्राही नाली प्रोफाइल सहित खुदाई के परिणामस्वरूप 47.89 लाख रुपए का अपव्यय हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री (नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 एवं 10) ने बताया कि जलमार्ग/नहर की खुदाई स्वीकृत नक्शों के अनुसार की गई थी । नालियों को उपयुक्त न होने से हटाया जाना बाद में निश्चित किया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्थल का स्तरण ज्ञात था, नालियों को समाप्त करने का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही लिया जाना चाहिए था ।

(iii) निकासी जलमार्ग की अधिक खुदाई के कारण अतिरिक्त लागत

अनुबंध के अनुसार, 150 मि.मी. से अधिक, अतिरिक्त खुदाई, प्रभारी अभियंता द्वारा जैसा भी निर्देशित किया जाए, कांक्रीट या अनुमोदित सामग्री द्वारा ठेकेदार के व्यय से वापस भरी जानी चाहिए ।

अति उत्खनन के सुधार के परिणामस्वरूप 31.69 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई।

निकास जलमार्ग की खुदाई में लाइन ड्रिलिंग एवं प्री स्पिलिटिंग तथा पेरीमीटर ब्लास्टिंग पर 34.41 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय करने के पश्चात भी, जलमार्ग की रूपांकित 13 मीटर तल – चौड़ाई से परे 0.5 मी. से 5.30 मीटर तक बढ़ी तथा जलमार्ग का ढलान तथा उपतट बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हुए थे । ढलान संरक्षण के कार्य के लिए एक अलग एजेन्सी को लगा कर (दिसम्बर 1998) इस अतिरिक्त खुदाई/चट्टानों की टूट–फूट को सुधारा गया, जिसके परिणामस्वरूप 31.69 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया कि इन जलमार्गों में खुदाई पूर्ण होने के 4–5 वर्ष व्यतीत होने के बाद ढलान संरक्षण (शॉट क्रीटिंग) का कार्य चालू किया गया जिस दौरान जलमार्ग के तल तथा बगल के ढलान क्षतिग्रस्त हुए, जो अंततः रूपांकित सेक्शन से परे अतिरिक्त खुदाई में परिवर्तित हुए ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्यों कि असावधानी पूर्ण ब्लास्टिंग के अलावा इस सीमा तक कड़ी चट्टान स्तरों की क्षति असंभव थी ।

(iv) कड़ी चट्टान की छंटाई और टांकने पर अस्वीकार्य भुगतान

एकीकृत दरों की अनुसूची (अप्रैल 1998) के अनुसार केवल बांधों और नहर संरचनाओं की नींव में छंटाई और टांकने की विशेष मद लागू योग्य थी ।

निकास जलमार्ग (7160 मीटर से 9360 मीटर) के ढलान संरक्षण (शॉटक्रीट) का कार्य, कड़ी चट्टान के ढलान संरक्षण से पहले 150 मि.मी. से अनधिक मोटाई तक छंटाई और टांकना इत्यादि की एक मद के साथ दिया गया था (दिसम्बर 1998) । ठेकों में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया था कि तलछट और संचय (सिल्ट एण्ड डिपाजिट) ठेकेदार द्वारा निःशुल्क हटाए जाने चाहिए ।

ढलान संरक्षण के लिए छंटाई और टांकने के संदेहास्पद कार्य पर 23.38 लाख रुपए का भुगतान ।

समतल प्राप्त करने के लिए अन्य एजेन्सी द्वारा लाइन ड्रिलिंग एवं प्रीस्पिलिटिंग तथा पेरीमीटर ब्लास्टिंग के प्रयोग से निकास जलमार्ग (7160 मीटर से 9360 मीटर) की खुदाई का कार्य पूर्ण किया गया (1992–93 से 1994–95) इसके बाद भी चट्टानों की अत्यधिक टूट फूट हुई । ढलान संरक्षण के कार्य कंक्रीट भराव अधिक टूट फूट का संपूर्ण क्षेत्र सुधारा गया(दिसम्बर 1998), इस कार्य के लिए छंटाई और टांकना आवश्यक नहीं था ।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि छंटाई और टांकने का भुगतान किया गया था। न तो एन.वी.डी.ए. द्वारा निर्देशानुसार विशेष स्वीकृति अभिलेखों पर पाई गई और न ही बड़ी झाड़ियाँ वास्तव में हटाई गईं जैसी कि ढलान संरक्षण के बाद प्राप्त सतह से पुष्टि हुई, संपूर्ण निष्पादन को संदेहास्पद बनाती है । परिणामस्वरूप 23.38 लाख रुपए (मूल्यवृद्धि छोड़कर) का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

उत्तर में कार्यपालन यंत्री ने बताया (जुलाई 2002) कि जैसा कि खुदाई 4–5 वर्ष पहले की गई थी, जलमार्ग के चट्टान – तल वातावरण प्रभाव एवं जल के बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुराने संचय पर मद लागू नहीं थी तथा ऊपर उल्लिखित कारणों की दृष्टि में उत्तर मान्य नहीं है ।

4.1.7.3 मुख्य नहर का निर्माण

(i) मूल्यवृद्धि के कारण अधिक भुगतान

विभिन्न ठेकेदारों के मूल्यवृद्धि देयकों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि (i) किए गए कार्य का मूल्य कार्य किए जाने की वास्तविक तिथि के स्थान पर देयक के भुगतान की तिथि के संदर्भ में माना गया (ii) प्रतिभूति अग्रिम की राशि, सामग्री के मूल्य (100 प्रतिशत) जिस पर वह प्रदाय/वसूल किया गया है के स्थान पर 75 प्रतिशत गणना में लिया गया । (iii) ठेकेदार को जारी की गई सामग्री का मूल्य, किए गए कार्य के मूल्य से नहीं घटाया गया था, (iv) अतिरिक्त मदों की राशि को किए गए कार्य को मूल्य में जोड़ा गया (v) मजदूरी घटक के लिए पास के इन्दौर शहर के स्थान पर भोपाल शहर के सूचकांक गणना में लिए गए तथा (vi) मूल सूचकांक गलत रूप से लिए गए ।

मूल्यवृद्धि प्रभार की शर्तों को गलत अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 20.53 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ ।

इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 10 तथा 27 के अंतर्गत विभिन्न ठेकेदारों को 20.53 लाख रुपए[4] का अधिक भुगतान हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री सत्यापन के पश्चात राशियों की वसूली हेतु सहमत हुए ।

(ii) भू अर्जन अधिकारियों के पास अवितरित पड़ा अग्रिम भुगतान

11.43 करोड़ रुपए का अवितरित भुगतान भू–अर्जन अधिकारियों के पास पड़ा था।

भू अर्जन अधिकारी खरगोन, बड़वाह तथा भीकनगांव को 11.70 करोड़ रुपए 383.284 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु अग्रिम दिए गए थे । इसमें से भूमि स्वामियों को मात्र 26.62 लाख रुपए अदा किए गए और शेष 11.43 करोड़ रुपए भू अर्जन अधिकारियों के पास अवितरित पड़े थे (जुलाई 2002) ।

4.1.8 कार्मिक प्रबंधन

बिना किसी कार्य के तैनात स्टॉफ के वेतन एवं भत्तों पर 7.89 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल था ।

मध्यप्रदेश सरकार तथा एन.एच.पी.सी. के बीच समझौता ज्ञापन में संयुक्त उद्यम में एन.वी.डी.ए., मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तथा मध्यप्रदेश सरकार के अन्य विभागों से 30 प्रतिशत कार्यपालिक स्टॉफ तथा 70 प्रतिशत अकार्यपालिक स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती का विचार था और आगे राहत तथा पुनर्वास कार्यों में लगा संपूर्ण स्टॉफ एन.एच.डी.सी. लि. द्वारा लिया जाना था । तथापि एन.एच.डी.सी. लि. को प्रतिनियुक्ति पर नगण्य संख्या में कार्यपालिक स्टॉफ भेजा गया। यूनिट – I तथा III के लिए कार्य कर रहे 2 मुख्य अभियंता, 7 मंडल, 22 संभाग तथा 70 उप संभाग कार्यभारित स्थापना, तथा दैनिक वेतन भोगियों को बिना किसी योजना या कार्य के यूनिट – II में तैनात कर दिया गया । इस प्रकार अधिकांश स्थापना व्यय (वेतन एवं भत्ते) जो 7.89 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष था, निरर्थक सिद्ध हुआ चूंकि जनशक्ति विशेष रूप से निष्क्रिय रही। उदाहरणार्थ मुख्य नहर के नर्मदा विकास संभाग क्र. 9 बीड़ को बिना कार्य निश्चित किए एक वर्ष से अधिक (जनवरी 2001 से फरवरी 2002) तक सनावद में मुख्यालय के साथ तैनात किया गया, परिणामस्वरूप 64.08 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ ।

4 नर्मदा विकास संभाग क्र. 10 – अनुबंध क्र. 5 डी.एल./2000–01 0.98 लाख रुपए 2 डी.एल. /2001–02, 0.12 लाख रुपए, 2 डी.एल./1999–00, 6.64 लाख रुपए नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 – अनुबंध क्र. 5 डी.एल./2000–01, 0.39 लाख रुपए 31 डी.एल./ 2000–01, 0.37 लाख रुपए, 1 डी.एल./2001–02, 4.00 लाख रुपए, 21 डी.एल. 98–99/8.03 लाख रुपए

4.1.9 अन्य रुचिकर तथ्य

(i) नर्मदा नदी से आई.एस.पी. कॉलोनियों को जल आपूर्ति के लिए 150 मि.मी. व्यास की जी.आई. पाईप लाइन बिछाया जाना ।

अवमानक कार्य के निष्पादन के परिणामस्वरूप 1.18 लाख रुपए प्रतिवर्ष का परिहार्य आवर्ती व्यय हुआ ।

सनावद में आई.एस.पी. कॉलोनियों तथा आई.एस.पी. के कार्यालय परिसर में अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण नर्मदा नदी से आई.एस.पी. कॉलोनी सनावद के अरक्षित कूप तक 150 मि.मी. व्यास की जी.आई. पाईप लाइन बिछाने का निर्णय लिया गया था ।

तद्नुसार नर्मदा नदी से विभागीय कूप तक 834 लीटर जल प्रति मिनट (लि./मि.) के उद्वहन हेतु कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विद्युत/यांत्रिक संभाग द्वारा पाईप लाईन रूपांकित की गई जो 28 लाख रुपए की लागत पर एन.वी.डी.ए. द्वारा स्वीकृत की गई थी (फरवरी 2001) । 24.15 लाख रुपए की लागत से पाईप की खरीद के पश्चात 3.65 लाख रुपए की लागत पर एक माह के भीतर पूर्णता के लिए मद दर संविदा पर पाईप लाईन बिछाने का कार्य दिया गया (जुलाई 2001)। कार्य नवम्बर 2001 में 3.57 लाख रुपए की लागत पर पूर्ण हुआ था ।

तथापि यह देखा गया कि विभागीय कूप में 834 लिटर/मिनिट के रूपांकित निकास के विरुद्ध मात्र 200 लिटर/मिनिट ही जल की वास्तविक उपलब्धता थी, पाईप लाईन की मरम्मत के बाद भी जल का पर्याप्त बहाव प्राप्त नहीं किया जा सका, अतः पाईप लाईन पूर्ण होने के दिनांक से 9800 रुपए (कूप का किराया 4800 रुपए तथा विद्युत प्रभार 5000 रुपए) प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय करते हुए जल को विभागीय कूप में उद्वहन करने के लिए नमोकार धाम के निकट पाईप लाईन को एक निजी कूप में छोड़ने के लिए काट दिया था ।

इस प्रकार अवमानक कार्य के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 1,17,600 रुपए प्रतिवर्ष का आवर्ती परिहार्य व्यय हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने तथ्य स्वीकार किए (मई 2002) तथा बताया कि पाईप लाईन के सुधार हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) बिना कार्य के भुगतान

ठेकेदारों को 1.03 करोड़ रुपए चट्टे लगाने हेतु भुगतान किए गए जो कार्य नहीं किया गया ।

1991–2002 के दौरान पुनासा सुरंग, निकास जलमार्ग, पहुंच जलमार्ग तथा इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के विभिन्न हिस्सों के निर्माण के लिए खुदाई का कार्य विभिन्न ठेकेदारों को दिया गया । खोदी गई कड़ी चट्टान के चट्टे लगाना, खुदाई की मद में शामिल था । तदनुसार ठेकेदारों ने अपनी दरें उद्धृत की थीं। तथापि नर्मदा विकास संभाग क्र. 10, 25 तथा 27 की लेखापरीक्षा में देखा गया (मई/जुलाई 2002) कि ठेकेदारों द्वारा खोदी गई कड़ी चट्टानों का ढेर लगा दिया गया तथा कोई माप नहीं लिए गए थे जिससे यह दर्शित हो कि

इनके चट्टे लगाए गए थे । इसके परिणामस्वरूप 1.03 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट – XXVI** में दर्शाया गया है ।

और आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि खोदी गई कड़ी चट्टान को उपयोग करने के लिए अथवा नीलामी द्वारा निपटाने के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी ।

उत्तर में कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि एकीकृत दरों की अनुसूची के अनुरूप कड़ी चट्टान के लेखे को सुधारा गया था तथा इसकी उपयोगिता के लिए पत्राचार प्रगति पर है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चट्टों के मापतौल के बिना कठोर चट्टान की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

उपरोक्त तथ्य सितम्बर 2002 में सरकार को सूचित किए गए थे।उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2003) ।

लोक निर्माण विभाग

4.2 लोक निर्माण विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

4.2.1 मुख्यांश

विभाग ने मार्च 2002 तक 68105.6 कि.मी. सड़कों एवं मार्च 1999 तक 117.54 लाख वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया था । मात्र 28.2 प्रतिशत गॉव सड़कों से जोड़े गए थे । मार्च 2002 तक राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों का निर्माण लक्ष्य का मात्र 54.88 प्रतिशत तथा 38.37 प्रतिशत था । अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, अवास्तविक प्राक्कलन, निविदाएं जारी करने एवं स्वीकृति में विलम्ब, भू–अर्जन में विलम्ब, अपर्याप्त साख पत्रों (एल.ओ.सी.) का जारी किया जाना, कार्य की धीमी प्रगति इत्यादि का अल्प उपलब्धि में योगदान था ।

भवनों के निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे । तथापि 1811 भवनों में से मात्र 829 भवन पूर्ण हुए थे तथा 126.45 लाख रुपए लागत आधिक्य को सन्निहित करते हुए 611 भवनों का कार्य प्रगति पर था ।

(कंडिका 4.2.9.2)

7 संभागों में 17.19 करोड़ रुपए साख पत्रों से अधिक आहरित कर लिए गए थे एवं 38.86 करोड़ रुपए व्यपगत होने से बचाने के लिए सिविल जमा में रखे गए थे ।

(कंडिका 4.2.7.2)

2423 अधिशेष अमले एवं 20479 गैंग मजदूरों पर अगस्त 2000 से 10.77 करोड़ रुपए एवं 49.15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय किए जा रहे थे । शासकीय आदेश का उल्लंघन करते हुए दिसंबर 1988 के पश्चात नियुक्त श्रमिकों को 26.86 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया ।

(कंडिका 4.2.8)

अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कारण 12 सड़कों पर 2.05 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत तथा 6.17 करोड़ रुपए का लागत आधिक्य हुआ ।

(कंडिका 4.2.9.1 (iii))

बिल्ड आपरेट एड ट्रांसफर योजना के अंतर्गत दोषी ठेकेदार के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई करने में विलंब के परिणामस्वरूप उसे 1.93 करोड़ रुपए का अदेय लाभ हुआ ।

(कंडिका 4.2.9.1 (iv))

15 संभागों में दोषी ठेकेदारों से 6.56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 4.2.10 (i))

देवास, इन्दौर–I एवं कटनी संभागों में उच्च दरों की निविदा स्वीकृति के परिणामस्वरूप 7.04 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 4.2.10 (ii)(ख))

4.2.2 प्रस्तावना

लोक निर्माण विभाग, सड़कों, पुलों एवं शासकीय भवनों के सर्वेक्षण, रूपांकन, निर्माण, उन्नयन, संधारण एवं मरम्मत के लिए मध्यप्रदेश शासन की प्रमुख एजेन्सी है ।

राज्य में मार्च 2002 तक कुल 68105.60 किलोमीटर (57667.40 किलोमीटर पक्की सड़कें और 10438.20 किलोमीटर कच्ची सड़कें) सड़कें थीं । सड़कों का प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में घनत्व, 42.4 किलोमीटर एवं 32.5 किलोमीटर के अखिल भारतीय औसत के विरुद्ध क्रमशः 18.7 किलोमीटर (पक्की सड़कें) तथा 3.4 किलोमीटर (कच्ची सड़कें) मात्र ही था। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 146 किलोमीटर (पक्की सड़कें) एवं 112.2 किलोमीटर (कच्ची सड़कें) के औसत के विरुद्ध राज्य में सड़कों की लंबाई क्रमशः 117.7 किलोमीटर एवं 21.7 किलोमीटर थी ।

लोक निर्माण विभाग मार्च 1999 तक 117.54 लाख वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के संधारण के लिए उत्तरदायी है ।

4.2.3 संगठनात्मक संरचना

नीति एवं योजनाकरण गतिविधियों के लिए शासन स्तर पर एक प्रधान सचिव एवं एक सचिव द्वारा लोक निर्माण विभाग का नेतृत्व किया जाता है । प्रमुख अभियंता व्यवसायिक सलाहकार हैं । मुख्य अभियंता, योजना एवं बजट, मुख्य वास्तुविद् सह मुख्य अभियंता, अनुसंधान,

रूपांकन एवं विकास, 5 आंचलिक मुख्य अभियंताओं, मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) एवं मुख्य अभियंता (सेतु निर्माण) द्वारा उनकी सहायता की जाती है । अधीक्षण यंत्रियों के नेतृत्व में 9 मण्डल कार्यालय, कार्यपालन यंत्रियों के नेतृत्व में 92 संभाग (82 सिविल एवं 10 विद्युत एवं यांत्रिकी) तथा उप संभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में 312 उप संभाग (264 सिविल एवं 48 विद्युत एवं यांत्रिकी) हैं ।

4.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं समावेशन

दिसंबर 2001 से मई 2002 के दौरान प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, पश्चिम परिक्षेत्र इंदौर एवं 7 संभागों (रायसेन, गुना, राजगढ़, देवास, उज्जैन, रतलाम एवं कटनी) के कार्यालयों के 1997–2002[5] की अवधि के अभिलेखों की नमूना जॉच की गई थी । अन्य विभागों/स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त की गई थी । समीक्षा के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं ।

4.2.5 अपर्याप्त योजनाकरण

71.98 प्रतिशत ग्राम सड़कों से जोड़े नहीं गए

(i) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किया जाना था तथा सामाजिक आर्थिक उन्नयन हेतु ग्रामों को जोड़ने के लिए विशेष जोर दिया गया था । मार्च 1997 तक 70883 में से 51,277 ग्राम सड़क के साथ नहीं जोड़े गए थे । इनमें से केवल 385 ग्रामों को जोड़ने की योजना थी तथा ग्राम संबद्धता को लगभग 28.02 प्रतिशत अर्थात पांच वर्षों में मात्र 0.36 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए 258 ग्राम ही वास्तविक रूप से जोड़े गए थे ।

(ii) भारत की सड़क विकास योजना (1981 से 2001) के अनुसार 2001 तक राज्य में 14642 किलोमीटर प्रादेशिक राजमार्ग एवं 28970 किलोमीटर मुख्य जिला सड़कों का निर्माण किया जाना था । इसके अतिरिक्त राज्य के राजमार्ग में कम से कम 25 प्रतिशत दोहरी पटरी, 50 प्रतिशत में 5.5 मीटर चौड़ाई की पटरी एवं उपयुक्त रूप से पटरी के ढांचे को सुदृढ़ कर शत प्रतिशत डामरीकरण आवश्यक था ।

प्रादेशिक राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के निर्माण में अपर्याप्त योजनाकरण के कारण अल्प उपलब्धि (54.88 एवं 38.37 प्रतिशत) थी ।

तथापि यह देखा गया कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई उचित योजना नहीं थी तथा मार्च 2002 तक केवल 8035.5 किलोमीटर (54.88 प्रतिशत) राज्य के राजमार्ग एवं 11114.5 किलोमीटर (38.37 प्रतिशत) मुख्य जिला सड़कें ही उपलब्ध थीं । इसके अतिरिक्त योजना अवधि के अंत तक सड़कों की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और ये वैसी ही रहीं जैसी कि नौवीं योजना (अप्रैल 1997) के प्रारम्भ में थीं अर्थात 8731.70 किलोमीटर राज्य के राजमार्ग, (8013.8 किलोमीटर डामरीकृत, 636.6 किलोमीटर "वाटर बाउण्ड मेकेडम" एवं 81.3 किलोमीटर कच्ची सड़क) । यद्यपि 12 मुख्य जिला सड़कें (1536.22 किलोमीटर) राज्य

5 समीक्षा में जहॉं कहीं भी शब्द "अवधि" संदर्भित है यह 1997–98 से 2001–02 की अवधि निर्दिष्ट करता है ।

राजमार्ग घोषित की गई थीं (जुलाई 2001) तथापि न तो उनका स्तर ऊँचा किया गया न इन्हें मुख्य जिला सड़कों की सूची से हटाया गया ।

4.2.6 लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

सड़कों और पुलों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्न तथ्य प्रकट हुए :

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में असमानता।

(i) अनुसूचित जाति/जन जाति बहुल क्षेत्रों के अंतर्गत, 53 वृहद, 125 मध्य पुलों, 3800 पुलियों एवं 1271 किलोमीटर सड़कों के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च 2002 तक 157.47 करोड़ रुपए के व्यय (72.43 प्रतिशत) पर मात्र 15 वृहद (28.3 प्रतिशत), 56 मध्यम पुल (44.8 प्रतिशत) 1000 पुलियाएं (26.32 प्रतिशत) तथा 527 किलोमीटर सड़कें (41.46 प्रतिशत) बनाई गई थीं । भौतिक प्रगति किए गए व्यय के अनुरूप नहीं है ।

नाबार्ड कार्य के लिए सड़कों एवं पुलों की उपलब्धियां मात्र 38.81 एवं 68.42 प्रतिशत रहीं।

(ii) 1997–2002 के दौरान ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) योजना III से VII के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से 508.38 करोड़ रुपए के ब्याजधारी ऋण से 514 प्रगतिरत निर्माण कार्य (397 सड़कें तथा 117 पुल) प्रारम्भ किए गए थे जिन्हें मार्च 2002 एवं मार्च 2004 के मध्य पूर्ण करने का लक्ष्य था । 514 कार्यों में से 344 कार्यों (268 सड़कें एवं 76 पुल) को मार्च 2002 तक पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ, आर.आई. डी.एफ. योजनाएं III, IV एवं V के अंतर्गत 300.10 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया था, 227.57 करोड़ रुपए (300.10 करोड़ रुपए का 75.81 प्रतिशत) व्यय करने के बावजूद भी मात्र 156 कार्य (45.33 प्रतिशत) (104 सड़कें और 52 पुल) पूर्ण किए जा सके थे (मार्च 2002) । शेष बचे हुए 358 कार्यों (293 सड़कें और 65 पुल) की भौतिक प्रगति 50 से 80 प्रतिशत के मध्य थी । निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब, भूअर्जन में विलंब, अपर्याप्त साखपत्र जारी किए जाना तथा ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति कार्यों को पूर्ण करने में विलंब के लिए आरोपणीय थे ।

भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति के मध्य असमानता मुख्य रूप से प्राक्कलनों के ऊर्ध्वमुखी पुनरीक्षण तथा ऊँची निविदा दरों के कारण थी ।

4.2.7 अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन

4.2.7.1 बजट बनाने एवं व्यय का विश्लेषण

प्रमुख अभियंता[6] द्वारा सूचित 1997–2002 के दौरान आवंटन एवं व्यय निम्न रूप से था :

6 मांग संख्या 24,42,64,67,68,76 एवं 58 के अंतर्गत

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयोजना/ आयोजनेतर	प्रावधान	आवंटन	व्यय	प्रतिशत	आधिक्य	बचत	प्रतिशत
1997–98	आयोजनेतर	475.50	474.24	560.58	82	86.34	.	18
	आयोजना	176.68	159.26	126.42	18	.	32.84	21
	कुल	**652.18**	**633.50**	**687.00**		**86.34**	**32.84**	
1998–99	आयोजनेतर	459.26	458.95	498.44	80	39.49	.	9
	आयोजना	211.85	180.80	126.00	20	.	54.80	30
	कुल	**671.11**	**639.75**	**624.44**		**39.49**	**54.80**	
1999–2000	आयोजनेतर	467.34	308.04	330.29	74	22.25		7
	आयोजना	793.60	174.42	118.25	26	.	56.17	33
	कुल	**1260.94**	**482.46**	**448.54**		**22.25**	**56.17**	
2000–01	आयोजनेतर	389.70	323.96	312.43	67	.	11.53	35
	आयोजना	342.49	309.67	150.74	33	.	158.93	51
	कुल	**732.19**	**633.63**	**463.17**		.	**170.46**	
2001–02	आयोजनेतर	318.82	260.94	218.94	47		42.00	16
	आयोजना	498.64	450.93	244.81	53	.	206.12	46
	कुल	**817.46**	**711.87**	**463.75**		.	**248.12**	

कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में कमी करने के कारण मुख्यतः अयोजनेत्तर के अंतर्गत व्यय में कमी हुई ।

1998–2000 के दौरान आयोजनेत्तर के अंतर्गत व्यय में कमी, मुख्य रूप से कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में कमी करने तथा सड़कों के डामरीकरण, नवीकरण, चौड़ा करने और सुदृढ़ करने हेतु अल्प प्रवधान के कारण थी । 2001–02 के दौरान 1 नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश के पुनर्गठन पर कर्मचारी संख्या के द्विभाजन के कारण यह कमी हुई ।

2001–02 में बचतें 46 प्रतिशत तक बढ़ी जो 1997–98 में 21 प्रतिशत थीं ।

यद्यपि, आयोजना के अंतर्गत आवंटन में 450.93 करोड़ रुपए तक महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई (2001–02) जो 1997–98 में 159.26 करोड़ रुपए थी तथापि विभाग 2001–02 में मात्र 244.81 करोड़ रुपए का ही उपयोग कर सका तथा 1997–98 में 21 प्रतिशत की तुलना में 2001–02 में भूअर्जन में विलंब, ठेकों के निर्धारण में विलंब, रेखांकन और रूपांकन को अंतिम रूप देने में विलंब के साथ ही ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण बचतें 46 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं ।

4.2.7.2 विभाग में वित्तीय नियंत्रण

(i) शासन ने व्यय पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चैक आहरित करने वाले अधिकारियों हेतु राज्य में साख पत्र प्रणाली 1976 में आरम्भ की ।

7 संभागों में साख पत्र से अधिक 17.19 करोड़ रुपए आहरित हुए।

तथापि यह देखा गया कि 1999–2002 के दौरान सात संभागों में साख पत्र से अधिक 17.19 करोड़ रुपए आहरित किए गए थे क्योंकि मुख्य अभियंतागण निधियों के अधिक आहरण पर नियंत्रण में विफल थे ।

नाबार्ड कार्यों के लिए साखपत्रों में से 79.08 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि वापिस की गई ।

(ii) यद्यपि मुख्य अभियंताओं को कार्यवार साखपत्र जारी करने आवश्यक थे, तथापि उन्होंने शीर्ष/मांग संख्यावार जारी किए थे परिणामस्वरूप निधियों का अनधिकृत व्यपवर्तन हुआ । उदाहरणार्थ अक्तूबर 2001 से मार्च 2002 के दौरान कार्यपालन यंत्री देवास ने "नाबार्ड" के साख पत्रों में से ठेकेदारों को 79.08 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि वापिस की थी ।

सड़कों के संधारण और मरम्मत के अंतर्गत 91.81 लाख रुपए त्रुटिपूर्ण ढंग से चिन्हित तथा विकलित किए थे ।

(iii) अप्रैल 2001 से मई 2002 के दौरान विद्युत/यांत्रिक संभाग जबलपुर ने त्रुटिपूर्ण ढंग से साखपत्र चिन्हित कर अन्य मदों पर 91.81 लाख रुपए व्यय किए एवं सड़कों के संधारण और मरम्मत के अंतर्गत विकलित किए ।

आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए 38.86 करोड़ रुपए "सिविल जमा" में रखे गए थे ।

(iv) केन्द्रीय सहायता को व्यपगत होने से बचाने के लिए 1996–2001 के दौरान 26.76 करोड़ रुपए के बचे हुए बजट आवंटन को "सिविल जमा" के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया था । इसी समान नमूना जॉच किए गए पांच संभागों द्वारा भी साखपत्र प्रणाली की अनदेखी करते हुए 15 मार्च के बाद भुगतानों पर रोक के आधार पर 12.10 करोड़ रुपए सिविल जमा के अंतर्गत रखे गए थे ।

4.2.7.3 पंजियों का अनुपयुक्त संधारण

(i) विविध निर्माण अग्रिम

45.85 करोड़ रुपए समायोजन के लिए विविध निर्माण अग्रिम के अंतर्गत लंबित थे ।

मार्च 2002 तक 45.85 करोड़ रुपए समायोजन के लिए 15 वर्षों से विविध निर्माण अग्रिम के अंतर्गत पड़े हुए थे ।

(ii) सामग्री क्रय उचंत लेखा

महालेखाकार के 66 करोड़ रुपए के लंबित समायोजन ज्ञापनों सहित 103.88 करोड़ रुपए सामग्री क्रय उचंत लेखा के अंतर्गत असमायोजित पड़े थे ।

महालेखाकार के 66 करोड़ रुपए के लंबित समायोजन ज्ञापनों सहित 103.88 करोड़ रुपए मार्च 2002 तक सामग्री क्रय उचंत लेखा के अंतर्गत असमायोजित पड़े थे । महालेखाकार के लंबित समायोजन ज्ञापनों की राशि (4.72 करोड़ रुपए) रायसेन संभाग में सामग्री क्रय उचंत लेखा की राशि (2.38 करोड़ रुपए) से अधिक थी जो सामग्री क्रय उचंत लेखा की त्रुटिपूर्ण स्थिति निर्दिष्ट करती है ।

(iii) जमा पंजी एवं निक्षेप कार्यों की पंजी

कार्यों हेतु निक्षेप (जमा) से 1.38 करोड़ रुपए अधिक व्यय किए गए थे ।

जमा पंजियॉ एवं निक्षेप कार्यों की पंजियॉ सही ढंग से संधारित नहीं थीं । कार्यपालन यंत्रियों द्वारा पंजियों की नियतकालिक समीक्षा भी नहीं की जा रही थी तथा 3 वर्षों से अधिक अप्रभावित मदों को शासन के लिए व्यपगत नहीं किया गया था । 3 संभागों की नमूना जॉच के दौरान यह देखा गया कि अन्य कार्यों के साखपत्रों को अनधिकृत रूप से परिवर्तित कर प्राप्त हुए निक्षेपों से 1.38 करोड़ रुपए अधिक व्यय किए गए ।

4.2.8 जनशक्ति नियोजन

(i) अधिशेष कर्मचारी

जून 1999 में शासन ने 614 अधिशेष कर्मचारी अधिसूचित किए ।

1 अप्रैल 1999 से "जिला सरकार" की पुरः स्थापना के साथ विभाग की पुनर्रचना हुई तथा शासन ने 614 व्यक्तियों को अधिशेष के रूप में अधिसूचित किया (जून 1999) एवं 614 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किए ।

अगस्त 2000 से 2423 अधिशेष कर्मचारियों पर 10.77 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय किए जा रहे थे ।

मध्यप्रदेश शासन ने कर्मचारी संख्या 30 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया (फरवरी 2000) तथा 1636 रिक्त पदों को समाप्त कर दिया था । सांख्येत्तर घोषित किए गए 3851 पदों को कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अथवा अगले उच्च पदों पर पदोन्नति होने के साथ समाप्त किया जाना था । सन् 2005 तक मात्र 1428 पद समाप्त हो सकेंगे एवं 2005 के बाद 2423 पद अधिशेष पड़े रहेंगे । इन अधिशेष कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष 10.77 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे थे ।

वास्तविक रूप से कार्यरत एवं अधिशेष कर्मचारियों की संवर्गवार जानकारी प्रमुख अभियंता के पास उपलब्ध नहीं थी । इसके अलावा कार्यभार के अनुपात में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी । अधिशेष कर्मचारी, अधिशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित नहीं किए गए थे जहाँ से उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सके ।

(ii) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की त्रुटिपूर्ण नियुक्ति

शासकीय आदेश का उल्लंघन करते हुए दिसंबर 1988 के पश्चात् नियुक्त श्रमिकों को 26.86 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया ।

विभाग ने सूचित किया कि शासकीय आदेश का उल्लंघन करते हुए 31 दिसंबर 1988 के पश्चात् 4833 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक त्रुटिपूर्ण ढंग से नियुक्त किए गए थे जिन्हें 26.86 करोड़ रुपए भुगतान किए गए थे । 4426 श्रमिकों की सेवाएं जून 2000 तक समाप्त कर दी गई थीं तथा न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण, 258 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अभी तक हो रहा था । विभाग ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई एवं सामान्य प्रशासन विभाग में निर्देशित किए (फरवरी 2000) अनुसार उन लोगों से राशि की वसूली से संबंधित जानकारी नहीं दी थी ।

(iii) संदिग्ध पद

20479 गैंग मजदूरों को प्रतिवर्ष 49.15 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा था।

22354 गैंग मजदूर विभाग की नियमित स्थापना में धारित नहीं थे, 30 वर्षों की सेवा पूर्ण होने अथवा 60 वर्ष की आयु होने पर 1744 सेवा निवृत्त हो गए थे, एवं 131 को चिकित्सीय रूप से अयोग्य पाए जाने पर हटा दिया गया था । 20479 गैंग मजदूर अभी तक वेतन पत्रक पर थे (दिसंबर 1999) एवं शासकीय सेवा में व्यक्तियों को अनुमत्य विभिन्न सुविधाएं मांगते हुए उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में रिट याचिकाएं प्रस्तुत की थीं । उन्हें प्रतिवर्ष 49.15 करोड़ रुपए भुगतान किए जा रहे थे ।

4.2.9 निष्पादन में अनियमितताएं

4.2.9.1 सड़कें एवं पुल

सड़क का निर्माण अपूर्ण रहने के कारण 58.89 लाख रुपए का व्यय निष्फल हुआ ।

(i) गुना जिले में गोरास से पाडोन सड़क (11.20 किलोमीटर) राज्य राजमार्ग–23 को 6.52 लाख रुपए की पूंजी (लागत) पर स्वीकृत किया गया था (नवंबर 1971) । अभिलेखों की छान–बीन से प्रकट हुआ कि जनवरी 2002 तक 58.89 लाख रुपए व्यय किए जाने तथा 31 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रारंभिक दूरी (रीच) में 300 मीटर की अत्यधिक चट्टान कटाई कार्य होने के कारण सड़क अपूर्ण थी । इसके अतिरिक्त प्रशासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति से अधिक किए गए 52.37 लाख रुपए के व्यय का नियमितीकरण भी नहीं हुआ था ।

यह इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग गुना ने बताया (जनवरी 2002) कि निधियों की अनुपलब्धता एवं उच्च निविदा दरों के कारण चट्टान काटने का कार्य निष्पादित नहीं हुआ था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रारम्भिक दूरी में चट्टान कटाई अपूर्ण काटने के कारण सड़क का संपर्क नहीं था तथा 58.89 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

भूमि की अनुपलब्धता से कार्य छोड़ दिए जाने पर 8.47 लाख रुपए का निरर्थक व्यय हुआ ।

(ii) बुधोरिया होकर आरोन–राघोगढ़ सड़क (3 किलोमीटर) नाबार्ड सहायता (ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि– III योजना) के अंतर्गत 27.30 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत की गई थी (जुलाई 1997) । 8.47 लाख रुपए के व्यय के बाद भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य छोड़ दिया गया था (अक्टूबर 2001) ।

अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान से 2.05 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत एवं 6.17 करोड़ रुपए का लागत आधिक्य हुआ ।

(iii) नाबार्ड सहायता (आर.आई.डी.एफ. III से VII) के साथ निर्माणाधीन 12 सड़कों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच से प्रकट हुआ कि 4 प्रकरणों में भूअर्जन के लिए प्रावधान (0.98 करोड़ रुपए) अपर्याप्त था, 12 सड़कों में 0.42 करोड़ रुपए लागत की 165761 घनमीटर "सबग्रेड" की मात्रा बढ़ी थी, 7 सड़कों में 0.37 करोड़ रुपए लागत की 23988 घनमीटर "सबबेस" की मात्रा बढ़ी तथा 8 सड़कों में डब्ल्यू.बी.एम. संहतिकरण की मात्रा 8453 घनमीटर बढ़ी जिसमें 0.28 करोड़ रुपए सन्निहित हुए । इस प्रकार अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कारण 2.05 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत हुई साथ ही तीन सड़कों में असाधारण विलंब के साथ 6.17 करोड़ रुपए (बड़ा बरखेड़ा 0.62 करोड़ रुपए, मंगरोल बागलवाड़ा 3.08 करोड़ रुपए तथा कांटाफोड़–पंजापुरा 2.47 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई ।

दोषी ठेकेदार के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई करने में विलंब के परिणामस्वरूप उसे 1.93 करोड़ रुपए का अदेय लाभ हुआ ।

(iv) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग रतलाम द्वारा 2 मध्यम पुलों, 10 पुलियों का पुर्ननिर्माण, जावरा–रतलाम–बड़नगर–लेबड़ मार्गों एवं रतलाम बायपास मार्ग (130.4 किलोमीटर) का नवीकरण तथा संधारण बिल्ड ऑपरेट–ट्रांसफर योजना के अंतर्गत एक ठेकेदार को पॉच वर्षों में पूर्ण करने हेतु अप्रैल 1999 में सौंपा गया था । कार्य की 18.99 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जानी थी जिसके विरुद्ध उसे प्रारम्भिक

कार्य पूर्ण होने की दिनांक से लेकर 3147 दिनों की अवधि के लिए विशिष्ट दरों पर पथकर संग्रह करने के अधिकार दिए गए थे ।

5.57 करोड़ रुपए के प्रत्याशित निवेश के विरुद्ध ठेकेदार ने जनवरी 2002 तक केवल 4.82 करोड़ रुपए मूल्य के निर्माण कार्य ही निष्पादित किये और 6.75 करोड़ रुपए के पथकर की वसूली की। मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) और जिलाध्यक्ष रतलाम तथा धार ने निष्पादित कार्य समग्रतः अवमानक स्तर का बताया तथापि कार्यपालन यंत्री तथा मुख्य यंत्री ने 1 जनवरी 2002 के पूर्व उस समय तक कोई कार्यवाही नही की जब कार्यपालन यंत्री ने ठेके को विखण्डित किए बिना पथकर वसूली के अधिकार निरस्त कर दिए। जनवरी 2002 से कार्य निलंबित पड़ा था।

इसके परिणामस्वरूप, सड़क निर्माण में ठेकेदार के निवेश से अधिक वसूल किए गए पथकर में उसे 1.93 करोड़ रुपए का अदेय लाभ हुआ (1 जनवरी 2002)।

(v) केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य क्षेत्र सड़क विकास कार्यक्रम

102.88 करोड़ रुपए के आवंटन के विरुद्ध मात्र 37.93 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 181 करोड़ रुपए के 52 कार्य (1196.7 कि.मी.) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत मई 1999 एवं दिसम्बर 2001 के मध्य अनुमोदित किए । एजेन्सियों के निर्धारण में विलंब तथा उनके द्वारा धीमी प्रगति के कारण मार्च 2002 तक 52 कार्यों (2 पूर्ण) पर 102.88 करोड़ रुपए के आवंटन के विरुद्ध मात्र 37.93 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए ।

उपयोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत न करने से 84.44 करोड़ रुपए कम विमुक्त हुए ।

चूंकि मध्यप्रदेश सरकार उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असफल रही इसलिए भारत सरकार ने वर्ष 2000–02 के दौरान राज्य को 114.42 करोड़ रुपए के विरुद्ध मात्र 29.98 करोड़ रुपए विमुक्त किए ।

(क) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का त्रुटिपूर्ण चयन

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 12.93 करोड़ रुपए की 9 ग्रामीण सड़कों का त्रुटिपूर्ण रूप से अनुमोदन किया गया था ।

केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित की जाने वाली सड़कों के चयन के दिशा–निर्देशों में निर्धारित था कि इस कार्यक्रम में ग्रामीण सड़कों को सम्मिलित नहीं किया जाना था क्योंकि इन सड़कों के लिए निधियाँ "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही थीं तथापि 12.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 9 ग्रामीण सड़कें (141.26 कि.मी.) ही केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अभिज्ञापित एवं अनुमोदित की गई थीं।

2.59 करोड़ रुपए के चल रहे एक ग्रामीण सड़क के कार्य को त्रुटिपूर्ण ढंग से 20.82 करोड़ रुपए की लागत पर 3 हिस्सों में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया ।

इसी प्रकार रायसेन जिले में एक अन्य ग्रामीण सड़क नामशः बतेरा–बम्होरी–सिलवानी–सुल्तानगंज सड़क (66.50 कि.मी.) जो अन्य योजना (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) के अंतर्गत 1979–80 से चल रही थी और जिस पर 2.59 करोड़ रुपए व्यय हो चुके थे (नवम्बर 2001) उसे 20.82 करोड़ रुपए की लागत पर केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण ढंग से अनुमोदित कर दिया गया (जनवरी 2001) । प्रगति अत्यधिक धीमी थी एवं 7 कि.मी. का अंतर छोड़ दिया गया था जिस पर केवल मिट्टी कार्य हुआ था।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, रायसेन ने बताया (जनवरी 2002) कि केन्द्रीय सड़क निधि में नवीन कार्य स्वीकृत होने पर पूर्व में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य पूर्णतः रोक दिया गया था । उन्होंने आगे यह भी बताया कि छूटी हुई कड़ी शासन द्वारा पेच (गड्ढों) मरम्मत के अनुमोदन न करने के कारण थीं तथा आवश्वस्त किया कि इसे पूरक प्राक्कलन में सम्मिलित कर लिया जाएगा ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चयन के दिशा निर्देशानुसार केन्द्रीय सड़क निधि में चयनित होने पर सड़क को किसी अन्य योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु नहीं लिया जाना था ।

(ख) वन भूमि निर्बाधन के बिना सड़कों का निर्माण

वन निर्बाधन की अनुमति के बिना 3.76 करोड़ रुपए की लागत की बंधी–झिरी ग्रामीण सड़क का कार्य त्रुटिपूर्ण ढंग से केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रारम्भ करना ।

(i) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में यह निर्दिष्ट है कि भारत शासन के वन निर्बाधन की पूर्वानुमति के बिना वन भूमि पर कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, यह देखा गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत मार्च 2003 तक पूर्ण की जाने वाली 3.76 करोड़ रुपए लागत की बन्धी–झिरी सड़क (25 कि.मी.) के निर्माण का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया था (जनवरी 2001) । मध्यप्रदेश सरकार, वन विभाग (जून 1988) एवं मुख्य वन संरक्षक ने सड़क पर अपना अधिकार रखने सहित कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ सड़क निर्माण की अनुमति (जून 2001) प्रदान की ।

यद्यपि स्वीकृत प्राक्कलन विद्यमान दुर्गम सड़क पर 5.50 मीटर चौड़ी पक्की सड़क हेतु स्वीकृत था । किन्तु इसे 3.5 मीटर चौड़ाई तक सीमित कर दिया गया । कार्य फरवरी 2003 में 3.85 करोड़ रुपए की लागत पर पूर्ण हुआ । न केवल केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत इसका चयन ही गलत नहीं था, अपितु भारत शासन के वन निर्बाधन के बिना अनधिकृत निर्माण भी सही नहीं था।

(ii) 2.08 करोड़ रुपए लागत एवं मार्च 2002 में पूर्ण की जाने वाली एक अन्य ग्रामीण सड़क, कांटाफोड़–पुंजापुरा सड़क (21 किलोमीटर) नाबार्ड द्वारा ग्रामीण एकीकृत विकास

निधि–V योजना के अंतर्गत अनुमोदित की गई थी, वह जनवरी 2003 तक 2.49 करोड़ रुपए व्यय किए जाने के उपरान्त भी अधूरी थी । यह भी आरक्षित सघन वन क्षेत्र (7 से 22 किलोमीटर) होकर गुजरती है ।

इसे बताए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2002) कि कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था एवं निविदाएँ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार की गई थीं अतः इस स्थिति में सड़क के चयन को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सड़क सघन वन से होकर ग्रामीण क्षेत्र में दो गॉवों को जोड़ती है और वन निर्बाधन के बिना इसका निर्माण किया गया था । पुनश्च भारत सरकार की स्वीकृति उनके स्वयं के दिशा निर्देशों के विपरीत थी ।

(vi) अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की प्रादेशिक सड़कों/पुलों की धीमी प्रगति

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, अंतर्राज्यीय योजना के अंतर्गत चयनित सड़कों के लिए अनुमोदित लागत की शत–प्रतिशत एवं आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत् चयनित सड़कों/पुलों की लागत की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देता है । राज्य सरकार को उपरोक्त कार्यकम के अंतर्गत प्राथमिकता के क्रम में, दिशानिर्देशों के अनुरूप 2 या 3 प्रस्ताव नियत समय में विचारार्थ भेजने थे ।

प्रस्तावों के विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के कारण 238.79 करोड़ रुपए के 17 प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ ।

(क) दिशा–निर्देशों का अनुसरण किए बिना भारत सरकार को 238.79 करोड़ रुपए के सड़कों के 17 प्रस्ताव (1189.30 कि.मी.) नियत तिथि (30 अप्रैल) के उपरान्त नवम्बर 1997 एवं नवम्बर 2001 के मध्य स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए थे ।

10.40 करोड़ रुपए के सहमत कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन एवं डिज़ाइन प्रतीक्षित थे ।

(ख) भारत सरकार शतप्रतिशत वित्त योजना के अंतर्गत 10.40 करोड़ रुपए लागत की सतना– चित्रकूट सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए सहमत (सितंबर 2001) हो गई थी तथापि मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रीवा (प्रमुख अभियंता, मई 2002) से विस्तृत प्राक्कलन एवं डिज़ाइन अभी तक (जून 2002) प्रतीक्षित थे । चूंकि विभाग सभी उपलब्ध संसाधनों को गति प्रदान करने में असफल रहा परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा आवंटित 27.45 करोड़ रुपए में से मात्र 11.63 करोड़ रुपए (42.37 प्रतिशत) व्यय ही किए जा सके।

4.2.9.2 भवन

भवनों को पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे ।

सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) प्रदान किया गया जबकि भवनों की पूर्णता के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे । 264.80 करोड़ रुपए की लागत पर विभिन्न विभागों के लिए 1994–2001 के दौरान अनुमोदित 1811 भवनों में से 245.34 करोड़ रुपए की लागत पर मार्च 2002 तक मात्र 829 भवन पूर्ण किए गए थे । 611 भवनों का कार्य प्रगति पर था तथा 371

भवनों का कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ था । विभाग ने सभी भवनों की पूर्णता के लिए वास्तविक लागत 391.25 करोड़ रुपए अनुमानित की थी परिणामस्वरूप लागत में 126.45 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई ।

आगे विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :

स्थल के अभाव में शिक्षा विभाग के 64 भवनों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था ।

(i) (क) अगस्त 1998 तक स्वीकृत शिक्षा विभाग के 64 भवनों का निर्माण कार्य भूमि, पुनरीक्षित स्वीकृति के अभाव तथा निधियों की कमी से प्रारम्भ नहीं हुआ था । 197 भवन ठेकेदारों द्वारा दी गई अल्प प्रगति, कार्य स्थल, ले आउट, ड्राइंग और ड़िजाइन सौंपने में विलम्ब तथा विलम्बित भुगतान के कारण अधूरे थे ।

(ख) धार में निजी भूमि पर कन्या स्नातक महाविद्यालय एवं छात्रावास भवन की प्रशासकीय स्वीकृति के बिना निर्माण पर 11 लाख रुपए का अनधिकृत व्यय हुआ ।

(ग) उज्जैन में 54.90 लाख रुपए के लिए स्वीकृत (5 जून 1995) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण, स्थल के अभाव में अभी प्रारम्भ (मई 2002) होना था ।

43.94 लाख रुपए व्यय करने के उपरान्त निधियों के अभाव में कॉलेज का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया ।

(घ) 76.80 लाख रुपए के लिए स्नातक महाविद्यालय भवन, नरसिंहगढ़ का निर्माण कार्य स्वीकृत (मई 1995) हुआ था एवं कार्य 24 माह में पूर्णता सहित दिया (1996–97) गया था। कार्य जिस पर मार्च 2002 तक 43.94 लाख रुपए व्यय किए जा चुके थे, निधियों के अभाव में अधूरा रह गया ।

स्वास्थ्य विभाग के 56 भवन भूमि एवं ड्राइंग्स की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं हुए थे ।

(ii) (क) 14.75 करोड़ की लागत के अगस्त 1998 तक स्वीकृत स्वास्थ्य विभाग के 56 भवनों का निर्माण कार्य भूमि एवं ड्राइंग्स की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं हुआ था । विद्यमान जन स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का 30 बिस्तर वाले सामुदायिक केन्द्र भवनों में उन्नयन करने के बजाए 20 नए स्थलों पर पुनरीक्षित स्वीकृति के बिना नये निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ की गई जिससे लागत 2.87 करोड़ रुपए से 7.04 करोड़ रुपए हो गई ।

3 विद्यमान भवनों एवं 2 डूब क्षेत्र के भवनों के लिए 85.47 लाख रुपए की स्वीकृति अनियमित थी ।

(ख) बिजावर (छतरपुर), सोनकच्छ (देवास) एवं आरोन (गुना) के लिए 26.28 लाख रुपए, 14.54 लाख रुपए तथा 14.54 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनो के निर्माण को स्वीकृति दी गई यद्यपि भवन पूर्व में ही विद्यमान थे ।

इसी प्रकार, हरसूद (खंडवा) एवं निसारपुर (धार) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए क्रमशः मार्च 1995 और अप्रैल 1998 में स्वीकृति दी गई थी यद्यपि भवन इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गये थे तथापि निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ था ।

16.66 लाख रुपए की व्यपगत स्वीकृति के विरुद्ध कार्य दे दिया गया ।

(ग) नियमों के अनुसार स्वीकृति 3 वर्ष में व्यपगत् हो जाती है तथापि पिपलौदा (रतलाम) स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य 16.66 लाख रुपए की लागत पर 17 अगस्त 1998 का दिया यद्यपि स्वीकृति 17 जुलाई 1994 को व्यपगत हो गई थी।

28 उप जेलें सम्बद्ध कार्य पूर्ण न होने के कारण वर्ष 1990 से क्रियाशील नहीं थीं ।

(iii) तहसील स्तर पर प्रत्येक न्यायालय के लिए एक जेल भवन उपलब्ध कराने तथा विद्यमान जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से 70 उप जेलों का निर्माण किया गया था । इन 70 पूर्ण उप जेलों में से 10.87 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 28 (40 प्रतिशत) सम्बद्ध कार्य यथा जलप्रदाय व्यवस्था, विद्युत फिटिंग्स पहुँच मार्ग इत्यादि पूर्ण न होने के कारण 1990 से क्रियाशील नहीं थीं । नवीनतम प्राक्कलनों (1999–2000) के अनुसार उन्हें क्रियाशील करने के लिए 3.22 करोड़ रुपए और आवश्यक थे ।

ड्राइंग विलम्ब से प्रदाय करने एवं ठेकेदार की धीमी प्रगति के कारण आबंटित निधियों में से केवल 40 प्रतिशत व्यय की गई।

(iv) 1.92 करोड़ रुपए की लागत पर राजगढ़ में कलेक्ट्रोरेट भवन के निर्माण का अनुमोदन सितम्बर 1997 में हुआ था । ड्राइंग एवं डिजाइन के बिना 2.11 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (जुलाई 1999) में की गई थी । कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, राजगढ़ ने 24 माह की पूर्णता के साथ कार्य ठेकेदार 'ए' को सौंप दिया (जनवरी 2000)। 2.12 करोड़ रुपए के आवंटन में से फरवरी 2003 तक मात्र 84.49 लाख रुपए (40 प्रतिशत) ही व्यय किए गए थे।

(v) 11 वें वित्त आयोग के अंतर्गत् भवन निर्माण कार्य

जल प्रदाय एवं पहुँच मार्ग के अभाव में 1.39 करोड़ रुपए का भवन क्रियाशील नहीं था ।

(क) कटनी में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से कलेक्टर कार्यालय भवन का निर्माण 3050 वर्गमीटर कुर्सीक्षेत्र पर किया जाना था (फरवरी 2000)। बाद में व्यय को स्वीकृत लागत के भीतर रखने के लिए कुर्सी क्षेत्र को 2500 वर्गमीटर तक प्रतिबंधित कर दिया गया । यद्यपि भवन पूर्ण हो गया था तथा व्यय पहले ही 14 लाख रुपए अधिक हो चुका था तथापि भवन पहुंच मार्ग एवं जल प्रदाय के अभाव में उपयोग में नहीं था (अप्रैल 2002) ।

ड्राइंग एवं डिजाइन तैयार नहीं होने से 6.64 करोड़ रुपए सिविल जमा के अंतर्गत रखे गए थे ।

(ख) 2000–2001 में 11 निदान केन्द्रों के उन्नयन के लिए 11 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित 6.64 करोड़ रुपए आहरित कर सिविल जमा में जमा करा दिए गए थे और कार्यपालन यंत्री द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर ड्राइंग्स एवं डिजाइन तैयार न किए जाने से अप्रयुक्त पड़े रहे ।

4.2.10 ठेका प्रबंधन

(i) दोषी ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत की वसूली न करना

दोषी ठेकेदारों से 6.56 करोड़ रुपए अतिरिक्त लागत की वसूली न करना

यद्यपि राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए थे, 15 संभागों में दोषी ठेकेदारों से मार्च 2002 तक 5.85 करोड़ रुपए वसूली हेतु शेष थे । 70.91 लाख रुपए के अन्य 41 प्रकरणों में वसूली हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए थे । दोषी ठेकेदारों के पंजीकरण निरस्ती के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

(ii) विलम्ब से निविदा स्वीकृति एवं उच्च दरों पर स्वीकृति के कारण अतिरिक्त लागत

वैधता के बाद निविदा स्वीकृति के परिणामस्वरूप 14 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई ।

(क) झाबुआ–मेघनगर सड़क के 10/4 कि.मी. पर अनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए प्राप्त निविदा 16 अगस्त 2000 तक वैध थी । सरकार ने 1.14 करोड़ रुपए के न्यूनतम प्रस्ताव को 17 अगस्त, 2000 को स्वीकार किया, ठेकेदार ने निविदा स्वीकृति से इन्कार कर दिया ।

नई निविदाएं आमंत्रित की गई (नवम्बर 2000) तथा ठेकेदार 'ए' का 1.28 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकार (जून 2001) कर लिया गया, परिणामस्वरूप 14 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई ।

उच्च दरों पर निविदा स्वीकृति के परिणामस्वरूप 7.04 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई ।

(ख) अभिलेखों की नमूना जॉच से प्रकट हुआ कि देवास, इन्दौर–1 एवं कटनी संभागों के पॉच प्रकरणों में निविदाऍं (1.71 प्रतिशत कम से 7.77 प्रतिशत अधिक के) तत्कालीन प्रचलित रूझान से 1.70 प्रतिशत से 33.31 प्रतिशत अधिक की अत्यधिक ऊँची दर पर स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप 7.04 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई ।

(iii) ठेकेदार को अधिक भुगतान

गुणवत्ता मानदण्डों के उल्लंघन में ठेकेदार को 26.10 लाख रुपए का अधिक भुगतान

डिन्डोरी (मण्डला) में गोपालपुर–गोरखपुर–चाडा ग्रामीण सड़कों के 1 से 41 किलोमीटर के डामरीकरण के समय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार 20 मिलीमीटर मोटाई के विरुद्ध ठेकेदारों को 25 मिलीमीटर मोटाई के "ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट" के लिए भुगतान किया गया था । इस प्रकार 529.73 घनमीटर "ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कार्पेट" का अधिक निष्पादन अवांछित था तथा परिणामस्वरूप 14.51 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ ।

इसी प्रकार डब्ल्यू.बी.एम. सड़क सतह पर प्रति 10 वर्गमीटर में 3.5 से 4 किलोग्राम डामर के "टैक कोट" की विशिष्टि के विरुद्ध 10 किलोग्राम डामर डाला गया था । इसके परिणामस्वरूप 11.59 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ ।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, डिन्डोरी ने उत्तर में बताया कि निष्पादित मदें सड़क के कार्यस्थल की दशा के अनुसार थीं । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य की मदें गुणवत्ता मानदण्डों के प्रतिकूल थीं ।

(iv) सड़क नवीकरण में अवमानक कार्य का निष्पादन

1.39 करोड़ रुपए के अवमानक कार्य की मरम्मत पर 13.53 लाख रुपए के अमान्य भुगतान के कारण हानि ।

राष्ट्रीय राजमार्ग–7[7] के डामरीकरण का कार्य एक ठेकेदार को 5 अनुबंधों के अंतर्गत 1.11 करोड़ रुपए में 1 से 4 माहों के भीतर पूर्ण करने हेतु अप्रैल 1998 एवं मई 1999 के मध्य सौंपा गया था। अनुबंध के अनुसार यदि निष्पादन के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के छः माह के भीतर कोई क्षति या अपूर्णता दिखाई देती है तब ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय पर उसे ठीक करना था । ठेकेदार ने दिसंबर 1998 और दिसंबर 1999 के मध्य कार्य पूर्ण कर लिया था एवं जनवरी 1999 एवं जनवरी 2001 के मध्य उसे 1.39 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि यद्यपि अवमानक कार्य के कुछ दृष्टांत जून 1998 एवं अक्टूबर 1999 में ध्यान में आ गए थे तथापि विभाग ने 3 अलग अनुबंधों के अंतर्गत उसी ठेकेदार के माध्यम से सड़क[8] के एक भाग की मरम्मत कराई तथा 13.53 लाख रुपए भुगतान किए (जून, जुलाई 2000 एवं फरवरी 2001)। इसी के साथ सड़क की मरम्मत हेतु विभिन्न आकार की गिट्टियों को जमा करने में 0.33 लाख रुपए भी व्यय किए गए थे ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (सितंबर 2000) कि 1999 में भारी वर्षा के कारण कुछ गड्ढे बन गए थे क्योंकि सड़क के कुछ भाग जलमग्नीय क्षेत्रों में थे । इस प्रकार "पैच रिपेयर" कार्य कराना पड़ा था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़क के पॉच वर्षों के प्रत्याशित जीवन के विरुद्ध विभाग के ध्यान में अवमानक कार्य पहले ही वर्ष में आ गया था ।

(v) छल पूर्वक कार्य सौंपना तथा परिहार्य अतिरिक्त लागत

7.51 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत एवं ठेकेदार को छलपूर्ण भुगतान

शेर नदी के पुल पर 310 मीटर माइल्ड स्टील 'रेलिंग गर्डर' की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य एक ठेकेदार "ए" को सौंपा गया था (25 सितम्बर 1998) तथा अक्टूबर 1998 में पूर्ण हो गया था।

7 किलोमीटर 581/4, 6, 584, 585, 587/8–10, 588/2, 4, 8, 589/8–10, 590, 591, 594, 595, 601 से 607 एवं 625 से 630

8 किलोमीटर 587/8, 10, 588 से 591 एवं 627 से 630

शक्कर नदी के पुल पर करेली की ओर 133/4 से 133/6 किलोमीटर एवं गाडरवाडा की ओर 133/8 से 133/10 किलोमीटर में 408 मीटर के लिए समान कार्यों हेतु तकनीकी स्वीकृति के बिना निविदाएँ बुलाई गई थीं (23 सितंबर 1998) जो 15 अक्टूबर 1998 को खोली जानी थी । ठेकेदार "ए" को निविदाएँ खोलने के एक दिन पहले अर्थात् 14 अक्टूबर 1998 को समान दर पर कार्यादेश जारी कर दिए गए ।

पुनः शेर नदी के कार्य के लिए इन कार्यों से संबंधित एक प्रविष्टि, 21 सितम्बर 1998 को हुई क्रय समिति की बैठक में निविदाएँ आमंत्रण से भी पहले सम्मिलित कर दी गई । भुगतान एक अन्य निविदाकार "बी" जिसके प्रस्ताव ठुकरा दिए गए थे ने प्राप्त किए थे (मई – जून 2000) इस प्रकार कार्य छलपूर्वक दिया गया था ।

यह भी प्रकट हुआ कि 718 मीटर माइल्ड स्टील रेलिंग गर्डर का भुगतान सड़क कार्यों के लिए प्रचलित दरों की अनुसूची (मई 2000) में दी गई 682 रूपए प्रति मीटर के विरुद्ध 1728 रुपए प्रति मीटर की दर से किया गया था । इस प्रकार 7.51 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

सरकार ने (जून 2002) में सूचित किया कि प्रकरण राज्य की आर्थिक अपराध शाखा की जॉच के अंतर्गत् था । आगामी प्रगति प्रतीक्षित है ।

(vi) उच्च दरों पर कार्य देने के कारण अतिरिक्त लागत

प्रचलित दरों के घटक–वार मूल्यांकन के बिना निविदाओं की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 29.38 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई।

वाटर बाउंड मेकेडम द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा डामरीकरण द्वारा दो सड़को का नवीकरण यथा रेहली–गौर झामर एवं सागर–दमोह के तीन कार्य, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग–I, सागर द्वारा तीन ठेकेदारों को प्रतिशत दर निविदाओं पर दिए गए थे।

इन सड़कों पर निष्पादन किए जाने वाले कार्य में दो भिन्न अवयव यथा

(i) वाटर बाउंड मेकेडम द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य जिसके लिए उसी संभाग में, उसी अवधि (1999–2000) के दौरान प्रचलित दरों का रूझान दरों की अनुसूची 1992 से 19.95 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के बीच अधिक था तथा (ii) डामर नवीकरण जिसके लिए ये दरों की अनुसूची से 87 प्रतिशत से 89.90 प्रतिशत के मध्य था ।

तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ (अगस्त 2001) कि कार्य की दोनों मदों यथा वाटर बाउंड मेकेडम एवं डामर नवीकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं एवं कार्य तीन ठेकेदारों को निविदा प्रतिशत पर दरों की अनुसूची जो डामर नवीकरण हेतु लागू थी, 88.50 प्रतिशत से 94.51 प्रतिशत अधिक पर दिया गया था । इस प्रकार डामर नवीकरण कार्य के

लिए प्रचलित दरों पर निविदा स्वीकृत करने तथा वाटर बाउंड मेकेडम कार्य के लिए प्रचलित दरों की उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप 29.38 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2001) कार्यपालन यंत्री ने बताया कि निविदा दरें मात्र प्रचलित रूझानों पर ही नहीं बल्कि स्थल की स्थिति एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर भी निर्भर थीं ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उसी संभाग में जहाँ स्थल की स्थिति की तुलना की जा सकती हो दरों का रूझान लागू नहीं होता और यह भी कि विभाग ने प्राक्कलन में वाटर बाउंड मेकेडम एवं डामर नवीकरण अवयव में प्रत्याशित निविदा प्रतिशत क्रमशः 40 और 80 प्रतिशत स्वयं ही दर्शाया था ।

(vii) ठेकेदार को मूल्यवृद्धि का अमान्य भुगतान

अनुबंधों का उल्लंघन कर 32.02 लाख रुपए की मूल्यवृद्धि का ठेकेदारों को भुगतान

राष्ट्रीय राजमार्ग – 7 पर 7768 से 16,600 मीटर का जबलपुर बाई पास निर्माण कार्य 36 माह में पूर्णता सहित 5.75 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर ने एक ठेकेदार को दिया (अप्रैल 1994)। ठेकेदार को मूल्य भिन्नता (मूल्यवृद्धि) के 1.44 करोड़ रुपए सम्मिलित करते हुए 7.29 करोड़ रुपए का भुगतान (फरवरी 2001) किया गया था । यद्यपि कार्य दिसम्बर 2001 में पूर्ण हो गया था तथापि ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण अंतिम देयक लंबित था ।

ठेके की विशिष्ट शर्तों के अनुसार मूल्यवृद्धि प्रभार उसी स्थिति में देय थे, यदि समयवृद्धि खण्ड–2 (शास्ति खण्ड) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किए बिना स्वीकृत की गई है ।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 16 मई 1999 से 31 दिसम्बर 2001 तक की समयवृद्धि, ठेके के खण्ड (क्लॉज) 2 के अंतर्गत 0.25 लाख रुपए शास्ति अधिरोपित कर स्वीकृत की गई थी, इसलिए 32.02 लाख रुपए का मूल्यवृद्धि भुगतान अग्राह्य था ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने कहा कि मूल्यवृद्धि का भुगतान इसलिए किया गया क्योंकि समयवृद्धि सक्षम प्राधिकारी (अधीक्षण यंत्री) द्वारा स्वीकृत की गई थी । ठेके के खण्ड 2 के अंतर्गत उद्गृहीत शास्ति के परिपेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं है ।

4.2.11 भण्डार प्रबंधन

(क) संशोधित बिटूमिन–55 के क्रय पर परिहार्य अतिरिक्त लागत

महंगे बिटूमिन क्रय के परिणामस्वरूप 63.30 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत ।

1570 मीट्रिक टन रबर टुकड़े युक्त संशोधित बिटूमिन क्रय (2001–2002) किया गया था जो तकनीकी – मिव्ययिता की दृष्टि से कम उपयुक्त था । यह 80/100 ग्रेड बिटूमिन की अपेक्षा 4032 रुपए प्रति मीट्रिक टन महंगा था । इससे 63.30 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई ।

(ख) सामग्री लागत की अग्रिम वसूली न कर भण्डारों का अनियमित स्थानांतरण करना

मूल्य वसूली किए बिना 4.24 करोड़ रुपए मूल्य का भण्डार अन्य संभागों/ विभागों को स्थानांतरित कर दिया गया ।

8 संभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 4.24 करोड़ रुपए की भंडार सामग्री को उसका मूल्य अग्रिम रूप से वसूल किए बिना अन्य संभागों/विभागों को स्थानांतरित कर दिया गया था तथा राशियाँ विविध कार्य अग्रिम के अंतर्गत असमायोजित पड़ी थीं एवं इस कार्यप्रणाली को रोकने अथवा स्थानांतरित भण्डार के मूल्य/नगदी की वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । निपटारे में विलंब के कारण ऐसे लेनदेनों में धोखाधड़ी की गुंजाइश बनी रहती है ।

उपरोक्त तथ्यों की सूचना सरकार को सितम्बर 2002 में दी गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2003) ।

भाग – ख लेखापरीक्षा कण्डिकाए

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.3 अग्रिम एवं अतिरिक्त लागत की वसूली न होना

कार्यपालन यंत्री की विलंबित कार्रवाई से 8.79 करोड़ रुपए की शासकीय देयताओं की वसूली नहीं हुई

मान परियोजना के आर.डी. 535 से 696 मीटर तक "ओवरफ्लो मेसनरी बांध" का मेसर्स "क" द्वारा छोड़ा गया शेष कार्य 13.05 करोड़ रुपए की लागत पर मेसर्स "ख" को सौंपा गया था (दिसंबर 1996) । मेसर्स "ख" ने मात्र 68.41 लाख रुपए का कार्य ही निष्पादित किया तथा शेष कार्य उसके जोखिम एवं लागत पर वापिस ले लिया गया था (मई 1998) । 12.36 करोड़ रुपए का शेष कार्य जनवरी 1999 में मेसर्स "ग" को 18.36 करोड़ रुपए में दिया गया तथा जनवरी 2003 तक उसे 20.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था ।

मेसर्स "ख" से ब्याज सहित मशीनरी एवं गतिशीलन अग्रिमों के 2.16 करोड़ रुपए तथा अतिरिक्त लागत के 5.99 करोड़ रुपए वसूली योग्य थे । तीन अन्य अनुबंधों पर 1.22 करोड़ रुपए की वसूलियॉ भी मेसर्स "ख" के विरुद्ध लंबित थीं । इन सब के विरुद्ध 1.21 करोड़ रुपए मूल्य की मशीनें और संयंत्र जब्त किए गए थे (मई 1998) तथा अगस्त 2000 में 58.21 लाख रुपए में नीलाम किए गए थे ।

यद्यपि, कार्यपालन यंत्री ने धार के जिलाध्यक्ष से मेसर्स "ख" के विरुद्ध 8.79 करोड़ रुपए के पुनरीक्षित राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु विलंब से निवेदन किया था (जनवरी 2002) तथापि जिलाध्यक्ष धार ने जिलाध्यक्ष आगरा को पुनरीक्षित राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र जनवरी 2003 में अग्रेषित किया । इसके परिणामस्वरूप कोई वसूली नहीं हुई (2003)। इस प्रकार कार्यपालन यंत्री की ओर से विलंब से हुई कार्यवाही के परिणामस्वरूप 8.79 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण शासन को फरवरी एवं अप्रैल 2002 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 2003)।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.4 परियोजना आरम्भ होने से बहुत पहले जल के पाइप क्रय किए जाने से पूंजी का अवरोधन

बहुत पहले सामग्री के अविवेकपूर्ण अधिग्रहण के फलस्वरूप 44.05 लाख रुपए की पूंजी अवरुद्ध हुई

भारत सरकार ने मुलताई जल आपूर्ति (आवर्धन) योजना 6.59 करोड़ रुपए के लिए तकनीकी रूप से अनुमोदित की थी (अगस्त 1996) बशर्ते कि परियोजना की आवश्यकता के 95 प्रतिशत की सीमा तक जल की उपलब्धता हो । परियोजना का लक्ष्य 47000 की जनसंख्या को सन् 2030 तक 7 मिलियन लीटर प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना था । योजना के लिए एक मिट्टी बांध से जल खींचना प्रस्तावित था जिसे थंवरिया नाले पर बनाया जाना था । यद्यपि यह नाला बारहमासी नहीं था एवं प्रतिवर्ष जनवरी से जून के दौरान इसका बहाव पूर्णतः रुक जाता है, फिर भी शासन ने जुलाई 1998 में 5.75 करोड़ रुपए का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया । बांध कार्यस्थल का तकनीकी–संभाव्यता अध्ययन तथा बांध के लिए रेखांकन/रूपांकन (ड्राइंग/डिज़ाइन) अगस्त 2002 में पूर्ण हो चुके थे ।

विभाग ने बांध के डिज़ाइन के अनुमोदन होने से पूर्व ही योजना के कार्यान्वयन हेतु 44.05 लाख रुपए मूल्य के ए.सी. (एस्बेस्टस सीमेंट) एवं सी.आई. (कास्ट आयरन) पाइपों का अधिग्रहण कर लिया (फरवरी 1999 से जून 2000) । सामग्री निर्माण कार्य पर निर्गमित कर दी गई थी तथा अभी तक कार्यस्थल पर बिना उपयोग के पड़ी थी ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने उत्तर दिया (जनवरी 2002) कि उपलब्ध निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने तथा निर्धारित अवधि के भीतर योजना की पूर्णता को भी सुनिश्चित करने के लिए सामग्री क्रय की गई थी ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परियोजना के प्रारंभ होने से 2–3 वर्षों पहले सामग्री का क्रय अनावश्यक था ।

प्रकरण दिसंबर 2001 में शासन को सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है(अप्रैल 2003) ।

4.5 गैर विकासक्षम (अनवाएबल) जल आपूर्ति योजना पर निष्फल निवेश

भारत सरकार के अनुमोदन के बिना गैर विकासक्षम (अनवाएबल) जल आपूर्ति योजना के निष्पादन के परिणामस्वरूप 30.92 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ ।

मध्यप्रदेश सरकार ने अप्रैल 1998 में 34 ग्रामों हेतु जल आपूर्ति योजना, 37 ग्रामों हेतु साफ-सुथरे गहरे कुओं तथा 150 ग्रामों के लिए हैंड पंपों हेतु 49.03 करोड़ रुपए का प्रशासकीय अनुमोदन दिया । भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के मध्य व्यय को 75.25 के अनुपात में बांटा जाना था ।

चूंकि, परियोजना क्रियान्वित की जा रही थी अतः जून 2000 में प्रमुख अभियंता ने हथिनी नदी को वैकल्पिक स्रोतों के रूप में अनुमोदित किया । बारहमासी न होने से पूर्व इसे निर्भर होने योग्य नहीं समझा गया था । इसके अलावा, हथिनी नदी पर जल आपूर्ति योजना, 30 वर्षों की निर्धारित अवधि के विरुद्ध मात्र 10 वर्षों हेतु रूपांकित थी । मूल योजना में व्यवस्थित 4.5 मिलियन लीटर जल दैनिक के विरुद्ध इनटेक स्ट्रक्चर (कुआं) की क्षमता भी 2 मिलियन लीटर दैनिक तक घटा दी गई थी तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना वैकल्पिक स्रोत का निर्माण कार्य शुरू किया गया था ।

परियोजना अभी तक निर्माणाधीन है (दिसंबर 2002) और अगर प्रारम्भ हो भी जाए तो मुश्किल से अधिकतम 3 वर्षों की अवधि हेतु सेवा दे सकेगी जैसा कि मुख्य अभियंता इन्दौर परिक्षेत्र द्वारा सुस्पष्ट रूप से बताया गया है (फरवरी 2001) । इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री द्वारा समीक्षा के अनुपालन में शासन ने अगस्त 2001 में निर्देशित किया था कि इस योजना पर कोई भी व्यय नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, मार्च 2002 में मुख्य मंत्री द्वारा मामले की समीक्षा की गई तत्पश्चात् परियोजना को जारी रखते हुए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाने का निर्णय लिया गया था ।

दिसंबर 2002 तक जल आपूर्ति योजना पर कुल मिलाकर 30.92 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके थे । लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि ककराना एवं बहादवा ग्राम जहॉ इन्टेक वेल, अनुपचारित जल पंपिंग मेन इत्यादि स्थित थे, वे सरदार सरोवर बांध के प्रगत्याधीन कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत डूब में आ रहे थे। इस प्रकार व्यय निष्फल हो गया ।

प्रकरण शासन की ओर भेजा गया (दिसंबर 2001 एवं अप्रैल 2002) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 2003) ।

4.6 विशिष्टि की तुलना में बड़े व्यास के नलकूपों के खनन के कारण अतिरिक्त लागत

निर्धारित व्यास की अपेक्षा बड़े व्यास के नलकूपों के अविवेकपूर्ण खनन के परिणामस्वरूप 30.31 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई

विभागीय अनुदेशों (1994) के अनुसार पावर पंपों की संस्थापना के लिए 150 मिलीमीटर व्यास के तथा हैंडपंपों की संस्थापना हेतु 125/115 मिलीमीटर व्यास के नलकूपों का खनन किया जाना चाहिए ।

इसके प्रतिकूल, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग सीहोर एवं भोपाल ने हैंड पंपों की संस्थापना के लिए 200/150 मिलीमीटर व्यास वाले नलकूपों के खनन हेतु आयटम रेट निविदाएं आमंत्रित की थीं (मार्च 2000) । कार्य 8 अनुबंधों के अंतर्गत 4 ठेकेदारों को सौंपा गया था (2000–01) तथा प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 150/125/115 मिलीमीटर व्यास के नलकूपों हेतु 407 रुपए प्रति मीटर की निर्धारित दर के विरुद्ध 560 रुपए प्रति मीटर की दर से 1.43 करोड़ रुपए (सीहोर 92 लाख रुपए एवं भोपाल 51 लाख रुपए) का भुगतान किया गया था । इस प्रकार निर्धारित की अपेक्षा बड़े व्यास के नलकूपों के खनन के परिणामस्वरूप 30.31 लाख रुपए (सीहोर 18.66 लाख रुपए एवं भोपाल 11.65 लाख रुपए) की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (जनवरी 2002) कि इन नलकूपों का आशय पावर पंपों की संस्थापना तथा 143 मिलीमीटर व्यास तक के जलमग्नीय पंपों को स्थान देने का था ।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुबंधों में सुस्पष्ट रूप से केवल हैंड पंपों की संस्थापना निर्धारित थी तथा पावर पंप संस्थापित नहीं किए गए थे ।

प्रकरण शासन को मार्च एवं अप्रैल 2002 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 2003) ।

जल संसाधन विभाग

4.7 राजघाट नहर परियोजना का निष्पादन

4.7.1 परियोजना का संक्षेप

मध्यप्रदेश शासन ने भिण्ड, दतिया, गुना, शिवपुरी और टीकमगढ़ आदि पॉच जिलों में 121450 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए एक सम्मिश्रित नहर प्रणाली के विकास हेतु 46.15 करोड़ रुपए की राजघाट नहर परियोजना का निर्माण मार्च 1981 में अनुमोदित किया। बेतवा नदी पर मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है । परियोजना में (i) 24291 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए राजघाट बांध से पानी लेने के लिए बाईं तट नहर (ii) 3383 हेक्टेयर की सिंचाई एवं अंगूरी बॅराज़ को जल की पूर्ति करने हेतु धुक्वा वेयर से जल लेने के लिए दतिया वाहक नहर (iii) अंगूरी बॅराज से जल लेकर 57683 हेक्टेयर की सिंचाई एवं विद्यमान भाण्डेर नहर को जल विमुक्त करने हेतु दतिया सिंचाई नहर तथा (iv) अतिरिक्त 36093 हेक्टेयर की सिंचाई हेतु भाण्डेर नहर के पुनर्प्रतिरूपण का निर्माण समाविष्ट है ।

परियोजना, 1979 में शुरू की गई थी एवं सर्वेक्षण के पश्चात् सात वर्षों में पूर्ण करने हेतु 1983 में निर्माण प्रारम्भ किया गया था किन्तु पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी । मार्च 1997 तक 88.99 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी थी । जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को–ऑपरेशन (जे.बी.आई.सी.) से 421.08 करोड़ रुपए[9] (13222 मिलियन जापानी येन)[10] के ऋण से परियोजना मार्च 2002 तक पूर्ण करने के लिए पुनर्निधारित की गई थी । तथापि, विभाग मार्च 2002 तक परियोजना पूर्ण करने में विफल रहा तथा मार्च 2004 तक पूर्ण करने के लिए इसे पुनर्निर्धारित किया गया।

4.7.2 अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन

(i) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रमुख अभियंता को निधियाँ प्रारम्भिक रूप से आवंटित की जाती थीं, जो बाद में परियोजना मुख्य अभियंता को आवंटन उपलब्ध कराते थे । परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली के माध्यम से प्रमुख अभियंता द्वारा जे.बी.आई.सी. से किया जाता है ।

9 सिविल कार्य : 347.64 करोड़ रूपए, परामर्शदाता सेवा: 11.78 करोड़ रुपए, निर्माण के दौरान ब्याज: 26.87 करोड़ रुपए एवं आकस्मिकताएं: 34.79 करोड़ रुपए

10 विनिमय दर – 1 रूपया 3.14 जापानी येन के समतुल्य है

जे.बी.आई.सी. ऋण, ऋण अनुबंध के शुरू होने तक, आवंटित नहीं किए गए नहर के शेष कार्यों के लिए अप्रैल 1997 से ग्राह्य था तथा प्रगत्याधीन ठेका कार्यों की लागत, भू–अधिग्रहण तथा स्थापना व्यय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना था । परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 7.52 करोड़ रुपए की लागत से एक विदेशी परामर्शदाता रखा गया था ।

जे.बी.आई.सी. ने 7.16 करोड़ रुपए के दावों को अमान्य किये

यह देखा गया कि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 के दौरान परियोजना पर कुल 339.43 करोड़ रुपए व्यय किए गए किन्तु जे.बी.आई.सी. को मात्र 179.20 करोड़ रुपए के दावे प्रस्तुत किए गए थे तथा मात्र 172.04 करोड़ रुपए वापस हुए थे और शेष 7.16 करोड़ रुपए अमान्य थे । जल संसाधन विभाग के अभिलेखों में दावे अमान्य होने के कोई कारण नहीं थे ।

4.7.3 ठेकों में विलंब

102 कार्यों में से मात्र 37 कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित था ।

जे.बी.आई.सी. ऋण से क्रियान्वित किए जाने वाले सिविल कार्य (347.64 करोड़ रुपए) को 106 कार्य पैकेजों में विभाजित किए गए थे किन्तु वर्ष 1997–98 में 22, 1998–99 में 19, 1999–2000 में 13, 2000–01 में 34 तथा 2001–02 में मात्र 14 ठेके दिए गए थे । मार्च 2002 तक 4 पैकेज के लिए एजेन्सियॉ निर्धारित नहीं की गई । कार्य अत्यधिक विलंब से सौपें गए। दिए गए 102 ठेका कार्यों में से मात्र 20 वास्तविक रूप से पूर्ण हुए थे यद्यपि यह दावा किया गया था कि 17 अन्य कार्य भी भौतिक रूप से पूर्ण थे ।

निर्धारित अवधि में कार्यों की अपूर्णता के परिणामस्वरूप 5.04 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ ।

जैसा कि ठेके की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण नहीं हुए थे, मध्यप्रदेश सरकार को 5.04 करोड़ रुपए की परिहार्य मूल्यवृद्धि का भुगतान करना पड़ा था ।

नहर नेटवर्क के लिए 4662.649 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता के विरुद्ध वास्तव में 3983.019 हेक्टेयर (85.4 प्रतिशत) भूमि अधिग्रहित की गई थी तथा 679.63 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाना अभी शेष था ।

82.02 प्रतिशत वित्तीय प्रगति के विरुद्ध भौतिक उपलब्धियां मात्र 50.54 प्रतिशत थी ।

यद्यपि नहर के लिए भूमि, ऋण राशि से निधियां तथा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त परामर्शदाता उपलब्ध थे तथापि परियोजना शुरू नहीं की जा सकी थी । परियोजना पर 428.42 करोड़ रुपए (82.02 प्रतिशत) के कुल व्यय के बाद भी मार्च 2002 तक प्राप्त की गई औसत भौतिक प्रगति मात्र 50.54 प्रतिशत थी ।

7.52 करोड़ रुपए की लागत से परामर्शदाता की नियुक्ति के उद्देश्य व्यर्थ थे ।

पिछड़ रहे मुख्य घटकों में संरचनाएं थी । मिट्टी कार्य की पूर्णता तथा नहर लाइनिंग उपयोगी नहीं थी, जब तक कि संरचनाएं पूर्ण नहीं हो जातीं । इस प्रकार अनुपयुक्त आयोजना से, परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 7.52 करोड़ रुपए की लागत पर परामर्शदाता की नियुक्ति का उद्देश्य असफल हुआ ।

4.7.4 परियोजना प्राक्कलन

(क) अनुपयुक्त तथा अवास्तविक आकलन

परियोजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन (1996 के मूल्य स्तर पर) 522.34 करोड़ रुपए के लिए तैयार किए गए थे । जिसमें सिविल कार्य (328 करोड़ रुपए), प्रशासनिक लागत (21 करोड़ रुपए) परामर्श सेवाएं (5.55 करोड़ रुपए), मूल्य वृद्धि (122.73 करोड़ रुपए) तथा आकस्मिकताएं (45.06 करोड़ रुपए) शामिल थे । 1996 में प्रस्तुत 421.08 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्ताव में (सौंपे नहीं गए लंबित) सिविल निर्माण कार्यों की 257.04 करोड़ रुपए की आधारिक लागत 90.60 करोड़ रुपए की मूल्यवृद्धि (35 प्रतिशत) सहित (347.64 करोड़ रुपए) थी ।

मूल्य वृद्धि हेतु प्राक्कलन बढ़ाए गए थे, परिणामस्वरूप 83.09 करोड़ रुपए की बचत हुई ।

नहर के लंबित सिविल कार्यों के क्रियान्वयन को 106 कार्य पैकेजों में विभाजित किया गया था। यह देखा गया कि 106 कार्य पैकेजों (ठेका अनुबंध) में नहर नेटवर्क की प्राक्कलित लागत मात्र 243.32 करोड़ रुपए थी । जिसके विरुद्ध ठेका एजेन्सियों की निविदा लागत 254.16 करोड़ रुपए थी (औसतन 4.46 प्रतिशत अधिक) । इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा ठेका एजेन्सियों को जहाँ ठेके की अवधि 12 माह से अधिक हो मजदूरी, सामग्री तथा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक पर मूल्यवृद्धि अदा करनी थी । जे.बी.आई.सी. कार्यों पर मार्च 2002 तक मूल्य समायोजन के लिए कुल 10.39 करोड़ रुपए (4.09 प्रतिशत) अदा किए गए थे । इस प्रकार कुल मूल्यवृद्धि मात्र 8.55 प्रतिशत थी, जबकि जल संसाधन विभाग ने ऋण प्रस्ताव में 1996 मूल्य स्तर पर 35 प्रतिशत शामिल की थी । इस अतिरंजित आकलन के फलस्वरूप ऋण में अधिकता एवं 83.09 करोड़ रुपए (254.16 + 10.39 – 347.64) की बचत हुई ।

(ख) कार्य को अनुचित प्राथमिकता

जल नालियों तथा क्षेत्र जलमार्गों के निर्माण के बिना परियोजना के लाभों की प्राप्ति संभव नहीं है । तथापि इन कार्यों को संपूर्ण कमान क्षेत्र में शुरू करने के स्थान पर परियोजना प्राधिकारियों ने ऋण राशि की बचत का उपयोग करने की दिशा में 48 करोड़ रुपए की लागत पर मात्र 30 प्रतिशत क्षेत्र (121450 हेक्टेयर में से 36435 हेक्टेयर) में जल नालियों एवं क्षेत्र जलमार्गों का निर्माण समाहित करते हुए तथा अन्य अप्राथमिक मदों हेतु 88.80 करोड़ रुपए की लागत के नए निर्माण कार्यों के 10 अतिरिक्त पैकेजों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिनकी नीचे चर्चा की गई है । यह भी मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जून 2001 में स्वीकृत किया गया था ।

नहर लाइनिंग के बाद स्टोन पिचिंग कार्य के परिणामस्वरूप 29.48 लाख रुपए का अधिक व्यय हुआ।

(i) लाइनिंग की गई बाई तट नहर, दतिया संवाहक नहर तथा दतिया सिंचाई नहरों के बाह्य भाग में "स्टोन पिचिंग" का कार्य पहले नहीं दिया गया था । तथापि, मिट्टी कार्य तथा नहरों की लाइनिंग के बाद स्टोन पिचिंग कार्य के लिए कुल 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे । इसके परिणामस्वरूप अकेले दतिया सिंचाई नहर में नहर तटों की पुनः खुदाई तथा स्टोन पिचिंग कार्य के लिए "आवास" पर 29.48 लाख रुपए व्यय होंगे ।

नहर सेवा सड़कों के अवांछित डामरीकरण पर 10 करोड़ रुपए का अनावश्यक व्यय होगा ।

(ii) नहर तटों पर सेवा सड़कें जल संसाधन विभाग के निरीक्षण वाहनों के लिए होती हैं । अतः डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें निर्मित की गई थीं । तत्पश्चात डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों के डामरीकरण के लिए कुल 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे । जो एक अनावश्यक व्यय हो सकता है ।

(iii) ऋण अनुबंध के अनुसार, वृक्षारोपण, सिविल कार्यों के क्षेत्र में नहीं आता था तथापि, मुख्य नहर तथा वितरणियों के समानान्तर वृक्षारोपण के लिए ऋण से कुल 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैकेज के रूप में स्वीकृत किए गए ।

परामर्श लागत अनावश्यक रूप से 2.24 करोड़ रुपए तक बढ़ी ।

(iv) जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, नवीन और अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त परामर्श लागत भी 2.24 करोड रुपए से बढ़ी ।

4.7.5 परामर्शदाता

(क) अविवेकपूर्ण भुगतान

बिना इनवॉइस के सलाहकार को 53.88 लाख रुपए भुगतान किए गए थे ।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 7.52 करोड़ रुपए की लागत पर एक विदेशी परामर्शदाता नियुक्त किया गया था । अनुबंध में वास्तविक इनवॉइसेज़ के प्रस्तुतीकरण पर पूंजीगत मदों की मूल लागत की वापसी का प्रावधान था । तथापि भुगतान किये व्हाउचर्स/इनवॉइसेज़ प्राप्त किए बिना अधिकतम इकाई दरों पर 53.88 लाख रुपए का भुगतान किया गया था ।

(ख) विदेश प्रशिक्षण पर निष्फल व्यय

प्रशिक्षित अधिकारियों में से किसी के भी परियोजना पर कार्य न करने से 21.47 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा ।

पाँच अधिकारियों के प्रशिक्षण पर 21.47 लाख रुपए[11] व्यय किए गए थे । तथापि इन अधिकारियों में से कोई भी परियोजना पर कार्य नहीं कर रहा था (मार्च 2002) । तीन अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक अधिकारी परियोजना से अलग कार्य कर रहा है तथा एक गैर तकनीकी अधिकारी जल संसाधन विभाग से संबद्ध ही नहीं है । इस प्रकार व्यय निष्फल था ।

(ग) परामर्शदाता को अनियमित रूप से अतिरिक्त कार्य दिया जाना

क्षमता के आकलन तथा निविदा आमंत्रण के बिना 2.24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कार्य दिया जाना अनियमित था ।

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया था । किन्तु 12500 हेक्टेयर में स्थल कृति सर्वेक्षण, कम्प्यूटर एडेड डिजाइन कार्यों के विस्तृत रूपांकन, ले–आउट प्लान इत्यादि का कार्य, कम्प्यूटर एडेड डिजाइन कार्यों के लिए सहायता तथा डब्ल्यू.यू.ए. इत्यादि बिना निविदा आमंत्रित किए, 2.24 करोड़ रुपए की लागत से, उसी परामर्शदाता को और भी सौंप दिए गए थे। 58.07 लाख रुपए की लागत से सुविधाएं जैसे कार्यालय सामग्री तथा वाहन भी उपलब्ध कराए गए थे । सिंचाई के लिए कम्प्यूटर एडेड डिजाइन के पायलट

11 (30678 पौंड विनिमय दर 70 रुपए प्रति पौंड)

क्षेत्रों के स्थलाकृति सर्वेक्षण कार्य परामर्शदाता ने 14.70 लाख रुपए की लागत पर तीसरी एजेन्सी को उप–पट्टे पर दिये थे (जून 2001) ।

ध्यानाकर्षक तथ्य यह है कि जल संसाधन विभाग भी उच्च अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी अभियंताओं से सुसज्जित है जो सफलतापूर्वक बिना बाह्य एजेन्सी की सहायता के कई बहुउद्देश्यीय वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के अतिरिक्त कम्प्यूटर एडेड डिजाइन कार्यों का क्रियान्वयन, रूपांकन तथा सर्वेक्षण कर चुके है। जल संसाधन विभाग के सभी संवर्गों में स्टाफ अधिशेष और निष्क्रिय भी है । इसके बावजूद सर्वेक्षण का कार्य बाह्य एजेन्सी को आवंटित कर दिया था । दूसरी ओर परामर्शदाता मात्र 12500 हेक्टेयर में सर्वेक्षण, रूपांकन तथा विशिष्टियां तैयार करने के कार्य के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं, विशेषज्ञों की भाँति ले रहा था । जबकि 108950 हेक्टेयर में शेष कम्प्यूटर एडेड डिज़ाइन कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था जो परियोजना यंत्रियों द्वारा स्वयं क्रियान्वित किए जाने हैं ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, मुख्य अभियंता ने बताया कि ऐसे बड़े परिमाण में स्थलाकृति सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण के पारंपरिक तरीके न तो पर्याप्त हैं और न ही उपयुक्त हैं . निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के लिए, आधुनिक तकनीक और संयंत्र के साथ सर्वेक्षण फर्म को नियोजित करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परामर्शदाता ने जल संसाधन विभाग की निधियों से उपकरण क्रय किए थे जिन्हें विभाग क्रय कर सकता था तथा आधुनिक उपकरणों से इसके कार्यबल का परिचय भी होता ।

4.7.6 कार्य निष्पादन – वित्तीय अनियमितताएँ

(क) 1.18 करोड़ रुपए का अधिक व्यय ।

60 अनुबंधों में गलत गुणांक सूत्र अपनाए जाने के परिणामस्वरूप 1.18 करोड़ रुपए का अधिक व्यय ।

निर्माण विभाग नियमावली – 1983 नियमावली में यह व्यवस्था है कि यदि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार निर्माण अवधि 12 माह से अधिक है तो कार्य के भुगतान का समायोजन त्रैमासिक रूप से श्रम, सामग्री एवं पेट्रोल, तेल और स्नेहक में हुई किसी प्रकार की बढ़ोतरी या कमी के आधार पर निर्धारित फार्मूले के अनुरूप जिसमें 0.75 का गुणांक सूत्र सम्मिलित है किया जाना चाहिए ।

तथापि परियोजना के मुख्य अभियंता ने बिना कोई कारण बताए एवं वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना परियोजना कार्य के 60 निविदा प्रलेखों में गुणांक सूत्र 0.85 अपना लिया (अप्रैल 1997) । मध्यप्रदेश सरकार ने विचलन पर कोई प्रश्न किए बिना वृहद परियोजना के लिए नियंत्रण मंडल की सिफारिशों के आधार पर 60 निविदाएँ स्वीकृत की थीं । तथापि

मध्यप्रदेश शासन ने पुनः दोहराया (26 अप्रैल 2000) कि मूल्यवृद्धि समायोजन के संबंध में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित सभी अनुबंधित कार्यों में नियमावली के प्रावधानों को अपनाया जाए तथा सही गुणांक सूत्र 0.75 था । 26 अप्रैल 2000 के बाद जारी किए गए निविदा प्रपत्रों में यही अपनाया गया था ।

इस प्रकार 60 अनुबंधों में बढ़ी हुई प्रतिशतता के प्रावधान के परिणामस्वरूप मार्च 2002 तक 1.18 करोड़ रुपए का अधिक व्यय हुआ जो कार्य पूर्ण होने के समय तक और भी बढ़ेगा ।

सही औसत सूचकांक नहीं अपनाने के परिणामस्वरूप 0.72 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ ।

इसके अतिरिक्त 13 प्रकरणों में कार्य संभागों ने सही औसत मूल्य सूचकांक नहीं अपनाया जिसके परिणामस्वरूप 0.72 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ ।

(ख) कमजोर किन्तु महंगी विशिष्टियों के कारण 2.14 करोड़ रुपए का अधिक व्यय

पूर्व ढलित सीमेण्ट कंकरीट लाइनिंग की कमजोर किंतु महंगी विशिष्टियाँ अपनाने के परिणामस्वरूप 2.14 करोड़ रुपए का अधिक व्यय हुआ।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए तकनीकी परिपत्र (क्रमांक 1/84) में व्यवस्था है कि जहाँ नहर का प्रवाह 3 क्यूमेक्स से अधिक हो नहर लाइनिंग का कार्य तल एवं बगल के ढलानों दोनों में एम–10 शक्ति की कास्ट–इन–सीटू (स्थल पर ढलित) कंकरीट से निष्पादित किया जाना चाहिए तथा मोटाई नहर प्रवाह एवं पूर्ण प्रदाय गहराई (कुल सप्लाई डेप्थ) के आधार पर अपनानी चाहिए । कास्ट–इन–सीटू लाइनिंग के टिकाऊपन एवं कम लागत को विचार में रखते हुए तकनीकी प्राधिकारियों ने भी समय–समय पर इसके महत्व को बतलाया था ।

तथापि यह देखा गया कि परियोजना प्राधिकारियों ने 62.31 क्यूमेक्स तथा 25.476 क्यूमेक्स प्रवाह वाली दतिया सिंचाई नहर एवं लहार शाखा नहर प्रणाली में बगल के ढ़लानों पर पूर्व ढलित सीमेण्ट कंकरीट ब्लाक्स की कमजोर किंतु महंगी विशिष्टियाँ अपनाईं इसके परिणामस्वरूप 2.14 करोड़ रुपए का अधिक व्यय हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि लाइनिंग का कार्य अनुमोदित प्राक्कलनों एवं अनुबंधों के अनुसार निष्पादित किया गया था ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन एवं अनुबंध प्रमुख अभियंता के अनुदेशों के अनुसार नहीं थे। अनुदेशों से विचलन के लिए प्रमुख अभियंता का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था ।

(ग) सर्विस सड़कों पर अधिक व्यय

सर्विस सड़कों की महंगी विशिष्टियाँ अपनाने के परिणामस्वरूप 79.58 लाख रुपए का अधिक व्यय ।

वाटर बाउंड मेकेडम सर्विस सड़कों के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टियों में ग्रेडिंग–I में अधिकतम मोटाई 100 मिलीमीटर एवं 75 मिलीमीटर मोटाई की वाटर बाउंड मेकेडम की परत का प्रावधान है ।

तथापि, यह देखा गया कि 13 ठेका अनुबंधों में 150 मिलीमीटर मोटे ग्रेडिंग–I एवं 80 मिलीमीटर मोटी वाटर बाउंड मेकेडम परत का प्रावधान किया गया था परिणामस्वरूप 79.58 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि कार्य निष्पादन अनुमोदित प्राक्कलनों एवं ठेका अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार कराया गया था । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि महंगी विशिष्टियों का प्रावधान बिना किसी औचित्य के किया गया था एवं यातायात घनत्व पर आधारित नहीं था ।

(घ) परियोजना संभागों को निधियों के अनुपयुक्त आवंटन के कारण परिहार्य व्यय ।

रेखाचित्र को अंतिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 22.42 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

65.65 लाख रुपए निविदा लागत की बाँई तट नहर की 3 संरचनाओं का निर्माण कार्य 21 माह की पूर्णता अवधि के साथ एक एजेन्सी को दिया (अगस्त 1993) गया था । विभाग द्वारा रेखाचित्र को अंतिम रूप दिए जाने में हुए विलंब (जुलाई 1997) एवं निधियों की कमी के आधार पर मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत की गई तीन समयवृद्धियों के मूल्य समायोजन की राशि 22.42 लाख रुपए को सम्मिलित करते हुए कार्य 90.92 लाख रुपए की लागत पर पूर्ण हुआ था (1998) । इस प्रकार विभाग द्वारा किए गए विलम्ब के कारण 22.42 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया कि संभाग में निधियों की कमी के कारण विलंब हुआ था । यह स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परियोजना आवंटनों में कुल मिलाकर बचतें थीं ।

(ङ.) मुरम परत पर 32.82 लाख रुपए का परिहार्य व्यय

लाइनिंग के नीचे मुरम के अवांछित प्रावधान से 32.82 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

सिंचाई विशिष्टियाँ (दिसम्बर 1995) यह व्यवस्था करती थीं कि यदि नहर में उपलब्ध काली मिट्टी अथवा अन्य फूलने वाली प्रकार की मिट्टी (नहर में उपलब्ध परत) के फूलने का दाब 50 के.एन./वर्गमीटर से अधिक हो तो नहर लाइनिंग के नीचे कम से कम 75 सेन्टीमीटर मोटाई की चिपकने न फूलने वाली मिट्टी का आधार दिया जाना है ।

तथापि यह देखा गया कि 6 ठेकों में नहर लाइनिंग के नीचे 10 से 15 से.मी. की मुरम परत की व्यवस्था की गई थी । चिपकने, न फूलने वाली मिट्टी (मुरम) की परत के प्रावधान और निष्पादन के औचित्य को सिद्ध करने वाला मिट्टी परीक्षण का कोई भी प्रतिवेदन नहीं पाया गया । इस प्रकार चिपकने, न फूलने वाली सामग्री की भाँति मुरम का नहर लाइनिंग के नीचे प्रावधान किए जाने के फलस्वरूप 32.82 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि कार्य निष्पादन अनुबंधों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मुरम परत के प्रावधान को न्यायसंगत सिद्ध नहीं करता।

(च) ठेकेदारों को 98 लाख रुपए की अनधिकृत वित्तीय सहायता ।

शासनादेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सात अनुबंधों में 98 लाख रुपए की अदेय वित्तीय सहायता ।

मध्यप्रदेश सरकार ने सफल बोलीकर्ताओं की निविदाओं को स्वीकार करते हुए विशेष रूप से निर्देशित किया था कि सात ठेकेदारों से कुल 98 लाख रुपए की राशि जमा कराई जाए क्योंकि उनकी बोलियाँ विभागीय प्राक्कलनों के संबंध में गंभीर रूप से असंतुलित थीं ।

तथापि संभागीय प्राधिकारियों ने अनुदेशों का पालन नहीं किया तथा बिना किसी जमा के एजेन्सियों को अनुबंधों के निष्पादन करने की अनुमति दे दी एवं कार्य शुरू करने के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए । इसके कारण ठेकेदारों को 98 लाख रुपए की अनधिकृत वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर एक कार्यपालन यंत्री ने बताया (संभाग जिसमें 57.82 लाख रुपए सन्निहित थे) कि ठेकेदार 30 दिवस के अन्दर राशि जमा कराने को तैयार हो गए थे लेकिन इसी बीच उन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संभागीय अधिकारी को अनुबंध निष्पादित करने के पूर्व राशि प्राप्त कर लेनी थी । अन्य प्रकरणों में (40.17 लाख रुपए) संभागीय अधिकारी ने बताया कि ठेकेदारों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों को उच्चाधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया था । अधीक्षण यंत्री के अनुदेशों के आधार पर ठेकेदारों से निविदा के साथ जमा की गई सुरक्षा निधि के अंतर की 5 प्रतिशत एवं कार्य निष्पादन के लिए अतिरिक्त जमा (4.55 लाख रुपए) ठेकेदारों से प्राप्त कर ली गई थीं । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी ने जमा राशि में संशोधन करने के लिए कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं किया था ।

उपरोक्त संदर्भित बिंदु अगस्त 2002 में शासन को सूचित किए गए, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 2003) ।

4.8 हाइड्रोलॉजी परियोजना के लिए विश्व बैंक निधि का दुरुपयोग

काष्ठ परियोजना वाहनों का अन्यों को आवंटन के परिणामस्वरूप 44.48 लाख रुपए का दुरुपयोग

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हाइड्रोलॉजी परियोजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रशासकीय रूप से 44.29 करोड़ रुपए के लिए दिसम्बर 1995 में अनुमोदित एवं 56.74 करोड़ रुपए के लिए फरवरी 2000 में पुनरीक्षित की गई थी । परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सतह एवं भू–जल हाइड्रोलॉजी के सांख्यिकी आंकड़ों को मापना, एकत्र करना एवं विश्लेषण करना तथा आंकड़ा प्रबंधन के लिए तकनीकी क्षमताओं एवं भौतिक सुविधाओं को सुधारना था । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रस्थ कर्मचारियों यथा राज्य जल आंकडा केन्द्र, मुख्य

अभियंता, मण्डल कार्यालयों, क्षेत्रस्थ संभागों एवं उपसंभागीय कार्यालयों, जो भू–जल की परिवीक्षा के लिए उत्तरदायी थे, को वाहन दिए जाने थे।

47 वाहन क्रय करने के लिए 1.65 करोड़ रुपए का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान (जून 2000) किया गया, तद्नुरूप 1.43 करोड़ रुपए के 46 वाहन महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से रेट कांट्रेक्ट पर क्रय किए गए थे (जुलाई 2000)।

तथापि लेखापरीक्षा में अभिलेखों की सूक्ष्म जॉच में यह प्रकट हुआ कि 38.14 लाख रुपए मूल्य के 11वाहन अन्यों[12] को जो कि परियोजना से संबंधित नहीं थे, आवंटित कर दिए गए थे । 6.34 लाख रुपए भी पे]ÅÉäल और स्नेहक एवं रख–रखाव तथा मरम्मत पर व्यय (मार्च 2002) किए गए थे ।

इसे इंगित किए जाने पर उप निदेशक हाइड्रोमीटरोलॉजी संभाग क्रमांक 1 भोपाल ने बताया (जून 2002) कि ये वाहन प्रमुख अभियंता/प्रधान सचिव के आदेशों के अनुरूप आवंटित किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आवंटन परियोजना के उद्देश्यों के प्रतिकूल था ।

मामला शासन को जुलाई 2002 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2003)।

4.9 योजना में विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय

कार्य की उचित रूप से योजना बनाने में विफलता के परिणामस्वरूप शेष कार्य को पूर्ण करने में 75.35 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय

उज्जैन जिले में बागला तालाब परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्यों के कार्य निष्पादन हेतु 1.17 करोड़ रुपए की लागत पर एक ठेका ठेकेदार 'क' को अक्टूबर 1991 में दिया गया। कार्य वर्षाकाल को छोड़कर 18 माह में पूर्ण करना नियत था किन्तु ठेकेदार उसे नियत समय में पूर्ण न कर सका तथा विभाग ने जून 1995 तक उसके समयवृद्धि के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तथापि विभाग ने अनुबंध की धारा 4.3.2 के अनुसार निर्णीत हरजाने की वसूली के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए कार्य को विलम्ब से निष्पादन करने के लिए विनिर्दिष्ट दरों से दण्ड का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया । ठेकेदार ने भू–अर्जन में विलम्ब होने एवं चल देयकों का भुगतान न होने के कारण जून 1994 में कार्य बन्द कर दिया ।

12 मुख्यमंत्री (1), उप मुख्यमंत्री (3), राज्यमंत्री, जल संसाधन विभाग (1), राज्यपाल भवन (1) एन.के.जी. सैल, नई दिल्ली (1) अवर सचिव, जल संसाधन विभाग (1), अधीक्षण यंत्री (मुख्य तकनीकी परीक्षक) (1) एवं जल संसाधन संभाग, सीहोर तथा शाजापुर (2)

यद्यपि सरकार ने भू–अर्जन में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने का आदेश (जून 1995) दिया था, कार्यपालन यंत्री ने निधियों की कमी एवं परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का मुद्दा तय न होने के कारण ठेके को पुरोबंधित कर दिया (अगस्त 1995) । इस स्थिति में निष्पादित किए गए कार्य का मूल्य 76.37 लाख रुपए मात्र था तथा विभाग अनुबंध के पुरोबंधन के कारण ठेकेदार से अतिरिक्त लागत की वसूली से संबंधित धारा 4.3.3 को लागू करने में असफल रहा ।

66.67 लाख रुपए लागत का शेष कार्य नवम्बर 1996 एवं मार्च 2002 के दौरान 1.42 करोड़ रुपए की लागत पर उसी एवं दो अन्य एजेन्सियों द्वारा निष्पादित कराया गया था ।

इस प्रकार कार्य की उचित योजना बनाने में असफल रहने के कारण विभाग को शेष कार्य पश्चातवर्त्ती ठेकेदारों से उच्च दरों पर निष्पादित कराने के कारण 75.35 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय करने पड़े ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (सितम्बर 2002) कि ठेका जून 1995 के शासकीय आदेशों की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने पुरोबंधित किया था । यह भी बताया गया कि पुनर्वास का मुद्दा निर्माण के दौरान उत्पन्न हुआ था तथा विलम्ब के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं था । यह कार्य की उचित योजना बनाने में विभाग की विफलता को दर्शाता है ।

सामान्य

4.10 जवाबदेही पर बल देने एवं शासन के हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

महालेखाकार* निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन–देनों की नमूना जॉच के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखाओं संबंधी एवं अन्य अभिलेखों के रख–रखाव के सत्यापन हेतु शासन के विभागों के नियतकालिक निरीक्षण की व्यवस्था करते हैं । जब निरीक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं का स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है तो निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई एवं कमियों, चूकों, आदि हेतु उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं । निरीक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित अभ्युक्तियों का अनुपालन एवं दोषों, चूकों का अविलंब सुधार तथा इनके अनुपालन से महालेखाकार को अवगत कराना कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित है। महालेखाकार विभाग प्रमुखों के ध्यान में गंभीर अनियमितताएं भी

* महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वितीय मध्यप्रदेश

लातें हैं । लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की परिवीक्षा (मानीटरिंग) में सुगमता हेतु एक अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भेजा जाता है ।

दिसंबर 2001 तक जारी किए गए मध्यप्रदेश शासन के अधीन वन, जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा अन्य निर्माण विभागों[@] के 599 संभागों/कार्यालयों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 2879 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 11395 कंडिकाएं 1990–91 से जून 2002 के अंत तक लंबित पड़ी थीं । लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार स्थिति निम्नानुसार थी :

स. क्र.	विभाग	निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	वन	638	1976	178	341
2.	जल संसाधन	858	3256	154	2422
3.	लोक निर्माण	534	2872	105	893
4.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	520	2335	82	1558
5.	नर्मदा घाटी विकास				
	(i) सिंचाई	228	621	62	372
	(ii) भवन/सड़क	47	108	12	45
6.	आवास एवं पर्यावरण (राजधानी परियोजना निर्माण इकाईयाँ)	44	181	5	69
7.	भोपाल गैस राहत (निर्माण कार्य इकाईयाँ)	10	46	1	10
	योग	2879	11395	599	5710

इनमें से 806 कंडिकाओं वाले 189 निरीक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण 10 से अधिक वर्षों से नहीं किया था । यहाँ तक कि जुलाई 1999 और दिसंबर 2002 के मध्य 417 संभागों/कार्यालयों के संबंध में जारी किए गए 417 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 2532 कण्डिकाओं के आरम्भिक उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जिनकी जारी होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति की अपेक्षा थी ।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि कार्यालय प्रमुखों (जिनके अभिलेखों का महालेखाकार द्वारा निरीक्षण किया गया था) एवं विभाग प्रमुखों ने बड़ी संख्या में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर नहीं दिए थे जो निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित किए गए दोषों, चूकों और अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई करने में उनकी विफलता दर्शाता है । विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों जिन्हें अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, विभाग के संबंधित कार्यालयों से त्वरित एवं समय पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करा सके थे ।

@ अन्य निर्माण विभागों में नर्मदा घाटी विकास, आवास एवं पर्यावरण तथा भोपाल गैस राहत (राहत एवं पुनर्वास) विभाग सम्मिलित हैं ।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की निर्बाध रूप से निरंतरता रही एवं शासन को हानि हुई, यद्यपि इन्हें लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था । यह अनुशंसा की जाती है कि निर्धारित समय–सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में एवं समयबद्ध तरीके से हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली की कार्रवाई में असफल रहे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रणाली का शासन पुनः परीक्षण करे तथा विभाग में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उचित प्रत्युत्तर देना सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को नया रूप दिया जाए ।

पांचवा अध्याय

प्राधिकरणों एवं निकायों को वित्तीय सहायता

पांचवा अध्याय

प्राधिकरणों एवं निकायों को वित्तीय सहायता

सहकारिता विभाग

5.1 जिला सहकारी बैंकों द्वारा उर्वरकों की विक्रय प्राप्तियों की विलम्ब से जमा पर ब्याज की वसूली न होने के कारण हानि

उर्वरकों की विक्रय प्राप्तियों को जिला सहकारी बैंकों द्वारा विलंब से जमा किए जाने पर उनसे ब्याज की वसूली न होने के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को 3.78 करोड़ रुपए की हानि ।

सरकार ने मार्च 1975 में (अप्रैल 1985 में किए गए बाद के कतिपय संशोधनों के साथ) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (जिला बैंकों) के माध्यम से उर्वरकों एवं कीटनाशकों का विक्रय एवं संवितरण आरंभ किया । विक्रय प्राप्तियां विक्रय के दिनांक से 7 दिनों के भीतर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (संघ) के "विक्रय संग्रहण खाते" में जमा की जानी थी । विलम्ब से की गई जमाओं के लिए बैंक 16.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का भुगतान करने हेतु उत्तरदाई थे ।

मार्च एवं सितम्बर 2001 के दौरान जिला विपणन अधिकारी भिण्ड सागर एवं शहडोल के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि तीनों जिलों के जिला बैंक विक्रय प्राप्तियां समय पर जमा करने में विफल रहे परिणामतः ये बैंक 1992 से 2002 की अवधि के दौरान की गई विलंब से जमाओं पर 3.78 करोड़ रुपए के ब्याज (भिण्ड 0.67 करोड़ रुपए, सागर 1.96 करोड़ रुपए एवं शहडोल 1.15 करोड़ रुपए) का भुगतान करने हेतु उत्तरदाई थे ।

जिला विपणन अधिकारी भिण्ड ने ब्याज प्राप्त न होने की पुष्टि की (सितम्बर 2001) तथा बताया कि जून 1996 से मई 2002 की अवधि हेतु 0.67 करोड़ रुपए का दावा अब तैयार कर बैंकों को प्रस्तुत कर दिया गया है जबकि जिला विपणन अधिकारी सागर ने बताया (सितम्बर 2001) कि प्रकरण संघ के भोपाल स्थित प्रबंध संचालक को सूचित किया गया है । जिला विपणन अधिकारी शहडोल ने सूचित किया (सितम्बर 2001) कि उप पंजीयक सहकारी समितियां के पास दावा लंबित है ।

इस प्रकार जिला बैंकों द्वारा विक्रय प्राप्तियों को समय पर जमा किए जाने का अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप विक्रय प्राप्तियों के जमा में विलंब हुआ तथा उसके कारण 3.78 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई एवं बैंकों का अनुचित पक्ष लिया गया । यह इस तथ्य के बावजूद था कि अध्यक्ष राज्य राजस्व मण्डल ने ब्याज के दावे हेतु संघ के अधिकार की एवं इसे भुगतान करने के बैंक के उत्तरदायित्व की पुष्टि की (फरवरी 1976) ।

मामला सरकार की ओर अक्टूबर 2001 में भेजा गया, उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2003) ।

5.2 शीतागार के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश

पूर्वापेक्षित स्थितियों को पूर्ण किए बिना शीतागार एवं बरफ संयंत्र के निर्माण के फलस्वरूप 1.13 करोड़ रुपए का निष्क्रिय निवेश ।

कृषकों को उनके कृषि उत्पादों के भण्डारण हेतु शीतागार सुविधा उपलबध कराने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली ने 1.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर शिवशंकर पटेल सहकारी शीतागार समिति मर्यादित महूगांव इंदौर (समिति) द्वारा 6000 मीटरिक टन क्षमता के शीतागार तथा 15 मीटरिक टन क्षमता के बरफ संयंत्र का निर्माण किए जाने हेतु संस्वीकृति (अक्टूबर 1996) दी । राज्य सरकार को समिति को लागत का 50 प्रतिशत अंशपूंजी के रूप में तथा 40 प्रतिशत कर्ज के रूप में भुगतान करना था । शेष 10 प्रतिशत समिति को अपने स्रोतों से पूर्ण करना था । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली द्वारा लागत की 90 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति कर्ज के रूप में की जानी थी ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की संस्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुसार एवं सहकारी समितियों में सहकारी निधियों के निवेश हेतु आयुक्त सहकारी समितियां मध्यप्रदेश (आयुक्त) द्वारा जारी दिशानिर्देशों (अगस्त 1997) के अनुसार भी यह सुनिश्चित किया जाना था की भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है तथा राज्य विद्युत मंडल से विद्युत की नियमित एवं अबाध आपूर्ति हेतु आश्वासन प्राप्त कर लिया गया है । इसके साथ ही कोई उद्योग स्थापित करने के पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करना भी आवश्यक था ।

संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियां इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2002) में प्रकट हुआ कि उचित रूप में भूमि अधिग्रहण तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ ही नियमित एवं अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु आश्वासन प्राप्त किए बिना और प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य आरंभ नहीं किए जाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश (फरवरी 1998) के बावजूद संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियां ने समिति को मार्च 1998 में 85 लाख रुपए (47 लाख रुपए अंशपूंजी के रूप में तथा 38 लाख रुपए कर्ज के रूप में) तथा बाद में 1998-99 के दौरान अंशपूंजी के रूप में 27.77 लाख रुपए विमोचित किए ।

आयुक्त ने आगे भी 58.23 लाख रुपए आहरित कर इन्हें कोषालय में रिजिल निक्षेप में जमा भी किया (मार्च 1999) तथापि राशि का समिति को भुगतान नहीं किया गया तथा मार्च 2002 में यह सरकार के पास व्यपगत हो गई । यद्यपि समिति ने भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया था तथा मशीनरी प्रतिष्ठापित कर दी थी तथापि विद्युत संयोजन एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति के अभाव में शीतागार एवं बरफ संयंत्र आरंभ नहीं किए जा सके(अप्रैल 2002) ।

शीतागार एवं बरफ संयंत्र आरंभ नहीं किए जाने से न केवल कृषक अपने उत्पादों हेतु शीतागार की सुविधा से वंचित रहे अपितु 1.13 करोड़ रुपए की सरकारी निधियां भी अवरुद्ध हो गईं इसके साथ ही समिति ने इंदौर प्रीमियर सहकारी बैंक से 75 लाख रुपए का पूरक ऋण लिया । सरकारी धन की वसूली की संभावनाएं अत्यंत क्षीण हैं क्योंकि समिति 64 लाख रुपए की हानि पर कार्यरत है, इसके साथ ही वह बैंक से 75 लाख रुपए के पूरक ऋण का दायित्व भी वहन कर रही है जो उस पर ब्याज सहित 1.20 करोड़ रुपए तक अतिदेय हो गया है ।

उप पंजीयक सहकारी समितियां ने स्वीकार किया(अप्रैल 2002) कि भवन का निर्माण भू-अधिग्रहण सुनिश्चित किए बिना पूर्ण हुआ तथा भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में एक विवाद चल रहा है । प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुमति नहीं दी थी क्योंकि शीतागार आवास क्षेत्र में स्थापित किया गया था तथा संयंत्र में उपयोग में लाई जाने वाली अमोनिया गैस आसपास की जनसंख्या के लिए खतरनाक थी । उन्होंने यह भी बताया कि समिति ने विद्युत संयोजन हेतु आवेदन तक नहीं दिया, साथ में यह भी बताया कि सरकारी निवेशों की सुरक्षा करने हेतु कार्यवाही की जावेगी तथापि किस प्रकार की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है इसे स्पष्ट नहीं किया गया ।

सरकार ने बताया (फरवरी 2003) कि यद्यपि समिति ने भूमि के उपयोग का परिवर्तन मई 2000 में प्राप्त कर लिया था तथापि इसने विद्युत संयोजन प्राप्त नहीं किया था । अतः शीतागार जनरेटर से चलाया जा रहा था जो फरवरी 2001 से बंद पड़ा था । तथापि उत्तर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने में विफल रहने के संबंध में अस्पष्ट था ।

इस प्रकार भूमि का अर्जन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, तथा विद्युत की उपलब्धता जैसी पूर्व अपेक्षित शर्तों का पहले अनुपालन सुनिश्चित किए बिना समिति को सरकारी निधियां विमोचित करने में संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियां की ओर से हुई चूक के परिणामस्वरूप 1.13 करोड़ रुपए की सरकारी निधियों का निवेश कम से कम विगत दो वर्षों से निष्क्रिय सिद्ध हुआ है ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

5.3 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना निधि का व्यपवर्तन

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना निधियों के 29.81 करोड़ रुपए का राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर दुरुपयोग किया गया ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रशासनिक व्यय अप्रैल 1999 से पृथक प्रावधान से पूरा किया जाना था । योजना का केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने 75:25 अनुपात के आधार पर वित्त पोषण किया । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की प्रभावोत्पादकता के सुधार हेतु उसकी विभिन्न शाखाओं के लिए निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग पद्धति भी संस्वीकृत की गई थी ।

(कर्मचारियों की संख्या)

		संवर्ग-क जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	संवर्ग-ख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	संवर्ग-ग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	संवर्ग-घ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
1	स्वरोजगार शाखा	7	7	10	10
2	महिला शाखा	3	3	3	3
3	मजदूरी रोजगार शाखा	3	4	5	5
4	जलसंग्रहण शाखा	3	3	3	3
5	अभियांत्रिकी शाखा	3	5	5	5
6	लेखा शाखा	6	8	9	10
7	परिवीक्षण एवं मूल्यांकन शाखा	3	4	4	4
8	सामान्य प्रशासन शाखा	8	12	14	16
योग		**36**	**46**	**53**	**56**

भारत सरकार ने नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता आयु, नियुक्ति की अवधि सेवा की शर्तें एवं निबंधन इत्यादि भी निर्धारित किए थे । प्रशासकीय व्यय की अधिकतम सीमा प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में विकास खण्डों की संख्या के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के क, ख, ग एवं घ संवर्गों के लिए प्रतिवर्ष क्रमशः 46 लाख रुपए, 57 लाख रुपए, 65 लाख रुपए एवं 67 लाख रुपए निर्धारित की गई ।

राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर्मचारी वर्ग पद्धति के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करने के बजाय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों एवं विकास खण्ड स्तर के कार्यालयों में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनों का भुगतान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निधियों से करने हेतु आदेश जारी (सितम्बर 1999) किए । इस प्रकार अप्रैल 1999 से फरवरी 2003 के दौरान राज्य सरकार के 963 कर्मचारियों से संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मचारी निधि पर प्रभारित वेतन (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मचारियों से अधिक) की राशि (संबंधित वेतनमानों के न्यूनतम पर संगणित) 29.81 करोड़ रुपए हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:

		पदों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1	विकास खण्डों में लेखापाल कार्य	359	1032.36
2	उच्च श्रेणी लिपिक	38	
3	निम्न श्रेणी लिपिक	38	75.35
4	विकास विस्तार अधिकारी	321	834.73
5	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	39	253.54
6	सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	78	405.66
7	उप यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	90	380.31
	योग	**963**	**2981.95**

अनुशंसित कर्मचारी वर्ग पद्धति के अंतर्गत समावृत न होने वाले तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में नियुक्त तक न किए गए इसके अपने कर्मचारियों का वेतन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पर प्रभारित करने की राज्य सरकार की कार्यवाही न केवल अनियमित थी अपितु इससे भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना आरंभ करने का उद्देश्य ही विफल हो गया ।

प्रकरण अक्टूबर 2001 में सरकार की ओर भेजा गया, उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2003) ।

ग्वालियर
दिनांक

(सुरेन्द्र पाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट – I

पहले अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा दर्शाने वाला विवरण पत्र

(संदर्भ कंडिका 1.1 पृष्ठ 1)

भाग क: सरकारी लेखे

I **संरचना:** राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि एवं (iii) लोक लेखे

भाग I : समेकित निधि

राज्य सरकार के राजस्व, कर्जों एवं कर्जों की वसूलियों से प्राप्त समस्त प्राप्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत निर्मित राज्य की समेकित निधि में रखी जाती हैं। सरकार के समस्त व्यय इस निधि से किये जाते हैं जिसमें से कोई भी राशि राज्य विधायिका के अनुमोदन के बिना आहरित नहीं की जा सकती। इस भाग के दो मुख्य प्रभाग होते हैं जिनके नाम राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, लोक ऋण एवं कर्जे आदि) हैं।

भाग II : आकस्मिक व्यय निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत सृजित आकस्मिक व्यय निधि, तत्काल अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिये राज्यपाल के अधिकार में रखी गई अग्रदाय प्रकृति की निधि है जिसे राज्य विधायिका से अधिकृत किया जाना लंबित होता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से उतनी ही राशि आकस्मिक व्यय निधि को अन्तरित करने हेतु विधान सभा से बाद में अनुमोदन कराया जाता है। वर्ष के दौरान विधायिका द्वारा प्राधिकृत इस निधि की राशि 40 करोड़ रुपए है।

भाग III : लोक लेखा

अल्प बचतों, भविष्य निधियों, जमाओं, आरक्षित निधियों, उचन्त, प्रेषणों आदि की वे प्राप्तियां तथा संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं, उनका लेखाकरण लोक लेखा के अन्तर्गत किया जाता है और इन्हें विधानसभा से पारित कराने की आवश्यकता नहीं होती है।

II. वार्षिक लेखे का स्वरूप

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों यथा वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे में तैयार किए जाते हैं। वित्त लेखे सरकारी लेखाओं में उचित वर्गीकरण के अंतर्गत, प्राप्तियों तथा व्यय, दोनों से संबंधित समस्त लेनदेनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। विनियोग लेखे बजट अनुदानों में राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक हुए किसी भी व्यय का विधानसभा से नियमन कराया जाना आवश्यक होता है।

परिशिष्ट - I (जारी)

भाग–ख देशनाओं/अनुपातों की सूची एवं उनकी संगणना के आधार

देशनाएं/अनुपात		*संगणना के आधार*
पोक्षणीयता		
चालू राजस्व से अधिशेष		राजस्व प्राप्तियां (–) समस्त आयोजनागत अनुदान (मुख्य शीर्ष 1601–02, 03,04 के अंतर्गत) तथा योजनेतर राजस्व व्यय एवं मुख्य शीर्ष 2048–ऋण की कमी तथा परिहार के लिये विनियोग
प्रारंभिक घाटा		
ब्याज अनुपात	पूंजीगत परिव्यय	राजकोषीय घाटा (–) ब्याज भुगतान ब्याज भुगतान (–) ब्याज प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियां (–) ब्याज प्राप्तियां वित्त लेखे के विवरण पत्र क्रमांक 2 के अनुसार पूंजीगत व्यय
पूंजीगत परिव्यय के विरुद्ध पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां	आंतरिक कर्जे (निवल अर्थोपाय पेशगियों) (+) अल्प बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि से निवल प्राप्तियां (+) राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जों से प्राप्त प्रतिभुगतान (–) राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जे
– कुल कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद		प्रदर्श V प्रदर्श V
– राज्य कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद		
लचीलापन		
– चालू राजस्व से अधिशेष		उपरोक्तानुसार
– पूंजीगत प्रतिभुगतान विरुद्ध पूंजीगत उधारियां	पूंजीगत प्रतिभुगतान	मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 के अंतर्गत संवितरण (–) दोनों मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अर्थोपाय पेशगियां/अधिविकर्ष के कारण प्रतिभुगतान
	पूंजीगत उधारियां	मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 के अंतर्गत वृद्धि (–) दोनों ही मुख्यशीर्षों के अंतर्गत अर्थोपाय पेशगियां/अधिविकर्ष के कारण वृद्धि
कुल कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राज्य कर प्राप्तियां	प्रदर्श V
ऋण विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल कर, प्राप्तियां	वित्त लेखे का विवरण पत्र – 1
		वर्ष के अन्त में उधारियां एवं अन्य दायित्व (वित्त लेखे का विवरण पत्र – 4)
	ऋण	प्रदर्श V

मेद्यता – राजस्व घाटा – राजकोषीय घाटा		राजस्व व्यय (–) राजस्व प्राप्तियां, कुल व्यय (–) राजस्व प्राप्तियं एवं ऋणेतर सार्वजनिक प्राप्तियां लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.9.6
– प्रारंभिक घाटा विरुद्ध राजकोषीय घाटा	प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा (–) ब्याज भुगतान
– समाश्वासन पत्र सहित कुल बकाया गारंटियां विरुद्ध सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां	बकाया गारंटियां	प्रदर्श – IV
	राजस्व प्राप्तियां	प्रदर्श – II
– परिसंपत्तियां विरुद्ध देयताएं	परिसंपत्तियां एवं देयताएं	प्रदर्श – I

परिशिष्ट I क

(संदर्भ : कंडिका *1.1*, पृष्ठ *1*)

उत्तराधिकारी राज्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य 31 मार्च 2002 को भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का विभाजन दर्शानेवाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपयों में)

मद	31 अक्टूबर 2000 को शेष	निम्नांकित को विभाजित		विभाजन लंबित रहने के कारण मध्यप्रदेश के लेखे में रोक कर रखा गया शेष	वित्त लेखे की विवरण संख्या का संदर्भ
		मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I- देयताएं					
1. आन्तरिक ऋण	7628.95	5766.01(क)	1862.94(क)	--	4 एवं 17
2. केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	10606.50	7783.25(क)	2823.25(क)	--	4 एवं 17
3. आकस्मिक व्यय निधि	26.61	26.61	--	--	16
4. अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि	7371.51	4840.27(ख)	974.52(ख)	1556.72(ख)	4, 16 एवं 17
5. निक्षेप	1872.19	1325.09	288.60	258.50(ख)	4 एवं 16
6. आरक्षित निधियां	657.94(ग)	45.49	11.55	102.46(घ)	4 एवं 16
7. उचन्त तथा विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.19(ङ)	16
II- परिसंपत्तियां					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4941.77	1484.59	9334.21(ङ)	2 एवं 13
2. कर्जे एवं पेशगियां	2883.18	555.95	135.91	2191.32(च)	5 एवं 18
3. अग्रिम	13.88	12.25	1.63	--	16
4. प्रेषण शेष	665.60	512.72	152.88	--	16
5. नकद शेष	-29.75	22.29	-52.04	--	7
III- आकस्मिक देयताएं					
गारंटियां	9709.60	--	--	9657.38(छ)	6

पाद टिप्पणी : और ब्यौरों के लिए वित्त लेखे देखें।

(क) *भारत सरकार, वित्त विभाग, आर्थिक कार्य विभाग (बजट संभाग) आदेश नस्ती संख्या 9 (2) वी (एस)/2002 दिनांक 25 जून 2002 द्वारा विभाजित । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभाजित अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ष समाविष्ट हैं।*

(ख) *दोनों उत्तराधिकारी राज्यों को कर्मचारियों के अंतिम आबंटन के विवरणों की प्राप्ति के पश्चात समीक्षा की जानी है।*

(ग) *मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुच्छेद 42 (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार 657.94 करोड़ रुपये के योग में से 498.44 करोड़ रुपये समाप्त किये गये।*

(घ) *भारत सरकार के निर्णय के लंबित रहने के कारण मध्यप्रदेश में रोक कर रखे गये।*

(ङ) *ब्यौरों के अभाव में मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।*

(च) *उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों/विवरणों की अप्राप्ति के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।*

(छ) *2001–02 के दौरान गारंटियों के निरस्तीकरण के कारण 52.22 करोड़ रुपये तक स्तम्भ (2) में दिये गये आंकड़ों में उक्त सीमा तक अन्तर है।*

परिशिष्ट II

(संदर्भ : कंडिका 2.3.4, पृष्ठ 37)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं संख्या	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क– राजस्व : दत्तमत				
1.	01- सामान्य प्रशासन	70.05	7.02	60.47	16.60
2.	02 - सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	10.01	0.91	9.35	1.57
3.	03- पुलिस	928.39	0.64	794.29	134.74
4.	04 - गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	7.59	0.06	5.06	2.59
5.	05- जेल	62.07	0.83	54.61	8.29
6.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1768.43	3.23	1040.21	731.45
7..	08- भू–राजस्व एवं जिला प्रशासन	303.37	4.75	255.10	53.02
8.	10- वन	428.18	37.29	408.42	57.05
9.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	27.98	5.78	24.60	9.16
10.	13- कृषि	277.51	18.00	233.43	62.08
11.	14 - पशु पालन विभाग से संबंधित व्यय	149.98	0.74	120.30	30.42
12.	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	130.47	13.78	101.99	42.26
13.	16- मत्स्य पालन	11.50	0.22	9.31	2.41
14.	17- सहकारिता	37.06	0.68	29.92	7.82
15.	18- श्रम	41.01	2.41	30.69	12.73
16.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	527.67	23.35	433.54	117.48
17.	20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	438.11	0.26	369.82	68.55
18.	22 - नगरीय प्रशासन एवं विकास नगरीय निकाय	2.63	0.02	2.01	0.64
19.	25 - खनिज स्रोत विभाग से संबंधित व्यय	7.74	0.23	6.15	1.82
20.	26 - संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	15.40	2.29	13.73	3.96
21.	28 - राज्य विधायिका	17.81	1.99	15.14	4.66
22.	29 - न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	111.28	0.53	83.57	28.24
23.	31- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	24.48	0.24	14.31	10.41
24.	32- जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय	34.22	3.30	24.43	13.09
25.	34- समाज कल्याण	23.42	0.15	18.48	5.09
26.	36- परिवहन	16.85	7.25	14.50	9.60
27.	39 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	157.52	26.41	141.21	42.72
28.	41- जन जाति क्षेत्र उपयोजना	353.38	8.56	257.63	104.31
29.	43- खेल एवं युवा कल्याण	5.16	1.09	2.65	3.60
30.	44 - उच्च शिक्षा	280.34	22.08	257.55	44.87

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	47- तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग	150.02	0.02	105.49	44.55
32.	50- बीस सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	3.00	0.17	2.49	0.68
33.	55 - महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	209.24	33.17	166.03	76.38
34.	56- ग्रामोद्योग	20.19	1.72	17.20	4.71
35.	58 - प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	202.17	49.23	157.15	94.25
36.	61- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5.67	1.71	2.77	4.61
37.	63- अल्प संख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय	2.45	0.25	1.52	1.18
38.	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	249.01	12.94	176.44	85.51
39	65 - विमानन विभाग	5.12	0.77	4.96	0.93
40.	67- लोक निर्माण कार्य – भवन	207.60	0.35	206.61	1.34
41.	69 - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबसंधित व्यय – नगरीय कल्याण	12.26	0.62	8.92	3.96
42.	70 - 11 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशेष समस्याएं – पर्यटन	9.00	9.00	9.00	9.00
43.	77 - 11 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्याएं – खेल एवं युवा कल्याण	1.00	1.00	निरंक	2.00
44.	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	159.58	3.64	135.42	27.80
45.	81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	638.46	17.74	455.35	200.85
46.	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	204.04	13.85	172.37	45.52
47.	84 - 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – राजस्व	8.23	8.22	2.10	14.35
48.	85 - 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – पुलिस	3.05	3.05	3.05	3.05
49.	86- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – जेल	1.18	1.18	0.25	2.11
50.	88- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – न्याय प्रशासन	4.76	4.76	निरंक	9.52
51.	90- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.60	6.60	6.60	6.60
52	91- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – शालेय शिक्षा	14.03	14.03	14.03	14.03
53.	92- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – संस्कृति	3.48	3.48	3.48	3.48
54	95- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – पंचायत एवं ग्रामीण विकास	निरंक	101.09	निरंक	101.09
	योग (क)	**8389.75**	**482.68**	**6483.70**	**2388.73**
	ख – राजस्व : प्रभारित				
1.	*01- सामान्य प्रशासन*	*6.28*	*0.01*	*4.41*	*1.88*
2.	*08 - भू राजस्व एवं जिला प्रशासन*	*0.46*	*0.84*	*0.27*	*1.03*
3.	*19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण*	*0.26*	*0.17*	*निरंक*	*0.43*
4.	*58 - प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्थ क्षेत्रों में राहत पर व्यय*	*0.37*	*0.13*	*निरंक*	*0.50*
5.	*81 - नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता*	*10.03*	*5.23*	*10.03*	*5.23*
	योग (ख)	***17.40***	***6.38***	***14.71***	***9.07***

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ग – पूंजीगत : दत्तमत				
1.	03 - पुलिस	8.89	0.24	6.09	3.04
2.	06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय	20.08	0.04	7.62	12.50
3.	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	7.55	0.32	2.11	5.76
4.	10 - वन	1.59	0.76	1.22	1.13
5.	13 - कृषि	1.40	1.15	0.55	2.00
6.	17 - सहकारिता	24.80	53.54	11.76	66.58
7.	23- जल संसाधन विभाग	198.44	56.67	193.84	61.27
8.	24- लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	250.44	91.84	164.08	178.20
9.	32 - जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय	निरंक	0.64	निरंक	0.64
10.	36 - परिवहन	निरंक	0.35	निरंक	0.35
11.	37 - पर्यटन	8.50	0.41	2.84	6.07
12.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	23.67	1.55	19.18	6.04
13.	42 - जनजाति क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	64.74	4.36	43.88	25.22
14.	45- लघु सिंचाई – निर्माण कार्य	50.78	0.83	21.61	30.00
15.	55 - महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	0.49	0.21	निरंक	0.70
16.	56- ग्रामोद्योग	0.59	0.05	0.39	0.25
17.	62 - चिकित्सा शिक्षा से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3.00	2.00	2.67	2.33
18.	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	144.65	8.72	66.37	87.00
19.	67- लोक निर्माण कार्य – भवन	61.96	6.71	33.37	35.30
20.	68- जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – भवन	7.11	0.11	2.99	4.23
21.	72 - गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	1.02	0.09	0.60	0.51
22.	80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.57	0.20	1.39	1.38
	योग (ग)	**882.27**	**230.79**	**582.56**	**530.50**
	महायोग (क+ख+ग)	**9289.42**	**719.85**	**7080.97**	**2928.30**

परिशिष्ट III

(संदर्भ : कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 37)

प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं संख्या	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क – राजस्व : दत्तमत				
1.	07- वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	145.61	55.63	155.43	45.81
2.	12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	336.39	1690.91	2013.29	14.01
3.	27- शालेय शिक्षा	1267.26	494.65	1584.43	177.48
4.	54- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	36.12	6.00	37.60	4.52
5.	66- पिछड़े वर्गों का कल्याण	40.23	5.38	40.40	5.21
6.	74- वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	150.00	100.00	166.32	83.68
7.	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	522.75	212.79	615.33	120.21
8.	89- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – वित्त विभाग	1.77	14.15	7.97	7.95
	योग (क)	**2500.13**	**2579.51**	**4620.77**	**458.87**
	ख – राजस्व : प्रभारित				
1.	*10- वन*	*8.22*	*15.00*	*21.15*	*2.07*
	योग (ख)	***8.22***	***15.00***	***21.15***	***2.07***
	ग – पूंजीगत : दत्तमत				
1.	01- सामान्य प्रशासन	0.15	13.24	7.24	6.15
2.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	11.43	9.46	14.43	6.46
3.	14- पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	5.85	1.88	6.95	0.78
4.	16- मत्स्य पालन	0.09	0.16	0.10	0.15
5.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	निरंक	13.30	0.27	13.03
6.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	9.21	90.55	33.78	65.98
7.	21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	13.31	27.97	26.44	14.84
8.	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	0.17	266.31	13.71	252.77
9.	34- समाज कल्याण	0.07	0.17	0.08	0.16
10.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	163.23	42.20	164.14	41.29
11.	44- उच्च शिक्षा	निरंक	2.00	0.50	1.50
12.	48- नर्मदा घाटी विकास	356.32	170.00	361.92	164.40
13..	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	108.60	38.00	114.66	31.94
14.	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	निरंक	76.00	17.02	58.98
15.	60- जिला आयोजनागत योजना से संबंधित व्यय	31.20	49.48	68.07	12.61
16.	65- विमानन विभाग	निरंक	7.25	7.00	0.25
17.	73-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	निरंक	93.00	16.74	76.26

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	44.04	45.00	65.40	23.64
19.	76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	6.34	5.98	10.25	2.07
20.	81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3.09	334.27	313.54	23.82
21.	84- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – राजस्व	निरंक	12.60	0.16	12.44
22.	86- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – जेल	निरंक	2.12	0.35	1.77
23.	94- सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय	निरंक	5.85	1.25	4.60
	योग (ग)	**753.10**	**1306.79**	**1244.00**	**815.89**
	घ – पूंजीगत : प्रभारित				
1.	*– लोक ऋण*	*3014.43*	*4010.55*	*6736.09*	*288.89*
	योग (घ)	*3014.43*	*4010.55*	*6736.09*	*288.89*
	महायोग (क+ख+ग+घ)	**6275.88**	**7911.85**	**12622.01**	**1565.72**

अतिरिक्त आवश्यकता : 12622.01 करोड़ रुपये – 6275.88 करोड़ रुपये = 6346.13 करोड़ रुपये

परिशिष्ट IV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.6, पृष्ठ 37)

वे प्रकरण जिनमें व्यय 1 करोड़ रुपये से अधिक कम तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक तक कम रहा

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान / विनियोग का विवरण एवं संख्या	बचत की राशि (प्रावधान का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
क	*राजस्व दत्तमत*	
1	01- सामान्य प्रशासन	16.60 (21.5)
2	02- सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	1.57 (14.4)
3	03- पुलिस	134.74 (14.5)
4	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2.59 (33.9)
5	05- जेल	8.29 (13.2)
6	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	731.45 (41.3)
7.	07- वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	45.81 (22.8)
8	08- भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	53.02 (17.2)
9	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	5.64 (23.7)
10	10- वन	57.05 (12.3)
11	11- वाणिज्य तथा उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	9.16 (27.1)
12	13- कृषि	62.08 (21)
13	14- पशु पालन विभाग से संबंधित व्यय	30.42 (20.2)
14	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	42.26 (29.3)
15	16- मत्स्य पालन	2.41 (20.6)
16	17- सहकारिता	7.82 (20.7)
17	18- श्रम	12.73 (29.3)
18	19- लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	117.48 (21.3)
19	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	68.55 (15.6)
20	21- आवास तथा पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	10.25 (41.5)
21.	23- जल संसाधन विभाग	28.38 (10.9)
22	24- लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	34.02 (12.3)

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)
23	25- खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	1.82 (22.8)
24	26- संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	3.96 (22.4)
25	27- शालेय शिक्षा	177.48 (10.1)
26	28- राज्य विधान मण्डल	4.66 (23.5)
27	29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	28.24 (25.3)
28	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	262.69 (70.5)
29	31- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	10.41 (42.1)
30	32- जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय	13.09 (34.9)
31	33- जनजाति कल्याण	95.38 (20.2)
32	34- समाज कल्याण	5.09 (21.6)
33	36- परिवहन	9.60 (39.8)
34	37- पर्यटन	1.79 (38.1)
35	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	42.73 (23.2)
36	40- कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	3.90 (45.3)
37	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	104.31 (28.8)
38	43- खेल एवं युवा कल्याण	3.60 (57.6)
39	44- उच्च शिक्षा	44.87 (14.8)
40	45- लघु सिंचाई निर्माण विभाग	9.05 (21.8)
41	47- तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	44.55 (29.7)
42	48- नर्मदा घाटी विकास	8.17 (90.8)
43	49- अनुसूचित जाति कल्याण	7.94 (19.1)
44	51- धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	2.13 (40.7)
45	52- कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.86 (32.5)
46	53- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5.46 (88.6)
47	54- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	4.52 (10.7)
48	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	76.38 (31.5)
49	56- ग्रामोद्योग	4.71 (21.5)
50	58 – प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय	94.25 (37.5)

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)
51	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	76.00 (100)
52	61- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4.61 (62.5)
53	63- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय	1.18 (43.7)
54	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	85.51 (32.6)
55	66- पिछड़े वर्गों का कल्याण	5.21 (11.4)
56.	69- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शहरी कल्याण	3.96 (30.7)
57.	70- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्याएं – पर्यटन	9.00 (50)
58	72- गैस त्रासदी राहत कार्य से संबंधित व्यय	13.05 (40)
59	73- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	40.15 (79.2)
60	74- वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	83.68 (33.5)
61	77- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्याएं – खेल एवं युवा कल्याण	2.00 (100)
62	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	27.80 (17)
63.	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	120.21 (16.3)
64	81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	200.85 (30.6)
65	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	45.52 (20.9)
66	83- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7.33 (98.8)
67	84- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – राजस्व	14.35 (87.2)
68	85- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – पुलिस	3.05 (50)
69	86- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – जेल	2.11 (89)
70	87- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – नगरीय प्रशासन एवं विकास	4.13 (100)
71	88- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – न्याय प्रशासन	9.52 (100)
72	89- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – वित्त विभाग	7.95 (50)
73	90- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.60 (50)
74	91- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – शालेय शिक्षा	14.03 (50)
75	92- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – संस्कृति	3.48 (50.1)
76	95- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – पंचायत एवं ग्रामीण विकास	101.09 (100)

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)
ख	*राजस्व – प्रभारित*	
77.	*01- सामान्य प्रशासन*	*1.88 (29.9)*
78.	*08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन*	*1.03 (79.2)*
79	*24- लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल*	*2.18 (62.3)*
80.	*29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन*	*1.58 (11.3)*
81	*81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता*	*5.23 (34.3)*
ग	*पूंजीगत -- दत्तमत*	
82.	01- सामान्य प्रशासन	6.15 (45.9)
83	03- पुलिस	3.04 (33.3)
84	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	12.50 (62.1)
85	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	5.76 (73.2)
86	10- वन	1.13 (48.1)
87	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	6.46 (30.9)
88.	13- कृषि	2.01 (78.5)
89	17- सहकारिता	66.58 (85)
90	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13.04 (98)
91	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	65.98 (66.1)
92	21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	14.84 (35.9)
93	23- जल संसाधन विभाग	61.27 (24)
94	24- लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	178.20 (52.1)
95	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	252.78 (94.9)
96	37- पर्यटन	6.07 (68.1)
97	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	6.04 (23.9)
98	40- कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	3.11 (50.9)
99	41- जनजाति क्षेत्र उप योजना	41.29 (20.1)
100	42- जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	25.22 (36.5)
101	44- उच्च शिक्षा	1.50 (75)
102	45- लघु सिंचाई – निर्माण कार्य	30.00 (58.1)
103	48- नर्मदा घाटी विकास	164.40 (31.2)
104	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	31.94 (21.8)

(करोड़ रुपयो में)

(1)	(2)	(3)
105	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय	3.86 (83.5)
106	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	58.98 (77.6)
107	60- जिला आयोजनागत योजनाओं से संबंधित व्यय	12.61 (15.6)
108	62- चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2.33 (46.6)
109	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	87.00 (56.7)
110	66- पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.54 (100)
111	67- लोक निर्माण कार्य – भवन	35.30 (51.4)
112	68- जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – भवन	4.23 (58.6)
113	73- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	76.26 (82)
114	75- जल संसाधन विभाग से संसबंधित नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं	23.64 (26.5)
115	76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2.07 (16.8)
116	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1.38 (49.8)
117	84- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – राजस्व	12.44 (98.7)
118	86- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – जेल	1.77 (83.4)
119	88- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – न्याय प्रशासन	1.31 (74.4)
120	94- सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय	4.60 (78.6)

परिशिष्ट V

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7, पृष्ठ 37)

वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	लेखे का शीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
क	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं		
1.	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0701-7604-पीथमपुर, जिला धार में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना	1.00
2	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0701-8850-इन्दौर में स्वर्ण आभूषण पार्क की स्थापना	1.00
3	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2217-05-191-0701-1409-छोटे एवं मध्यम शहरों की एकीकृत विकास योजना	3.04
4	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	4217-05-191-0701-1409 छोटे एवं मध्यम शहरों की एकीकृत विकास योजना	6.01
5	27-शालेय शिक्षा	2202-01-101-0701-5307-आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए प्राथमिक शालाओं में रंगीन टी.वी. सैट	1.33
6	37-पर्यटन	5452-01-101-0701-7630- केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का अंश	5.00
7	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना (20 – शालेय शिक्षा विभाग)	2202-01-796-101-0702-5215-शिक्षा गारंटी योजना के लिये राजीव गांधी मिशन को सहायता अनुदान	7.00
8	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना (21– विधि एवं विधायी मामलों का विभाग)	2225-01-789-800-0703-5171- विशेष न्यायालयों की स्थापना	4.24
9	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना (02– गृह विभाग)	4059-60-789-800-0703-5172- नए पुलिस थानों की स्थापना	1.14
10	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना (25–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	6225-01-789-800-0703-7602 सफाई कर्मियों के लिये सेनेटरी मार्ट योजना	1.50
11	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-01-800-0701-8686- विशेष अभिनव योजना	1.55
12	82-जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-03-796-800-0702-9467 एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	2.06
	योग – क		**34.87**

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)
ख	**केन्द्रीय क्षेत्र योजना**		
13.	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0801-5045- केडेस्ट्रल सर्वेक्षण नक्शों का प्रांकन	10.00
14	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0801-705- औद्योगिक क्षेत्र संस्थाओं में विकास एवं निर्माण कार्य	3.00
15	13-कृषि	2402-102-0801-2197-नदी घाटी परियोजनाओं में भू संरक्षण उपाय के लिये केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं	1.87
16	13-कृषि	2705-800-0801-3744-राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना	1.44
17	14-पशु पालन विभाग से संबंधित व्यय	2403-102-0801-6548-गाय एवं भैसों के अभिवर्धन के लिये हिमिकृत वीर्य तकनीक का संवर्द्धन	7.03
18	18-श्रम	2230-01-101-0801-5019 मंडियों में कार्यरत हम्मालों के लिए आवास योजना	1.05
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498 परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	9.00
20	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106-विश्वव्यापी टीकाकरण	11.40
21	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498-परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	13.34
22	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244-मलेरिया	11.18
23	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-8282-शिशु स्वास्थ्य एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	25.30
24	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2215-02-106-0801-8872 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	3.49
25	24-लोक निर्माण कार्य–सड़क एवं पुल	5054-05-337-0801-6331-अंतर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण (झांसी–सतना)	6.98
26	24-लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	5054-05-337-0801-9457-अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण (झांसी – सतना)	6.88
27	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना (14–कृषि विभाग)	2402-796-101-0802-2198- नदी घाटी परियोजनाओं में भू संरक्षण हेतु एकीकृत योजना	4.03
28	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2235-02-102-0801-7543-संचार कार्यनीति	3.12
29	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना (17–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	2210-03-789-103-0803-7561-प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना	3.08
30	66-पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225-03-277-0801-9026-मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	1.00
	योग – ख		**123.19**
ग	**0602 – जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त निधियों से वित्त पोषित योजना**		
31	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना (25–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2225-02-794-190-0602-4675- स्वरोजगार योजना	4.00
32	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना (25–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण विभाग)	4225-02-794-190-0602-5156- जनजाति विकास एवं वित्त निगम	1.00
		योग – ग	**5.00**
		महायोग (क + ख + ग)	**163.06**

परिशिष्ट VI

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8, पृष्ठ 37)

सतत् बचतों के प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण	बचत की राशि (बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क	**राजस्व – दत्तमत**			
1.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	864.64 (41.2)	1344.25 (57.3)	731.45 (41.3)
2	25-खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	5.93 (30.4)	7.34 (41.8)	1.82 (22.8)
3	31-नियोजन, आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग से संबंधित व्यय	5.80 (24.2)	10.24 (37)	10.41 (42.1)
4	40-कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	1.10 (24.9)	2.90 (51.3)	3.90 (45.3)
5	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना	129.93 (20.8)	173.40 (29.3)	104.31 (28.8)
6	47-तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग	34.47 (20)	42.65 (22.9)	44.55 (29.7)
7	48-नर्मदा घाटी विकास	3.73 (46)	5.71 (63.4)	8.17 (90.8)
8	51-धार्मिक न्यास तथा धर्मादा	1.62 (28.6)	1.90 (33.9)	2.13 (40.7)
9	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	50.99 (23.1)	103.84 (38.5)	76.38 (31.5)
10	61-लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	10.18 (64.3)	11.79 (90.6)	4.61 (62.5)
11	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	112.65 (32.8)	99.24 (29.9)	85.51 (32.6)
12	72-गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	9.83 (37.3)	6.99 (26.8)	13.05 (40)
13	73-आवास तथा पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	31.62 (62)	18.24 (35.1)	40.15 (79.2)
14	74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	650.00 (100)	129.91 (86.6)	83.68 (33.5)
ख	**पूंजीगत – दत्तमत**			
15	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	12.02 (49)	10.34 (37.4)	12.50 (62.1)
16	08-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	6.43 (52.5)	7.67 (69.8)	5.76 (73.2)
17	11-वाणिज्य तथा उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	8.56 (62.5)	8.63 (64.3)	6.46 (30.9)
18	13-कृषि	1.97 (23.8)	2.28 (80)	2.01 (78.5)
19	17-सहकारिता	33.63 (41)	28.71 (31.4)	66.58 (85)
20	24-लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	17.88 (32)	76.64 (49.6)	178.20 (52.1)
21	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	7.46 (41.4)	17.83 (77.5)	6.04 (23.9)
22	40-कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	2.12 (43.5)	2.76 (48)	3.11 (50.9)
23	42-जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	16.51 (33.8)	45.69 (62.9)	25.22 (36.5)
24	45-लघु सिंचाई – निर्माण कार्य	29.89 (49.7)	40.68 (64.7)	30.00 (58.1)
25	48-नर्मदा घाटी विकास	108.50 (26.7)	137.36 (27.6)	164.40 (31.2)
26	58-प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखा राहत पर व्यय	2.17 (77.5)	5.67 (90)	3.86 (83.5)
27	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	26.37 (39.6)	41.52 (42.2)	87.00 (56.7)
28	67-लोक निर्माण कार्य – भवन	17.91 (45.8)	61.61 (68.4)	35.30 (51.4)
29	68-जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – भवन	2.25 (63.7)	28.20 (91.2)	4.23 (58.6)

परिशिष्ट VII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.9 (क), पृष्ठ 37)

योजनाओं के अधीन सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
क	राजस्व – दत्तमत			
1.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	**2071-01-105-2514-** परिवार पेंशन	52.73	105.4
2.	24-लोक निर्माण कार्य - सड़क एवं पुल	**3054-80-001-2301-** निदेशन एवं प्रशासन (अनुदान संख्या 67 मुख्य शीर्ष 2059 से स्थापना के अनुपातिक अंश का अंतरण)	39.85	144.1
3.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय	2245-80-800-8030- पुनः स्थापना एवं अन्य कार्य के लिये अनुदान	24.31	301.2
योग – क			**116.89**	
ख	*पूंजीगत – दत्तमत*			
4.	23-जल संसाधन विभाग	4701-01-210-0101-2884- नहर एवं संबद्ध निर्माण कार्य	6.11	101.8
5.	24-लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	5054-03-337-0101-4336- राज्यों में सड़कों का निर्माण – राज्य राजमार्ग	5.69	2276
योग – ख			**11.80**	
महायोग (क + ख)			**128.69**	

परिशिष्ट VIII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.9 (ख), पृष्ठ 37)

योजनाओं के अंतर्गत बड़ी बचतों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	बचत की राशि	बचत का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क	राजस्व दत्तमत			
1.	03- पुलिस	2055-109-1816-दस्यु उन्मूलन कार्रवाई	9.03	89.1
2.	03- पुलिस	2055-109-194-अन्य पुलिस	9.57	100
3.	03-पुलिस	2055-111-9258 पर्यवेक्षण अमला (रेलवे पुलिस, इन्दौर खण्ड)	5.06	95.1
4.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-224-अन्य व्यय	567.94	100
5.	07- वाणिज्यक कर विभाग से संबंधित व्यय	2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय	31.37	92.3
6.	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0801-5045-केडेस्ट्र लसर्वे नक्शों का अंकन	10.00	100
7.	12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-80-101-0801-7656-ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत मप्र विद्युत मंडल को अनुदान	12.42	85
8.	14-पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	2403-102-0801-6548-गाय एवं भैंस अभिवर्द्धन हेतु हिमिकृत वीर्य तकनीक विस्तार	7.03	100
9.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498-पारम्परिक गर्भनिरोधकों का प्रदाय	9.00	100
10.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106-विश्वव्यापी टीकाकरण	11.40	100
11	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498-पारम्परिक गर्भनिरोधकों का प्रदाय	13.34	100
12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244-मलेरिया	11.18	100
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-8282-शिशु जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	25.30	100
14	24-लोक निर्माण – सड़क एवं पुल	3054-03-337-2227-नवीकरण	21.33	82.4
15	24-लोक निर्माण – सड़क एवं पुल	3054-04-337-1366-चौड़ीकरण	5.30	96.4
16	24-लोक निर्माण – सड़क एवं पुल	3054-04-337-1826 - डम्बरीकरण	6.87	90.6
17	24-लोक निर्माण – सड़क एवं पुल	3054-04-337-2227 - नवीकरण	65.45	84.3
18	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	2015-108-9503-मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्रों का प्रदाय	11.49	95.8
19	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2515-800-0101-6655-मप्र ग्राम्य सड़क विकास अभिकरण को सहायतानुदान	256.68	100
20	39-खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2408-01-102-3248-मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न की प्राप्ति हेतु हानियों की भरपाई	6.67	100

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2408-01-102-0101-570-ज्वार के विक्रय में हानियों की भरपाई हेतु उचित मूल्य दुकानों को सहकारिता के अधीन लाना तथा क्षतिपूर्ति	20.05	100
22	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना (10 – वन विभाग)	2406-01-796-800-0802-5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	10.69	92.6
23	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना (20–स्कूल शिक्षा विभाग)	2202-01-796-101-0102-5087-राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन को अनुदान	5.30	100
24	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना (20–स्कूल शिक्षा विभाग)	2202-01-796-101-0702-5215-शिक्षा गारंटी योजना हेतु राजीव गांधी शिक्षा मिशन को सहायतानुदान	7.00	100
25	48-नर्मदा घाटी विकास	2402-102-0801-9451-सरदार सरोवर परियोजना के आवाह क्षेत्र के सुधार हेतु अनुदान	8.17	90.8
26	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय	2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार हेतु अतिरिक्त प्रावधान	68.09	90.8
27	59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	2501-01-800-1201-5853- जिला परियोजना कार्यान्वयन (डीपीआईपी) योजना	76.00	100
28	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	2210-01-110-3506-मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर	5.40	100
29	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-103-0101-5846-आधारभूत न्यूनतम सेवाओं हेतु शिक्षा गारंटी योजना	7.06	100
30	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-191-8403-आधारभूत न्यूनतम सेवाओं हेतु शिक्षाकर्मियों को वेतन के लिये अनुदान	8.50	93.9
31	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-108-8860-वाणिज्यिक कर पर प्रभारित अधिभार का शहरी निकायों को भुगतान	89.47	82.1
32	83- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-191-1302-5185 आधारभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान	5.10	100
33	84- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन प्रशासन का स्तरोन्नयन – राजस्व	2053-093-5052-जिला प्रशासन	8.23	100
34	89-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन प्रशासन का स्तरोन्नयन – वित्त विभाग	2054-095-2274-निदेशन एवं प्रशासन	7.96	100
35	90-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन प्रशासन का स्तरोन्नयन – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-800-5049-स्वास्थ्य सेवाएं	6.60	100

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	91-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन प्रशासन का स्तरोन्नयन – स्कूल शिक्षा	2202-01-001-5056-प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8)	8.26	100
37	95-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन प्रशासन का स्तरोन्नयन – पंचायत एवं ग्रामीण विकास	2515-101-1301-6656-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार आधारभूत सेवाओं हेतु ग्रामीण पंचायतों का अनुदान	101.09	100
	योग – क		**1539.40**	
ख	**पूंजीगत – दत्तमत**			
38	01-सामान्य प्रशासन	4059-01-051-0101-6443-मध्यप्रदेश भवन दिल्ली में अतिरिक्त भवन के निर्माण हेतु भूखण्ड का क्रय	6.00	100
39	17- सहकारिता	**4425-107-0101-2754-प्राथमिक कृषि साख समितियों/कृषक सेवा/वृहद बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश**	6.90	100
40	17-सहकारिता	4425-107-0101-2759-प्रारंभिक भूमि विकास बैंकों की अंशपूंजी में निवेश	6.00	100
41	17-सहकारिता	6408-02-190-0910-8725-मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ, मर्यादित, भोपाल को कार्यशील पूंजी हेतु सीमांत मौद्रिक ऋण	15.00	100
42	17-सहकारिता	6425-107-0101-8707-अल्प अवधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य सरकार का सहयोग	9.00	90
43	17-सहकारिता	6425-108-0101-8747-मप्र राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से लिए गए ऋणों के भुगतान हेतु किस्तों का समायोजन	20.05	100
44	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0101-7648-अस्पतालों एवं औषधालयों का निर्माण	12.32	97.9
45	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	4217-05-191-0701-1409-छोटे एवं मंझोले नगरों की एकीकृत विकास योजना	6.01	100
46	23-जल संसाधन विभाग	4701-03-800-0101-2339-निदेशन एवं प्रशासन	18.71	98.4
47	24-लोक निर्माण कार्य – सडक एवं पुल	5054-03-337-0101-9456-भोपाल/सीहोर बायपास सड़क का निर्माण एवं सुधार	33.83	84.6
48	24-लोक निर्माण कार्य – सडक एवं पुल	5054-04-337-0101-1366-चौड़ीकरण	5.04	91.6
49	24-लोक निर्माण कार्य – सडक एवं पुल	5054-04-337-0101-1826 डामरीकरण	7.34	96.9
50	24-लोक निर्माण कार्य – सडक एवं पुल	5054-04-800-0101-6657-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत जिले की पानीयुक्त गिट्टी सड़क पर डामर बिछाना	61.66	97.9

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	24-लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	5054-05-337-0801-6331-अन्तरराज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों (झांसी – सतना) का निर्माण	6.98	100
52	24-लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	5054-05-337-0801-9457-अन्तरराज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों (झांसी – सतना) का निर्माण	6.88	100
53	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	4515-800-0701-6655- मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	248.27	95.9
54	37-पर्यटन	5452-01-101-0701-7630-केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्रीय अंशदान	5.00	100
55	42-जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	5054-03-796-101-0102-4149-बडे पुलों का निर्माण	5.47	91.2
56	42-जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	5054-04-796-800-0102-7563-पानीयुक्त गिट्टी की सड़कों का डामरीकरण (नाबार्ड)	22.42	97.5
57	45-लघु सिंचाई – निर्माण कार्य	4702-102-0101-2339-निदेशन एवं प्रशासन	22.53	93.9
58	48-नर्मदा घाटी विकास	4801-01-205-0101-9133-सरदार सरोवर परियोजना	138.18	98.7
59	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-01-211-1201-2884-नहर तथा संबद्ध निर्माण कार्य	35.00	100
60	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना (17–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	5054-04-789-800-0103-7563-पानीयुक्त गिट्टी की सड़कों का डामरीकरण (नाबार्ड)	14.00	100
61	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना – 25 – अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	4225-01-789-800-0103-7560-विशेषांश योजना हेतु एकमुश्त प्रावधान	45.70	91.2
62	73-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4217-60-051-1201-8748-भोज वेट लैंड परियोजना हेतु	76.26	82
63	84-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन प्रशासन का स्तरोन्नयन – राजस्व	4059-01-051-1301-5052- जिला प्रशासन	11.50	98.6
योग – ख			846.05	
महायोग (क) + (ख)			2385.45	

परिशिष्ट IX

(संदर्भ : कंडिका 2.3.10, पृष्ठ 37)

अविवेकपूर्ण/अनियमित/दोषपूर्ण पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

(क) कुछ प्रकरण जिनमें निधियों का पुनर्विनियोग द्वारा अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण ढंग से आहरण/ किया गया यद्यपि लेखाओं में पहले से ही प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्ष	मूल सहित पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग से पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोग अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय -2039-104-4173-स्प्रिट का क्रय	36.00	36.49	0.49	(-)4.03	4.52
2.	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय-2040-101-1509-जिला स्थापना	30.36	34.73	4.37	(-)1.27	5.64
3.	13-कृषि – 2401-001-119- अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी (जिला तथा अधीनस्थ स्तर के कर्मचारी)	48.03	48.98	0.95	(-)1.00	1.95
4.	23-जल संसाधन विभाग-2701-03-800-2250 - नहर तथा जलाशय	27.00	35.83	8.83	(-)4.19	13.02
5.	30-पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय-2515-001-0101-1033-विकास खण्ड कार्यालय	31.64	34.33	2.69	(-)2.30	4.99
6.	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता - 2515-101-0101-8214-सचिवालयीन व्यवस्था	20.72	21.48	0.76	(-)1.15	1.91
7.	82-जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (22–पंचायत एवं ग्रामीण विकास)-2505-01-796-0702-9376-राष्ट्रीय कार्यक्रम – ग्रामीण जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	11.63	12.10	0.47	(-)1.02	1.49

(ख) कुछ प्रकरण जिनमें पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण द्वारा निधियों का आहरण उपलब्ध निधियों से अधिक करने के परिणामस्वरूप 5 लाख रुपए से अधिक का अंतिम आधिक्य हुआ।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्ष	मूल सहित पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03-पुलिस-2070-107-2710-मुख्य सैनानी तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों का कार्यालय	16.73	12.95	3.78	(-)4.32	0.54
2.	03-पुलिस-2070-108-2633-पुलिस फायर ब्रिगेड इन्दौर	2.50	1.33	1.17	(-)1.31	0.14
3.	05-जेल-2056-101-938-केन्द्रीय तथा जिला जेल	58.60	51.51	7.09	(-)7.36	0.27
4.	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय-2030-03-001-1480-जिला प्रभार	8.56	6.54	2.02	(-)2.16	0.14
5.	08-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन-2029-102-1058- जोतों का समेकन (चकबन्दी)	5.47	3.86	1.61	(-)1.71	0.10

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	08-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन-2029-102-2833-पूर्वानुमानकर्ता अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी का कार्यालय	26.37	17.61	8.76	(-)8.84	0.08
7.	08-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन -2029-103-0801-5917-भू अभिलेख की कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	13.00	5.77	7.23	(-)7.51	0.28
8.	10-वन-2406-01-102-0101-646-वैकल्पिक संयंत्र बोनी निधि से व्यय	2.00	1.14	0.86	(-)2.00	1.14
9.	15-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता – (22– पंचायत एवं ग्रामीण विकास)-2501-01-789-101-0703-8376-लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	2.00	0.32	1.68	(-)2.00	0.32
10.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-2215-01-102-0801-1095-वर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	126.81	70.01	56.80	(-)82.42	25.62
11.	23-जल संसाधन विभाग 2701-01-203-2894-बांध एवं नहरें	8.75	7.28	1.47	(-)2.22	0.75
12.	23-जल संसाधन विभाग– 4701-01-212-0101-2884-नहरें तथा आनुषंगिक निर्माण कार्य	6.00	4.08	1.92	(-)2.00	0.08
13.	23-जल संसाधन विभाग 4701-03-800-0101-3368-मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य	5.59	2.41	3.18	(-)3.76	0.58
14.	24-लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल-3054-03-337-1366-चौड़ीकरण	2.81	0.22	2.59	(-)2.81	0.22
15.	24-लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल-3054-03-337-1826-डम्बरीकरण	4.01	0.73	3.28	(-)4.01	0.73
16.	24-लोक निर्माण कार्य– सड़कें एवं पुल-3054-03-337-4558-सुदृढ़ीकरण	3.57	0.15	3.42	(-)3.57	0.15
17.	24-लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल-3054-04-337-1366-चौड़ीकरण	5.51	0.21	5.30	(-)5.51	0.21
18.	24-लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल-3054-04-337-1826-डम्बरीकरण	7.58	0.70	6.88	(-)7.58	0.70
19.	24-लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल-3054-04-337-4557-सुदृढ़ीकरण	4.20	0.18	4.02	(-)4.20	0.18
20.	27-शालेय शिक्षा-2202-01-102-0101-9948-आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये प्राथमिक शालाएं	17.17	9.65	7.52	(-)7.76	0.24
21.	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन-2015-103-3307-मतदाता नामावलियां तैयार करना तथा मुद्रण	4.00	2.96	1.04	(-)1.30	0.26
22.	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय-2501-01-001-0701-8774-राज्य स्तर के कर्मचारी	2.63	2.02	0.61	(-)1.13	0.52
23.	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय-4515-800-0701-6655-मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	258.98	10.71	248.27	(-)251.01	2.74
24.	32-जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय-2220-01-001-0101-2320-संचालन एवं प्रशासन	14.06	10.73	3.33	(-)3.48	0.15
25	40-कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय-2705-202-0701-6301-बरना सहकारी सह प्रबंधन समितियों को अनुदान	4.62	2.11	2.51	(-)2.72	0.21
26.	48-नर्मदा घाटी विकास-4801-01-205-0101-9133-सरदार सरोवर परियोजना	140.00	1.82	138.18	140.00	1.82
27.	48-नर्मदा घाटी विकास-4801-01-206-0101-2428-कार्यपालन स्थापना इकाई I एवं II	6.90	2.81	4.09	(-)6.90	2.81
28.	48-नर्मदा घाटी विकास -4801-01-206-0101-3274-वृत्त स्थापना	1.13	0.43	0.70	(-)1.13	0.43

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय -2415-01-120-0101-9181-जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर, कृषि विश्व विद्यालय खण्डवा एवं मन्दसौर को अनुदान	40.62	36.74	3.88	(-)6.00	2.12
30.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय-2235-02-102-0801-5354-एकीकृत सेवायोजना	83.31	59.23	24.08	(-)25.29	1.21
31.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना (02–गृह विभाग)-2055-789-109-0703-5172-नए पुलिस थानों की स्थापना	9.51	5.96	3.55	(-)3.62	0.07
32.	68-जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबधित लोक निर्माण कार्य–भवन-4210-02-796-103-0102-1209-ग्रामीण योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	2.32	1.07	1.25	(-)1.50	0.25
33.	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-2405-101-0701-3319-मत्स्यपालन विस्तार	2.91	1.73	1.18	(-)1.24	0.06
34.	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-2501-01-001-0701-8775-जिला स्तरीय प्रशासनिक योजना	5.20	3.97	1.23	(-)1.42	0.19
35.	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2501-01-101-0701-8376-लघु औद्योगिक संस्थाओं का निर्माण	1.46	0.14	1.32	(-)1.46	0.14
36.	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-2505-01-702-0701-6503-रोजगार आश्वासन योजना	26.69	20.07	6.62	(-)7.32	0.70
37.	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता-3604-106-8017-सड़कों के रखरखाव के लिये वाहनों पर कर से नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	34.66	27.80	6.86	(-)7.01	0.15
38.	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता-3604-107-8018-प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय के बराबर स्थानीय निकायों को सहायतानुदान	328.13	274.03	54.10	(-)54.44	0.34
39.	82-जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता–(22–पंचायत एवं ग्रामीण विकास) - 2501-01-796-101-0702-9375-मिलेनियम ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को अनुदान	5.81	3.22	2.59	(-)2.80	0.21
40.	82-जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता–(22–पंचायत एवं ग्रामीण विकास)-2505-01-796-702-0702-7664-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	1.20	0.23	0.97	(-)1.03	0.06
41.	82-जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता–(22–पंचायत एवं ग्रामीण विकास)-2505-01-796-702-0702-7665-रोजगार आश्वासन योजना	1.20	0.28	0.92	(-)1.05	0.13

(ग) उपलब्ध बचत के उपरान्त भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के कुछ प्रकरण

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्ष	मूल सहित पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1.	17-सहकारिता-4425-107-0101-2754-प्राथमिक कृषि साख समितियों/कृषक सेवा/वृहदाकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की शेयर पूंजी का निवेश	6.90	निरंक	6.90	+2.53	9.43
2.	23-जल संसाधन विभाग-2701-01-201-6135-नहर	17.00	6.64	10.36	+1.46	11.82
3.	24-लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल -5054-03-337-0101-9456-भोपाल सीहोर बाय पास मार्ग का निर्माण एवं सुधार	40.00	6.17	33.83	+ 5.00	38.83
4.	48-नर्मदा घाटी विकास -4701-01-231-0101-2872-बरगी नहर व्यपवर्तन परियोजना	5.75	5.15	0.60	+ 5.79	6.39

(घ) वे प्रकरण जिनमें प्रावधान से अधिक व्यय की पूर्ति के लिये आवश्यकता से अधिक, निधियों का पुनर्विनियोग द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से आवर्धन किया गया।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्ष	मूल सहित पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग से पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोग /अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	10-वन 2406-01-101-0101-2965-बांस वनों सहित उपश्रेणीकृत वनों का पुनर्वनीकरण	14.11	17.51	3.40	+ 3.82	0.4
2.	23-जल संसाधन विभाग -2701-01-001-2894-बांध तथा नहर निर्वाचित कृषि अनुदेशकों के लिये धन का प्रबंध	सांकेतिक	0.16	0.16	+ 6.07	5.9
3.	23-जल संसाधन विभाग-2701-80-001-275-अभियान स्थापना	6.50	7.00	0.50	+ 3.92	3.4
4.	23-जल संसाधन विभाग-4701-01-216-0101-2884-नहरें तथा आनुषंगिक निर्माण कार्य	43.00	65.45	22.45	+ 27.00	4.5
5.	27-शालेय शिक्षा-2202-04-001-0801-1219-ग्रामीण कार्यशील साक्षरता परियोजना तथा नियम केन्द्रों की स्थापना (केन्द्र प्रक्षेत्र योजना)	0.16	1.54	1.38	+ 1.59	0.2
6.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य-2702-80-800-9453-चयनित कृषि संस्थाओं के लिये निधि की व्यवस्था	सांकेतिक	0.36	0.36	+ 2.70	2.34
7.	48-नर्मदा घाटी विकास-4701-01-233-0101-2433-कार्यपालन स्थापना	5.82	9.74	3.92	+ 5.33	1.41
8.	48-नर्मदा घाटी विकास-4801-01-204-0101-2344-निर्माण कार्य	0.40	2.66	2.26	+ 2.40	0.14
9.	48-नर्मदा घाटी विकास-4801-01-206-0101-4654-स्थापना (वन प्रकोष्ठ)	5.06	5.47	0.41	+ 1.09	0.68
10.	48-नर्मदा घाटी विकास-4801-80-800-0101-4406-सरदार सरोवर के डूब क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण एवं अन्य निर्माण कार्य के लिये व्यय	124.59	138.31	13.72	+ 19.49	5.7
11.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना – (25–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) – 2225– 01 – 789 – 001–0103–7562–उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	0.45	2.36	1.91	+ 1.93	0.02
12.	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना -4701-03-800-0101-8696-कोलार परियोजना	2.00	2.36	0.36	+ 1.75	1.39

परिशिष्ट X

(संदर्भ : कंडिका 2.3.11 (क), पृष्ठ 38)

महत्वपूर्ण बचतें अभ्यर्पित न करना (5 करोड़ रुपये एवं इससे अधिक)

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल उपलब्ध बचत	अनाभ्यर्पित राशि (कुल बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)
(1)	(2)	(3)	(4)
क	राजस्व – दत्तमत		
1.	03- पुलिस	134.74	121.10 (89.9)
2.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	731.45	729.80 (99.8)
3.	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	45.81	23.26 (50.8)
4.	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	53.02	16.06 (30.3)
5.	10- वन	57.05	52.28 (91.6)
6.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	9.16	9.16 (100)
7.	13-कृषि	62.08	5.49 (8.8)
8.	14- पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	30.42	12.66 (41.6)
9.	15- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांस योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	42.26	20.92 (49.5)
10	17-सहकारिता	7.82	7.82 (100)
11	18- श्रम	12.73	12.27 (96.4)
12.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	117.48	117.03 (99.6)
13.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	10.25	10.21 (99.6)
14.	23-जल संसाधन विभाग	28.38	28.38 (100)
15	27-शालेय शिक्षा	177.48	148.58 (83.7)
16.	31- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	10.41	10.41 (100)
17	33- जनजाति कल्याण	95.38	95.23 (99.8)
18	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	104.31	25.76 (24.7)
19	44-उच्च शिक्षा	44.87	44.87 (100)
20	47- तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	44.55	16.24 (36.5)
21.	48-नर्मदा घाटी विकास	8.17	8.17 (100)
22.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाराहत पर व्यय	94.25	94.25 (100)

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)
23	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	85.51	38.51 (45)
24	70-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्याएं – पर्यटन	9.00	9.00 (100)
25.	72- गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	13.05	13.05 (100)
26.	73-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	40.15	40.15 (100)
27	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	27.80	27.80 (100)
28	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	120.21	60.46 (50.3)
29	81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	200.85	10.25 (5.1)
30	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	45.52	10.07 (22.1)
31	84-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – राजस्व	14.35	6.12 (42.6)
32	88-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – न्याय प्रशासन	9.52	5.21 (54.7)
33.	89-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – वित्त	7.95	7.95 (100)
34	90- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.60	6.60 (100)
35	95- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – पंचायत एवं ग्रामीण विकास	101.09	101.09 (100)
	योग (क)	**2603.67**	**1946.21 (74.7)**
ख	***राजस्व – प्रभारित***		
1.	*-- ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवाएं*	*206.17*	*206.06 (99.9)*
	योग (ख)	***206.17***	***206.06 (99.9)***
ग	***पूंजीगत – दत्तमत***		
1.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	12.50	11.72 (93.8)
2.	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	5.76	5.61 (97.4)
3.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	6.46	6.05 (93.7)
4.	17- सहकारिता	66.58	66.58 (100)
5.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13.04	13.04 (100)
6.	20-लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	65.98	26.86 (40.7)
7.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	14.84	14.74 (99.3)
8.	23- जल संसाधन विभाग	61.27	61.27 (100)
9.	24- लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	178.20	178.20 (100)
10.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	41.29	29.03 (70.3)
11.	42-जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	25.22	25.22 (100)
12.	45- लघु सिंचाई – निर्माण कार्य	30.00	28.88 (96.3)

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	48- नर्मदा घाटी विकास	164.40	18.03 (11)
14.	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	31.94	31.94 (100)
15.	60-जिला आयोजनागत योजना से संबंधित व्यय	12.61	12.61 (100)
16.	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	87.00	30.81 (35.4)
17.	67- लोक निर्माण कार्य – भवन	35.30	22.30 (63.2)
18.	73-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	76.26	76.26 (100)
19.	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	23.64	23.64 (100)
20.	84-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – राजस्व	12.44	5.24 (42.1)
योग (ग)		**964.73**	**688.03 (71.3)**
महायोग (क+ख+ग)		**3774.57**	**2840.30 (75.2)**

परिशिष्ट XI

(संदर्भ : कंडिका 2.3.12, पृष्ठ 38)

विवेकहीन अभ्यर्पण के प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण	उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि
क	राजस्व – दत्तमत		
1	02 - सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1.57	1.63
2	05 - जेल	8.29	8.57
3	20-लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	68.55	85.47
4	24 - लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	34.02	38.58
5	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबधित व्यय	262.69	266.41
6	40-कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	3.90	3.95
7	52 - कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.86	1.89
8	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	4.52	6.00
9	56 - ग्रामोद्योग	4.71	5.09
10	63 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय	1.18	1.19
	योग (क)	**391.29**	**418.78**
ख	पूंजीगत – दत्तमत		
1	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबधित व्यय	252.78	254.01
2	40 - कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	3.11	3.12
3	82-जनजाति क्षेत्र उपयोजना त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.19	0.20
	योग (ख)	**256.08**	**257.33**
	महायोग (क+ख)	**647.37**	**676.11**

परिशिष्ट XII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.13, पृष्ठ 38)

व्यय के आंकड़ों का मिलान न करना

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष	अनुदान संख्या	वर्ष के दौरान मिलान न किये गये व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	2030	07	19.68
2.	2053	08,50	27.41
3.	2054	06,32,89	33.57
4.	2055	01,03	7.79
5.	2059	01,67	129.62
6.	2202	27,32,64,80,82	1695.48
7.	2204	27	13.78
8.	2205	26	15.67
9.	2210	72,79	151.49
10.	2215	15,20,21,32,41,58,64,80, 81, 82	99.98
11.	2217	53,81,83,87	20.57
12.	2235	01,04,29,32	5.80
13.	2250	02,51	1.15
14.	2406	10	63.36
15	4217	81,87	16.87
16	6217	81	40.80
योग	**16-मुख्य शीर्ष**	**30-** अनुदान	**2343.02**

परिशिष्ट XIII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.14, पृष्ठ 38)

पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां

क्रम संख्या	संस्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	अनियमितताओं का विवरण
1	7	1,4,6,21,23,26,41, 45,51, 57,64,73,75	124.84	संस्वीकृतियां वर्ष 2001–2002 की समाप्ति के उपरान्त जारी की गई
2	16	1,7,11,15,27,30, 35, 41,58,64,67,68	112.19	उन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान की अनुपलब्धता जिनसे पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण स्वीकृत किये गये और उन योजनाओं के विवरण प्रेषित नहीं किये गये जिनसे अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग स्वीकृत किये गये
3	1	22	0.66	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में संस्वीकृतियों की विलम्ब से प्राप्ति अर्थात लेखाओं के बन्द करने तथा अंतिम रूप देने के पश्चात
4	1	72	1.15	वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना 10 लाख रुपये से अधिक के पुनर्विनियोग जारी किये गये।
5	1	26	0.02	शीर्ष "कार्यालय व्यय" में पुनर्विनियोग द्वारा निधियों की वृद्धि की गई।
6	1	41	18.76	एक अनुदान से दूसरे अनुदान को पुनर्विनियोग
योग			**257.62**	

परिशिष्ट XIV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.15, पृष्ठ 39)

मार्च 2002 के दौरान व्यय की अधिकता

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय(*)		मार्च 2002 में व्यय	कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत
			दिसम्बर 2001 तक	मार्च 2002 तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	65.99	14.74	40.91	21.49	52.5
2	60- जिला आयोजनागत योजना से संबंधित व्यय	80.69	17.26	68.07	35.41	52.0
3	65 - विमानन विभाग	13.14	3.72	11.96	7.17	59.9
4	70-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्याएं – पर्यटन	18.00	निरंक	9.00	9.00	100
5	73-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	143.70	13.00	27.28	16.74	61.4
6	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	12.32	2.05	10.25	8.22	80.2
7	85-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – पुलिस	8.69	निरंक	4.83	4.83	100
8	87-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – नगरीय प्रशासन एवं विकास	8.26	निरंक	4.13	4.13	100
9	90-11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13.20	निरंक	6.60	6.60	100
10	91- 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन – शालेय शिक्षा	28.06	निरंक	14.03	14.03	100

टिप्पणी: *अनुदान संख्या 21, 60, 70, 85, 87 एवं 91 के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये व्यय में क्रमशः 18.00 करोड़ रुपये, 7.65 करोड़ रुपये, 9.00 करोड़ रुपये, 4.83 करोड़ रुपये, 4.13 करोड़ रुपये एवं 14.03 करोड़ रुपये जिनका कुल योग 57.64 करोड़ रुपये है, सम्मिलित हैं जिन्हें मुख्य शीर्ष 8443 सिविल निक्षेप, 800 – अन्य निक्षेप में जमा किया गया था।*

(*) 6/2001 एवं 9/2001 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट XV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.16, पृष्ठ 39)

बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का विवरण	लेखाशीर्ष	व्यय की राशि
1	*लोक ऋण*	*6003-106-5044 छतिपूर्ति तथा अन्य बन्ध पत्र (5 प्रतिशत नगरीय भूमि परिसीमन 1976)*	*3.50*
2	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-115-6429 – अवकाश नकदीकरण लाभ	3.19
3	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-80-800-अन्य व्यय	3.39
योग			**10.08**

परिशिष्ट XVI

(संदर्भ : कंडिका 2.4.1 (ख) (ii), पृष्ठ 40)

चयनित अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	बचत (प्रतिशतता)
(1)	(2)	(3)
(क)	**21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय**	
1.	2215-02-106-0801-8872-राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना	3.49(100)
2.	2217-05-191-0701-1409-छोटे एवं मध्यम शहरों की एकीकृत विकास योजनाएं	3.04(100)
3.	4217-05-191-0701-1409-छोटे एवं मध्यम शहरों की एकीकृत विकास योजनाएं	6.01(100)
4.	6216-02-201-0101-8260-बाजार की उधारियां	3.16(100)
(ख)	**24- लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल**	
5.	3054-03-337-1366- चौड़ीकरण	2.58(92 1)
6.	3054-03-337-1826- डम्बरीकरण	3.28(81 8)
7.	3054-03-337-2227- नवीनीकरण	21.32(82 4)
8.	3054-03-337-4090- विशेष मरम्मतें	7.33(79 5)
9.	3054-03-337-4558- सुदृढीकरण	3.42(95 8)
10.	3054-04-337-1366- चौड़ीकरण	5.30(96 2)
11.	3054-04-337-1826- डामरीकरण	6.87(90 8)
12.	3054-04-337-2227- नवीनीकरण	65.45(84 4)
13.	3054-04-337-4557- सुदृढीकरण	4.02(95 7)
14.	5054-03-337-0801-8716- केन्द्रीय सड़क निधि	56.75(56 8)
15.	5054-03-337-0101-1366- चौड़ीकरण	2.12(75 4)
16.	5054-03-337-0101-4558- सुदृढीकरण	3.50(98)
17.	5054-03-337-0101-9456- भोपाल, सीहोर बायपास सड़क का निर्माण एवं सुधार कार्य	33.83(84 6)
18.	5054-04-337-0101-1366- चौड़ीकरण	5.05(91 7)
19.	5054-04-337-0101-1826- डामरीकरण	7.34(96 8)
20.	5054-04-337-0101-4558- सुदृढीकरण	4.19(99 8)
21.	5054-04-800-0801-8803- अशोक नगर से ईसागढ तक सारस खेडी ढकोनी सडक का निर्माण	3.48(100)
22.	5054-04-800-0101-6657- नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत पानी युक्त गिट्टी की सड़क पर डांबर बिछाना	61.66(97 9)
23.	5054-05-337-0801-6331- अंतर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण	6.98(100)
24.	5054-05-337-0801-9457- अंतर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण (झांसी–सतना)	6.88(100)
(ग)	**40- कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय**	
25.	2705-202-0701-6301-बायना सहकारी सहप्रबंधन समितियों को अनुदान	2.51(54 3)
(घ)	**80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**	
26.	2202-01-103-0101-5846-आधारभूत न्यूनतम सेवाओं हेतु शिक्षा गारंटी योजना	7.06(100)
27.	2202-02-191-8403- आधारभूत न्यूनतम सेवाओं हेतु शिक्षा कर्मियों को वेतन के लिये अनुदान	8.50(93 9)
28.	2401-102-0701-921- दलहन फसल उत्पादन	2.32(7- 6)
29.	2401-108-0701-927- केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना	4.20(60 4)
	योग	**351.64**

परिशिष्ट XVII

(संदर्भ : कंडिका 2.4.1 (ख) (ii), पृष्ठ 40)

चयनित अनुदानों की योजनाओं में सारभूत अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	योजना की अनुदान संख्या एवं नाम	अधिक व्यय (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
(क)	**21**-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	
1.	4217-01-052-0101-1021-क्षेत्रों इत्यादि का सौन्दर्यीकरण	1.27 (53.4)
(ख)	**24**-लोक निर्माण कार्य – सड़कें एवं पुल	
2.	3054-03-337-134- संधारण एवं मरम्मत – सामान्य	3.76 (10.7)
3.	3054-04-337-134- संधारण एवं मरम्मत – सामान्य मरम्मत	45.09 (91.4)
4.	3054-80-001-2301-निदेशन एवं प्रशासन	39.85 (144.1)
5.	5054-03-337-0101-4336-राज्यों में सड़कों का निर्माण – राज्य राज पथ	5.69 (2276)
6.	5054-04-800-0701-1924-दस्यु प्रभावित क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों का निर्माण	1.08 (93.1)
7.	5054-04-800-0101-1222-आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत ग्रामीण संड़कों का निर्माण	4.32 (864)
8.	5054-04-800-0101-1513-मुख्य जिला सड़कों का निर्माण	1.89 (203.2)
9.	5054-04-800-0101-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1.67 (138)
10.	5054-04-800-0101-6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	7.57 (13)
(ग)	**80**-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
11.	2501-01-101-0701-7573-विशिष्ट अभिनव योजना	1.55 (2583)
	योग	**113.74**

परिशिष्ट XVIII

(संदर्भ : कंडिका 2.4.1 (ग), पृष्ठ 40)

(क) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों के संबंध में योजनाओं के अंतर्गत पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपयां में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजना का विवरण	अप्रयुक्त पूरक प्रावधान की राशि
(1)	(2)	(3)
(क)	**21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय**	
1.	4217-05-191-0701-1409-छोटे एवं मध्यम नगरों की एकीकृत विकास योजनाएं	6.01
2.	6217-60-191-0101-6514- छोटे एवं मध्यम नगरों हेतु एकीकृत विकास योजनाएं	0.81
(ख)	**24-लोक निर्माण कार्य – सड़कें एवं पुल**	
3.	5054-05-337-0801-6331-अंतर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण	6.98
4.	5054-05-337-0801-9457- अंतर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण –(झांसी–सतना)	6.88
(ग)	**28-राज्य विधायिका**	
5.	2011-02-101-4007-विधान सभा	1.98
(घ)	**80-त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**	
6.	2501-01-800-0701-8686-विशेष अभिनव योजना	1.55
7.	2505-01-702-0701-6503-रोजगार आश्वासन योजना	4.79
8.	2505-01-702-0701-8712-जवाहर ग्राम विकास योजना	5.75
9.	2515-101-4610-मुद्रांक शुल्क संग्रहण के विरुद्ध	4.77
	योग	**39.52**

(ख) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं में पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजना का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	बचत (–)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(क)	**21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय**				
1.	4217-60-001-0801-9432-पचमढ़ी जीव मंडल प्रबंधन योजना	निरंक	1.72	0.23	1.49
(ख)	**24-लोक निर्माण कार्य – सड़कें एवं पुल**				
2.	5054-03-337-0101-1366-चौड़ीकरण	निरंक	2.81	0.69	2.12
3.	5054-03-337-0101-1826- डम्बरीकरण	निरंक	4.01	2.52	1.49
4.	5054-03-337-0101-4558- सुदृढ़ीकरण	निरंक	3.57	0.07	3.50
5.	5054-03-337-0101-9456- भोपाल–सीहोर बायपास सड़क का निर्माण एवं सुधार	निरंक	40.00	6.17	33.83
6.	5054-04-337-0101-1366- चौड़ीकरण	निरंक	5.51	0.46	5.05
7.	5054-04-337-0101-1826- डम्बरीकरण	निरंक	7.58	0.24	7.34
8.	5054-04-337-0101-4558- सुदृढ़ीकरण	निरंक	4.20	0.01	4.19
(ग)	**80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**				
9.	2501-03-800-0701-7666-एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	निरंक	2.14	0.58	1.56
	योग	निरंक	71.54	10.97	60.57

परिशिष्ट XIX

(संदर्भ : कंडिका 2.4.1 (ज), पृष्ठ 41)

(क) वे प्रकरण जिनमें साखपत्र जारी हुए नहीं पाए गए परिणामस्वरूप अनुदान संख्या 24 के अंतर्गत आबंटन व्यपगत हो गए

(करोड़ रुपयों में)

संभाग	5054/केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटन	साखपत्र जारी किए गए	व्यय	व्यपगत आबंटन
सीहोर	100.00	--	--	100.00
रायसेन	500.00	330.00	87.49	412.51
विदिशा	500.00	--	--	500.00
राजगढ़	462.63	--	4.87	457.76
बैतूल	400.00	--	--	400.00
भोपाल-II	37.37	33.00	--	37.37
योग	2000.00	363.00	92.36	1907.64

(ख) वे प्रकरण जिनमें अनुदान संख्या 24 में आबंटन से अधिक साख पत्र जारी किये गये

(लाख रुपयों में)

संभाग	लेखाशीर्ष	आबंटन	साखपत्र
विदिशा	5054-(अन्य)	11.56	24.59
भोपाल-II	5054-(नाबार्ड)	77.81	84.10
		89.37	108.69

(ग) जिलावार मूल बजट प्रावधान अंतिम आबंटन, साखपत्रों एवं व्यय के मध्य अंतर

(लाख रुपयों में)

अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्ष	जिले का नाम	मूल बजट प्रावधान	अंतिम आबंटन	साखपत्र	व्यय
24- लोक निर्माण कार्य – सड़कें एवं पुल					
3054 (राजस्व)	बैतूल	510.00	421.90	239.00	239.76
	भोपाल	668.23	1055.00	980.14	1189.23
	होशंगाबाद	328.00	346.90	251.68	185.17
	रायसेन	260.00	416.90	304.87	419.59
	राजगढ़	195.00	321.90	216.42	191.83
	सीहोर	295.00	279.25	219.22	256.74
	विदिशा	429.00	341.90	251.56	312.48
	हरदा	100.00	116.25	87.21	117.41
5054 (पूंजीगत अनुभाग)	बैतूल	466.68	464.33	51.65	26.26
	भोपाल	57.82	1220.59	1137.10	2122.61
	होशंगाबाद	316.60	485.86	314.95	263.93
	रायसेन	429.33	979.82	418.97	523.25
	राजगढ़	748.91	836.34	331.15	337.15
	सीहोर	230.66	324.42	197.24	197.34
	विदिशा	800.45	876.80	352.59	415.08
	हरदा	116.46	166.46	107.35	100.01

परिशिष्ट XX

(संदर्भ : कंडिका 3.1.6.9 (क), पृष्ठ 52)

अधोसंरचना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	जिला	1999–2000 के लिए कुल आबंटन	1999–2001 के दौरान किया गया व्यय	अनुमत्य व्यय	अधिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1	मुरैना	3.00	1.35	1.20	0.15
2	छिंदवाड़ा	3.30	1.88	1.32	0.56
3	भोपाल	0.60	0.34	0.24	0.10
4	धार	3.90	2.22	1.56	0.66
5	खरगौन	4.80	2.66	1.92	0.74
6	सीहोर	1.50	0.83	0.60	0.23
7	बैतूल	3.00	1.38	1.20	0.18
8	गुना	2.70	1.65	1.08	0.57
9	इंदौर	1.20	0.72	0.48	0.24
10	खण्डवा	2.70	1.46	1.08	0.38
11	रीवा	2.70	1.42	1.08	0.34
12	राजगढ़	1.80	0.90	0.72	0.18
13	सागर	3.30	1.70	1.32	0.38
14	सिवनी	2.40	1.27	0.96	0.31
15	सीधी	2.40	1.66	0.96	0.70
16	विदिशा	2.10	1.01	0.84	0.17
	योग	**41.40**	**22.45**	**16.56**	**5.89**

परिशिष्ट XXI

(संदर्भ : कंडिका 3.1.6.10 (क), पृष्ठ 53)

स्वरोजगारियों को बिना प्रशिक्षण के ऋण एवं आर्थिक सहायता का भुगतान

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	जिला	1999-2000		2000-01		2001-02	
		भुगतान की गई आर्थिक सहायता	स्वरोजगारियों की संख्या	भुगतान की गई आर्थिक सहायता	स्वरोजगारियों की संख्या	भुगतान की गई आर्थिक सहायता	स्वरोजगारियों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	भोपाल	***50.53***	436	58.31	469	46.59	390
2.	छिंदवाड़ा	167.62	1424	185.06	1772	228.00	2116
3	धार	271.87	1297	267.30	1897	200.00	1634
4	ग्वालियर	108.95	1050	116.18	1059	85.94	1580
5	खरगौन	161.12	1518	221.80	1758	155.00	2417
6	मण्डला	148.63	2034	173.83	1631	163.67	3668
7	मुरैना	164.42	890	114.01	1218	125.33	1322
8	सीहोर	33.54	402	107.10	1042	96.78	757
9	शहडोल	236.91	2953	209.66	2671	200.20	1747
10	मन्दसौर	139.74	2084	144.06	1638	112.38	1453
11	टीकमगढ़	75.68	813	132.16	1588	90.00	1032
	योग	**1559.01**	**14901**	**1729.47**	**16743**	**1503.89**	**18116**

परिशिष्ट XXII

(संदर्भ : कंडिका 3.2.8 (iii), पृष्ठ 64)

1997–98 से 2001–02 के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का नामांकन

क्रम संख्या	नमूना जांच किये गये जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या	मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नामांकन* (कक्षा XI)			वास्तविक नामांकन (कक्षा XI)	नामांकन में कमी (प्रतिशत कोष्ठक में)
			पाठ्यक्रमों की संख्या	कार्यचालन वर्ष	अपेक्षित नामांकन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6).	(7)	(8)
1.	बैतूल	7	16	5	1600	1158 (72)	442 (28)
2.	भोपाल	8	15 1	5 4	1500 80	657 (42)	923 (58)
3	छिंदवाड़ा	9	13 6 3	5 4 3	1300 480 180	928 (47)	1032 (53)
4	गुना	6	15	5	1500	322 (21)	1178 (79)
5	इंदौर	11	26	5	2600	811 (31)	1789 (69)
6	जबलपुर	6	19	5	1900	517 (27)	1383 (73)
7	मंदसौर	7	10 1 3	5 4 3	1000 80 180	438 (35)	822 (65)
8	रीवा	8	23	5	2300	443 (19)	1857 (81)
9	सागर	9	18	5	1800	1157 (64)	643 (36)
10	सतना	8	23	5	2300	587 (26)	1713 (74)
11	उज्जैन	7	17	5	1700	441 (26)	1259 (74)
	योग	**86**	**209**		**20500**	**7459 (36)**	**13041 (64)**

* प्रति पाठ्यक्रम 20 विद्यार्थी

परिशिष्ट XXIII

(संदर्भ : कंडिका 3.3.6.1, पृष्ठ 74)

प्रशिक्षण हेतु लक्षियत सफाई कर्मियों की संख्या, जो वस्तुतः प्रशिक्षित हुये तथा प्रशिक्षण में कमी

क-2001-02 तक

सम्पूर्ण राज्य में

सर्वेक्षण के अनुसार प्रशिक्षण हेतु पहचान किये गये सफाई कर्मियों की संख्या	1992--97 के दौरान प्रशिक्षितों की संख्या		1997--2002 के दौरान प्रशिक्षितों की संख्या			प्रशिक्षण में कमी	कमी की अवधि का प्रतिशत
	वर्ष	संख्या	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां		
1	2	3	4	5	6	7	8
1992-94 -- 93394	1992-93	11395	1997-98	15000	2632	12368	82
	1993-94	10892	1998-99	8900	1482	7418	83
	1994-95	8712	1999-2000	15000	810	14190	95
	1995-96	7274	2000-01	5296	315	4981	94
	1996-97	4566	2001-02	1525	393	1132	74
93394	योग	42839	योग:	45721	5632	40089	88

ख- 1997-2002 के दौरान

11 नमूना जांच किये गये जिले

जिला	भोपाल	छतरपुर	ग्वालियर	इंदौर	जबलपुर	खरगौन	मुरैना (श्योपुर)	रीवा	सतना	शहडोल	उज्जैन	योग
1997-2002 के दौरान सफाई कर्मियों की संख्या												
(i) प्रशिक्षित करने हेतु	1190	920	1350	3440	1400	670	2045	885	730	360	2170	15160
(ii) वास्तविक प्रशिक्षित	55	457	23	447	611	43	11	165	निरंक	226	655	2693
(iii) कमी	1135	463	1327	2993	789	627	2034	720	730	134	1515	12467
(iv) कमी का प्रतिशत	95	50	98	87	56	94	99	81	100	37	70	82

परिशिष्ट XXIV

(संदर्भ : कंडिका 3.3.6.2, पृष्ठ 75)

पुनर्वास हेतु लक्षित सफाई कर्मियों की संख्या, वस्तुतः पुनर्वासित तथा पुनर्वास में कमी

क-1992-2002 सम्पूर्ण राज्य में

सर्वेक्षण के अनुसार पुनर्वास हेतु पहचान किये गये सफाई कर्मियों की संख्या	1992–97 के दौरान पुनर्वासितों की संख्या		1997–02 के दौरान पुनर्वास के लक्ष्य एवं उपलब्धियां			पुनर्वास में कमी	कमी का प्रतिशत
	वर्ष	सफाई कर्मियों की संख्या	लक्ष्य		पुनर्वासितों की वास्तविक संख्या		
			वर्ष	सफाई कर्मियों की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8
1992-94-93394	1992-93	10194	1997-98	15000	4277	10723	71
	1993-94	12383	1998-99	9085	5166	3919	43
	1994-95	15661	1999-2000	15000	3347	11653	78
	1995-96	14854	2000-01	5296	2940	2356	44
	1996-97	7216	2001-02	5525	3963	1562	28
93394	योग	60308	योग	49906	19693	30213	61

ख- 1997-2002 11 नमूना जांच किये गये जिले

जिला	भोपाल	छत्तरपुर	ग्वालियर	इन्दौर	जबलपुर	खरगौन	मुरैना	रीवा	सतना	शहडोल	उज्जैन	योग
1997-2002 के दौरान सफाई कर्मियो की सख्या												
(i) पुनर्वास करने हेतु	1240	936	1350	3650	1940	669	2268	999	779	296	2360	16487
(ii) वास्तविक पुनर्वासित	641	125	640	1431	1452	207	1609	393	316	147	1079	8040
(iii) कमी	599	811	710	2219	488	462	659	606	463	149	1281	8447
(iv) कमी का प्रतिशत	48	87	53	61	25	69	29	61	59	50	54	51

परिशिष्ट XXV

(संदर्भ : कंडिका 4.1.6.2 (iii) (क), पृष्ठ 106)

परतों में बड़े अंतर के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	अनुबंध संख्या और वर्ष	मद	छ अनुसूची के अनुसार मात्रा घन मीटर में	वास्तविक निष्पादन के अनुसार मात्रा घनमीटर में	परतों में अंतर के कारण कठोर चट्टान की अधिक मात्रा घन मीटर	दरों में अंतर रुपए प्रति घनमीटर	राशि रुपयों में
1.	आर डी 29.419 कि मी से 31.019 तक इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर का मिट्टी खुदाई कार्य (समूह एम.ई. –8)	2/1999-2000	(i) कड़ी मिट्टी तथा कठोर मुरम	202383	57550.199	144832.80	(112-30)=82	11876290
			(ii) असंगठित चट्टान तथा नरम चट्टान	396837	217706.736	179130.264	(112-62)=50	8956513
			(iii)कठोर चट्टान की खुदाई	297620	689928.077	68345.012 (कुल आधिक्य)	112	7654641
2	मध्यवर्ती 4 संख्या संरचना सहित आर.डी 20 कि.मी. से 23 कि.मी. तक इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर का मिट्टी खुदाई कार्य (समूह एम.ई. 6)	21/1998-99	(i) कड़ी मिट्टी तथा कठोर मुरम	93418.60	61978.73	31439.87	(123-30)=93	2923908
			(ii) असंगठित चट्टान तथा नरम चट्टान	71591.97	70078.33	1513.64	(123-37)=86	130173
			(iii)कठोर चट्टान की खुदाई	301063.79	366987.37	32970.07 (कुल आधिक्य)	123	4055319
3	मध्यवर्ती 1 संख्या संरचना सहित आर.डी 31.284 कि.मी. से 32.269 कि.मी. तक इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर का मिट्टी खुदाई कार्य (समूह एम.ई. 9 (क))	30/2000-2001	(i) कड़ी मिट्टी तथा कठोर मुरम	72560.58	71251.89	1308.69	(120-20)=100	130869
			(ii) असंगठित चट्टान तथा नरम चट्टान	139555.82	114181.82	25374	(120-55)=65	1649310
			(iii)कठोर चट्टान की खुदाई	162722.70	219374.51	29969.12 (कुल आधिक्य)	120	3596294

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	अनुबंध संख्या और वर्ष	मद	छ अनुसूची के अनुसार मात्रा घन मीटर में	वास्तविक निष्पादन के अनुसार मात्रा घनमीटर में	परतों में अंतर के कारण कठोर चट्टान की अधिक मात्रा घन मीटर में	दरों में अंतर रुपए प्रति घनमीटर में	राशि रुपयों में
4	मध्यवर्ती 1 संख्या संरचना सहित आर.डी 32.269 कि.मी. से 33.168 तक इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर का मिट्टी खुदाई कार्य (समूह एम. ई. 9 (ख))	31/2000-2001	(i) कड़ी मिट्टी तथा कठोर मुरम	68444.28	54095.12	14349.16	(120-25)=95	1363170
			(ii) असंगठित चट्टान तथा नरम चट्टान	165952.28	76581.71	89370.57	(120-52)=68	6077199
			(iii)कठोर चट्टान की खुदाई	56131.64	174532.32	14680.95 (कुल आधिक्य)	120	1761714
5	आर.डी 35.980 कि.मी. से 38. 033 कि.मी. तक इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर का मिट्टी खुदाई कार्य (समूह एम.ई 9 (घ))	1/2001-2002	(i) कड़ी मिट्टी तथा कठोर मुरम	97260.82	48940	48320.82	(120-20)=100	4832082
			(ii) असंगठित चट्टान तथा नरम चट्टान	92164.10	61234	30930.01	(120-57)=63	1948591
			(iii)कठोर चट्टान की खुदाई	60972.91	156172.11	15948.37 (कुल आधिक्य)	120	1913804
	योग							**58869877 अर्थात 5.89 करोड़ रुपये**

परिशिष्ट XXVI

(संदर्भ : कंडिका 4.1.9 (ii), पृष्ठ 113)

बिना कार्य के भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्र

संभाग का नाम	वर्ष	अनुबंध संख्या	प्रतिशत दर	कठोर चट्टान की मात्रा	प्रति घनमीटर दर		अधिक भुगतान
				(घनमीटर में)	(गणना)	(दर)	(लाख रुपयों में)
नर्मदा विकास संभाग संख्या 10 सनावद	1999-00	2	38.57 प्रतिशत कम	689928	6.3-(6.3X 38.57/100)	3.87	26.70
नर्मदा विकास संभाग संख्या 27 सनावद	1998-99	21	21.22 प्रतिशत	366987.37	6.3-(6.3X 21.22/100)	4.96	18.20
	2000-01	30	38.80 प्रतिशत	219374.51	6.3-(6.3X 38.80/100)	3.86	8.47
	2000-01	31	42.11 प्रतिशत कम	174532.32	6.3-(6.3X 42.11/100)	3.65	6.37
	2001-02	01	33.17 प्रतिशत	156172.11	6.3-(6.3X 33.17/100)	4.21	6.58
नर्मदा विकास संभाग संख्या 25 नर्मदा नगर	1991-92	2	0.95 प्रतिशत कम	312199	4.2-(4.2X 0.95/100)	4.16	12.99
	1993-94	5	15.49 प्रतिशत कम	275639	4.2-(4.2X 15.49/100)	4.85	13.37
	1994-95	1	26.39 प्रतिशत कम	86258	4.2-(4.2X 26.39/100)	3.09	2.67
	1998-99	1	0.82 प्रतिशत अधिक	134968	4.2+(4.2X 0.82/100)	4.23	5.71
	1998-99	2	8.06 प्रतिशत कम	4998	4.2-(4.2X 8.06/100)	5.79	0.28
	1998-99	3	8.24 प्रतिशत कम	3292	4.2-(4.2X 8.24/100)	5.78	0.19
	2001-02	1	--	392	--	6.30	0.02
	2001-02	2	--	15805	--	6.30	1.00
	योग						102.55